दशम माला, खंड 13, अंक 2 गुरुवार, 9 जुलाई, 1992
18 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

64
26/11/93

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992 / 1914 (शक)

अंक 2, गुरुवार, 9 जुलाई, 1992 / 18 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 21 से 24	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 21 से 24	27—47
अतारांकित प्रश्न संख्या: 210 से 216, 218 से 314 और 316 से 402	47—180
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	185-186
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कतिपय अनियमितताएं और लेन-देन श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव	185
भिलाई में श्रमिकों पर गोली चलाए जाने के बारे में	186-212
सभा पटल पर रखे गए पत्र	212-213
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	213-214
संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81, 82, 170, और 327 में संशोधन) संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव	214 215-218
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	
(एक) अन्य राज्यों में जमीन खरीदने के लिए पंजाब के लोगों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाए जाने की आवश्यकता श्री जगमीत सिंह बरार	215
(दो) उड़ीसा में एक नये रेलवे जोन का गठन किए जाने की आवश्यकता श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	216
(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को खाना पकाने की गैस के और अधिक कनैक्शन दिए जाने की आवश्यकता मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी	216
(चार) उत्तर प्रदेश के छर्रा और अतरौली में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा वाला इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता डा॰ लाल बहादुर रावल	216
(पांच) पूरे देश को सूखा प्रभावित घोषित करने और सूखा प्रभावित लोगों को राहत दिए जाने की आवश्यकता श्री हरि केवल प्रसाद	217
(छः) आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में मत्स्य पालन के लिए वहां के निवासियों द्वारा खरीदी गई भूमि से उन्हें बेदखल न करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाह्डे	217

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(सात) पद्मश्री एस० रंगनाथन के जन्म दिवस 9 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस घोषित किए जाने की आवश्यकता
श्री पवन कुमार बंसल 218

नियम 193 के अधीन चर्चा 218-219
सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला
श्री जसवन्त सिंह 218

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मामले के बारे में 229-245

लोक सभा

...वार, 9 जुलाई, 1992/18 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में चक्रवातीय तूफान

+

*21. श्री गोपीनाथ गजपतिः

श्री रवि रायः

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जून, 1992 में उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में आए चक्रवातीय तूफान और भारी वर्षा से वहां कितनी मौतें हुई और फसलों और पशुधन की अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(ख) इस तूफान के कारण मछुआरों को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले राहत तथा पुनर्वास संबंधी उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने 17 और 18 जून, 1992 के चक्रवाती तूफान और वर्षा के कारण हुई निम्नलिखित क्षति की रिपोर्ट दी है:—

(1) मृत व्यक्तियों की संख्या	—	12
(2) खोये हुये व्यक्तियों की संख्या	—	48
(3) फ... की अनुमानित क्षति	—	95.11 लाख रुपये
... मृत पशुओं की संख्या	—	130
... मकानों की संख्याः		
उगाने वाले ...	—	1068
से हर साल प्रभावि... रूप में	—	34909

... मैं मा...

(ग) राज्य सरकार द्वारा किये गये राहत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) प्रभावित आबादी हेतु तीन दिनों के लिए आकस्मिक राहत का प्रावधान।

(2) मृतकों के परिवारों को 5000/- रुपये की दर पर अनुग्रह राशि का भुगतान।

(3) क्षतिग्रस्त मकानों और पान की बेलों के लिए सहायता राशि का भुगतान।

राज्य सरकार क्षति का आकलन करने के पश्चात मछुआरों को उनके क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिये मानदण्डों के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

श्री गोपीनाथ गजपति: अध्यक्ष महोदय, गत मास उड़ीसा राज्य में भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप वहां बाढ़ आ गई। इसके परिणामस्वरूप वहां पर बहुत सी लघु सिंचाई परियोजनाओं को विशेषकर गंजम जिले के असका और बीरहमपुर क्षेत्रों में, व्यापक नुकसान हुआ है। गंजम जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार गंजम जिले के हजारों असहाय किसानों को तत्काल राहत सहायता और वित्तीय सहायता देकर उनके बचाव के लिये कदम उठाएगी जिससे कि वे अपनी लघु सिंचाई परियोजनाओं की मुरम्मत करवा सकें। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सहायता मिलने में देरी हो रही है; और क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसे मछुआरों के पुर्नवास के लिये, अनेक मामलों में उनकी मत्स्य नौकाएं खो गई हैं और जान भी चली गई है, कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): उड़ीसा का तटीय क्षेत्र काफी विस्तृत है और यह तटीय क्षेत्र 550 किलोमीटर लम्बा है। बालासौर, कटक, पुरी तथा गंजम जिलों में 14,166 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तटीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इन जिलों की कुल जनसंख्या एक करोड़ 50 लाख के लगभग है। राज्य की 50 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्र पर बसी है और इस तटीय क्षेत्र के साथ लगभग 20,000 गांव बसे हुए हैं।

इस वर्ष यह घटना 17 तारीख को घटी है। बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण भारी वर्षा हुई जिसके कारण इतनी भारी क्षति पहुंची है। नदी में बाढ़ आ गई। स्वाभाविक है कि जब ऐसा होता है, तो भारी क्षति ही होती है। मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 12 लोगों की जान चली गई है, 48 लोग लापता हैं; इसमें सब कुछ बताया है। और राज्य सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनके बारे में भी बताया है।

जहां तक मछुआरों का संबंध है, उनके नष्ट हुए सामान के बारे, राज्य सरकार क्षति का जायजा लेने के बाद, नियमानुसार सहायता दे रही है और ऐसा किया भी जा रहा है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, हमने हमेशा आपदा राहत कोष में से उन्हें अग्रिम सहायता प्रदान की है और यह यहां सहायता नवें वित्तीय आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदडों के अनुसार दी गई है। हम राज्य सरकार से भी संपर्क बनाये रख रहे हैं और यह सभी आपातकालीन उपाय राज्य सरकार ने ही जुटाये हैं और प्रभावित हुए लोगों की सहायता करने व उन्हें राहत प्रदान करने के लिये राज्य सरकार आवश्यक आपातकालीन उपाय जुटा भी रही है।

श्री गोपीनाथ गजपति: मैं इस उत्तर में दिये गये आंकड़ों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। सरकार के पास पर

बताये गये आंकड़ों के अनुसार 12 लोग मारे गये हैं और 48 लापता हैं। मुझे यकीन है कि वास्तविक संख्या इससे काफी अधिक है।

दूसरी बात यह है कि उड़ीसा राज्य और विशेषकर गंजम जिले में विगत दो वर्षों के दौरान बाढ़ से भारी विनाश हुआ है, पहले एक बार तो मई 1990 में हुआ था और फिर नवम्बर 1990 में। भारत के दो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और माननीय श्री चन्द्र शेखर ने भी इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

यद्यपि केन्द्र द्वारा राहत सहायता के लिये दो किस्तें जारी की गई हैं, एक 47 करोड़ रुपये की और दूसरी 35 करोड़ रुपये की, तथापि गंजम जिले के दूरदराज के गांवों में रह रहे प्रभावित हजारों गरीब परिवारों को अभी तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। इसके साथ-साथ माला भांजा, असका आदि क्षेत्रों में पूर्णतया क्षतिग्रत और ढह गये पुलों के पुनर्निर्माण का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिये मैं माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन दो विशिष्ट मामलों में केन्द्रीय सरकार की भावी कार्यवाही क्या रहेगी।

श्री बलराम जाखड़: राज्य सरकार को ही इस मामले में कार्यवाही करनी है। हमने उनको आपदा राहत कोष से अग्रिम दिया है और जैसा कि हमें रिपोर्ट मिली है, अभी भी 34.43 करोड़ रुपये की राशि उनके पास शेष है। हम उनके साथ संपर्क बनाये हुए हैं और हम ने उनके साथ सभी बातों में समन्वय बनाये रखने की कोशिश की और उन्होंने जो भी सहायता अथवा कोई भी चीज मांगी, हमने उनको उपलब्ध करायी और अपनी ओर से हम पूरी तटवर्तीय सीमा पर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक प्रकार से उन्हें सहायता ही मिल सकेगी, क्योंकि वहां पर ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहती हैं; इसलिये हम ऐसे उपाय कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब वहां 17 जून को साइक्लोन आया था और उसमें जो 60 मछुआरे खो गए थे, इनको रेस्क्यू करने के लिए भारत सरकार से सहायता मांगी गई थी। क्या यह सही है? यदि सही है तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या पग उठाए?

श्री बलराम जाखड़: इस बारे में अभी मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं आप को पता करके बताउंगा।

श्री रवि राय: हमारे पास इतनी जानकारी है कि जो साइक्लोन आया था उसमें भारत सरकार से रेस्क्यू करने के लिए सहायता मांगी गई थी। मैंने इसलिए मंत्री महोदय से स्पेसेफिक सवाल पूछा कि क्या वह लापता 60 मछुआरे वापस आए या नहीं? इसके बारे में मंत्री जी जानकारी देंगे क्या?

श्री बलराम जाखड़: मेरे पास इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने सहायता मांगी। मैं आपको पता करके बताउंगा। .....**(व्यवधान)**..... स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सहायता के लिए कोई आवेदन दिया गया होगा तो मैं आपको पता करके बताउंगा।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र: उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र में इस चक्रावातीय तूफान से मछुआरे और पान के पत्ते उगाने वाले लोग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यह एक आम बात है कि ये लोग इस तरह के चक्रावातीय तूफान से हर साल प्रभावित होते हैं।

मैं माननीय कृषि मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पुनर्वास के लिये किसी किस्म की सहायता

प्रदान करने का कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है। भारत सरकार के पास विशेषकर कृषि विभाग के साथ पुनर्वास की कई योजनायें हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या कृषि विभाग इन प्रभावित मछुआरों के पुनर्वास के लिए किसी किस्म की सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार उनको कोई सहायता नहीं दे रही है। इस चक्रवातीय तूफान के कारण प्रभावित हुई पान के पत्तों की बेलों की संख्या क्या है? और जिन व्यक्तियों की पान की बेलें प्रभावित हुई हैं उन्हें क्या सहायता दी गई है अथवा स्वीकृत की गई है।

श्री बलराम जाखड़: महोदय, हम राज्य सरकार को आपदा राहत कोष प्रदान करते हैं और राज्य सरकार की अपनी एक समिति होती है। मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। वे ही इस बारे में निर्धारित करते हैं कि क्या-क्या दिया जाना है, कैसे दिया जाना है और किस रूप में दिया जाना है और प्रभावित लोगों को किसी तरह की राहत प्रदान करने के लिए अथवा उनके पुनर्वास के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जाने हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी: महोदय, इस दीर्घकालिक चक्रवातीय तूफान के बारे में माननीय मंत्री ने पहले भी बताया है। 48 मछुआरे लापता हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस आशय की चेतावनी कि तूफान आने वाला है किस समय दी गई थी; क्या चेतावनी इस घटना के घटने के काफी देर बाद जारी की गई थी। यदि यह सही है तो सरकार का कौन-कौन सी शुद्धियां करने का प्रस्ताव है?

लगभग 500 किलोमीटर तक के तटीय क्षेत्र में मछुआरे रहते हैं और हर चार महीनों के बाद इन मछुआरों के मकान नष्ट हो जाते हैं। उन्हें जो सहायता मिलती है, वह बहुत ही कम है। भारत सरकार के पास मछुआरों के मकान बनाने की एक योजना है और भारत सरकार ने कई राज्यों को इसके लिये अंशदान भी दिया है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि उड़ीसा राज्य तूफान से प्रभावित हुआ है तो इस राज्य को सरकार ने कोई अंशदान क्यों नहीं दिया? अभी तक एक भी मकान नहीं बनाया गया है। अन्य राज्यों में मछुआरों को इस राज्य की तुलना में यह सुविधा प्रदान की गई है।

इन बातों के अलावा, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा नमक से प्रभावित है और वहां पर कोई भी फसल नहीं ली जा सकती। इस राज्य में खड़ी फसल के संबंध में 95 लाख के आंकड़े रहे हैं। लेकिन अब बहुत से क्षेत्रों में कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकी थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप तो भाषण दे रहे हैं कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

श्री लोकनाथ चौधरी: मैं इस समस्या के गंभीर परिणामों के बारे में बताना चाहता हूं और जो लोग लावण्य आप्लावन से प्रभावित हुए हैं उन्हें इस योग्य बनवाना चाहूंगा कि इस वर्ष वे अपनी फसल को उगा सकें। चूंकि बुआई की शुरूआत ही में यह हुआ है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने पहले भी कहा है कि राज्य सरकार को पैसा दिया गया है। और भी बहुत से सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे। इसलिये आप कृपया अपनी बात को शीघ्र समाप्त करें।

श्री लोकनाथ चौधरी: चूंकि सरकार इस बात से सहमत है कि इस क्षेत्र में दीर्घकालिक तूफान आया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को अल्पतम करने की दृष्टि से सरकार का कौन से विशेष उपाय करने का इरादा है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रभावित हुए सभी वर्गों के लोगों को किसी प्रकार की विशेष सहायता देने के बारे में विचार कर रही है।

श्री बलराम जाखड़: इनके पहले प्रश्न के बारे मैं यह बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग एक दिन में चार बार चेतावनी देता है।

अध्यक्ष महोदय: यह विनाश की चेतावनी संबंधी सूचना होती है।

श्री बलराम जाखड़: वस्तुत: वे सदैव ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने ऐसा ही बताया है। उन्होंने 17 तारीख को भी ऐसा ही किया था। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि वहम वाली बात हो। जो लोग इससे पहले 15 और 16 तारीख को रवाना हुए, इस का शिकार हो गये।

जहां तक तटवर्तीय सीमा का संबंध है, मेरा भी इससे संबंध है। हम तटवर्तीय सीमा पर रहने वाले लोगों की सहायता के लिये कुछ स्थायी उपाय करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। जब यह योजना पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो तब में आपको इसके बारे में बताऊंगा, अब नहीं बता सकता।

श्री लोकनाथ चौधरी: जब अन्य राज्यों में रह रहे मछुआरों को मकान बनाने के लिये सहायता प्रदान की जा रही है, तो उड़ीसा राज्य को धनराशि क्यों नहीं दी गई?....(**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़: हम इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। पूरी की पूरी तटवर्तीय सीमा को स्कीम के अन्तर्गत लिया जाएगा।

श्री रवी राय जी, मुझे सूचना मिल गई है, 18 जुलाई को खो गये मछुआरों की तलाश के लिये नौ-सेना और तटरक्षकों की सहायता मांगी गई थी। यह सहायता राज्य को तुरंत उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन मछुआरों का पता नहीं लगाया जा सका। अभी भी तलाश जारी है।

सूखा प्रभावित राज्य

+

22. **श्री मनोरंजन भक्त:**
डा० ए० के० पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) सूखाग्रस्त प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में फसलों तथा पशुधन का अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई और वास्तव में उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय दल (दलों) द्वारा कौन-कौन से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया;

(ङ) केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है; और

(च) सूखा प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

राज्य सरकारों ने गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के बारे में सूचित किया है।

2. इन रिपोर्टों के अनुसार कर्नाटक में 8.12 लाख हैक्टेयर, केरल में 1.12 लाख हैक्टेयर, मध्य प्रदेश में 27.42 लाख हैक्टेयर, महाराष्ट्र में 58.60 लाख हैक्टेयर तथा राजस्थान में 77.99 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। गुजरात सरकार ने खरीफ खाद्यान उत्पादन में 10.42 लाख मीटरी टन, खरीफ तिलहनों में 11.71 लाख मीटरी टन तथा कपास में 7.37 लाख मीटरी टन का अनुमानित नुकसान होने की सूचना दी है। मणिपुर सरकार ने 148.00 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। इन राज्यों में से किसी ने भी पशुधन की हानि के बारे में सूचित नहीं किया है।

3. गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर तथा राजस्थान राज्य सरकारों ने राहत कार्य करने के लिए क्रमशः 650.00 करोड़ रुपये, 50.00 करोड़ रुपये, 138.47 करोड़ रुपये, 295.00 करोड़ रुपये, 789.41 करोड़ रुपये, 3.15 करोड़ रुपये तथा 171.91 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किये हैं।

4. राहत व्यय हेतु वित्त व्यवस्था करने संबंधी स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत निधि के रकम का प्रयोग करके, राहत कार्य करने होते हैं। केन्द्रीय सरकार को केवल बहुत ही "विरल आपदाओं" के मामले में, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निपटाना होता है, अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त राज्य सरकारों के सूखे की स्थिति में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए किए गए अनुरोधों पर राहत व्यय हेतु वित्त व्यवस्था संबंधी मौजूदा स्कीम को ध्यान में रखकर विचार किया गया है।

5. सूखे की स्थितियों का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा ढांचे में दी जाने वाली अपेक्षित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में केन्द्रीय दल भेजे गए थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा महाराष्ट्र राज्यों में सूखे की स्थिति को "विरल आपदा" वाली नहीं समझा गया। इसलिए यह फैसला किया गया कि इन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा मणिपुर सरकार से प्राप्त ज्ञापन, जो कुछ दिन पूर्व ही प्राप्त हुए हैं, पर विचार किया जा रहा है।

6. राहत कार्यों के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश तथा कतिपय अन्य आयोजना स्कीमों के लिए अग्रिम निर्मुक्तियां मंजूर की हैं। गुजरात तथा महाराष्ट्र को वर्ष 1992-93 के लिए दी जाने वाली आपदा राहत कोष की सम्पूर्ण केन्द्रीय शेयर की राशि क्रमशः 63.25 करोड़ रुपये तथा 33.00 करोड़ रुपये तथा केरल और मध्य प्रदेश को क्रमशः 17.43 करोड़ रुपये तथा 20.81 करोड़ रुपये की 3 किश्तें अग्रिम रूप में निर्मुक्त की गई हैं।

7. प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान राज्य प्रतिदिन औसतन क्रमशः, 4.22 लाख, 9.94 लाख, 7.00 लाख तथा 6.00 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने की स्कीमें क्रियान्वित कर रहे हैं।

श्री मन्मोरंजन भक्तः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए वास्तव में ही खेद होता है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न

का उत्तर बड़े ही हल्क-फुल्के ढंग से दिया गया है। प्रश्न बड़ा अहम् है, लेकिन उत्तर ऐसे ढंग से दिया गया है कि प्रभावित सभी संघ शासित प्रदेशों, सभी राज्यों का भी यहां सही तरीके से जिक्र नहीं किया गया है।

दूसरे, जिन फसलों की क्षति का जिक्र किया गया है, वह भी ठीक नहीं है। सूखे की समस्या का रूप समाचार-पत्रों में दिये विवरण के अनुसार बहुत भयंकर है। इस देश की सत्तर मिलियन जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों पर भी इसका असर पड़ा है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3,000 करोड़ रुपये की खरीफ की फसलें और लगभग 5,000 करोड़ रुपये की नकदी फसलों को इससे नुकसान पहुंचा है। अट्ठारह मिलियन एकड़ कृषि-भूमि भी इस सूखे से प्रभावित हुई है। मंत्री महोदय ने इससे बुरी तरह प्रभावित सभी राज्यों और विशेषकर पश्चिम बंगाल, जोकि पटसन फसल के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुआ है, का उल्लेख ही नहीं किया है तथा केवल मध्य प्रदेश एवं गुजरात का ही उल्लेख किया है। **(व्यवधान)**

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब सूखा इतना भयंकर और इससे प्रभावित लोगों की संख्या इतनी अधिक है, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि 18 मई को 30 से अधिक शीर्षस्थ कृषि वैज्ञानिकों ने दिल्ली में बैठक की थी और सरकार को सुझाव दिया था कि सूखे की इस स्थिति का कारगर ढंग से सामना करें। यदि ऐसा ही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये सुझाव क्या है और सरकार ने सूखे की स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्रवाई की है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूखा जल के कुप्रबंध के कारण पड़ा है और अगर ऐसा है, तो सरकार इस संबंध में क्या करने जा रही है। क्या कृषि मंत्रालय जल संसाधन मंत्रालय के साथ समन्वय करके इस बारे में कारगार कदम उठायेगी?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): हमने अत्यधिक प्रभावित गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और केरल जैसे राज्यों के बारे में आंकड़े और तथ्य दिये हैं। हमने इसके बारे में पूर्ण ब्योरा दिया है। **(व्यवधान)**। जिन राज्यों में सहायता मांगी थी अथवा जहां केन्द्र ने दल भेजे हैं, उन सभी का यहां उल्लेख किया गया है। जो जिन राज्यों ने अनुरोध किया था, उन सभी का जिक्र किया गया है। मैं बिहार और शेष राज्यों के बारे में जांच कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर मुखातिब हो जाऊंगा। **(व्यवधान)**। जिन राज्यों ने सहायता मांगी थी, उनके बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार क्यों गायब है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़: आप ध्यानपूर्वक सुनें अथवा न सुनें प्रश्न तो रहेगा ही। हमने आपदा राहत कोष की व्यवस्था की है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल: गुजरात, महाराष्ट्र और केरल है, लेकिन बिहार नहीं है, ऐसा क्यों? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़: कुछ भी निर्णय लेने से पहले, आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पहले ध्यानपूर्वक सुनें और फिर हम विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल: महोदय, सारा देश सूखे की चपेट में है। यह सिर्फ गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का ही प्रश्न नहीं है, सारे देश का प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़: नौवें वित्त आयोग ने राज्यों को राहत सहायता के बारे में पूर्ण-स्वायत्ता प्रदान की है।

(व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश को कैसे भूल गए? क्या इन प्रदेशों में सूखे की उनको कोई जानकारी नहीं है?

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़: हमने दस वर्ष की औसत के आधार पर उपलब्ध राशि की गणना की थी और चार किस्तों में इसे प्रत्येक राज्यों को आबंटित किया था। यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे उस पैसे को वितरित करें, उस पैसे को पुनर्वास के लिए, किसी राहत-कार्य के लिए, जिसका वे राज्य के मुख्य-सचिव की अध्यक्षता में निर्णय के अनुसार कार्य करें। अब ऐसी स्थिति है जैसाकि हम पहले इस पर निर्णय करते थे, तो फिर यह कुछ और बात हुई होती। यह एक साधारण सा कारण है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मनोरंजन भक्त.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। इस तरह से नहीं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न सिर्फ बिहार से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी राज्यों से संबंधित है। यदि आप इच्छुक हैं, आप बिहार के बारे में एक सवाल पूछ सकते हैं। बिना पढ़े इस प्रकार से चिल्लायें नहीं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल: ये आंकड़े कलैक्ट करें और अगले दिन उन्हें रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपको पूछना है, तो पूछिए। आपने प्रश्न पढ़ा नहीं है और बोलते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त: अध्यक्ष महोदय, पैरा 5 में दिये गये विवरण के अनुसार, "सूखे की स्थितियों का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा ढांचे में दी जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का निर्धारण करने के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में केन्द्रीय दल भेजे गये थे।" मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय दल सभी प्रभावित राज्यों में क्यों नहीं भेजे गए। दूसरी बात यह है कि इस समस्या के व्यापक आकार को

देखते हुए, क्या सरकार ने अभी तक पहचान किये गये सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों को बीमा-योजना के अंतर्गत लाने पर विचार करेगी और यदि पहचान नहीं की गई है, तो क्या सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहेगी और फिर उन्हें बीमा-योजना के तहत लायेगी, ताकि किसानों को लाभ पहुंच सके? मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि अधिकतर मामलों में हमने देखा है कि .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक प्रश्न के रूप में आने दें। यह भाषण बन रहा है। हम बीस मिनट में केवल दो प्रश्नों पर ही विचार कर पाये हैं।

मनोरंजन भक्त: मैं एक अहम् प्रश्न पूछ रहा हूं कि आमतौर पर राहत-सहायता घटना के काफी देर बाद दी जाती है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि जब सूखे की स्थिति हो तो, क्या लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कोई पद्धति तैयार की जाएगी? मुझे याद है कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में, 1989 के ऐसे ही मामलों में अभी तक राशि वितरित नहीं की गई है। अतः मैं यही जानना चाहूंगा।

श्री बलराम जाखड़: महोदय, हमने केवल उन्हीं राज्यों में केन्द्रीय-दल भेजे हैं, जिन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था। इसी वजह से मैंने केवल उन्हीं राज्यों का जिक्र किया है क्योंकि उन्होंने केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। दूसरे, जो सहायता हम उपलब्ध कराते हैं, वह इस सूत्र में बिल्कुल आसान है। अनेक बार मैंने विस्तृत विवरण दिया है कि नौवें वित्त आयोग के गठन के बाद, केन्द्र के पास देने के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं है। वास्तव में, हमने सूखे से प्रभावित राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान उपलब्ध किया है। हमने गुजरात को पांच हजार टन अधिक गेहूं आवंटित किया है और मध्य प्रदेश को 7000 हजार टन चावल जारी करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार, हमने मणिपुर को लगभग एक हजार टन की अनुमति दी है। त्वरित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कर्नाटक को 23500 टन की अनुमति दी है, राजस्थान को 26500 टन गेहूं की और महाराष्ट्र को 7000 टन गेहूं और 7000 टन चावल की अनुमति दी गई है। इस प्रकार हमने अतिरिक्त सहायता दी है.....(**व्यवधान**) ध्यानपूर्वक सुनिये तो.....(**व्यवधान**)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: उत्तर प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश के बारे में सरकार क्या कर रही है।

श्री बलराम जाखड़: आप सुनते तो हैं नहीं। अगर सुने तो आपको बात पता लगे। जिन राज्यों ने केन्द्र से संपर्क किया है, हमने केवल उन्हीं में केन्द्रीय दल भेजे हैं, न कि किसी अन्य राज्य में। हम केन्द्रीय सहायता केवल उन्हीं राज्यों को दे सकते हैं, जहां राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाती है और राष्ट्रीय आपदा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही घोषित की जाती है। अतः, समस्या यह नहीं है। उन राज्यों में कोई राष्ट्रीय-आपदा घोषित नहीं की गई थी। मैंने अपने पास केन्द्र में इससे अधिक कुछ बचाकर नहीं रखा है। अतः, हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि राज्य सरकारों को यह बता दें कि हम इस आपदा राहत-कोष से अग्रिम रूप में राशि जारी कर दें, जैसा कि हमने मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र के मामलों में तथा अनेक अन्य मामलों में जारी की है। हम अभी भी जो कुछ कर सकते हैं करने को तैयार हैं। (**व्यवधान**)

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह बिल्कुल गलत है। यह बताया गया है कि गुजरात के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा है। मैं गुजरात से आया हूं। एक जिले के अलावा पूरा गुजरात सूखे से प्रभावित है। मेरी जानकारी के मुताबिक सूखे की स्थिति के बारे में यह गलत सूचना प्राचीन 'अनावरी' पद्धति अपनाने के कारण हुई है, जोकि सूखे की स्थिति का आकलन करने की 100 वर्ष पुरानी पद्धति है।

अध्यक्ष महोदय: आप का प्रश्न क्या है?

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल: मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार सूखे की स्थिति का जायजा लेने की पुरानी 'अनावरी' पद्धति को बदलने पर विचार करेगी। एक जिले को छोड़कर पूरा गुजरात सूखे से प्रभावित है। यहां यह उल्लेख किया गया है कि गुजरात के कुछ हिस्से सूखे से प्रभावित हुए हैं, जोकि गलत हैं।

श्री बलराम जाखड़: मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जानकारी का माध्यम केवल राज्य सरकार है। हमारे पास अन्य कोई एजेंसी इसके लिए नहीं है। हमें उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो भी जानकारी वह हमें प्रदान करते हैं, हम आपको दे देते हैं।

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल: 'अनावरी' पद्धति को बदलने के बारे में क्या करेंगे?

श्री बलराम जाखड़: इसको बदलना राज्य सरकार पर निर्भर है। यह उनका अधिकार क्षेत्र है और उन्हें ही इसे बदलना है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: डा० पटेल, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। आपने एक प्रश्न पूछा है और उत्तर दे दिया गया है। मैंने श्री नीतीश कुमार को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि जिन राज्य सरकारों ने मदद मांगी उन्हीं राज्य सकारों को मदद दी जा रही है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कृषि मंत्रालय में वर्षा की स्थिति के बारे में, मानसून के मूवमेंट के बारे में, उसकी जानकारी रखने का कोई अलग से विभाग है या उसकी वहां कोई एजेंसी है? उसके माध्यम से क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता होता है कि देश के किन भागों में वर्षा कम हो रही है या नहीं हो रही है? जिन भागों के बारे में ऐसी रिपोर्ट है कि वहां वर्षा नहीं हो पा रही है, मतलब खरीफ की फसल चौपट हो जायेगी, खास तौर पर जिन राज्यों का आपने जिक्र किया, उसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश में वही कमोवेश स्थिति है, वहां वर्षा न होने के कारण जो खरीफ की फसल खराब होती जा रही है, उन राज्यों के बारे में पहले से सोचकर कदम उठाना चाहते हैं या नहीं? मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: उनके जवाब पर टिप्पणी नहीं करें।

श्री नीतीश कुमार: उसी जवाब के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं। मंत्री जी ने बार-बार जिक्र किया है कि नौवें वित्त आयोग के आधार पर कैलेमिटी रिलीफ फंड बना दिया गया है और उसी की राशि को विमुक्त करते हैं। बिहार के लिये 32 करोड़ रुपये का उसमें फंड है। इस देश का हर निवासी अच्छी तरह से यह जानता है कि बाढ़ और सूखे से हर साल वहां तबाही होती है और 32 करोड़ के कैलीमिटी रिलीफ फंड से मतलब 24 करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस है जबकि इससे वहां इस प्रकार की आपदाओं का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि स्थिति को देखते हुए कैलेमिटी रिलीफ फंड के लिये फिर से उसकी राशि बढ़ाने के लिये कोई मिट टर्म एप्रेजल करेंगे ताकि जिन राज्यों को कम पैसा मिलता है, उनको अधिक से अधिक मदद मिल सके और जिन राज्यों के बारे में आपको अपने स्तर से रिपोर्ट प्राप्त हुई है व राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी है, वहां की फसल की खराब स्थिति को देखते हुए पहले से ही निपटने के लिये आप कोई उपाय करना चाहते हैं?

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, हम समाचार प्राप्त करते रहते हैं लेकिन जिसके पेट में दर्द होता है, वह डाक्टर के पास अवश्य जाता है ...(**व्यवधान**)...दूसरे प्रश्न के बारे में मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं। कि 35 करोड़ में काम नहीं चल सकता लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो उस प्रथा को बदलना है, जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा निर्धारित की गई। अब दसवां फाइनेंस कमीशन बन गया, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यह तो हमें प्रदेशों ने मजबूर किया था कि सैण्टर के पास यह पैसा नहीं रहना चाहिए, यह हमारा पैसा है, हम इसको चाहे जैसे खर्च करें, वह हमें दे दिया जाये, यह चोधर आप छोड़ दो। तो सैण्टर ने कहा, भगवन् लो आप सम्भाल लो तो उस तरीके से यह उनका हो गया। अब दवा उल्टी पड़ गई तो इसका क्या इलाज है। अब दोबारा दसवां फाइनेंस कमीशन बैठा है, उसमें आपकी बात का मैं भी समर्थन करता हूं, क्योंकि, हमारे पास आवेदन आता है, हमारे पास आते हैं कि हमारी सहायता करो, इस स्टेट की करो लेकिन देने को हमारे पास कुछ होता नहीं है और एक टीम भेजने से काम बनता नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर: अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ने कहा, उनकी सीमाएं सही हैं, क्योंकि, राज्यों ने अपनी-अपनी धनराशि पहले से ही केन्द्र से ले रखी है, जब और विपदा पड़ती है तो परेशानी पैदा होती है लेकिन राज्यों का सवाल अगर छोड़ दीजिए, आज सारे देश में सूखा है और मौसम विभाग पिछले सात दिनों से, 10 दिनों से यह भी नहीं बताता कि मानसून आयेगा कि नहीं। सारा भारत सूखे की चपेट में है, बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है, पीने के पानी का संकट होने वाला है। गेहूं जितना इकट्ठा होना चाहिये, वह भी इकट्ठा नहीं हुआ है। क्या भारत सरकार कोई आपातकालीन योजना बना रही है या जब लोग भूख से मरने लगेंगे और हर राज्य से इस तरह की आपातकालीन सूचनाऐं आने लगेंगी, तब आप कुछ करेंगे? इसलिए दसवें फाइनेंस कमीशन की इन्तजार अगर कृषि मंत्री जी न करें और मौसम को देखते हुए, हालात को देखते हुए हमारे सारे राष्ट्र को एक ऐसी कड़ी में जोड़ें कि आपात स्थिति का सामना करने के लिए हम कोई योजना बनायें। कहां से पैसा आयेगा, यह सब राज्यों से और केन्द्र सरकार से इकट्ठा करके उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कोई लिए कोई योजना है कि दसवां फाइनेंस कमीशन एक साल या दो साल बाद जब रिपोर्ट देगा तब तक आप इन्तजार करेंगे कि लोग भूख और प्यास से मरें?

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्र शेखर जी ने जो अभिव्यक्ति की है, उससे बिल्कुल सहमत हूं और सबसे ज्यादा तो मुझे ही फिक्र रहती है कि अगर बरसात नहीं हुई तो हमारे किसान का तो सारा मामला ही बिगड़ सकता है। ...अवश्य आयेगी। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं, सारी कैलेमिटी को रोकने के लिए कि किस प्रकार उसका निराकरण करना है, उसके विषय में भी काफी बातचीत चल रही है। स्टेट्स के साथ भी और सैन्टर में भी हम उपयुक्त उपाय करने और कदम उठाने की सामर्थ्य रखते हैं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल: अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है, आप स्पेसिफिकली बतायें कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने प्रदेश में जो सूखे की वस्तु स्थिति है, उससे केन्द्र को अवगत कराया है या कोई धनराशि की आपसे मांग की है अथवा मांग नहीं की है? इसका आप स्पेसिफिक रूप से उत्तर दें।

श्री बलराम जाखड़: जब आयेगी, मैं आपको सूचित कर दूंगा।

श्री प्रफुल्ल पटेल: महाराष्ट्र में पिछले वर्ष जो सूखा था, आपको भी उसके बारे में जानकारी तो है ही। मेरे जिले में पिछले वर्ष सारे वर्ष एक लाख 65 हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन राज्य शासन ने काम देने का निर्णय लिया और रोजगार हमीं में उन्हें काम दिया गया और अकेले एक जिले में 65 करोड़ रुपये की राशि रोजगार हमीं योजना में खर्च की गई है। पीने के पानी के लिए और अन्य जो तकलीफें थीं, उसके लिए हमारे राज्य शासन ने करीब 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त खर्च किया है। हमारे राज्य शासन ने करीब 790 करोड़ रुपया

केन्द्रीय सहायता के लिए मांग की थी। हमारे राज्य में और विशेषकर मेरे जिले में भी केन्द्र की जो टीम आई थी, वहां पर अभियान करने के लिए, उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है लेकिन मुझे यह जवाब पढ़कर दुख होता है, उसमें लिखा है कि:

[अनुवाद]

"गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र राज्यों में सूखे की स्थिति को 'विरल आपदा' वाली नहीं समझा गया। इसलिए यह फैसला किया गया कि इन राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।"

[हिन्दी]

अब एक लाख 65 हजार व्यक्तियों को एक गांव में रोज़गार गारन्टी स्कीम में काम करवा रहे हैं। एक ज़िले में हमारे शासन ने 75 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पर भी अगर आपकी टीम यह कहती है कि यह क्लैमिटी सैवरिटी नहीं है। वहां पर परिस्थिति गंभीर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न करिए ।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष जी, आप समझिए कि वहां प्रश्न बहुत गंभीर है। मैं भाषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह हमारी व्यथा है, पीड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: इस समय आपको प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं तो जवाब नहीं आएगा।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, पिछले सैशन में भी यह प्रश्न आया था। हमने सदन के सामने मांग रखी थी और शासन ने वहां टीम भेजी थी। टीम वहां जाकर आई है और आज यह कहते हैं कि रेअर-सैवरिटी नहीं समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री प्रफुल पटेल: मेरा प्रश्न यह है, सैवरिटी की जो डैफिनिशन है, वह बदलेंगे या नहीं? अगर बदलना चाहेंगे तो हमारे राज्य की जो आठ सौ करोड़ रुपए की सहायता की मांग है, उसको फिर से रिव्यू करने के लिए केन्द्रीय शासन तैयार है या नहीं?

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, सारे का सारा मामला कैबिनेट में जाता है और वहां पर फैसले होते हैं, किस प्रकार से करना है। अभी तो आन्ध्र प्रदेश का है, वह भी नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय मानसून की स्थिति के बारे में एक विस्तृत वक्तव्य देंगे, जिसमें विलम्ब, कितना विलम्ब, उसके परिणाम, खेती पर उसका असर और कई क्षेत्रों में पीने के पानी की जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसका कैसे सामना किया जाएगा? आज जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार से उसके उत्तर दिए जा रहे हैं, उनमें से देशवासियों को कोई आशा या सांत्वना का संदेश नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री महोदय सदन को यह विश्वास दिलायेंगे, मानसून में विलम्ब होने के कारण जो कठिनाई पैदा हो रही है, उसके लिए सरकार कदम उठा रही है और उठाएगी, परिस्थितियों का सामना करने के लिए? आप इस बात को नहीं कह रहे हैं। देश में भुखमरी फैल जाएगी। देश में गम्भीर संकट है और जैसा कि चन्द्र शेखर जी ने कहा, वह भी तस्वीर का एक पहलू ज़रूर है। आप इस बात को ध्यान में रख कर आप अगर आशा का संदेश नहीं देंगे, सांत्वना नहीं देंगे, तो परिस्थिति के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं, उनके भी दुष्परिणाम होंगे और व्यापारी लाभ

उठायेंगे। लोग अपने घरों में अनाज जमा करना शुरू कर देंगे। अगर यह संदेश आज के प्रश्नों के उत्तर से दिया जाता है, तो ठीक नहीं होगा।

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे कि आप इतना चिन्तित हों। हम बिल्कुल जागरूक हैं और बातचीत चल रही है। सारे समीकरण बनाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से अगर ऐसी बात हो, तो क्या करना है। मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा और बताऊंगा। इसमें ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। इस क्षेत्र में बरसात नहीं आई है, बाकी बरसात नीचे बहुत अच्छी है। यह सारी देखने की बात है, हम दृष्टि रखे हुए हैं और सारे राज्यों से बातचीत की जा रही है। अगर कुछ होता है ... **(व्यवधान)** ... जिस तरह से हम कर रहे हैं, सारे राज्यों से बातचीत चल रही है ... **(व्यवधान)** ...रुपया देने की बात नहीं है। रुपया देने की बात तो दूसरी करेंगे। रुपया मेरे पास नहीं है। जो मेरे बस में नहीं है, वह मैं नहीं कर सकता हूं। जो मेरे बस में है, वही मैं बोलूंगा। ... **(व्यवधान)** ...

श्री विलास मुत्तेमवार: पानी नहीं है, चारा नहीं है। ... **(व्यवधान)** ...

श्री बलराम जाखड़: अपने देश को जिस तरह से मुकाबला करना है, उसका पूरा मुकाबला करने के लिए हम तैयार है। बिल्कुल हम मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसमें ऐसी कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं है। अधिक कोई चिन्ता की बात नहीं है।.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सदस्यगण इस विषय पर और अधिक चर्चा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है।

.....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय से कहें कि मानसून की स्थिति के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है, कितना अनाज स्टॉक है और अगर परिस्थिति पैदा होगी, तो सरकार परिस्थिति का सामना कर सकेगी या नहीं — एक विस्तृत वक्तव्य दिलवा दीजिए। उस पर चर्चा होगी, तो ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

....**(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़: चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। हम इसका ध्यान रखेंगे। हम यह कार्य कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस कर्मी

+

*23. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:**
श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों का अपराधों में शामिल होने की घटनाओं में असाधारण रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के कितने मामलों में वर्ष 1990, 1991 और 1992 में अब तक दिल्ली पुलिस कर्मी शामिल पाये गये;

(ग) ऐसे पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) दिल्ली पुलिस कर्मियों की अपराधों में अन्तर्ग्रस्तता को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि वर्ष 1990 के दौरान 91 आपराधिक मामलों में 103 पुलिस अधिकारी, वर्ष 1991 के दौरान 118 आपराधिक मामलों में 134 पुलिस अधिकारी, और (दिनांक 31.5.92 तक) वर्ष 1992 के दौरान 41 आपराधिक मामलों में 49 पुलिस अधिकारी शामिल थे। इन मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए एक अनुलग्नक संलग्न है।

वर्ष 1991 में 15 और 1992 में 19 पुलिस अधिकारी बर्खास्त किए गए। वर्ष 1990 में 47, 1991 में 76 और 1992 में 36 अर्थात् कुल मिलाकर 159 पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया। अपराध में पुलिस कर्मचारियों की लिप्तता को रोकने और पुलिस में जनता का विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से अपराध में लिप्त पाए गए पुलिस कर्मचारियों के मामलों में निवारक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कर्मियों के मन में समाज सेवा की भावना और कानून के प्रति सम्मान की भावना, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ब्रीफिंग करके, बैठाई जा रही है। सामान्य जनता की पहुंच वरिष्ठ अधिकारियों तक बढ़ाए जाने के अलावा, पुलिस कर्मचारियों के आचरण पर पुलिस विभाग की सतर्कता शाखा और "प्रशासन" की भ्रष्टाचार-निवारक शाखा द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है।

अनुलग्नक

वर्ष	वर्ष किए गए मामलों की सं॰	पुलिस अधिकारियों की कुल सं॰	हत्या	हत्या का प्रयास	डकैती	लूट पाट/ धन ऐंठना	बलात्कार	पीओसी अधिनियम के अधीन	जालसाजी/ चोरी	स्थानीय एवं विशेष कानून	टाडा एक्ट	अपहरण/ व्यपहरण	विविध
1990	91	103	3	9	—	1	1	19	12	1	1	—	56
1991	118	134	13	9	—	4	1	14	8	1	2	1	81
1992	41	49	9	2	—	—	—	8	5	—	—	—	25

(31 मई, 1992 तक)

[हिंदी]

श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है उससे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न की गंभीरता मंत्री महोदय ने नहीं समझी। पुलिस एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है मैंने स्पेसिफिक प्रश्न किया था कि क्या सरकार स्वीकार करती है कि पुलिस कर्मियों का अपराध में भाजन बढ़ा है, मंत्री महोदय ने इसका बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। मुझे यह लगता है कि सरकार छिपाना चाहती है क्योंकि मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं कि मार्च के महीने में ... **(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: खंडेलवाल जी आपको प्रश्न पूछना है। देखिये, यह आपके हित की बात है।**(व्यवधान)**..हम 40 मिनट में केवल दो ही प्रश्न कर सके हैं। दूसरे मेम्बर्स के भी प्रश्न हैं।

श्री ताराचन्द्र खंडेलवाल: इतनी देर में तो मैं अपनी बात कह भी लेता। मार्च में तीन प्रश्न इसी प्रकार के किये गये थे, 1529 अनस्टार्ड प्रश्न में जवाब दिया था कि अब तक पुलिस कर्मी 648 और 713 अपराधों में शामिल हैं और आज मैंने पूछा कि अब तक कितने पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं उसमें चार सौ हैं।वैसे तो सारे प्रश्नों के उत्तर में टोटल दिया जाता है लेकिन इन्होंने टोटल नहीं दिया है। यह 445 संख्या बनती है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मार्च से अब तक संख्या बढ़ी होगी तो क्या जिन पर मुकद्में चलाये थे उनको उस रजिस्टर में से निकाल दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हान: 1970 से मार्च, 1992 तक की अवधि के पूरे आंकड़े दिये गये थे।

आज के विवरण मे दिये गये आंकड़ों से माननीय सदस्य यह पाएंगे कि 1990 के दौरान 103 पुलिसकर्मी 91 मामलों में; 1991 के दौरान 134 पुलिसकर्मी 118 मामलों में और 1992 के दौरान 49 पुलिसकर्मी 41 मामलों में शामिल थे।

यह दो भिन्न-भिन्न अवधि हैं जिनके लिये उत्तर दिये गये हैं।

अतः अतारांकित प्रश्न तथा उसके दिये गये उत्तर और यहां दिये गये उत्तर में कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि अनस्टार्ड प्रश्न में सरकार कुछ जवाब दे सकती है और स्टार्ट, प्रश्न में कुछ जवाब दे सकती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस० बी० चव्हाण: दोनों में अंतर है।

श्री ताराचन्द खण्डेवाल: दोनों में अन्तर क्यों है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं क्योंकि जून के सारे समाचार-पत्रों की कटिंग मेरे पास है जिस प्रकार पुलिस में अपराध बढ़ रहे हैं और लोग यह समझते हैं कि पुलिस जनता के और नागरिकों की सुरक्षा के लिए है लेकिन जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं, लोगों का विश्वास पुलिस से बिल्कुल हटता जा रहा है और मैं समझता हूं कि सरकार के इस प्रकार की उदासीनता के उत्तर से लोगों में जो भावना बढ़ रही है उसको और बढ़ा रही है। अभी जून के महीने में तीन स्पेसिफिक कांड हुये, जिसमें जून के पहले महीने में एक 18 वर्ष के लड़के का अपहरण किया और उससे 15 लाख की फिरौती की मांग की जिसमें एक पुलिस हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल शामिल हैं। इसी प्रकार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उसमें जो एनआरआई वाले सोना ला रहे थे, जिनका कस्टम भी उन्होंने दे दिया और 66 बिस्कुट थे यानी 30

लाख का सोना था उनको एक हैडकांस्टेबल और कुछ पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया था और बाद में वे पुलिसकर्मी भाग गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की गंभीरता को देखते हुये बहुत से लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठ गया है और वे चाहते हैं कि इसका समाधान आपने मंत्रालय की ओर से हो ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़े। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप अलग से एक घंटे का समय देकर, दिल्ली के पुलिस विभाग के संबंध में चर्चा के लिये स्वीकार करें।

श्री एस० बी० चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसमें थोड़ा कनफ्यूजन हो रहा है जो फीगर मैंने बताई थी वह फीगर 1971 से अब तक अगर आप लेते हैं तो उसका अलग फीगर आयेगा और तीन साल का अगर आप लेते हैं तो उसका अलग फीगर आयेगा। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि पुलिसकर्मियों में इस किस्म के जुर्म बढ़ने के जो स्टेटिसटिक्स मिल रहे हैं इसकी वजह से हम खुद भी चिन्तित हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली पुलिस अनेक अपराधों में शामिल है। चोरी, जबरदस्ती वसूली, फिरौती के लिए अपहरण और मासूम महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें पुलिस शामिल है। ऐसी जघन्य घटनाओं से दिल्ली पुलिस बल में जनता का विश्वास डगमगा जाता है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि यह अच्छी बात है कि प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आदि द्वारा समुदाय सेवा की भावना और पुलिस कर्मियों में कानून के लिए सम्मान की भावना पैदा की जा रही है। जब तक ऐसे अवांछित पुलिसकर्मियों को सजा नहीं दी जाएगी तब तक ऐसे अपराध बढ़ते रहेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सर्तकता शाखाओं में लंबित विभागीय जांच पड़ताल को तेज़ किया जाएगा ताकि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाए और पुलिसकर्मियों पर कठोर नियंत्रण रखा जाए।

श्री एस० बी० चव्हाण: जहां तक ऐसे अपराधों में शामिल पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात है उसके लिए मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसे पुलिसकर्मियों को सख्त सजा देनी चाहिए। 159 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। 1990 में 47, 1991 में 76 और 1992 में 36 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। 1991 में 15 तथा 1992 में 19 व्यक्तियों को बर्खास्त किया गया था। 1990 में 19, 1991 में 36 तथा 1992 में 7 मामलों में विभागीय कार्यवाही चल रही है। लेकिन मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि इन पुलिस अधिकारियों को सख्त सज़ा दी जाए। मैंने आज सुबह ही अपने अधिकारियों से यह कहा है कि वे विधि मंत्रालय से यह पता लगाए कि क्या हम संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कोई कार्यवाही कर सकते हैं और ऐसे पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त क़र सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास: अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं और यह मामला और भी गंभीर है, क्योंकि इन अपराधों में अधिक से अधिक पुलिसकर्मी शामिल होते जा रहे हैं, इसके आंकड़े उन्होंने दिए हैं और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी सदन में दिल्ली के ला एण्ड आर्डर का और दिल्ली पुलिस का मामला आया है, गृह मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। गृह मंत्री महोदय ने हर बार यह भी कहा है कि मामले में कठोर दण्ड देने की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मरज बढ़ता ही गया,

ज्यों ज्यों दवा की। अब दवा हो रही है या नहीं हो रही है मालूम नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई जवाबदेह नहीं है।

मेरा निवेदन है कि यह गंभीर स्थिति है कि राजधानी में अपराध बढ़ते जाएं और बढ़ते हुए अपराधों में अधिक से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हों, जिनको अपराध खत्म करने के लिए तैनात किया जाता है। अभी बताया गया कि 1990 में 91 अपराध हुए, जिनमें 103 पुलिसकर्मी शामिल थे, 91 में 118 अपराध हुए, जिनमें 134 पुलिसकर्मी शामिल थे और 31.3.92 तक 4 अपराध हुए हैं, जिनमें 49 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि पुलिसकर्मियों के अपराधों में शामिल होने की संख्या बढ़ती जा रही है, यह एक घोर स्थिति की ओर संकेत करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने केसेस रेप के हुए हैं दिल्ली में और अभी 1991 में पटेल नगर थाने में बलजीत नगर के एक नौजवान को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई, उस संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की, कृपया यह बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि किसी पुलिसकर्मी द्वारा अपराध करना एक गंभीर मामला है और इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने होंगे।

भर्ती के समय उनके पूरे जीवन-वृत्त की जांच की जाती है। हम यह देखेंगे कि उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा इनकी बारीकी से जांच की जाए। उनकी 'हिस्ट्री-शीट' भी तैयार की जाएंगी, जिन व्यक्तियों ने अपराध किया है उनका पूरा विवरण तैयार किया जाएगा।

जितने बलात्कार के मामले हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। मेरे पास उनके आंकड़े हैं। 1990 और 1991 में ऐसा एक-एक मामला हुआ था। लेकिन सरकार के लिए यह सांत्वना का विषय नहीं है। यदि ऐसा एक भी मामला है तो वह भी सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि जिन पुलिस अधिकारियों को जनता की रक्षा करनी है वह स्वयं अपराध करते हैं। वास्तव में मैं कड़ी कार्यवाही करने के पक्ष में हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश कार्यवाही करने से पहले ही केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आदेश दे देता है अथवा कभी-कभी उच्च न्यायालय भी यह आदेश दे देता है कि चूंकि पहली बार दोष साबित हुआ है इसलिए इसे छोड़ा जा सकता है और बाद में कभी ऐसा करने पर हम अनुच्छेद 311 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं विधि मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए हुए हूं कि इन पुलिस अधिकारियों को किस प्रकार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, सरकार के ध्यान में आया होगा, 15 जून के "नवभारत टाइम्स" में बताया गया है कि 15 दिनों के अन्दर आठ मामले हुए, जिसमें पुलिस के लोग इनवाल्व हैं। सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? आपने कहा कि बड़ा एक्शन ले रहे हैं। लेकिन 1991 में 103 पुलिसकर्मी विभिन्न मामलों में इनवाल्व थे, आपने डिसमिस किया केवल 15 लोगों को। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसे कितने दिल्ली पुलिसकर्मी हैं जो विभिन्न अपराधों में शामिल हैं और फरार हैं, अदालत के आदेश से वांटिड हैं किन्तु दिल्ली पुलिस के पास उनका कोई रिकार्ड नहीं है, पते नहीं हैं? इसका कारण यह है कि जो दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है उसमें घोटाले होते हैं। पिछले साल आपने दिल्ली पुलिस की भर्ती की, परीक्षा आपको कैंसिल करनी पड़ी, इस साल भी आपने परीक्षा ली, उसकी जांच चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर

दिल्ली पुलिस की भर्ती के अन्दर ये सारे घोटाले होंगे या अनियमितताएं होंगी तो इस तरह के लोग आयेंगे, रक्षक ही भक्षक बनेंगे। उसके बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। दूसरा जो प्रश्न किया कि रिक्रूटमेंट की स्टेज पर ही रिश्वत ली जाती है, पैसे लिए जाते हैं। मैं देखूंगा कि सारे सिस्टम को किस ढंग से बदला जाए। मैरिट पर ही रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, जो मैरिट पर लोग हैं उनकी ही भर्ती हो, उसके लिए क्या करना जरूरी है, इस पर मैं छानबीन करूंगा।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मैंने इसी सदन में 1980 और 1985 के बीच में कहा था कि दिल्ली में पुलिस स्टेशन की नीलामी होती है। पुलिस स्टेशन में कौन-कौन अफसर रहेंगे, अलग-अलग रेटस बंधे हुए हैं। कनाट प्लेस में कोई पोस्टिंग पर जाएगा तो उसका कितना रेट है और दूसरी जगह जाएगा तो कितना रेट है। जब रेट देकर जाएगा तो स्वाभाविक है कि ऐसा होगा। चांदनी चौक की गड़बड़ सबसे ज्यादा है।

अभी मंत्री जी ने डिसमिस के बारे में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि किसी पुलिस अधिकारी को कभी जेल की सजा हुई है या नहीं? यदि हुई है तो 1990 और 1991 में, जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं उनमें से किसी को जेल की सजा हुई है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कल नार्थ-इस्ट में, अलीपुर थाने में 21 वर्ष का लड़का राजकुमार है, उसको थाने में ले जा कर पुलिस ने उसकी हत्या कर दी। अभी भी लोग थाने को घेर कर बैठे हुए हैं। टाइम्स आॅफ इण्डिया में इसकी विस्तृत रिपोर्ट आयी है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले की जांच तुरन्त करवाएगी और जांच की रिपोर्ट सदन में रखने का काम करेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण: अध्यक्ष महोदय, किसी स्पेसिफिक केस के अंदर तो कहना मुश्किल है। जनरल, आर्डर गवर्नमेंट ने दिए हैं कि पुलिस कस्टडी में इन्वेस्टीगेशन को स्टेज पर अगर किसी की हत्या होती है तो जो पुलिस आफिसर इन्वेस्टीगेट कर रहा है, उसके ऊपर रूल-302 की कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम विलास पासवान: मैंने पूछा है कि क्या किसी पुलिस अधिकारी को जेल की सजा हुई है।

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिन पुलिस आफिसर्स ने हिनीयस क्राइम कमिट किए हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है, कितने पुलिस वालों को सज़ा हुई है, इसकी जानकारी नहीं है। .....**(व्यवधान)**

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो फीगर्स दी हैं, मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। यदि दिल्ली के अंदर पुलिस कर्मचारी अपराधों में पकड़े गए हैं तो वे कौन-कौन से थाने हैं। यदि आप प्रत्यक्ष रूप से उन थानों का नाम बतायेंगे तो आपके सामने विवरण आ जायेगा। .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ऐसे प्रश्न राइटिंग में पूछते हैं। .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

वर्मा आयोग की रिपोर्ट

*24. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी हत्याकांड की जांच के लिये नियुक्त वर्मा जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गयी है/की जा रही है; और

(घ) उक्त रिपोर्ट के कब तक सभा पटल पर रखे जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) वर्मा जांच आयोग ने 15 जून, 1992 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। रिपोर्ट को इसमें की गई सिफारिशों की जांच करने के बाद की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ, सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में बहुत अधिक समय लिया। आयोग ने स्वयं अपनी कार्यवाही में इस विलंब का कारण यह बताया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आवश्यक कागज़ात और सामग्री प्रदान नहीं की। इसने कहा कि इस कारण आयोग की कार्यवाही में 3-4 महीने का विलम्ब हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुख की बात है कि जिस दल को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था उसने ऐसा रवैया अपनाया। ठीक है, यह एक अलग बात है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि आयोग ने यह कहा है कि खुफिया एजेंसी, सुरक्षा बलों की चूक के कारण यह घटना घटी, जो एक महान राष्ट्रीय दुर्घटना है, इस घटना को टाला जा सकता था।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यदि गठित की है तो यह किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है और क्या इस समिति के कोई निदेश पद निश्चित किए गए हैं? क्या इस समिति को निश्चित समय के भीतर प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है क्योंकि यह इस देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा से संबंधित है। क्या सुरक्षा चूकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए कतिपय कदम उठाए हैं?

श्री एस० बी० चव्हाण: महोदय, माननीय सदस्य पत्र के विषयों के बारे में मुझसे जो पुष्टि करवाना चाहते हैं उसके बारे में मैं हां या नहीं करने की स्थिति में नहीं हूं। की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन के साथ-साथ सिफारिशों को छः माह के भीतर सभा पटल पर रख दिया जाएगा। यह समय सीमा निर्धारित की गई है। मैं आयोग की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि इसने रिकार्ड समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसने मामलों में विलम्ब नहीं किया बल्कि इसमें विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि निदेश पदों में षडयंत्र के पहलू को भी शामिल किया जाना था और न्यायाधीश महोदय ने स्वयं कहा था कि वह स्वयं निदेश पदों में षडयंत्र पहलू को

शामिल करने के लिए सहमत नहीं हो सकते। इस विषय में लगभग तीन-साढ़े तीन माह का समय लगा। इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ। अन्यथा मैं आयोग की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उसने निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

श्री जन्नजीत यादव: महोदय, मुझे उत्तर नहीं मिला है। मैंने पूछा था कि उन्होंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समिति का अध्यक्ष कौन है और या समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि आगे की कार्यवाही भी की जा सके।

श्री एस० बी० चव्हाण: महोदय, जहां तक सुरक्षा पहलू का संबंध है कतिपय सिफारिशों पर कार्यवाही की जानी है। इस समिति के अध्यक्ष मंत्रिमंडल के सचिव हैं और गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा निदेशक (आई०बी०) इसके सदस्य हैं। उन्हें तीन माह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या यह सच है कि अनेक खुफिया एजेंसियां हैं? क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों के बीच कोई समन्वय नहीं है? केन्द्र स्तर पर दो या तीन खुफिया एजेंसियां हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है कि आयोग ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह देखने के लिए कि इसमें आपसी समन्वय हो इसके लिए कोई कार्यवाही करेगी।

श्री एस० बी० चव्हाण: इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि कुछ एजेंसियां हैं। केन्द्र स्तर पर निदेशक, आई०बी० हैं, अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध है और राजस्व के लिए वित्त मंत्रालय है। ये एजेंसियां आपसी तालमेल रखती हैं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

*25. **श्री काशीराम राणा:**
श्री राम लखन सिंह यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानियों के उन आवेदन पत्रों पर पुनः विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का है, जो राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये थे किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निरस्त किए गए मामलों को तब तक पुनः नहीं खोला जाता जब तक कि नए मजबूत साक्ष्य सामने नहीं आते और इन साक्ष्यों से मामले को पुनः खोलने की बात प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होती।

[अनुवाद]

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर

*26. **श्री नरेश कुमार बालियान:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुओं के रोगों के उन्मूलन हेतु भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर द्वारा इस समय किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) महोदय, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान पशुओं और मुर्गियों के रोग जनन और रोग-निदान के अध्ययन कार्य में लगा है। इसके फलस्वरूप रोगों के सही और जल्दी निदान के लिए रोगों की सूचना देने वाले उपयुक्त एजेन्टों (कारकों) का विकास हुआ और टीके व सीरप तैयार किये गये। भा० प० अ० संस्थान द्वारा देश में प्रयोग किये जाने वाले अधिकांश रोगों की सूचना देने वाले एजेन्टों और टीकों का विकास किया गया।

(ख) भविष्य में ऐसे अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

I. पहले से विकसित रोगों की सूचना देने वाले एजन्टों/टीकों के उत्पादन और सुधार कार्यों को जारी रखना ताकि इनकी लागत, खुराक, पैकिंग (डिब्बाबन्द) परिवहन, सारणी और नैदानिक परीक्षणों/टीकों में कमी लायी जा सके।

II. पशुओं के प्रमुख रोगों से बचाव के लिए उच्च तकनीक वाले रोगों की सूचना देने वाले एजेन्टों और आनुवंशिक रूप से तैयार किये गये टीकों के विकास के लिए बायो-टेक्नोलोजी (जैव-प्रौद्योगिकी) उपकरणों को प्रयोग में लाना।

III. नये पैदा होने वाले/विदेशजन्य रोगों पर अनुसंधान के लिए भोपाल में एक उच्च सुरक्षा पशु रोग प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है, जिसमें ऐसा प्रबंध किया गया है कि इसमें जो भी पदार्थ एवं कीटाणु आदि एक बार अन्दर जाएंगे वे बाहर नहीं आएंगे।

IV. देश में गोपशुओं के सबसे भयानक रोग रिंडरपेस्ट के उन्मूलन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ई०ई०सी० की मदद से रिंडरपेस्ट मुक्त कार्यक्रम चलाना।

V. किसानों और पशु पालकों को पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके सुरक्षा के उपायों के बारे में बड़े पैमाने पर शिक्षित करना।

महाराष्ट्र में विकास बोर्ड

*27. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक विकास बोर्डों की स्थापना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की सर्वांगीण जांच कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव की जांच कब तक पूरी होने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ग) प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। इस समय अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय-सीमा सूचित करना सम्भव नहीं है।

उत्तरांचल राज्य

*28. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पृथक उत्तरांचल राज्य के सृजन के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का केन्द्र सरकार ने अध्ययन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या इस विषय पर विचार-विमर्श करने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) और (ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया जाना

*29. **श्री इम्रान मोल्लाह:**
श्री चित्त बसु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में कुछ और भाषाओं को शामिल करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन भाषाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में विधेयक कब तक पेश किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ग) संविधान की आठवीं अनुसूची में अतिरिक्त भाषाओं को शामिल करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में जल संकट

*30. **श्री राम नरेश सिंह:**
श्री जीवन शर्मा:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के कई भागों में पानी का घोर संकट रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो इस संकट से बुरी तरह प्रभावित रहे तथा कितने-कितने महीने में वे इस संकट से प्रभावित रहे;

(ग) इस जल संकट के क्या कारण हैं;

(घ) दिल्ली में पेयजल की मांग कितनी है और वास्तव में कितनी मात्रा में जल की आपूर्ति की जाती है; और

(ङ) जल की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि मुख्यतः वितरण लाइन के अन्तिम सिरे पर और ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र लगभग दो माह तक प्रभावित हुए। तथापि, पश्चिमी यमुना नहर में दरार से 14 जून से 20 जून तक पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में पेय जल की विकट कमी हुई।

(ग) निम्नलिखित कारण बताए गए हैं:

(i) कच्चे पानी की अनुपलब्धता और यमुना नहर में धीमी प्रवृद्धि।

(ii) भाखड़ा नहर को मरम्मत के लिए बन्द करना।

(iii) पश्चिमी यमुना नहर में दरार।

(घ) दिल्ली में पेय जल की आवश्यकता 50 गैलन प्रति व्यक्ति की दर से प्रोडक्शन प्वाइंट पर 625 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान में प्रतिदिन 472 मिलियन गैलन जल आपूर्ति की क्षमता है, किन्तु उत्पादन में बढ़ोतरी करके यह प्रतिदिन औसतन 500 मिलियन गैलन जल की आपूर्ति करने में समर्थ हो गया है।

(ङ) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि पानी की कमी को दूर करने और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं:

(1) विभिन्न क्षेत्रों में पानी का सुव्यवस्थित वितरण।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त जलाशयों और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण।

(3) अतिरिक्त शोधन संयत्रों का निर्माण।

(4) पड़ौसी राज्यों से कच्चे पानी की उपलब्धता में संवृद्धि।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का उल्लंघन

*31. **श्री चेतन पी० एस० चौहान:**
श्री दत्तात्रेय बंडारु:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992 के दौरान अब तक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उल्लंघन के राज्य-वार कितने मामलों का पता लगा है; और

(ख) राज्यवार उक्त अवधि के दौरान इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले कितने संगठनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान अब तक, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 13 समितियों की पहचान की गई है। दोष की गम्भीरता को मद्दे-नजर रखते हुए अधिनियम के अधीन उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। फिर भी अभी तक कोई मुकदमा नहीं चलाया गया है। मामलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1992 के दौरान पता लगाए गए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उल्लंघन के राज्यवार मामलों की संख्या।

क्र०सं०	राज्य	संख्या
1.	महाराष्ट्र	3

क्र० सं०	राज्य	संख्या
2.	बिहार	1
3.	कर्नाटक	1
4.	पश्चिम बंगाल	1
5.	गोवा	1
6.	तमिलनाडु	1
7.	केरल	3
8.	उत्तर प्रदेश	1
9.	दिल्ली	1

[हिन्दी]

बरौनी तेल शोधक कारखाना

*32. **श्री सूर्य नारायण सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस तेल शोधक कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कच्चा तेल सप्लाई किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कारण गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ;

(घ) क्या सरकार ने इसकी क्षमता के अनुसार कच्चा तेल सप्लाई करने की कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) बरौनी रिफाइनरी की क्षमता 3.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है। उत्तर पूर्व से कच्चे तेल की कम आपूर्ति के कारण शोधन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ। चूंकि उत्तर पूर्व में उत्पादित सम्पूर्ण क्रूड को संसाधित कर लिया गया है, अतः इसके कारण हानि का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि० ने 443.79 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 1.8 एम एम टी पी ए की आरंभिक क्षमता के लिए हल्दिया से बरौनी तक नई क्रूड पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

खाद्यान्न उत्पादन

*33. **श्री हरि केवल प्रसाद:**
श्री बृज भूषण शरण सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1991-92 के रबी फसल के दौरान राज्य-वार कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या खाद्यान्न का उत्पादन मांग की तुलना में कम पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो कितना और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) 1991-92 के दौरान रबी मौसम के खाद्यान्न उत्पादन के

अंतिम अनुमान राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1991-92 के दौरान रबी खाद्यान्नों का उत्पादन करीब 75 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है। रबी खाद्यान्नों के संभावित उत्पादन के राज्यवार ब्यौरा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) किसी निश्चित समयावधि में खाद्यान्नों की आवश्यकता, जनसंख्या उत्पादन और उपलब्धता, आय स्तर और वितरण, मूल्य स्तर, वैकल्पिक खाद्यान्नों की उपलब्धता और मूल्य आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार, खाद्यान्नों की आवश्यकता और कमी को आंकना मुश्किल है। वैसे, 1992 के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 175 किलोग्राम होने का अनुमान है। वर्ष 1989 और 1991 को छोड़कर वर्ष 1984 से अब तक की अधिकतम मात्रा है।

मौजूदा वर्ष के दौरान, खाद्यान्नों की अधिक मांग का मुख्य कारण खरीफ मौसम 1991-92 में मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी होना है।

(घ) इसके अलावा, उत्पादन में वृद्धि करने के विभिन्न उपाय करते हुए सरकार ने पहले ही 1.005 मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का अनुबंध किया है ताकि उपलब्धता बढ़ सके और खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों पर काबू पाया जा सके।

विवरण

रबी खाद्यान्नों—1991-92 के उत्पादन के अग्रिम अनुमान

राज्य	(हजार मीटरी टन)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	3751
असम	359
बिहार	5125
गुजरात	1052
हरियाणा	7108
हिमाचल प्रदेश	584
जम्मू और कश्मीर	362
कर्नाटक	1425
केरल	157
मध्य प्रदेश	7003
महाराष्ट्र	1865
उड़ीसा	1323
पंजाब	12359
राजस्थान	5436
तमिलनाडु	1769
उत्तर प्रदेश	22410

1	2
पश्चिम बंगाल	3011
अन्य	376
अखिल भारत	75475

दिल्ली में अपराध

*34. **श्री फूल चन्द वर्मा:**
डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में जिलावार अपहरण, हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट, डकैती, वाहनों की चोरी और चेन छीनने के कितने मामले हुए;

(ख) यह संख्या वर्ष 1991 की इसी अवधि में हुए ऐसे मामलों की तुलना में कम है या अधिक;

(ग) कितने मामले सुलझाये गये और कितने अभी लंबित पड़े हैं; और

(घ) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण संलग्न है।

(घ) दिल्ली में अपराधों को रोकने के लिए उठाए कदमों में, गस्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर टुकड़ियों की तैनातगी, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ करना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, निगरानी में वृद्धि, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, आधुनिक हथियारों को चलाने में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और संचार तंत्र का आधुनिकीकरण करना सम्मिलित है।

विवरण

अपराध-अपहरण

जिले का नाम	अवधि	मामले									
		सूचित	रद्द किए गए	दर्ज किए गए	हल किए गए	चालान किया गया	दोष सिद्ध	बरी किए गए	विचारण के लिए लंबित	जांच पड़ताल के लिए लंबित	पता न लगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी	1.1.91 to 30.6.91	22	17	5	1	1	—	—	1	—	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.92 to 30.6.92	48	23	25	10	3	—	—	3	18	4
उत्तर पश्चिम	1.1.91 to 30.6.91	27	9	18	10	10	—	—	10	—	8
	1.1.92 to 30.6.92	46	8	38	20	10	—	—	10	27	1
केन्द्रीय	1.1.91 to 30.6.91	20	13	7	5	5	—	—	5	—	2
	1.1.92 to 30.6.92	24	4	20	7	2	—	—	2	18	—
नई दिल्ली	1.1.91 to 30.6.91	7	3	4	4	4	1	—	3	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	8	—	8	3	—	—	—	—	8	—
पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	32	16	16	13	13	—	—	13	—	3
	1.1.92 to 30.6.92	40	7	33	15	—	—	—	—	33	--
उत्तर पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	64	31	33	24	24	—	—	24	—	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.92 to 30.6.92	53	14	39	21	4	—	—	4	32	3
दक्षिणी	1.1.91 to 30.6.91	37	16	21	13	12	1	—	11	2	7
	1.1.92 to 30.6.92	63	14	49	17	1	—	—	1	48	—
दक्षिण पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	15	6	9	5	5	—	—	5	—	4
	1.1.92 to 30.6.92	31	14	17	7	—	—	—	—	17	—
पालम एयर पोर्ट	1.1.91 to 30.6.91	85	45	40	24	16	1	—	15	13	11
	1.1.92 to 30.6.92	62	16	46	21	3	—	—	3	43	—
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.91 to 30.6.91	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
पालम एयर पोर्ट											
	1.1.92 to 30.6.92	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—
	1.1.91 to 30.6.91	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली सशस्त्र पुलिस											
	1.1.92 to 30.6.92	3	1	2	—	—	—	—	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर	1.1.91 to 30.6.91	19	2	17	15	15	—	—	15	—	2
	1.1.92 to 30.6.92	16	—	16	11	5	—	—	5	11	—
उत्तर-पश्चिम	1.1.91 to 30.6.91	45	—	45	39	39	—	—	39	—	6
	1.1.92 to 30.6.92	58	—	58	39	21	—	—	21	37	—
केन्द्रीय	1.1.91 to 30.6.91	18	—	18	16	16	—	—	16	1	1
	1.1.92 to 30.6.92	19	—	19	13	5	—	—	5	14	—
नई दिल्ली	1.1.91 to 30.6.91	3	—	3	2	2	—	—	-	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	11	—	11	5	3	—	—	3	8	—
पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	37	3	34	25	25	—	—	25	3	6
	1.1.92 to 30.6.92	40	—	40	28	12	—	—	12	28	—
उत्तर-पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	35	1	34	26	24	—	—	24	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.92 to 30.6.92	34	—	34	24	7	—	—	7	27	—
दक्षिणी	1.1.91 to 30.6.91	35	—	35	26	26	—	—	26	4	5
	1.1.92 to 30.6.92	30	—	30	19	8	—	—	8	22	—
दक्षिण पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	27	1	26	18	17	—	—	17	6	3
	1.1.92 to 30.6.92	25	—	25	17	8	—	—	8	16	1
पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	38	1	37	24	22	—	—	22	13	2
	1.1.92 to 30.6.92	37	—	37	27	7	—	—	7	30	—
पालम एयर पोर्ट	1.1.91 to 30.6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	2	—	2	1	1	—	—	1	1	—
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.91 to 30.6.91	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	3	—	3	2	2	—	—	2	1	—

अपराध-हत्या का प्रयास

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तरी	1.1.91 to 30.6.91	16	—	16	14	13	—	—	13	1	2
	1.1.92 to 30.6.92	19	—	19	15	3	—	—	3	16	—
उत्तर प०	1.1.91 to 30.6.91	32	—	32	31	30	—	—	30	1	1
	1.1.92 to 30.6.92	42	1	41	38	10	—	—	10	30	1
केन्द्रीय	1.1.91 to 30.6.91	25	—	25	24	24	—	—	24	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	23	—	23	20	9	—	—	9	14	—
प० दिल्ली	1.1.91 to 30.6.91	6	—	6	5	5	—	—	5	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	7	—	7	6	—	—	—	—	7	—
पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	33	—	33	30	30	—	—	30	—	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.92 to 30.6.92	28	—	28	26	2	—	—	2	26	—
उत्तर पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	42	—	42	38	36	—	—	36	4	2
	1.1.92 to 30.6.92	52	—	52	45	12	—	—	12	40	—
दक्षिणी	1.1.91 to 30.6.91	31	—	31	28	27	—	1	26	1	3
	1.1.92 to 30.6.92	38	—	38	29	3	—	—	3	34	1
दक्षिण प०	1.1.91 to 30.6.91	24	—	24	23	20	—	—	20	3	1
	1.1.92 to 30.6.92	22	—	22	18	1	—	—	1	20	1
पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	40	—	40	40	31	—	—	31	9	—
	1.1.92 to 30.6.92	41	—	41	36	5	—	—	5	36	—
पालम एयर पोर्ट	1.1.91 to 30.6.91	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.91 to 30.6.91	2	—	2	1	1	—	—	1	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
					अपराध-लूटपाट						
उत्तरी	1.1.91 to 30.6.91	14	1	13	11	10	—	—	10	1	2
	1.1.92 to 30.6.92	13	—	13	11	6	—	—	6	6	1
उत्तर प०	1.1.91 to 30.6.91	26	1	25	20	19	1	—	18	2	4
	1.1.92 to 30.6.92	21	—	21	13	6	—	—	6	15	—
केन्द्रीय	1.1.91 to 30.6.91	14	1	13	11	11	—	1	10	—	2
	1.1.92 to 30.6.92	13	—	13	11	5	—	—	5	8	—
प० दिल्ली	1.1.91 to 30.6.91	3	—	3	1	1	—	—	1	—	2
	1.1.92 to 30.6.92	3	—	3	2	—	—	—	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	14	—	14	12	11	—	—	11	1	2
	1.1.92 to 30.6.92	8	—	8	6	—	—	—	—	7	1
उत्तर पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	8	1	7	7	4	—	—	4	3	—
	1.1.92 to 30.6.92	15	—	15	10	4	—	—	4	11	—
दक्षिणी	1.1.91 to 30.6.91	18	—	18	15	13	—	1	12	2	3
	1.1.92 to 30.6.92	23	—	23	14	4	—	—	4	19	—
दक्षिणी प०	1.1.91 to 30.6.91	8	—	8	6	6	—	—	6	—	2
	1.1.92 to 30.6.92	20	—	20	11	4	—	—	4	14	2
पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	24	—	24	17	16	—	—	16	3	6
	1.1.92 to 30.6.92	19	—	19	12	2	—	—	2	17	—
पालम एयरपोर्ट	1.1.91 to 30.6.91	2	—	2	1	1	—	—	1	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	3	—	3	3	2	—	—	2	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.92 to 30.6.92	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1
		1	—	1	—	—	—	—	—	1	—

अपराध-डकैती

उत्तरी	1.1.91 to 30.6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	2	—	2	2	1	—	—	1	1	—
उ॰ पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	7	—	7	5	5	—	—	5	1	1
	1.1.92 to 30.6.92	4	—	4	4	2	—	—	2	2	—
केन्द्रीय	1.1.91 to 30.6.91	3	—	3	3	3	—	—	3	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
नई दिल्ली	1.1.91 to 30.6.91	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	4	—	4	4	4	—	—	4	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	5	—	5	4	2	—	—	2	3	—
उ० पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	3	—	3	2	2	—	—	2	—	1
	1.1.92 to 30.6.92	2	—	2	2	—	—	—	—	2	—
दक्षिणी	1.1.91 to 30.6.91	2	—	2	2	2	—	—	2	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	1	—	1	1	—	—	—	—	1	—
द० पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	1	—	1	1	1	—	—	1	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिमी	1.1.91 to 30.6.91	2	—	2	2	1	—	—	1	1	—
	1.1.92 to 30.6.92	3	—	3	3	1	—	—	1	2	—
पालम एयरपोर्ट	1.1.91 to 30.6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.91 to 30.6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.1.92 to 30.6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उत्तरी	1.1.92 to 30.6.92	114	7	107	16	8	—	—	8	55	44
	1.1.91 to 30.6.91	111	5	106	18	17	1	2	14	1	88
उ० पश्चिमी	1.1.92 to 30.6.92	157	1	156	25	15	1	—	14	86	55
	1.1.91 to 30.6.91	142	3	139	39	30	3	—	27	13	96
केन्द्रीय	1.1.92 to 30.6.92	186	10	17	22	10	—	—	10	108	58
	1.1.91 to 30.6.91	162	11	151	22	20	—	—	20	—	131
नई दिल्ली	1.1.92 to 30.6.92	142	1	141	18	4	—	—	4	94	43
	1.1.91 to 30.6.91	177	9	168	27	22	5	—	17	6	140
पूर्वी	1.1.92 to 30.6.92	123	5	118	18	11	—	—	11	60	47
	1.1.91 to 30.6.91	96	5	91	11	9	—	—	9	3	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
उत्तर पूर्वी	1.1.92 to 30.6.92	86	—	86	6	2	—	—	2	56	28
	1.1.91 to 30.6.91	70	4	66	22	16	—	—	16	—	50
दक्षिणी	1.1.92 to 30.6.92	271	8	263	42	11	—	—	11	172	80
	1.1.91 to 30.6.91	278	15	263	75	57	4	1	52	10	196
द० पश्चिमी	1.1.92 to 30.6.92	174	10	164	30	1	—	—	1	85	78
	1.1.91 to 30.6.91	152	5	147	42	29	6	1	22	4	114
दक्षिणी	1.1.92 to 30.6.92	277	6	271	42	5	—	—	5	192	74
	1.1.91 to 30.6.91	243	5	238	39	24	1	—	2	55	159
पालम एयरपोर्ट	1.1.92 to 30.6.92	10	3	7	2	1	—	—	1	4	2
	1.1.91 to 30.6.91	6	2	4	—	—	—	—	—	—	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.92 to 30.6.92	6	—	6	—	—	—	—	—	3	3
	1.1.91 to 30.6.91	6	1	5	—	—	—	—	—	—	5
				अपराध-चैन खिचना							
उत्तरी	1.1.92 to 30.6.92	11	—	11	8	4	—	—	4	7	—
	1.1.91 to 30.6.91	5	—	5	3	3	—	—	3	—	2
उत्तर पश्चिमी	1.1.92 to 30.6.92	14	—	14	12	7	—	—	7	7	—
	1.1.91 to 30.6.91	12	—	12	10	9	—	—	9	1	2
केन्द्रीय	1.1.92 to 30.6.92	11	—	11	10	2	—	—	2	9	—
	1.1.91 to 30.6.91	3	—	3	3	3	—	—	3	—	—
नई दिल्ली	1.1.92 to 30.6.92	6	—	6	1	—	—	—	—	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.91 to 30.6.91	12	1	11	10	10	—	—	10	—	1
पूर्वी	1.1.92 to 30.6.92	12	—	12	11	2	—	—	2	10	—
	1.1.91 to 30.6.91	6	—	6	3	3	—	—	3	—	3
	1.1.92 to 30.6.92	7	—	7	4	—	—	—	—	5	2
उत्तर पूर्वी	1.1.91 to 30.6.91	7	—	7	6	6	1	—	5	—	1
दक्षिणी	1.1.92 to 30.6.92	23	—	23	10	1	—	—	1	20	2
	1.1.91 to 30.6.91	20	—	20	11	11	—	—	11	—	9
दक्षिणी पश्चिमी	1.1.92 to 30.6.92	7	—	6	1	—	—	—	—	6	—
	1.1.91 to 30.6.91	6	—	6	—	—	—	—	—	—	6
पश्चिमी	1.1.92 to 30.6.92	8	—	8	12	3	—	—	3	11	4
	1.1.91 to 30.6.91	10	—	10	5	5	—	—	5	—	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पालम एयर पोर्ट	1.1.92 to 30.6.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1.1.91 to 30.6.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली सशस्त्र पुलिस	1.1.92 to 30.6.92	10	—	10	5	4	—	—	4	6	—
	1.1.91 to 30.6.91	7	—	7	4	4	—	—	4	—	3

उत्तर प्रदेश के छोटे और मध्यम आकार के कस्बे

*35. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से वहां के छोटे और मध्यम आकार के कस्बों के विकास संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ग) छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के आधार पर 52 कस्बों में योजनायें अनुमोदित कर दी गई हैं और 1979-80 से मार्च, 1992 तक 1543 लाख (लगभग) रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम की योजनाएं

*36. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री राजेश कुमार:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की है और दी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बीच यह राशि मिल गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह संपूर्ण राशि नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम को दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ङ) विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त संपूर्ण धनराशि न दिए जाने के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम को विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कोई सहायता प्राप्त नहीं की जाती है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सहयोग

*37. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने मई, 1992 के दूसरे सप्ताह के दौरान अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का प्रयोजन क्या था; और

(ग) कृषि के कौन-कौन से क्षेत्रों के संबंध में समझौता हुआ था?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, हां। कृषि मंत्री ने 9 से 15 मई, 1992 तक संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा किया।

(ख) इस दौरे का उद्देश्य अमरीका और भारतीय सहकारी समितियों के बीच, विशेषकर कृषि निर्यात विपणन के क्षेत्र में, बढ़ते हुए संबंधों तथा भारत में सहकारी क्षेत्र में अमरीका के निवेश को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी व्यापार संघ (एन० सी० बी० ए०) और संयुक्त राज्य अमरीका की सहकारी लीग (क्लूसा) के साथ व्यापक विचार-विमर्श करना था।

(ग) सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति हुई कि भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात सहित व्यापारिक कार्यकलापों को चलाने के लिए अमरीकी और भारतीय सहकारी संगठनों के बीच एक संघ बनाया जाए। राष्ट्रीय सहकारी व्यापार संघ ने भी अमरीका की प्रमुख सहकारी समितियों का एक ऐसा मिशन भारत को भेजने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की जो सहकारी क्षेत्र में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम खोलने के प्रस्तावों को अंतिम रूप देगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में चुनाव

*38. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रस्तावित दिल्ली विधान सभा के लिये चुनाव कब तक कराये जाने की संभावना है;

(ख) क्या विधान सभा चुनाव के साथ ही वर्तमान दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी कराये जायंगे; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के चुनाव तभी कराये जा सकते हैं, जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में अंतिम आदेश प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के चुनावों के प्रश्न पर निगम के पुनर्गठन के बाद विचार किया जायेगा। इसके लिये आवश्यक विधायी प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

पुलिस हिरासत में हुई मौतें

*38. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989, 1990, 1991 में और 1992 में अब तक संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस की हिरासत में कितनी मौतें हुई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) हिरासत में होने वाली मौतों और यातना को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) उन मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनमें न्यायालयों द्वारा पुलिस की भर्त्सना की गई है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के संबंध में एक विवरण संलग्न है। संघ शासित क्षेत्र लक्ष्यद्वीप में हिरासत के दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है। अन्य संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) इस आश्य के अनुदेशों को दोहराया गया है कि दोषी व्यक्तियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाये तथा जोर जबरदस्ती करने वाले तरीकों का किसी कीमत पर भी प्रयोग किया जाये। जब कभी कोई पुलिस अधिकारी उत्पीड़न पाया जाता है अथवा पुलिस हिरासत के दौरान हुई मौत के लिये जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिसमें पुलिस हिरासत में हुई मौत के लिये न्यायालयों ने पुलिस के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की हो।

विवरण

वर्ष	मृतक का नाम	मृत्यु होने की तारीख	थाने का नाम
1	2	3	4
1989	1. श्री विजय कुमार	19.3.89	सीलमपुर
	2. श्री अनंत राउतरा	8.9.89	सुल्तानपुरी
	3. श्री ओम प्रकाश	19.10.89	गीता कालोनी
1990	1. श्री जोगिंदर पाल गुप्ता	22.8.90	माडल टाउन
	2. श्री शम्भू खान	5.6.90	सीलमपुर
1991	1. श्री राणा सिंह	11.1.91	शाहदरा
	2. श्री राम स्वरूप	02.2.91	रा०कृ०पुरम
	3. श्रीमती रायसीना	17.3.91	गोकुलपुरी
	4. श्रीजराम	19.8.91	पटेल नगर
	5. श्री जगन्नाथ	10.5.91	लाहौरी गेट
	6. श्री राजेश	07.9.91	सुलतानपुरी

1	2	3	4
	7. श्री मुकेश	28.11.91	कमला मार्केट
1992	1. श्री रतन सिंह बिष्ट	10/11.1.92	हौज-खास
	2. श्री दर्शन लाल	17.3.92	वेलकम

(30.6.92 तक)

खेहकों की खपत

*40. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में खेहकों की कुल खपत कितनी थी और 1992-93 के दौरान इसकी अनुमानित खपत कितनी होगी;

(ख) क्या सरकार का विचार खेहकों की बढ़ती हुई खपत को कम करने के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) (क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान खेहकों की खपत तथा वर्ष 1992-93 के दौरान अनुमानित खपत नीचे दी गई है:—

(टी०एम०टी० में)

1990-91	1991-92	1992-93 (अनुमानित)

(ख) जी हां;

(ग) अप्रैल, 1991 से दो वर्षों की अवधि के लिये करीब 2.50 लाख टन के स्तर तक कम क्षमता वाले आटोमोटिव खेहकों की उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के लिये एक कायर योजना क्रियान्वित की जा रही है।

समता-स्थल को विकसित करने की योजना

210. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बाबू जगजीवन राम की याद में समता स्थल को विकसित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) केन्द्रीय निर्माण विभाग द्वारा एक अन्तरिम योजना तैयार की गई है जिस पर उप राज्यपाल, दिल्ली की अध्यक्षता के अधीन समिति द्वारा विचार किया जाना है। दिल्ली नगर कला आयोग भी प्राप्त किये जाने है। चूंकि तैयार की गई योजना अंतरिम है अतः इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत करना असामयिक होगा।

[हिन्दी]

बिहार में विकलांगों के लिये प्रोत्साहन

211. **श्री ललित उरावः**
श्री छेदी पासवानः
श्री लाल बाबू रायः

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में सरकारी और निजी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के कल्याण संबंधी संस्थान कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार दवारा प्रत्येक संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) 1992-93 के दौरान इन संस्थानों को कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान बिहार में ये संस्थान कहां-कहां खोले जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) विकलांगता के चारों प्रमुख स्वरूपों के लिये देश के चार क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं। ये संस्थान निम्नलिखित हैः—

1. राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, देहरादून

2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद

4. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई

इसके अतिरिक्त, दो सेवा संस्थान हैं, नामतः—

1. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक

2. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।

जहां तक बिहार का संबंध है वहां पर कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। तथापि, विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले 20 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, उन गैर-सरकारी संगठनों को दी गई सहायता के ब्यौरे सनलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 में गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन-पत्रों के आधार पर होगी। अब तक 9 गैर-सरकारी संगठनों से प्रारम्भिक तदर्थ अनुदान के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं, तथा 5 संगठनों को 7.51 लाख रु० की राशि की सहायता दे दी गई है।

जबकि बिहार में गैर सरकारी संगठनों को सहायता देना जारी रहेगा, चालू वर्ष के दौरान बिहार में विकलांगों के कल्याण हेतु कोई संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	सहायता राशि (रु० लाखों में) 89-90	90-91	91-92	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	गिरिजा शंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय, भागपुर	1.38	1.45	2.63	
2.	होम फॉर मैंटल रिटार्डेशन एवं साय-कालाजिकल सफरर्स, पटना	3.52	8.30	10.12	एडी आई पी योजना के अंतर्गत वर्ष 90-91 तथा 91-92 की सहायता शामिल है।
3.	ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल्स, भोजपुर, बिहार	0.35	1.06	1.49	
4.	प्राकृतिक अरोग्या श्रम, नालदा, बिहार	1.58	0.79	2.31	
5.	बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान, पटना	5.18	9.73	10.91	एडी आई पी योजना के अंतर्गत वर्ष 89-90 90-91 तथा 91-92 की सहायता शामिल है।
6.	संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, देवघाट, बिहार	—	4.02	6.18	
7.	गया नेत्रहीन विद्यालय, बिहार	—	1.72	—	
8.	जे०एम० वाणी एवं श्रवण संस्थान, पटना	—	—	0.93	
9.	ग्रामीण विकास संगठन, गया, बिहार	—	—	3.30	
10.	बिहार वाणी एवं श्रवण अनुसंधान संस्थान, पटना	—	—	0.12	
11.	भारतीय रेड क्रास सोसायटी, पटना	6.00	—	—	
12.	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार	—	0.50	—	
13.	दीपशिखा, राँची	—	—	2.00	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र के लिये सहायता प्राप्त
14.	ऑर्थोपिडिक एप्लाइसेस स्टोर्स, पटना	6.55	4.22	2.34	अंग फिटिंग केन्द्रों के लिये कृत्रिक अंग निर्माण निगम द्वारा सहायता-प्राप्त
15.	लायंस लिम्ब फिटिंग सैंटर, जमशेदपुर	0.70	0.17	0.87	-तदैव-
16.	ऑर्थेकों सप्लाईज, पटना	14.87	7.67	6.05	-तदैव-

1	2	3	4	5	6
17.	दृष्टि विकलांगों के शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र, पटना	2.00	2.00	2.00	राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त
18.	बेतिया हॉली क्रॉस कान्वेंट फॉर प्री स्कूल प्रोग्राम बेतिया, बिहार	—	—	0.50	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त
19.	जिला पुनर्वास केन्द्र, हाजीपुर, बिहार	—	7.75	—	राज्य सरकार द्वारा केन्द्र को चालू नहीं किया गया
20.	पटना ट्रिपोलिया सोशल सर्विस हॉस्पिटल, पटना	—	—	0.50	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त
	कुल:	42.13	49.38	52.25	

आतंकवादियों के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन में कमी

212. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आतंकवादी गतिविधियों के कारण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के उत्पादन में कितनी कमी आई और पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में कितनी कमी आई है; और

(ख) सरकार उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1990-91 के 30.345 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 1991-92 में 27.82 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया। असम में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के अपहरण/हत्या के कारण 9.9.91 से 15.9.91 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल चलने के कारण 0.581 मिलियन टन उत्पादन की क्षति हुई।

(ख) कच्चे तेल के देशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक तेल, क्षेत्र विकास परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति दी है जिससे तेल उत्पादन संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृति के पश्चात् भी सरकारी आवास को रोके रखना

213. **श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सेवानिवृति के पश्चात भी सरकारी आवास रोके रख सकता है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि तक; और

(ग) किस आधार पर?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेवानिवृत्ति पर साधारण पूल रिहायशी वास के दखलकार को सामान्य लाइसेंस फीस की अदायगी पर 4 महीने की अवधि के लिए वास को रखने की अनुमति दी जाती है और आगे, परिवार के सदस्य के चिकित्सा इलाज और बच्चों की शिक्षा जैसे विशेष आधारों पर सामान्य लाइसेंस फीस के दुगने की अदायगी पर अगले 4 महीने की अवधि के लिए सरकारी वास को रखने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि जहां उसके कब्जे में सरकारी वास है, इस शहर की निगम सीमा के भीतर सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी का अपना कोई मकान न हो।

अधिक उपज वाली किस्मों के बीज का वितरण

214. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, किसानों को प्रमाणित/उत्तम बीज का वितरण करने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ख) संबंधित फसलों वाले कुल क्षेत्र में से अधिक उपजवाली किस्मों के बीज का प्रयोग करने वाले प्रत्येक अलग-अलग फसलों के अंतर्गत कितनी भूमि लाई गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीजों के वितरण के लक्ष्य नीचे दिये गये हैं:—

वर्ष	मात्रा लाख क्विंटल में
1989-90	70.00 (प्रमाणीकृत/गुणवत्ता)
1990-91	45.00 (प्रमाणीकृत)
1991-92	49.00 (प्रमाणीकृत)

(ख) वर्ष 1990-91 के लिये फसलवार कुल क्षेत्र और अधिक पैदावार देने वाली किस्म कार्यक्रम के तहत शामिल क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

मिलियन हैक्टेयर)

फसल	कुल क्षेत्र	अधिक पैदावार देने वाली किस्म कार्यक्रम के तहत क्षेत्र (प्रत्याशित)
1	2	3
चावल	42.59	28.06
गेहूं	23.98	20.41
ज्वार	14.50	6.70
बाजरा	10.45	5.14
मक्का	5.95	2.58

1	2	3
रागी	2.18	1.05
कुल	99.65	63.94

कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा की गई पुलों की तोड़-फोड़

215. **श्री मोहन रावले:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कश्मीर में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उग्रवादियों ने कितने पुलों को नष्ट किया;

(ख) क्या इस बीच इन पुलों की मरम्मत/पुनर्निर्माण किया गया; और

(ग) इन पुलों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम०जैकब): (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन

216. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकारण की कालोनियों में धार्मिक प्रयोजन के लिए कालोनी-वार कितने स्थान निर्धारित किए गए है अथवा आवंटित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में आवंटितियों के नाम स्थान का क्षेत्रफल, तत्संबंधी प्रयोजन क्या है; और

(ग) 1 अप्रैल 1992 की स्थिति के अनुसार, ऐसे आंवटन के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं, वर्ष 1991-92 के दौरान कितने प्राप्त हुए, उस अवधि के दौरान कितने मंजूर किए गए और कितने अस्वीकार किए गए तथा धार्मिक आधार पर इनका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजीव-लोगोंवाल समझौता

218. **श्री छेदी पासवान:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से राजीव-लोगोंवाल समझौते में संशोधन करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञान भवन की मरम्मत

219. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:**
श्री गुरूदास कामत:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच विज्ञान भवन की मरम्मत का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो मरम्मत का काम कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तथा यह प्रगति पर है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए किए गए कुल व्यय के संबंध में बताया नहीं जा सकता।

(ग) यह कार्य अप्रैल 1993 तक पूरा होने की संभावना है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में संपत्ति का क्रय/विक्रय

220. **श्री गुरूदास कामत:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को भारत में संपत्ति का क्रय/विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) विदेशवासी भारतीयों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

(i) अनिवासी भारतीय नागरिक, और

(ii) विदेशी नागिरक जो भारतीय मूल के लोग हैं।

अनिवासी भारतीय नागरिकों को भारत में अचल संपत्तियों को खरीदने अथवा बेचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के लोग हैं, को इस प्रकार की संपत्तियों को खरीदने/बेचने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973 की धारा 31 (1) के अंतर्गत बैंक की अनुमति अपेक्षित है। रिजर्व बैंक ने जनवरी 1992 में उपर्युक्त परावधानों के अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में अचल संपत्तियों को अधिग्रहित करने, रखने अंतरित करने और बेचने की आम अनुमति दी है बशर्ते, खरीद के माध्यम से अधिग्रहण के मामले में, ये खरीद दार के वास्तविक रिहायशी उपयोग के लिए होंगे तथा प्रतिदेय नियमित बैंकिंग माध्यमों से सीधे भुगतान अथवा खरीद दार के भारत में बैंकों के पास अनिवासी बैदेशिक (एन आर ई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ सी एन आर)/एफ सी एन आर विशेष जमा खातों में रखी निधियों से चुकाये जाते हैं। अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण अथवा बिक्री उपर्युक्तानुसार केवल अप्रत्यावर्तन आधार पर अनुमत है तथा सम्पत्तियों से उद्भूत कोई आय अथवा उसकी बिक्री प्राप्तियों यदि बाद में बेचा जाए, अथवा ऐसी निधियों के निवेश पर होने वाली आय भविष्य में कभी भी भारत से बाहर प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

दुग्ध उत्पादों को लाभकारी मूल्य

221. **श्री सुबास चन्द्र नयाक**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) सरकार को डेयरी किसानों से अपने दुध के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त न होने के बारे कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिए लंबित पड़े केरल के विधेयक

222. **श्री थाइल जॉन अंजलोज:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल विधान सभा द्वारा पारित कितने विधेयक केन्द्रीय सरकार के पास राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लंबित पड़े हैं और कब से; और

(ख) इन विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति कब तक मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राजय मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) केरल विधान सभा द्वारा पारित केरल महिला आयोग विधेयक, 1991 गृह मंत्रालय में राष्ट्रपति के विचारार्थ दिनांक 29.4.91 को प्राप्त हुआ था।

(ख) विधेयक के कुछ उपबंधों का स्पष्टीकरण करने के लिए राज्य सरकार से दिनांक 28.1.92 को अनुरोध किया गया। राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद ही विधेयक पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

नेफेड द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात

223. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:**
श्री एन० जे० राठवा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेफेड को प्याज तथा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो नेफेड द्वारा प्याज का निर्यात कब से किया जा रहा है;

(ग) प्याज तथा कृषि उत्पादों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं के निर्यात से नेफेड ने प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की; और

(ङ) नेफेड के पास इस समय निर्यात आदेशों का मूल्य कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) नेफेड द्वारा 1967-68 से प्याज का निर्यात किया जा रहा है।

(ग) वे देश जिनको प्याज और कृषि उत्पाद निर्यात किये जाते हैं, निम्न हैं:— संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, सिसेल्स, श्रीलंका, मालदीप, बंगला देश, मारिशस, सउदी अरब, नेपाल, फ्रांस, इंग्लैण्ड, सोवियत संघ(पुराना), स्विटजरलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, ओमान, संयुक्त राज्य अमरीका, इटली, आस्ट्रेलिया, यमन।

(घ)		(मूल्य करोड़ रुपये में)
1989-90	—	95.80(72.77)
1990-91	—	142.19(87.07)
1991-92	—	223.67(132.51)

कोष्टकों के अंदर दिए गए आंकड़े नैफेड के असोसियेट शिपर्स द्वारा निर्यात किये गये प्याज और राम तिल के विदेशी मुद्रा मूल्य के संबंध में हैं।

(ङ) 6.89 करोड़ रुपये।

चावल मिलों का आधुनिकीकरण

224. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चावल मिलों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो जून 1992 तक कितने राज्यों में यह कार्य किया गया; और

(ग) 1992-93 के दौरान चावल मिलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी हां।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों को शामिल किया गया है, जिसके अधीन सिंगल हलर मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति लाभार्थी सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपये की सहायता की जा रही है।

(ग) वर्ष 1992-93 में चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में एक करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर राज्यवार आबंटन किया जाता है।

महाराष्ट्र में तिलहन का उत्पादन

225. **श्री राम नाईक:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिलहन उगाने के लिए वर्तमान राजसहायता योजना के अंतर्गत एक बृहत्तर क्षेत्र को शामिल करने हेतु महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी हां,

(ख) क्षेत्र विस्तार प्रस्तावों में तिलहन उत्पादन कार्य-क्रम के तहत अतिरिक्त जिलों को शामिल करना तिल,

सूरजमुखी, रामतिल, कुसुम फसलों के लिए बीज ग्राम स्कीम के तरहत राजसहायता प्रदान करना तथा उच्च दर पर सूरजमुखी के बीज के वितरण के लिए राजसहायता प्रदान करना शामिल है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत जिलों की वर्तमान सूची में रत्नगिरि और सिन्धुदुर्ग जिलों को जोड़ दिया गया है। बीज ग्राम स्कीम के तहत दी जाने वाली राजसहायता तिल, सूरजमुखी, रामतिल, कुसुम आदि सहित सभी तिलहन फसलों के लिए लागू की गई है। राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के पास तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत निर्धारित परिसीमा से उच्च दरों पर संकर सूरजमुखी के लिए राजसहायता देने की स्कीम है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है वह नोबोर्ड बोर्ड से संपर्क करें। राज्य सरकार से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह उत्पादकता बढ़ाने के लिए मूंगफली की उन्नत किस्मों के लिए त्वरित कार्यक्रम-शुरू करें, जिसके लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत निधि, प्रदान कर दी गई है।

उड़ीसा में भूमिगत जल निकासी प्रणाली

226. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में भूमिगत जल निकासी प्रणाली के बारे में कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन योजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(घ) किन-किन परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 437.8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की उड़ीसा शहरी विकास परियोजना पर प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसमें कटक और भुवनेश्वर के लिए क्रमशः 14 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भूमिगत जलनिकासी/मलजल निर्यास स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं।

(ग) और (घ) प्रस्ताव अभी प्राप्त हुआ है और जांच-पड़ताल की प्रारम्भिक अवस्था में है तथा अनुमोदन अथवा अस्वीकृति का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी०एम०एस० के पोलोथीन पैकट

227. **डा० वसंत पवार:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी०एम०एस० के पोलोथीन पैकटों से दूध के रिसाव के संबंध में अनेक शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डी०एम०एस० ने दूध की बर्बादी को रोकने के लिये अपना दूध बेहतर किसम के पौलोथीन पैकटों में बेचने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंगा): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बाजार में बेचे जा रहे पालिपैकों से दूध की लिकेज के बारे में कभी-कभी शिकायतें मिलती हैं। पैकिंग के स्वरूप की वजह से कुछ लिकेज को दूर नहीं किया जा सकता है। फिर भी, यह लिकेज पालिपैकों में दुग्ध के रख-रखाव के लिए निर्धारित प्रतिमानों के अंतर्गत है।

(ग) पालिपैक फिल्म की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने के लिए दिल्ली दुग्ध योजना मानक मोटाई की पालिथीन फिल्म तैयार करने के लिए चयनित निर्माताओं के माध्यम से आई०पी०सी०एल० से अब दानेदार कच्चा माल खरीद रही है। दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

केरल में भू-स्खलन

228. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में वायनाड, इडुक्की जिलों में व्यापक पैमाने पर हुए भू-स्खलन की जानकारी है;

(ख) इसके कारण जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) केरल सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इडुक्की जिलें में हाल ही में कोई भूस्खलन नहीं हुआ है। वायनाड जिले मे 19.6.1992 को एक बड़ा भूस्खलन हुआ जिसके कारण 11 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 3 व्यक्ति चोटग्रस्त हुए तथा 5 घरों को नुकसान पहुंचा।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) प्रभावित क्षेत्र से 94 परिवारों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।

(2) प्रत्येक मृत व्यक्ति के संबंधियों को 10,000 रुपये अनुग्रह राशि का भुगतान।

(3) गंभीर रूप से चोटग्रस्त व्यक्तियों को 1000 रुपये का भुगतान।

(4) एक परिवार की एकमात्र जीवित लड़की के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान।

(5) भूस्खलन के कारणों तथा खतरे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के बारे में राज्य सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग द्वारा अध्ययन संचालन।

[हिन्दी]

दिल्ली में नकली एल॰पी॰जी॰ सिलिन्डरों के मामले

229. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में नकली एल॰पी॰जी॰ सिलिन्डरों और रेगुलेटरों के कितने मामले दर्ज हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने मामलों को सुलझा लिया गया है; और

(ग) शेष मामलों को नहीं सुलझाए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अपराध शाखा को ऐसा कोई मामला सूचित नहीं किया गया है।

चिल्का झील में झींगा मछली पालन

230. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिल्का झील में झींगा मछली पालन हेतु उड़ीसा सरकार तथा टाटा उद्योग समूह के बीच हुए समझौते से झील और मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो चिल्का झील को बचाने और मछुआरों के हित की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) उड़ीसा सरकार और टाटा उद्योग समूह के बीच पुरी जिले की चिल्का झील के समीप पनासपदा में झींगा खेती के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इस परियोजना से चिल्का झील और मछुआरों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि जब तक उचित पर्यावरणीय समीक्षात्मक अध्ययन नहीं हो जाता, निर्माण कार्य सहित सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जाए।

मछुआरों की मौत

231. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्र में मछली पकड़ते समय तूफान आने के कारण अथवा सामान्य मौसम में कितने मछुआरों की मौत हुई;

(ख) सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का विशेषकर ऐसी भयानक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सही-सही पूर्वानुमान लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन आपदाओं से प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता से पेयजल परियोजनाएं

232. **श्री बापू हरि चौरे:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी ऋण की सहायता से राज्यों में पेयजल परियोजनाएं चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं है और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों ने इनके लिए धन दिया; और

(ग) इन परियोजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिल रहा है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व बैंक जैसे ऋणदाता अभिकरणों के अतिरिक्त विदेशी सरकारों की ऋण सहायता से कोई जलापूर्ति परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मदर डेयरी के दूध में विटामिन "ए" मिलाना

233. **डा० आर० मल्लू:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मदर डेयरी दिल्ली में उसके द्वारा बेचे जा रहे दूध में विटामिन "ए" मिला रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण दूध की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) मदर डेयरी द्वारा विटामिन "ए" की खरीद पर अब तक कितना धन खर्च किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी, हां। मदर डेयरी अपने द्वारा बेचे जाने वाले डबल टोंड दूध में विटामिन "ए" मिलाती है।

(ख) मदर डेयरी द्वारा विटामिन "ए" मिलाने के कारण दूध की बिक्री पर कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) 31 मार्च, 1992 तक लगभग 30 लाख रुपये।

बीयर का उत्पादन

234. **श्री एम० रमन्ना राय:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1991 से लेकर अब तक बीयर के उत्पादन के लिए कितने आशय-पत्र जारी किये गये हैं;

(ख) आशय-पत्र जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) बीयर के उत्पादन के लिए आशय-पत्र जारी करने संबंधी कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) लम्बित आवेदनों के निपटान के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जून 1991 से बीयर तैयार करने के लिए 44 आशय पत्र जारी किये गये हैं जिनमें शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के अधीन दो आशय पत्र भी शामिल हैं।

(ख) घरेलू बिक्री के लिए बीयर तैयार करने की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने से संबंधित प्रेस नोट संख्या 4(1989 सीरीज) में निहित मार्ग निर्देशों के अलावा अनिवासी भारतीय विदेशी इक्विटी से दुर्लभ मुद्रा में कुल परियोजना लागत का 20% यूनतम मानदंड भी 15-5-92 से निर्धारित किया गया है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए मूल्यवर्धन, वापस खरीद व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न पैरामीटरों को आशय-पत्र जारी करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

(ग) और (घ) दिनांक 31-5-1992 को अंतिम रूप ये निपटान के लिए 829 आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे, इनमें से 158 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और 671 औद्योगिक विकास विभाग के पास लंबित हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जा रहा है।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

235. **श्री कड़िया मुंडा**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी कोई नीति बनाई गई है कि किसी भी झुग्गीवासी को तब तक हटाया नहीं जाएगा, जब तक उसे अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं करा दिया जाता;

(ख) दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990 तक किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) अनियमित अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबंधी नीति को तैयार किया जा रहा है। पहले से ही नियमित अनधिकृत कालोनियों के संबंध में कार्रवाई प्रगति पर है।

कर्नाटक स्थित हसन में आलू अनुसंधान केन्द्र

236. **श्री एच० डी० देवगौड़ा**: क्या **कृषि** मंत्री 12 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में हसन में एक आलू अनुसंधान केन्द्र खोलने के संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या वित्तीय प्रावधान किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तराई में आतंकवाद

237. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री राजवीर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से तराई क्षेत्र में बढ़ते हुए आतंकवाद के खतरे का सामना करने हेतु पर्याप्त धनराशि और केन्द्रीय बल प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) समय-समय पर विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से, धन राशि और केन्द्रीय बल उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार इन अनुरोधों पर उनकी गुणवत्ता और बलों की उपलब्धता के आधार पर विचार करती है। तराई क्षेत्र में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने धन, राशि और अतिरिक्त बल के लिए केन्द्र से अनुरोध किया था। अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कम्पनियां उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं और तराई क्षेत्र में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए फरवरी, 1992 में 10 करोड़ रुपए की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में जारी की गई है।

इन्टर सर्विसेज इंटेलीजेंस की गड़बड़ी फैलाने की योजना

238. **श्रीमती सरोज दुबे:**
श्री हरिकिशोर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 20 मई, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित उस समाचार की जानकारी है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के इन्टर सर्विसज इंटेलीजेंस ने कश्मीरी उग्रवादियों को दक्षिण भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित करने तथा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच फूट डालने हेतु कोशिश करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) और (ख) सरकार को प्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तानी आई०एस०आई० ने कथित रूप से, घाटी के आतंकवादियों को देश के अन्य भागों में हिंसा फैलाने के निर्देश जारी किए थे। फिर भी, दक्षिण भारत के शहरों में कश्मीरी आतंकवादियों के व्यापक पैमाने पर बसने की कोई पुष्ट सूचना नहीं है।

संबंधित राज्य सरकारों को निवारक उपाय करने के योग्य बनाने के लिए उनके साथ सामान्यतः आसूचना जानकारी का आदान-प्रदान किया जाता है।

पंजाब में सेना की कार्रवाई

239. **श्री लाल बाबू राय:**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी:
श्री सत्यदेव सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री कमल चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब के संवेदनशील क्षेत्रों से सेना हटा लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) पंजाब में इस समय सक्रिय उग्रवादी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे प्रत्येक संगठन में उग्रवादियों की अनुमानित संख्या कितनी-कितनी है; और

(ङ) राज्य में उग्रवादी गतिविधियां रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) पंजाब में अपने अनुभवों के आधार पर सेना ने आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी कार्य-प्रणाली में संशोधन किया है। सेना की तैनाती, आतंकवादियों से मिली मूल्यांकित धमकी के अनुरूप की गई है। आतंकवादी गतिविधियों के बदलते हुए पेटर्न का मुकाबला करने के लिए सेना की कार्य-प्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। राज्य में सामान्य हालात बहाल करने और वहां आन्तरिक सुरक्षा स्थिति को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में कानून तथा व्यवस्था-तंत्र को समर्थ बनाने के लिए राज्य की मदद करना ही सेना की भूमिका है।

(ग) और (घ) पंजाब में उग्रवादी तथा उग्रवादी संगठन अपनी क्षति को पूरा करने के लिए लगातार नए काडर बना रहे हैं और इसलिए इस बारे में कोई अनुमानित तथ्य देना संभव नहीं है।

(ङ) राज्य में उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सभी आवश्यक उपाए किए जा रहे हैं।

लद्दाख को स्वायत्त दर्जा

240. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाखी बोद्ध लद्दाख को स्वायत्त दर्जा दिये जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तथा यह लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सशस्त्र संघर्ष करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने लेह और कारगिल के प्रतिनिधियों से हाल ही में बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) स्वायत्तशासी जिला पहाड़ी परिषद के लिए लद्दाख बुद्धिष्ट एसोसिएशन की मांग के संदर्भ में मई

और जून, 1992 में लद्दाख क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी स्तर की बातचीत की गयी। सरकार का विचार है कि स्थाई समाधान के लिए साम्प्रदायिक सौहार्दता, लद्दाख की पहचान बनाए रखने तथा इस दूर दराज क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उचित संस्थान का गठन करना, सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।

स्नेहक तेल की बचत

241. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी०सी०आर०ए०) ने प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए मूल्य के बहुमूल्य स्नेहक की बचत के लिए कुछ योजनाएं बनायी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) लगभग 2.50 लाख टन उच्च ग्रेड के आटोमोटिव स्नेहकों के उत्पादन और बिक्री के लिए एक ऐसी कार्य योजना कार्यान्वयनाधीन है, जिसे इस मंत्रालय के मार्ग-दर्शन में तेल कंपनियों, तेल संरक्षण अनुसंधान संघ और यौगिक उत्पादकों ने बनाया था। कार्य योजना के अधीन, कम कुशलता वाले स्नेहकों के स्थान पर उच्च ग्रेड के स्नेहकों का इस्तेमाल चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

महानगरों के लिए व्यापक विकास कार्यक्रम

242. **श्री अन्बारासु इरा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी महानगरों के लिए कोई व्यापक विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जी, नहीं।

"शहरी विकास" राज्य का विषय है। महानगरीय शहरों में भूमि विकास, आवास, जलापूर्ति मलनिर्यास, परिवहन, सड़कों और नागरिक सेवाओं के लिए सामान्यतया राज्य सरकारों और उनके अभिकरणों के बजटों से निवेश करना अपेक्षित है जबकि केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा दूरसंचार, रेलवे बंदरगाहों, केन्द्रीय भूमि के विकास, शोधनशालाओं आदि में निवेश किया जाता है। अतः योजना आयोग से निधियां प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करना तथा उन्हें अपनी वार्षिक योजनाओं में शामिल करना संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है तथापि, कुछ महानगरीय शहरों जैसे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद तथा जयपुर को विश्व बैंक तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए द्विपक्षीय सहायता का लाभ मिला है।

नई सहकारी नीति

243. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई सहकारी नीति लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त नीति कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 25 और 26 जुलाई, 1992 को आयोजित किये जाने वाले राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में सहकारी समितियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति के मुख्य पहलुओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

नई कृषि नीति

244. **डा० असीम बाला:**
श्री सूर्य नारायण यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई कृषि नीति को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति के कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि नीति संकल्प को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

कालकाजी में डी०डी०ए० फ्लैटों की नींव का धसंना

245. **श्री मंजय लाल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालकाजी एक्सटेंशन नई दिल्ली के कई फ्लैटों की नींवों के 1988 में धंस जाने के कारण उन फ्लैटों में खतरनाक दरारें पड़ गई थीं और अन्य प्रकार के नुकसान भी हुए थे जिसकी जांच पड़ताल कई समितियों द्वारा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के निष्कर्ष सरकार को कब प्रस्तुत किए गए थे और उनकी संस्तुतियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त समितियों की संस्तुतियों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया और उन्हें कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार पाकिट ए-10 में 6 फ्लैटों और पाकिट ए-11 में 20 फ्लैटों में आवश्यक मरम्मत कार्य पूरे कर दिए गए हैं । पाकिट ए-11 के 4 फ्लैटों और पाकिट ए-10 के 3 फ्लैटों का मरम्मत कार्य, वैकल्पिक आवास आवंटित करने के पश्चात् भी आवंटियों द्वारा अस्थाई रूप से फ्लैट खाली करने

में सहयोग न दिए जाने के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। आई आई टी द्वारा गिराए जाने के लिए अनुशासित 22 फ्लैटों में से 16 गिरा दिए गए हैं और 6 अभी गिराए जाने हैं। दिनांक 9.7.92 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 245 के भाग "ख" के उत्तर में सम्मिलित अनुलग्नक।

विवरण

(i) **गंगाधरण समिति:** दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस समिति की रिपोर्ट सितम्बर से दिसम्बर 1988 तक प्राप्त हुई थी। पाकिट ए-10 में 19 फ्लैट क्षतिग्रस्त पाए गए थे और विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात नींव सुदृढ़ीकरण तथा खुले स्थलों को पक्का करके धरती में पृष्ठ जल के रिसाव को रोकने और दरारों वाली दीवारों, फर्शों, स्लैबों आदि के सुदृढ़ीकरण के अन्य निवारक उपायों की अनुशंसा की गई थी। पाकिट ए-11 में 40 फ्लैट मरम्मत से परे खतरनाक पाए गए थे और इस समिति द्वारा इन्हें गिराने का सुझाव दिया गया था।

(ii) **आई आई टी रिपोर्ट:** आई आई टी के निष्कर्षों की अंतरिम अनुशंसाएं दिल्ली विकास प्राधिकरण को जून 1989 में और अन्तिम अनुशंसाएं अप्रैल 1990 में प्राप्त हुई थी। आई आई टी द्वारा अनुशंसा की गई थी कि पाकिट ए-10 में 6 फ्लैट खतरनाक और मरम्मत से परे थे और इन्हें गिराने की अनुशंसा की गई। 13 फ्लैटों की मरम्मत की जा सकती है और रहने के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है। पाकिट ए-11 में 16 फ्लैटों की मरम्मत से परे खतरनाक घोषित किया गया था और इन्हें गिराने की अनुशंसा की गई थी। 24 फ्लैटों की मरम्मत की जा सकती है और रहने के लिए सुरक्षित बनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

नई बस्ती, नया बाजार में विस्फोट

246. **श्री रामकृष्ण कुसमरिया:**
श्री बृजभूषण शरण सिंह:
श्रीमती भावना चिखलिया:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में नई बस्ती, नया बाजार में हुए विस्फोट और अग्नि कांड की घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जांच समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि 29.4.92 को नई बस्ती, नया बाजार में लगी आग में 44 व्यक्ति मारे गए और 22 जख्मी हुए।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों और जख्मी व्यक्तियों को निम्न दरों पर अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की:

(क) मृत्यु (व्यस्क)	—	20,000 रुपए की दर से
मृत्यु (अव्यस्क)	—	10,000 रुपए की दर से
(ख) गम्भीर रूप से जख्मी	—	3,000 रुपए की दर से
मामूली रूप से जख्मी	—	500 रुपए की दर से

मारे गए 44 व्यक्तियों में से, 3 शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी। 32 मामलों में पहले ही चैकों के माध्यम से मुआवजा दे दिया गया है। 5 चैक तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि उनके नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में सूचना देर से प्राप्त हुई। मारे गए 4 व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

जख्मी हुए 22 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयी हैं और 20 व्यक्ति मामूली रूप से जख्मी हुए। 8 मामलों में चैकों द्वारा मुआवजा पहले ही दे दिया गया है। शेष चैक वितरित नहीं किए जा सके क्योंकि उनसे सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार मिलने पर आवास

247. **श्री बलराज पासी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में पुनः रोजगार मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर अथवा बिना बारी के सामान्य पूल से आवास उपलब्ध कराये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने कर्मचारियों को दिल्ली में ऐसे आवास उपलब्ध कराये गये हैं; और

(ग) सरकार का ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को, जिन्हें पुनः रोजगार दिया गया है, और अधिक आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं। तथापि, पुनः रोजगार प्राप्त करने के पश्चात् भूतपूर्व सैनिकों को, उनकी प्राथमिकता की तारीख निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ उनकी पिछली सेवा की गणना और वास की पात्रता का निर्धारण करने के निमित्त पेंशन घटक सहित पद के नोशनल वेतन के लाभ की उन्हें अनुमति दी जाती है ताकि वे साधारण पूल रिहायशी वास ले सकें।

(ख) कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन का विस्तार

248. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन को गोरखपुर और बांदा तक बढ़ाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या बरौनी को हाजिरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य निष्पादन की स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : (क) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) गैस की उपलब्धता और पहले की गई वचनबद्धता को देखते हुए आगे पाइपलाइन के विस्तार की कोई कल्पना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण के कोटे के बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए विधेयक

249. **श्री राम विलास पासवान**: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के कोटे को भरने के संबंध में कोई विधेयक पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक पुरःस्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सोयाबीन पर आधारित उद्योग

250. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार**: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में सोयाबीन पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई सहायता देने का है; और

(घ) देश में अन्य किन-किन स्थानों पर इन उद्योगों को स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) महाराष्ट्र से सोयाबीन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 1990-91 और 1991-92 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) यह उद्योग संभवतया मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में स्थापित किये जायेंगे।

राजधानी में झुग्गी बस्तियां

251. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में कुल कितनी झुग्गी बस्तियां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन झुग्गी बस्तियों को अयत्र स्थानातरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो पहले चरण में कितनी झुग्गियां स्थानान्तरित की जाएंगी;

(घ) क्या सरकार झुग्गी निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झुग्गियों के 929 समूहों की जानकारी दी गई है।

(ख) और (ग) निकट भविष्य में सभी झुग्गी समूहों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मात्र इस प्रकार के झुग्गी समूहों को, जो उन झुग्गियों पर मौजूद हैं जो भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा तत्काल परियोजना कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित हैं, वैकल्पिक स्थलों की उपलब्धता के अध्यधीन प्राथमिकता सूची के आधार पर स्थानान्तरित किया जाना है।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस प्रकार की बुनियादि सुविधाएं, जैसे पैदल-पथ, नाते, पथ-प्रकाश, जलापूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्यकर, इत्यादि, संसाधन दबावों के अध्यधीन उपलब्ध कराई जा रही है।

[अनुवाद]

छोटे और मझोले नगरों का विकास

252. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और मंझोले नगरों के विकास संबंधी योजना का मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निषकर्ष निकले है; और

(ग) इस योजना में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख): भारत सरकार छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास की योजना के कार्यान्वयन की निरन्तर निगरानी कर रही है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों की समन्वित विकास की योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन किया गया था, जिसने अन्य बातों के साथ, सिफारिश की कि यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखी जा सकती है।

(ग) छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास की योजना मे प्रस्तावित संशोधनों में बजटीय सहायता, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास की योजनाधीन नगरों

के चयन से पूर्व शहरी रणनीति तैयार करना, तीन लाख तक की आबादी वाले नगरों को शामिल करना, नम्यता लाकर मदों के निमित्त सहायता परिवर्तन के अतिरिक्त सांस्थानिक वित्त पोषण शामिल है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० का पुनर्गठन

253. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड का कार्यकरण सुधारने के लिए सरकार का विचार उनका पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इनका पुनर्गठन किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन की जरूरत के संबंध में निर्णय लेने की दृष्टि से इसके सभी संगठनात्मक पहलुओं की जांच करने हेतु सरकार ने एक समिति का गठन किया है। समिति को 31 अगस्त, 1992 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है। आयल इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

254. **प्रो० रीता वर्मा:**
श्री ललित ठरांव:
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवंटित करने हेतु उपलब्ध आवासीय क्वार्टरों की टाईप-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्वार्टरों के आवंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या अपने कर्मचारियों के लिए नये आवासीय क्वार्टरों का निर्माण करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न शहरों में ऐसे कितने क्वार्टरों का निर्माण किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) विवरण-1 संलग्न है

(ख) विवरण-2 संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए समस्त भारत में प्रतिवर्ष वितरित किये जाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के औसतन 2000 क्वार्टरों का निर्माण किये जाने का विचार है।

विवरण-1

दिल्ली में साधारण पूल में उपलब्ध क्वार्टरों/फ्लैटों आदि की कुल संख्या:

टाईप	एककों की संख्या
I	13,768
II	20,512
III	21,522
IV	5,114
IV-स्पेशल	128
V	1,932
VI	503
VII	116
VIII	97
हॉस्टल	
डबल सूट	1,424
सिंगल सूट किचन सहित	224
सिंगल सूट बिना किचन	129
कामकाजी महिला हॉस्टल	
सिंगल रूम	137

विवरण-2

दिल्ली में प्रतीक्षा सूची दर्शाने वाला विवरण

टाईप	आवंटन के लिए प्रतीक्षारत कर्मचारियों की संख्या
I	6,232
II	11,994

विवरण-2
दिल्ली में प्रतीक्षा सूची दर्शाने वाला विवरण

टाईप	आवंटन के लिए प्रतीक्षारत कर्मचारियों की संख्या
III	10,291
IV	2,586
IV-स्पेशल	300
V-ए	1,857
V-बी	475
VI	537
VII	282
VIII	230
हास्टल	
डबल सूट	
सिंगल सूट, किचन सहित	644
सिंगल सूट, बिना किचन	799
कामकाजी महिला हॉस्टल	132
सिंगल रूम	65

टिप्पणी: यह चालू आवंटन वर्ष अर्थात 1992-93 के दौरान आमंत्रित सीमित आवेदनों के आधार पर है।

गोआ मुक्ति आन्दोलन के लिए विशेष जांच समिति

255. **श्री अन्ना जोशी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "हैदराबाद मुक्ति संघर्ष" में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मामले की संवीक्षा के लिए विशेष जांच समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "गोआ मुक्ति आन्दोलन" के लिए भी जांच समिति गठित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जिन व्यक्तियों ने "गोआ मुक्ति आन्दोलन" में अपने प्राणों की आहुति दी थी उनकी विधवाओं को 25,000 रु० की राशि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नही, श्रीमान्।

(ग) चूंकि गोवा मुक्ति आन्दोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में पहले ही मान्यता दे दी गयी है, इसलिए सरकार ने एक पृथक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी और गोवा से संबंधित मामलों में, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के अधीन निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर आवेदन करने पर उन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जलाई जा रही गैस को उपयोग में लाना

256. **श्री दाऊदयाल जोशी**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल के कुएं किन-किन स्थानों पर हैं और उनसे कितनी गैस का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इस गैस का कितना उपयोग किया जा रहा है तथा कितनी गैस को जलाया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार ने उस गैस का उपयोग करने की कोई योजना बनाई है जिसे जलाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गैस का कब तक पूरी तरह उपयोग किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या इस गैस का उपयोग करने हेतु कोई विदेशी प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) असम, त्रिपुरा और गुजरात में कृष्णा गोदावरी बेसिन में और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में तेल और गैस के कुएं हैं। वर्ष 1991-92 में लगभग 51 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन का उत्पादन किया गया था जिसमें से 11.3 मिलियन घन मीटर गैस प्रतिदिन जलाई गई थी।

(ग) से (च) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, गुजरात और असम में गैस के दहन में कमी करने के लिए योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनसे वर्ष 1995 तक देश में गैस दहन में कमी होने का अनुमान है। जहां कहीं भी जरूरत होती है विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग मामले दर मामले के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

मछली उत्पादन

257. **श्री के० पी० सिंह देव**:
श्री एन० डेनिस:
श्री थाइल जॉन अंजलोज:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार समुद्र से और अन्तर्देशीय स्रोतों से मछली का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में समुद्र से तथा अन्तर्देशीय स्रोतों से मछली उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) सातवीं योजना अवधि के अंतिम वर्ष के दौरान समुद्रों और अंतर्देशीय मछली उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाये जाने हेतु प्रस्तावित कदम इस प्रकार हैं:- मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत मछली पालन के तहत आने वाले क्षेत्र एवं उत्पादकता को 1996-97 तक क्रमशः 2.7 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 4.0 लाख हैक्टेयर तथा 1895 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष से बढ़ाकर 2500 किलोग्राम/हैक्टेयर/वर्ष करना, मछली पालन में नए तालाबों के निर्माण को, वातकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, मत्स्य आहार के इस्तेमाल बढ़ाना, परम्परागत जलयानों का मोटरीकरण करना, ऑफ-शोर पैलेजिक मत्स्यन जलयानों के इस्तेमाल को शुरुआत करना, मत्स्यन बन्दरगाहों और अवतरण केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर मछली पकड़ने के बाद होने वाली क्षति को कम करना, बर्फ संयंत्र, शीत भांडागारों की स्थापना करना तथा अंतर्देशीय क्षेत्रों में खुदरा माल के विपणन को सुविधाएं मुहैया करना आदि।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान मत्स्य-उत्पादन

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	111350	134430	245780
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	1000	1000
3.	असम	—	58430	58430
4.	बिहार	—	156550	156500
5.	गोवा	52650	2000	54650
6.	गुजरात	432360	27150	499510
7.	हरियाणा	—	20020	20020
8.	हिमाचल प्रदेश	—	4620	4620
9.	जम्मू और कश्मीर	—	13000	13000
10.	कर्नाटक	186130	55840	241970
11.	केरल	535710	33310	569020
12.	मध्य प्रदेश	—	37960	37960
13.	महाराष्ट्र	393000	50000	443000

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
14.	मणिपुर	—	7500	7500
15.	मेघालय	—	970	970
16.	मिजोरम	—	2810	2810
17.	नागालैंड	—	830	830
18.	उड़ीसा	77890	75870	153760
19.	पंजाब	—	8500	8500
20.	राजस्थान	—	6630	6630
21.	सिक्किम	—	नगण्य	0
22.	तमिलनाडु	289000	75000	364000
23.	त्रिपुरा	—	18180	18180
24.	उत्तर प्रदेश	—	93470	93470
25.	पश्चिम बंगाल	89000	512000	601000
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंदमान और निकोबार	13600	—	13600
27.	चंडीगढ़	—	40	40
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	0
29.	दमन और दीव	7730	—	7730
30.	दिल्ली	—	3000	3000
31.	लक्षद्वीप	6970	—	6970
32.	पांडिचेरी	29510	2890	32400
33.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड जलयान	50000		50000
	कुल	2274900	1402000	3676900

स्रोत: मात्स्यिकी सांख्यिकी, कृषि और सहकारिता विभाग

कृषि विज्ञान केन्द्र

258. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कृषि विज्ञान केन्द्रों का निजीकरण करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) महोदय, कुल 187 कृषि विज्ञान केन्द्रों में से 48 कृषि विज्ञान केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हैं, परन्तु उन्हें 100 प्रतिशत सहायता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दी जाती है।

(ख) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कृषि केन्द्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र के स्थानों के नाम

1. गड्डी पल्ली, आंध्र प्रदेश
2. कुरनूल, आंध्र प्रदेश
3. मोराबादी, बिहार
4. देव घर, बिहार
5. हजारी बाग, बिहार
6. नवादा, बिहार
7. गान्धीनगर, बिहार
8. रेवाड़ी, हरियाणा
9. हुलकोटी, कर्नाटक
10. वेल्लान्द, केरल
11. इन्दौर, मध्य प्रदेश
12. गान्धीनगर, गुजरात
13. थाणे, महाराष्ट्र
14. जलगांव, महाराष्ट्र
15. उदयपुर, राजस्थान
16. कूनूर, तमिलनाडु
17. गांधीग्राम, तमिलनाडु
18. कोयम्बटूर, तमिलनाडु
19. खोवाई, त्रिपुरा
20. कोलासिब, मिजोरम
21. एटा, उत्तर प्रदेश
22. सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
23. मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
24. गोन्डा, उत्तर प्रदेश
25. मिदनापुर, प० बंगाल
26. जलपाईगुड़ी, प० बंगाल
27. बांकुरा, प० बंगाल
28. 24 परगना, प०बंगाल
29. मेडक, आंध्र प्रदेश
30. चित्तूर, आंध्र प्रदेश

31. करीब नगर, आंध्र प्रदेश
32. गुन्टूर, आंध्र प्रदेश
33. छपरा, बिहार
34. रोहताश, बिहार
35. बान्दा, उत्तर प्रदेश
36. इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
37. सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश
38. मेरठ, उत्तर प्रदेश
39. बीड, महाराष्ट्र
40. सतारा, महाराष्ट्र
41. आरकोट, तमिलनाडु
42. पेरीयार, तमिलनाडु
43. कच्छ, गुजरात
44. मेहसाना, गुजरात
45. अहमदाबाद, गुजरात
46. पुरुलिया, प० बंगाल
47. चुरु, राजस्थान
48. बाड़मेर, राजस्थान

[हिन्दी]

बिहार में कृषि का व्यापक विकास

259. **श्री रामदेव राय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कृषि के व्यापक विकास के लिए कितनी सहायता दी है; और

(ख) इस सहायता से बिहार के किन-किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कृषि के व्यापक विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम में तेल शोधक कारखाने का निर्माण

260. **श्री प्रबीन डेका:**
श्री उद्धव बर्मन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम में नुमलीगढ़ तेलशोधक कारखाने का निर्माण करने का विचार है; और

(ख) निर्माण कब तक शुरु किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) मैसर्स आई० बी० पी० कम्पनी की एक सहायक कम्पनी द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में असम सरकार के साथ असम के नुमलीगढ़ में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली एक रिफाइनरी स्थापित की जाएगी।

(ख) सरकार के अनुमोदन से 60 माह के भीतर परियोजना के पूरा होने का कार्यक्रम है।

(हिन्दी)

अवैध हथियारों का निर्माण

261. **श्री पंकज चौधरी:**
श्री जनार्दन मिश्र:
श्री अरविन्द त्रिवेदी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में अवैध हथियारों का बड़े पैमाने पर निर्माण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष संघ राज्य क्षेत्रवार पता लगाए गए ऐसे हथियारों का निर्माण करने वाले कारखानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कारखानों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) अवैध हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सशस्त्र अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश और मार्ग-दर्शी सिद्धान्त भेजे गए हैं। इन निर्देशों/दिशा-निर्देशों से उन्हें निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हुई हैं:—

(I) अवैध रूप से बने शस्त्रों और गोलाबारूद का पता लगाने के लिए आकस्मिक जांच।

(II) शस्त्र और गोलाबारूद की चोरी/गुम हो जाने के मामलों की जांच करना और लापरवाही के कारण का पता लगाना और निवारात्मक उपाय करना।

(III) जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अपराध अधिक होते हैं वहां विशेषज्ञ जांच इकाइयां गठित करना।

(IV) अवैध रूप से निर्मित शस्त्रों और अवैध शस्त्रों के व्यापार के विषय में आसूचना एकत्र करना।

मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन उद्योग का विकास

262. **श्री रामेश्वर पाटीदार**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को मत्स्य पालन उद्योग के विकास हेतु वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान परियोजनावार कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रयोजन हेतु वर्ष 1991-92 के दौरान आवंटित संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी मछली पालन की विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) 1991-92 और 1992-93 के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने मध्य प्रदेश सरकार को मात्स्यिकी के विकास के लिए कोई राशि मंजूर नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) मध्य प्रदेश की मात्स्यिकी विकास संबंधी कोई भी परियोजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ी है।

पुलिस दूरसंचार योजना

263. **श्री बारे लाल जाटव**: क्या गृह मंत्री 26 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4671 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस दूरसंचार योजना लागू करने के लिए लागत सहित विभिन्न पहलुओं की इस बीच जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) पुलिस दूरसंचार योजना के विभिन्न पहलुओं की जांच की गयी है। इसे तभी कार्यान्वित किया जा सकता है जब यह स्वीकृत हो जाएगी और फंड आवंटित हो जाएंगे।

[अनुवाद]

बीज अनुसंधान संस्थान

264. **श्री अर्जुन सिंह यादव**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीज अनुसंधान संस्थाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संस्थानों द्वारा बीजों की कितनी किस्में जारी की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) महोदय, 18 फसल और बागवानी अनुसंधान संस्थान, 8 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र और 31 अखिल भारतीय समन्वित सुधार प्रायोजनाएं किस्मों के विकास और सुधार के कार्य में लगी हैं; बीज अनुसंधान इसमें शामिल है। इसके साथ-साथ 26 राज्य कृषि विश्वविद्यालय भी बीज अनुसंधान और बीज उत्पादन के कार्य में लगे हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान फसलों की 80 सुधरी किस्में और बागवानी फसलें रिलीज की गई हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार

265. **श्री बृजभूषण शरण सिंह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया; और

(घ) महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) दिल्ली में महिलाओं पर होने वाले अपराधों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 तक के दौरान दिल्ली में सूचित की गयी घटनाओं की संख्या तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के ऐसे मामलों तथा वर्ष 1991 की इसी अवधि की संख्या निम्न प्रकार है:-

अपराध	वर्ष	सूचित किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
1	2	3	4
दहेज के कारण मौत	1991	57	143
	1992	65	139
बलात्कार	1991	113	189
	1992	142	169
महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार	1991	103	136
	1992	107	134
दहेज से संबंधित भा०दं०सं० 406	1991	63	81
	1992	95	62
ए०आई०पी०सी० 498 (पति अथवा सुसराल पक्ष द्वारा अत्याचार)	1991	184	520
	1992	268	390
दहेज निषेद अधिनियम	1991	3	13
	1992	1	1
छेड़छाड़	1991	1046	1864
	1992	1084	1544

(घ) महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(I) विधायी उपबंधों को कड़ा बनाना,

(II) महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के लिए विशेष कक्ष गठित करना,

(III) लड़कियों के कालेजों और स्कूलों के निकट पुलिस तैनात करना,

(IV) छेड़छाड़ इत्यादि की रोकथाम करने के लिए अभियान चलाना।

[अनुवाद]

कीटों पर जैविक नियन्त्रण

266. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्रीमती भावना चिखलिया:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कीटों पर जैविक नियन्त्रण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) सरकार ने कीटों पर जैविक नियन्त्रण विधि अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) सतत अनुसंधान प्रयासों के माध्यम से कई कारगर जैव-नियंत्रण एजेंटों की पहचान की गई है। प्रदर्शनों तथा अन्य विस्तार प्रयासों के माध्यम से जैव-एजेंटों का उत्पादन और किसानों को प्रौद्योगिकी के अन्तरण का कार्य भी आरम्भ किया गया है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित फसल कीटों तथा खरपतवार के जैविक नियंत्रण की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत अनुसंधान कार्य पर गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई रकम निम्नानुसार है।

(लाख रुपयों में)

1989-90	—	14.86
1990-91	—	20.00
1991-92	—	26.66

(ग) किसानों को कीटों के जैव-नियंत्रण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) जैव-नियंत्रण एजेंटों के परिरक्षण एवं संवर्द्धन के माध्यम से नैसर्गिक जैव-नियंत्रण क्षमता को अधिकाधिक करने में किसानों की मदद के लिए देश में 25 केन्द्रीय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों की स्थापना करना;

(2) जैव-नियंत्रण प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए किसानों के खेतों में प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करना,

(3) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के माध्यम से जैव-नियंत्रण नेटवर्क आरम्भ करना; तथा

(4) पैरासाइटों तथा प्रेडेटरों के अत्यधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जैव-नियंत्रण पाइलट पादप एककों की स्थापना करना।

[हिन्दी]

नये खुदरा पेट्रोल विक्रय केन्द्र तथा एल० पी० जी० एजेंसियों का आवंटन

267. **श्री साइमन मरांडी:**
श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई, 1991 से अब तक आवंटित किए गए पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्र तथा एल०पी०जी० एजेंसियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने पेट्रोल/डीजल खुदरा विक्रय केन्द्र तथा एल०पी०जी० एजेंसियों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आवंटित की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान, नये खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा एल०पी०जी० एजेंसियों के आवंटन के लिए राज्य-वार, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) लम्बित आवेदन पत्रों पर इन्हें कब तक आवंटित किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) 19 खुदरा बिक्री केन्द्रों और 9 एल०पी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटन के प्रति 12 खुदरा बिक्री केन्द्र और 16 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को दी गई है। ये आवंटन राज्य-वार नहीं किए जाते है।

(ग) और (घ) सरकार ऐसे अनुरोधों का अलग से कोई रेकार्ड नहीं रखती है।

[अनुवाद]

15-सूत्री कार्यक्रम

268. **श्री एन० डेनिस:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन कैसा रहा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम कोई लक्ष्योन्मुख कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में बुनियादी तौर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि अल्पसंख्यकों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा हो कि कोई भेदभाव न हो, अल्पसंख्यकों को विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में समुचित हिस्सा मिले तथा उनका जान-माल सुरक्षित रहे। अतः, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का कार्य निष्पादन परिमाणात्मक रूप में बताना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य के कोटे से रसोई गैस कनेक्शन

269. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991 और 1992 में संसद सदस्यों के वरीयता कोटे में से मंजूर किए गए सभी रसोई गैस कनेक्शन अब तक दे दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मंजूर किए गए उक्त सभी गैस कनेक्शनों के कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) यद्यपि संसद सदस्यों के

कोटे से स्वीकृत अधिकांश एल॰पी॰जी॰ कनेक्शनों को तेल कंपनियों द्वारा जारी कर दिया गया है तथापि अपूर्ण/गलत पते, भेजे गए पत्रों के वापस आने आदि के कारण कुछ कनेक्शन नहीं दिए जा सके। एल॰पी॰जी॰ कनेक्शनों को जारी करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कनेक्शनों को जारी करने को उच्च प्राथमिकता देने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन के लिए गोआ को गैस

270. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ में बिजली उत्पादन के लिए गैस सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी और इसे कहां से सप्लाई किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (डॉ. शंकरानन्द): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में गैस पर आधारित परियोजना

271. **श्री हरिसिंह चावडा:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में गैस पर आधारित किन्ही परियोजना को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री डी॰ शंकरानन्द): (क) गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 19.4 एम॰एम॰एस॰सी॰एम॰डी॰ तक गैस का आवंटन कर दिया गया है।

(ख) और (ग) गुजरात में स्थापित की जाने वाली गैस पर आधारित परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ हजीरा गैस टर्मिनल का विस्तारण, स्पौनज आयरन यूनिट, तीन अतिरिक्त एल॰पी॰जी॰ संयंत्र, कोयाली में आई॰ओ॰सी॰ का हाइड्रोक्रैकर, गंधार में दो विद्युत संयंत्र, गुजरात विद्युत बोर्ड का उत्तरन में विद्युत संयंत्र और आई॰पी॰सी॰एल॰ के गांधार में पेट्रोरसायन परिसर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के चालू योजना अवधि के दौरान स्थापित हो जाने की आशा है।

सूखे की स्थिति

272. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री शरद दिघे:
डा॰ डी॰ वेंकटेश्वर राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में जारी सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु मई, 1992 में अन्तरमंत्रालीय समूह की बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) से (ग) अन्तर मंत्रालीय दल ने 18 मई और 2 जून, 1992 को सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए हुई अपनी बैठकों में उन केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों पर विचार किया था, जिन्होंने गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा किया था। यह दल केन्द्रीय दलों की सिफारिशों से सहमत था कि उपर्युक्त राज्यों में सूखे की स्थिति को "विरल गम्भीरता" के रूप में नहीं माना जा सकता जिसमें कि किसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता हो। तथापि, राज्य सरकार के राहत उपाय सम्बन्धी संसाधनों का संवर्धन करने के उद्देश्य से, इस दल ने व्यय के रुख को ध्यान में रखते हुए विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत अग्रिम धनराशि निर्मुक्त करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1992-93 के लिए आपदा राहत निधि का सम्पूर्ण केन्द्रीय शेयर गुजरात और महाराष्ट्र को तथा तीन किश्तें मध्य प्रदेश को निर्मुक्त की गई हैं।

गेहूं की नई किस्में

273. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं तथा धान की कौन-कौन सी नई किस्में विकसित की गई;

(ख) इन किस्मों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन नई किस्मों के परिणामस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों/पारिस्थितिक-पद्धतियों के लिए केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा रिलीज की गई गेहूं और धान की नई किस्में इस प्रकार हैं—

गेंहू की किस्में:—

यू.पी. 1109, एच. डी. 2380, एच.एस. 240, एच.एस. 207, राज० 3077, पी.बी.डब्ल्यू. 226, पी.बी.डब्ल्यू. 175, डब्ल्यू.एच. 416, सी.पी.ए.एन. 3004, पी.डी.डब्ल्यू. 215, पी.बी.डब्ल्यू. 299, एच.डी.आर. 77, के. 8804, मंगला, एच.डी. 2501. एम.ए.सी.एस. 2496, डी.डब्ल्यू.आर. 162, एच.यू.डब्ल्यू 318, और के.आर.एल. 1—4

धान की किस्में:—

नलिनी, प्रणव, सी.एस.आर. 10, कस्तूरी, पूसा बासमती-1, गोविन्दा, आदित्य, बी.एल.—धान 221, हीरा, सी.एस.टी.—7.1, हरियाणा बासमती-1, शक्तिमान, सुरक्षा, तूल शालिवाहन और धारित्री।

(ख) ये सभी किस्में प्रमुख रोगों और कीड़ों के अत्यधिक प्रतिरोधी होने के साथ-साथ अधिक पैदावार देने वाली हैं। इनमें से कुछ किस्में जैसे- के.आर.एल. 1—4, सी.एस.आर. 10 और सी.एस.टी. 7—1 क्षारीय क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त हैं।

(ग) नई किस्मों से कुछ की पैदावार क्षमता 65-70 क्विंटल प्रति हेक्टर तक है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्य

274. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
डा० वसन्त पवार:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न किस्म के फ्लैटों के मूल्यों में समय-समय पर परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत् छः महीनों के दौरान इनके मूल्यों में किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की बिक्री लागत का आकलन फ्लैट पूरे हो जाने के पश्चात् वास्तविक व्यय और प्रत्याशित देयताओं के आधार पर लाभ-हानि रहित आधार पर किया जाता है। पूंजी पर ब्याज और अनुरक्षण तथा निगरानी प्रभार आदि वसूल करने की दृष्टि से शेष बचे फ्लैटों की लागत को हर 6 माह के पश्चात् अद्यतन/संशोधित किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकार ने सूचित किया है कि गत 6 माह के दौरान लागत निर्धारण सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) फ्लैटों की लागत में वृद्धि, सामग्री और श्रम आदि की लागत में सामान्य बढ़ोत्तरी/वृद्धि के कारण है।

[अनुवाद]

राजनीतिक दलों के लिए सरकारी आवास आवंटित करने सम्बन्धी मानदंड

275. **श्री अर्जन चरण सेठी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजनीतिक दलों को सरकारी आवास के आवंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उन राजनीतिक दलों के नाम और उनकी संख्या कितनी है जिनके पास सरकारी आवास हैं और ये आवास कहां-कहां स्थित हैं तथा उनके पास ये आवास कब से हैं;

(ग) क्या सरकार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को रियायती दरों पर भूखंड देती है; और

(घ) यदि हां, तो उन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने रियायती दर पर भूखंड प्रदान किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) विवरण- I के अनुसार।

(ख) विवरण-II के अनुसार।

(ग) और (घ) राजनीतिक दलों को भूमि का आवंटन पूर्ण बाजार दर पर न कि रियायती दर पर किया जाता है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को कोई आवंटन नहीं किया गया है।

विवरण-1

गोपनीय

सं॰12016(2)/88-नीति-II (खण्डiii) (xviii)
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
(सम्पदा निदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अक्टूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजनैतिक दलों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा निर्देशों की समीक्षा।

12 सितम्बर, 1985 को हुई मंत्री मण्डल आवास समिति की बैठक में राजनैतिक दलों को साधारण पूल वास के आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा की गई थी तथा समिति द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैः-

(i) केवल ऐसे राजनैतिक दलों या समूहों जिन्हें अध्यक्ष द्वारा मान्यता दी गई है, को वास देने की आवश्यकता है, अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त दलों और समूहों की सूची संसदीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त की जा सकती है, लाइसेंस फीस एफ.आर. 45-क के शर्तों के अनुसार परिकलित की जाये।

(ii) अपात्र मामलों में आवंटन रद्द कर दिया जाए।

(iii) रिहायशी प्रयोजनों के निमित्त दल के लिए कुल मिलाकर 6 यूनिटों की अधिकतम सीमा के भीतर केवल एक-तिहाई कर्मचारियों को आवंटन किया जाये।

(iv) जहां तक कार्यालय के लिए वास का संबंध है, स्थान आवश्यकताओं की जांच के पश्चात उपलब्धता की शर्त पर रिहायशी भवन आवंटित किए जा सकते हैं बशर्ते कि बाजार दर से लाइसेंस फीस वसूल की जाती है।

(v) आवंटन राजनैतिक दलों के नाम पर किया जाय न कि किसी पदाधिकारी के नाम पर।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाये।

हस्ता॰/-
(वी.एस. रमण)
उप निदेशक सम्पदा (पी)

सेवा में,
1 सभी आवंटन अनुभागों के सहायक निदेशक।
2. सहायक निदेशक, समन्वय-1 अनुभाग।
3. सहायक निदेशक, कार्यालय अनुभाग।
4. सम्पदा निदेशालय के सभी उप निदेशक।

विवरण-2

विभिन्न राजनीतिक दलों के दखल में साधारण पूल वास के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	दल का नाम	आवंटित वास के ब्यौरे	दखल की तारीख
1	2	3	4
1.	कांग्रेस-आई. पार्टी	एस.iv/209 / आर.के.पुरम	06.01.78
2.	कांग्रेस-आई. पार्टी	एस.iv/181 / आर.के.पुरम	18.10.67
3.	कांग्रेस-आई. पार्टी	एस.iv/892 / आर.के.पुरम	18.09.67
4.	कांग्रेस-आई. पार्टी	781, लक्ष्मीबाई नगर	08.09.88
5.	कांग्रेस-आई. पार्टी	401, 402 अलबर्ट स्क्वायर	11.03.79
6.	कांग्रेस-आई. पार्टी	556-डी., मंदिर मार्ग	18.07.80
7.	कांग्रेस-आई. पार्टी	896, बी. के. एस. मार्ग	17.07.80
8.	कांग्रेस-आई. पार्टी	80-एच. / एस. iv/डी.आई.जेड.	23.09.82
9.	कांग्रेस-आई. पार्टी	87-टी. / एस. iv/डी.आई.जेड.	21.12.91
10.	कांग्रेस-आई. पार्टी	38-के. / एस. iv/डी.आई.जेड.	14.02.92
11.	ए.आई.सी.सी. (आई)	12, पार्क लेन	01.04.78
12.	ए.आई.सी.सी. (आई)	डी-I / 109 चाणक्यपुरी	05.03.85
13.	ए.आई.सी.सी. (आई)	5, रायसीना रोड	27.07.76
14.	डी.पी.सी.सी. (आई.)	2, तालकटोरा रोड	17.02.84
15.	भारतीय जनता पार्टी	11, अशोका रोड	मार्च, 85
16.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं०, 24, वी.पी. हाऊस	19.06.82
17.	भारतीय जनता पार्टी	सूट नं० 523, वी.पी. हाऊस	01.10.83
18.	लोक दल (ए)	15, विन्डसर पैलेस	नवम्बर, 79
19.	लोक दल (बी)	3, पं० पंत मार्ग	01.05.88
20.	लोक दल	सूट नं० 1, वी.पी. हाऊस	24.07.71
21.	लोक दल	सूट नं० 2, वी.पी.हाऊस	19.06.71
22.	जनता पार्टी	सूट नं० 115, वी.पी.हाऊस	20.01.87
23.	जनता पार्टी	सूट नं० 416, वी.पी.हाऊस	04.02.87
24.	जनता पार्टी	सूट नं० 418, वी.पी.हाऊस	11.05.78
25.	जनता पार्टी	5, पं० पंत मार्ग	1989
26.	जनता दल	सूट नं० 17, वी.पी.हाऊस	27.06.90
27.	जनता दल	10, लोधी स्टेट	31.08.90
28.	सी.पी.आई. (एम) पार्टी	सूट नं० 8, वी.पी.हाऊस	09.11.83
29.	सी.पी.आई. (एम) पार्टी	सूट नं० 14, वी.पी.हाऊस	06.08.71
30.	सी.पी.आई. पार्टी	सूट नं० 119, वी.पी.हाऊस	04.11.70
31.	सी.पी.आई. पार्टी	सूट नं० 201-ए., वी.पी.हाऊस	22.11.78

1	2	3	4
32.	सी.पी.आई. पार्टी	सूट नं० 309, वी.पी.हाऊस	12.05.70
33.	ए.आई.ए.डी.एम.के.	सूट नं० 513, वी.पी. हाऊस	01.07.92
34.	बहुजन समाज पार्टी	12. जी.आर.जी.रोड	05.03.91
35.	समाजवादी जनता पार्टी	16, डा० आर. पी.रोड	20.11.90
36.	समाजवादी जनता पार्टी	13, विन्डसर प्लेस	16.04.91
37.	ए.आई.ए.डी.एम.के.	310, वी.पी. हाऊस	01.07.92
38.	ए.आई.ए.डी.एम.के.	16, वी.पी. हाऊस	01.07.92

पश्चिम बंगाल में झींगा मछली पालन

276. **श्री राधिका रंजन प्रमाणिक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में झींगा मछली पालन के लिए प्रौद्योगिकी तथा तकनीक विकसित करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में धमाखाली स्थित हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने झींगा मछली पालन के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से प्रौद्योगिकी तथा तकनीक विकसित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने सरकार के साथ अनुबंधित शर्तों के अनुसार मछली पालने वाले स्थानीय किसानों तक यह तकनीक पहुंचाई है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) झींगा मछली पालन के लिये प्रौद्योगिकी और तकनीकी जानकारी विकसित करने के लिये सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत पश्चिम बंगाल में अलामपुर में एक मार्गदर्शी खारा जल मछली पालन फार्म स्थापित करने की मजूरी दी है। इस फार्म का कुल क्षेत्र लगभग 41 हैक्टेयर है।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल में झींगा मछली पालन में प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी जानकारी विकसित करने के लिए सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। तथापि, यह विदित है कि मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में झींगा मछली पालन के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकी का विकास किया है।

(ङ) स्थानीय मत्स्य पालकों में झींगा मछली पालने की प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार करने के लिये सरकार का हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ कोई अनुबंध नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ के संबंध में बैठक

277. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में घुसपैठ और अन्य सीमा संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस बैठक में दिये गये सुझावों और लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) बड़ी संख्या में बंगलादेशी राष्ट्रिकों के आने के लिए जिम्मेवार विभिन्न पहलुओं और सीमा पार से अवैध आप्रवासियों से निपटने में सामने आने वाली समस्याओं पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा विस्तार विमर्श किया गया। समस्या से निपटने के लिए बनायी गयी बहुमुखी नीति में निम्नलिखित सम्मिलित है:— सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त गहन करना, सीमा पर बाड़ लगाना और सड़क बनाना, प्रभावित राज्यों में मोबाईल टास्क फोर्स (एम० टी० एफ०)/विदेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए योजना को सुदृढ़ करना और निम्न प्रकार के उपाय करना (क) असम, मिजोरम और त्रिपुरा में पहचान पत्र जारी करने की योजना लागू करना। (ख) बंगलादेशी राष्ट्रिकों के लिए वीसा नियंत्रण प्रणाली का संगणकीकरण (ग) गैर कानूनी आप्रवासन के विभिन्न विपरीत परिणामों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना (घ) अवैध आप्रवासियों को शरण देने के विरुद्ध विदेशी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को जनता के ध्यान में लाना और समस्या का विस्तृत प्रचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना बनाना और विदेशी अधिनियम 1946 के उपबंधों को प्रभावकारी ढंग से लागू करना इत्यादि।

[हिन्दी]

औरैया गैस क्रैकर परियोजना

278. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औरैया गैस क्रैकर परियोजना तथा आंवला में गैस संयंत्र को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) से (ग) औरैया गैस क्रैकर परियोजना स्वीकृति के अंतिम चरण में है। आंवला (उत्तर प्रदेश) में किसी गैस संयंत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, "इफको" के गैस आधारित ऊर्वरक संयंत्र ने पहले ही, 1988 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

पशु चिकित्सालय

279. **कुमारी उमा भारती:**
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार प्रत्येक राज्य में कितने पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे और अधिक चिकित्सालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग

280. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में कुल कितनी कृषि भूमि उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन से उपयोग में लायी गई;

(ख) क्या कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग होने के कारण कृषि उत्पादन में कमी आ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृषि भूमि का उपयोग औद्योगिक विकास के लिये करने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) देश में उद्योग स्थापित करने के लिये उपयोग में लाई गई कृषि भूमि के कुल क्षेत्र के बारे में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) बढ़ती हुयी जनसंख्या और आर्थिक कार्यकलापों के विविधीकरण के कारण औद्योगिकीय उद्देश्यों के लिये कृषि भूमि का उपयोग हो रहा है। तथापि, गैर-कृषि उपयोग के लिये भूमि के इस प्रकार के प्रत्यावर्तन की गति इतनी ज्यादा नहीं है कि वह कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर डाले। केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों से कहती रही है कि राज्य भूमि उपयोग बोर्डों को कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाने की घटनाओं पर तत्परता से नजर रखनी चाहिए।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन

281. **प्रो० प्रेम धूमल:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991 और 1992 में अब तक हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल/डीजल के कितने खुदरा बिक्री केन्द्रों का आवंटन किया गया; और

(ख) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) तीन।

(ख) सभी डीलरों का चयन विभिन्न श्रेणियों के अधीन उद्योग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित चयन बोर्डों के माध्यम से तथा सरकार के स्वविवेक से किया जाता है।

पान के पत्तों की खेती

282. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में पान के पत्तों की खेती वाले तटवर्ती क्षेत्रों में कितने अनुसंधान केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के बालसौर जिले में पान के पत्तों की खेती के लिए एक अनुसंधान केन्द्र खोलने की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) महोदय, अखिल भारतीय समन्वित पान अनुसंधान प्रायोजना के तत्वावधान में केवल एक केन्द्र उड़ीसा के उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में काम कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

283. **श्री जी० माडेगौडा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान देश में प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों हेतु कितना अनुदान दिया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): महोदय, वर्ष 1991-92 के दौरान देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को भा० कृ० अ० परिषद द्वारा रिलीज की गई कुल अनुदान राशि 7090.80 लाख रु० है जिसमें ए० पी० सेस फंड भी शामिल हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-91 के दौरान कोष से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	जिनको धनराशि दी गई	रुपये लाख में
1	2	3
1.	त० ना० कृ० वि० वि० कोयम्बटूर	304.28
2.	के० कृ० वि० वि० त्रिचूर	203.05
3.	आं० प्र० कृ० वि० वि० हैदराबाद	679.91
4.	कृ० वि० वि० वि० बंगलौर	350.47
5.	कृ० वि० वि० वि० धारवाड़	171.19
6.	अ० कृ० वि० वि० जोरहाट	204.77
7.	उ० कृ० प्रौ० वि० वि० भुवनेश्वर	249.90
8.	रा० कृ० वि० वि० समस्तीपुर	276.12
9.	बि० कृ० वि० वि० रांची	145.38
10.	राज० कृ० वि० वि० बीकानेर	516.61
11.	गो० ब० पं० कृ० एवं प्रौ० वि० वि० पंतनगर	389.32
12.	न० दे० कृ० एवं प्रौ० वि० वि० फैजाबाद	209.36
13.	चं० शे० आ० कृ० एवं प्रौ० वि० वि० कानपुर	169.53
14.	इ० गां० कृ० वि० वि० रायपुर	54.29
15.	ज० ला० ने० कृ० वि० वि० जबलपुर	440.96
16.	पं० कृ० वि० वि० लुधियाना	462.04
17.	ह० कृ० वि० वि० हिसार	242.58
18.	गु० कृ० वि० वि० दन्तीवाडा	351.53
19.	हि० प्र० कृ० वि० वि० पालमपुर	241.96
20.	बाई० एस० परमार वि० वि० सोलन	178.67
21.	म० कृ० वि० वि० परभनी	173.86
22.	म० फु० कृ० वि० वि० राहुरी	280.74
23.	पं० रा० कृ० वि० वि० अकोला	203.90
24.	कों० कृ० वि० पी० दपोली	108.60
25.	वि० च० कृ० वि० वि० कल्याणी	348.25
26.	शेर-ए-काश्मीर कृ० वि० वि० श्रीनगर	133.62
	कुल योग	7090.89

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निवेश

284. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों जैसे प्रसंस्कृत अनाज से बने उत्पादों, नाश्ता आहार, गैर-एल्कोहालिक पेय बेस, खनिज जल तैयार करने, पॉल्ट्री प्रसंस्करण, गहन समुद्री मात्स्यिकी एवं मछली प्रसंस्करण आदि के उनतीस(29) संयुक्त उद्यमों में विदेशी कम्पनियों द्वारा इक्विटी भागीदारी के रूप में प्रवेश किया जा रहा है। इन कम्पनियों में मैसर्स कैलाग, अमरीका, मैं० जे० एम० आर० पी० कम्पनी, हांगकांग मैं० टैटम फार्मस, अमरीका, मै० टोयो कॉसीशन कम्पनी लिमिटेड जापान, मै० टाई युन कोआपरेशन कम्पनी लिमिटेड, कोरिया, मैं० इराबेले फिशिंग कारपोरेशन, मनीला, फिलीपीन्स कन्सोलिडेटिड सी फूड कारपोरेशन, बोस्टन, अमरीका, मै० हार्टफोर्ड (थाइलैण्ड) कम्पनी लिमिटेड बैंकाक शामिल है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का निजीकरण

285. **डा० सुधीर राय:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने देश के विभिन्न भागों में बहुत से तेल-क्षेत्रों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्रकृतिक गैस आयोग को इन तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि मिल रही है और यदि नहीं तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ड) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) तेल की खोज करने के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, हां

(ख) 1.4.92 की स्थिति के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट से लगे अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में 5684 प्रास्पेक्टों की खोज की है जिसमें से 218 तेल/गैस वाले हैं।

(ग) से (च) स्थगित किए गए सभी तेल और गैस के भंडारों के विकास के लिए बहुत बड़े स्रोत की जरूरत होगी, जिसमें से एक बड़े अंश का विदेशी मुद्रा के रूप में जरूरत होगी इन भंडारों से उत्पादन आरंभ करने की जरूरत की तुलना में कम समय में ऐसे बड़े स्रोत को उगाहना अकेले सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत कठिन होगा अतः सरकार ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विकास को तेज करने के लिए इस क्षेत्र में इस उपाय से घरेलू निजी पूंजी के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संचारित होने की संभावना है।

अभाव से मृत्यु

286. **श्री रामचन्द्र धंगारे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के अभावग्रस्त क्षेत्रों में (अक्तूबर, 1990 से जून, 1991 के बीच) कितने व्यक्तियों की भूख और कुपोषण के कारण मृत्यु हुई थी;

(ख) सरकार द्वारा इस विपत्ति को रोकने हेतु क्या उपाय किये गये;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभाव की स्थिति का पता लगाने हेतु महाराटर भेजे गए विशेषज्ञ दल के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) राज्य सरकारों से अक्तूबर, 1990 से जून, 1991 की अवधि के दौरान भूखमरी या कुपोषण के कारण मृत्यु होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राहत व्यय के वित्त पोषण की वर्तमान स्कीम से तहत राज्य सरकार के लिए प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य को आवंटित आपदा राहत कोष से राहत उपाय शुरू करना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार के लिए "विरल गंभीरता", जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर कार्यवाही करने की आवश्यकता हो, के मामले में ही अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करना अपेक्षित है। केन्द्रीय दल, जिसने हाल ही में महाराष्ट्र का दौरा किया, ने महाराष्ट्र के सूखे की स्थिति को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने के लिए विरल गंभीरता का मामला नहीं पाया। बहरहाल, राहत उपायों के लिए राज्य सरकार ने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1992-93 के आपदा राहत कोष का समस्त केन्द्रीय अंश, जो 33.00 करोड़ रुपये बनता है, निर्मुक्त कर दिया गया है।

विभिन्न उद्योगों को प्राकृतिक गैस का आवंटन

287. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष राज्य-वार विभिन्न उद्योगों को आवंटित प्राकृतिक गैस का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ग) क्या आठवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश में प्राकृतिक गैस के विकास या उसे निकालने संबंधी कोई प्रस्ताव है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न उद्योगों को राज्यवार आवंटित प्राकृतिक गैस निम्नलिखित है:—

राज्य	मात्रा (एम एम एस सी एम डी)
1	2
(1) गुजरात	7.04
(2) महाराष्ट्र	3.26

1	2	
(3)	उत्तर प्रदेश	2.83
(4)	मध्य प्रदेश	1.80
(5)	राजस्थान	0.25
(6)	हरियाणा	2.85
(7)	दिल्ली	2.33

(ख) निर्धारण आधार में महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जरूरतें, सर्वोत्तम आर्थिक प्रयोग और ऐसे उद्योगों में निवेश के लिए उपलब्ध क्षमता/स्त्रोतों जैसी बातों पर विचार किया जाना शामिल है।

(ग) और (घ) जी, हां। नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 1994-95 तक 3.32 एम एम एस सी एम डी गैस उपलब्ध होने की आशा है।

शालीमार बाग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का धसकना

288. **श्रीमती गिरिजा देवी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शालीमार बाग, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के फर्शों के धसकने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार पाकिट एसी-II, शालीमार बाग में फ्लैटों के फर्शों के धंसकने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण), दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की गयी थी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध घटिया निर्माण के लिए असाधारण दण्ड कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार जहां कहीं भी फर्शों में विसंगति पाई गयी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनमें सुधार किया गया।

गुजरात में विद्युत उत्पादन हेतु गैस का आवंटन

289. **श्री हरिन पाठक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ताप्ती गैस भंडारों की खोज हेतु कितनी गैस का आवंटन किया गया;

(ख) गुजरात राज्य को कितनी गैस का आवंटन किया गया; और

(ग) गुजरात में विद्युत परियोजना हेतु गैस के आवंटन का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) से (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान ताप्ती गैस क्षेत्र का वाणिज्यिक से दोहन करने का प्रस्ताव है। विकास योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद इस क्षेत्र से किए जाने वाले आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

महानगरों में पटरियों पर रहने वाली जनसंख्या

290. **प्रो० डुन्नारेड्डि वेंकटेस्वरन:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगरों में 7वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत में पटरियों पर रहने वाली कुल जनसंख्या कितनी थी और प्रत्येक शहर में यह कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी;

(ख) क्या इन शहरों में योजना-दर-योजना में इसकी प्रतिशतता में वृद्धि हो रही है अथवा ास हो रहा है,

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी पटरियों पर रहने वालों को मकान के लिए स्थान प्रदान करने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जनगणना कार्य के एक भाग के रूप में बेघर लोगों की गणना केवल प्रत्येक दस वर्षों में एक बार की जाती है। 1981 की जनगणना के अनुसार बेघर लोगों के आंकड़े तथा 12 महानगरों की कुल आबादी से इसकी प्रतिशतता संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। बेघर लोगों के संबंध में 1991 का जनगणना विवरण महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा अभी संकलित नहीं की गई है।

(ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों में से तैयार तथा कार्यान्वित की जाती है। राज्यों में आवास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार हुडको, एल आई सी/जी आइ सी से संस्थागत ऋण तथा राष्ट्रीय आवास बैंक आदि से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिये भी स्वतंत्र है। हुडको द्वारा स्वीकृत किये गये लगभग 90% रिहायशी एकक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के लिये है।

इसके अतिरिक्त, पटरी वासियों के लाभार्थ केन्द्र सरकार रैन बसेरों तथा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण की एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत ऐसे महानगरों तथा अन्य शहरी क्षेत्रों, जहां बेघर लोगों की समस्या अधिक विकट है, रैन बसेरों और स्वच्छता सुविधाओं के निर्माणार्थ निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप हुडको के माध्यम से स्थानीय निकायों अथवा अन्य निर्दिष्ट अभिकरणों को 1000/- रुपये प्रति लाभानुग्राही की दर से केन्द्रीय आर्थिक सहायता रिलीज़ की जा सकती है।

विवरण

क्र०सं०	महानगर का नाम	बेघर आबादी (1.3.1981 की स्थिति के अनुसार)	कुल आबादी से प्रतिशतता
1	2	3	4
1.	हैदराबाद	6640	0.26
2.	अहमदाबाद	2970	0.12
3.	बंगलौर	12405	0.42
4.	बम्बई	50185	0.61
5.	नागपुर	2885	0.22
6.	पूणे	3514	0.21

1	2	3	4
7.	जयपुर	2320	0.23
8.	मद्रास	7525	0.18
9.	कानपुर	465	0.03
10.	लखनऊ	1450	0.14
11.	कलकत्ता	48440	0.53
12.	दिल्ली	26772	0.47
	योग:—	165571	0.39

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल में कैदियों की मृत्यु

291. **श्री मुमताज अंसारी:**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1992 के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में कितने कैदी मरे;

(ख) इन मृत्युओं के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की मृत्यु न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जून, 1992 के दौरान तिहाड़ जेल में 6 कैदियों की मृत्यु हुई।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दो कैदी संदिग्ध रूप से आंत्रशोथ से, दो तपेदिक से, एक कैंसर से और एक अत्यधिक ज्वर से कथित रूप से मर गए। फिर भी, मौत का कारण निश्चित करने के लिए एस०डी०एम० द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध आंत्र-शोथ की दो मौतों की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिल्ली प्रशासन द्वारा दिए गए हैं।

(घ) इस मामले में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. पीने और खाना पकाने के लिए पानी की आपूर्ति का प्रबंध दि०न०नि० के पानी के टैंकरों से किया गया है।
2. सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।
3. फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर जैसे संक्रमण नाशकों का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।
4. कैदियों को क्लोरीन की गोलियों की आपूर्ति की जा रही है।

[अनुवाद]

मद्रास तेल शोधक कारखाने का विस्तार

29८. **श्री के० मुरलीधरन:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) और (ख) अपनी शोधन क्षमता को 5.6 मि०मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 6.5 मि०मी० टन प्रतिवर्ष करने के लिए फिलहाल मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड (एम आर एल) करीब 38.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। इसके दिसम्बर, 1992 तक पूरा हो जाने की आशा है। हाल ही में, एम आर एल ने अपनी क्षमता को 3 मि०मी० टन प्रतिवर्ष से आगे बढ़ाने के लिए एक अन्य परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्धारित मानदंड

293. **श्री गुमानमल लोढा:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ख) 1991 की जनगणना के अनुसार देश में मणिपुरी, नेपाली कोंकणी तथा राजस्थानी भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) आठवीं अनुसूची में और भाषाएं शामिल करने के लिए संविधान में कोई मानदण्ड नहीं दिए गए हैं।

(ख) 1991 की जनगणना के भाषा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

294. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र में महाराष्ट्र में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चलाये गये हैं तथा वे कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार को महाराष्ट्र में और अधिक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) महाराष्ट्र कृषि एवं उर्वरक निगम बम्बई, पुणे, सतारा और नानडेड स्थानों पर चार फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट एवं बोरीवली, बम्बई में एक सूअर प्रसंस्करण यूनिट चलाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र कृषि उद्योग निगम के बम्बई में एक और नागपुर में 2 कुल 3 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट हैं। महाराष्ट्र सरकार के अकोला, मिराज, अमरावती और उदगीर स्थित 4 दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट हैं। मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड भी बम्बई में ब्रेड निर्माता यूनिट को चलाता है।

(ख) से (घ) महाराष्ट्र में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने के लिये दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उन्हें मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए नियत धनराशि

295. **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से शहरों को शामिल किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं।

(ख) यह सूचित किया जाता है कि आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के परिव्यय के अधीन प्रमुख कस्बों गाजियाबाद-लोनी, नौएडा, मेरठ, हापुड़, बुलन्दशहर, खुर्जा को शामिल किये जाने की सम्भावना है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

296. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1991-92 के दौरान एकक-वार विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा लाई गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) ब्यौरा निम्नलिखित है.—

(आंकड़े टी एम टी में)

उत्पाद	रिफाइनरियां	फ्रैक्शनेटर	कुल
एल० पी० जी०	1204	1234	2438
एम एस	3554	—	3554
नैफ्था/एन० जी० एल	4697	873	5570
ए टी एफ	1538	—	1538
एस० के० ओ०	5342	—	5342
एच० एस० डी०	17404	—	17404
एल० डी० ओ०	1482	—	1482

प्रभाग	रिफाइनरियां	फ्रैक्शनेटर	कुल
एफ० ओ० / एल०एस०एच०एस	9637	—	9637
अन्य	3484	—	3484
जोड़:	48342	2107	50449

टी० एम० टी० - हजार मीट्रिक टन
उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 11.3 एम एम एस सी एम डी संबद्ध गैस का दहन किया गया।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान मद्रास रिफाइनरी की स्थापित क्षमता को 5.6 एम एम टी से बढ़ाकर 6.5 एम एम टी और गुवाहटी की क्षमता को 0.85 एम एम टी से बढ़ाकर 1.0 एम एम टी किया जा रहा है।

एम एम टी - मिलियन मीट्रिक टन

[अनुवाद]

केरल में ईंट निर्माण परियोजना

297. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको का विचार केरल में ईंट निर्माण परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां पर और इन नए एककों की लागत कितनी आने का अनुमान है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) हुडको ईंट निर्माण एककों की स्थापना नहीं कर रहा है। तथापि प्रवातुपरम्बा, कोजीकोड़ा, तालुक केरल में ईंट निर्माण एकक की स्थापना के लिए इसने 1.50 लाख रुपये के आवधिक ऋण सहायता स्वीकृत की है।

पवित्र नगरों की घोषणा

298. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसी राज्य सरकार/नगर निगम अथवा संगठनों से किसी नगर को "पवित्र नगर" घोषित किये जाने के बारे में कोई सुझाव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान किसी नगर को "पवित्र नगर" घोषित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का सरकार का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ङ) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिए जाएंगे।

कृषि वस्तुओं के लाभकारी मूल्य

299. **श्री धर्मण्णा मोल्डय्या सादुल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के किसानों ने मई, 1992 के दूसरे सप्ताह में बोट क्लब, दिल्ली में धरना दिया था जिसमें काली मिर्च, कोको, अदरक, काफी, नारियल और रबड़ आदि के लाभकारी मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी शिकायतों के निवारण के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) उपर्युक्त विषय पर मंत्रालय में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, प्रैस की रिपोर्टों के अनुसार केरल के किसानों ने उत्पादन लागत और जीवन-निर्वाह लागत पर आधारित राज्य के सभी कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों पर एक नीति तैयार करने संबंधी अपनी मांग पर बल देने के लिए 11 मई, 1992 को धरना दिया था।

(ग) सरकार, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कोपरा सहित सभी प्रमुख फसलों के लिए समर्थन मूल्य पहले से ही निर्धारित कर रही है। इसके अतिरिक्त, फसलों मुख्यतः शीघ्र खराब होने वाली एवं स्थानिक फसलों की खेती में लगे किसानों के हितों की रक्षा सम्बन्धित राज्य सरकारों के विशेष अनुरोध पर मण्डी हस्तक्षेप योजना के माध्यम से की जा रही है।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस

300. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनका पता तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और प्राकृतिक गैस की खुदाई और खोज का काम आरंभ करने के लिए लगाया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ऊपरी असम घाटी, धनसीरी घाटी और असम राज्य के और कछार, नागालैंड राज्य की नागा स्युधेन पट्टी, मेघालय के खासीमारा, मिजोरम के रेंगटे, पश्चिमी और पूर्वी त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र और बिहार के उत्तरी/पूर्वी भाग में तेल एवं गैस के अन्वेषण कार्य में सक्रियता से कार्य कर रहा है।

(ख) अभी तक असम राज्य में तेल एवं गैस की 15 खोजें, त्रिपुरा में गैस की 5 खोजें और नागालैंड मे तेल एवं गैस की एक खोज की गई है। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी बंगाल में तेल एवं गैस प्राप्त होने के संकेत मिलने की रिपोर्ट है।

शुष्क भूमि में खेती

301. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री अर्जुन सिंह यादव:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी शुष्क भूमि खेती परियोजनाएं शुरू की गई;

(ख) इन परियोजनाओं की उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) शुष्क भू-क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) गत वर्ष उत्तर प्रदेश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना और हिमालियन पनधारा विकास परियोजना क्रियान्वित की गई थीं।

(ख) इन परियोजनाओं के तहत हुई उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण-1 और 2 पर संलग्न है।

(ग) बारानी क्षेत्रों में समेकित कृषि प्रणालियों, जिनमें बारानी क्षेत्रों में कृषि, पशु पालन, कृषि वानिकी, बारानी बागवानी, घरेलू बगीचे, घरेलू उत्पादन प्रणालियां आदि शामिल हैं, का स्थायी विकास करके बायोमास के सकल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण-1

वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम संख्या	मद	उपलब्धियां
1.	नर्सरियों की स्थापना—संयुक्त	187 संख्या में
2.	प्रशिक्षण—मित्र किसान गोपाल	4062 संख्या में
		180 संख्या में
3.	कृषि वानिकी	1192325 पौधे
4.	बारानी बागवानी	799650 पौध
5.	आवास-भूमि बगीचे, किचन गार्डन्स और बेकयार्ड बागवानी	91562 संख्या में
6.	घरेलू उत्पादन प्रणाली	64 संख्या में
7.	वानस्पतिक/फिस्टर स्ट्रिप	289840 रनिंग मीटर
8.	लिव फेंसिंग	696060 रनिंग मीटर
9.	वानस्पतिक कन्टूर बांड	34581 हैक्टेयर
10.	बैंक स्थिरीकरण	691700 रनिंग मीटर
11.	लिव चैक्स	11154 संख्या में
12.	अलग-अलग शिलाखंडों के ढांचे	9863 संख्या में
13.	अपवाह प्रबंध संरचनाएं	1715 संख्या में
14.	पशुधन विकास	183400 संख्या में

क्रम संख्या	मद	उपलब्धियां
15.	चाय उत्पादन	36330 (परिवारों की सं०)
16.	फसल प्रदर्शन	126937 संख्या में

विवरण-2

हिमालयन पनधारा प्रबंध परियोजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	मद	इकाई	उपलब्धि (1988-89 से 1991-92 तक)
1.	खानिकी	हैक्टेयर	21714
2.	मृदा संरक्षण		
	(1) टैरेसिस में सुधार/मरम्मत	हैक्टेयर	3612
	(2) बूशवुड चेकडेम, क्रेटवायर डेम, ड्रोप स्ट्रक्चर	संख्या	21881
3.	बागवानी		
	(1) टाप वर्किंग,	हैक्टेयर	2529
	निजी फलोद्यानों की स्थापना,	हजार संख्या	397
	पुराने फलोद्यानों का नवीकरण	संख्या	3028
	(2) आवासी फलोद्यान		
	(3) उपकरण की आपूर्ति		
4.	कृषि		
	(1) फील्ड परीक्षण	संख्या	130552
	(2) बीज संवर्धन	संख्या	4562
	(3) बीज भंडार	संख्या	21
5.	पशुपालन		
	(1) चारागाह विकास	हैक्टेयर	2532
	(2) चारा मिनिकिटों का वितरण	संख्या	51910
	(3) उपस्करों की आपूर्ति	संख्या	11772

[अनुवाद]

दिल्ली में अफगानिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी

302. **श्री रवि राय:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अफगानिस्तानी नागरिक को 15 वर्षीय भारतीय "पत्नी" के साथ काबुल भाग निकलने से पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया था जैसा कि 20 जून, 1992 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) 19.6.1992 को एक अफगानी राष्ट्रिक ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई दिल्ली फलाइट नं० आई सी 451 के लिए अप्रवास क्लीयरेन्स लेने हेतु रिपोर्ट की। उसके पीछे बुर्का डाले हुए एक लड़की थी। लड़की ने सूचित किया कि उसने हाल ही में अफगानी राष्ट्रिक के साथ विवाह किया है, जब लड़की से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसको अफगान राष्ट्रिक के साथ शारीरिक रूप से मजबूर करके विवाह कराया गया और उसने अपनी आयु 15 वर्ष बतायी। उनसे यह भी बताया कि काबुल की उड़ान पकड़ने के लिए उसे कलकत्ता से दिल्ली लाया गया है। उनसे आगे बताया है कि वह न तो अफगान राष्ट्रिक के साथ विवाह करना चाहती है और न ही विदेश जाना चाहती है। उसके बयान पर भा०द०सं० की धारा 342/365/366/376 तथा 14 विदेशी नागरिक अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया तथा अफगान राष्ट्रिक को गिरफ्तार किया गया। चिकित्सा जांच से लड़की की आयु 18 वर्ष तथा 21 वर्ष के बीच आंकी गयी। लड़की को नारी निकेतन भेज दिया गया है।

पूर्व मंत्रियों पर बकाया धनराशि

303. **श्री चेतन पी० एस० चौहान:**
श्री बलराज पासी:

क्या **शहरी विकास** मंत्री 11 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच भूतपूर्व मंत्रियों पर लम्बित बकाया राशि की जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूतपूर्व मंत्रियों और भूतपूर्व सांसदों की किराया-देयता के निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है, उन्हें अनन्तिम बिल भेजने के उपाय किए जा रहे हैं।

झारखंड मामला

304. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्री साइमन मरांडी:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य बनाए जाने की, मांग के संबंध में वार्ताओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार संबंधित दलों के साथ इस मुद्दे पर एक बार और बातचीत करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर अपने सुझाव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) गृह मंत्री द्वारा इस मामले से संबंधित पिछली तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 4.4.92, 6.4.92 और 7.4.92 को ली गई थी। दिनांक 4.4.92 को बिहार के मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने बैठक में भाग नहीं लिया था परन्तु उन्होंने अपना दृष्टिकोण भेज दिया था। दिनांक 6.4.92 और 7.4.92 को क्रमशः बैठकें प्रमुख राजनीतिक दलों और बिहार के झारखंड समूहों के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। बैठक में व्यक्त किए गए विचारों को सरकार द्वारा नोट कर लिया गया है।

(घ) से (च) बिहार सरकार से झारखंड मामलों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है। उनके विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

एम०आई०जी० फ्लेटों का आवंटन

305. श्री नरेश कुमार बालियान:
डा० रमेश चन्द्र तोमर:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 के दौरान न्यू पैटर्न (हुडको) स्कीम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों को कितने एम०आई०जी० फ्लैट आवंटित किए गए;

(ख) एम०आई०जी० फ्लैटों के लिए पंजीकृत कितने लोगों को अभी फ्लैट आवंटित किये जाने हैं; और

(ग) कितने एम०आई०जी० फ्लेट निर्माणधीन हैं और 1992 के दौरान आवंटित किये जाने वाले हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): कैलेंडर वर्ष 1991 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 697 एम०आई०जी० फ्लैट्स आवंटित किए गए थे।

(ख) 01.07.1992 की स्थिति के अनुसार एम०आई०जी० श्रेणी के 22,280 पंजीकृत व्यक्ति आवंटन के निमित्त प्रतीक्षारत होने की सूचना है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आज की तारीख के अनुसार 3,488 एम०आई०जी० फ्लैट्स निर्माणधीन हैं। आवंटन हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान 1481 एम०आई०जी० फ्लेटों के पूर्ण होने की सम्भावना है।

पंजाब समस्या

306. श्री जन्नजीत यादव:
श्री राम विलास पासवान:
श्री शरद यादव:
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में पंजाब समस्या के समाधान का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर पंजाब सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी के लिए मेट्रो परियोजना

307. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:**
श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक फ्रेंच कंपनी के निर्माण, अधिकार, संचालन और स्थानान्तरण (बूट) योजना के अन्तर्गत "टर्नकी" के आधार पर राजधानी के लिए मेट्रो परियोजना शुरू करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी द्वारा सरकार के सम्मुख रखी गई शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस कार्य को इस विदेशी कंपनी को सौंपने का निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): दिल्ली के लिए प्रस्तावित मास रेपिड सिस्टम के वित्त पोषण की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से 13 दिसम्बर, 1991 को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें सौ से अधिक भारतीय और विदेशी फर्मों ने भाग लिया। कुछ फर्मों जिनमें एक फ्रांसिसी फर्म भी शामिल थी जिसने इस परियोजना को लेने में रुचि दिखाई। फर्म ने सूचित किया है कि निर्माण, अधिकार संचालन और स्थानान्तरण (बूट) आधार पर परियोजना को पूर्ण करने के प्रस्ताव पर उत्तर देने में उन्हें समय लगेगा। अभी तक फ्रांसिसी फर्म से कोई स्पष्ट उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उत्तर (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

308. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र का क्या-क्या प्रोत्साहन देने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) यद्यपि कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सरकारी/संयुक्त/सहायित/सहकारी सेक्टर में हैं परन्तु देश में अधिकांश खाद्य

प्रसंस्करण उद्योग प्राइवेट सेक्टर में हैं। नई औद्योगिक नीति के अधीन अनेक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया है। बीयर और पेय अल्कोहल तथा लघु सेक्टर में निर्माण के लिए पूर्णतया आरक्षित वस्तुओं को छोड़कर अधिकांश खाद्य उत्पादों को तैयार करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है बशर्ते वे स्थान संबंधी मानदण्डों को पूरा करते हों। विदेशी सहयोग के लिए 51% तक विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन की स्कीम घोषित कर दी गई है और विदेशी सहयोग एवं प्रौद्योगिक करार की प्रक्रियाओं को सरल कर दिया गया है। अनिवासी भारतीयों और विदेशी कारपोरेट निकायों विशेषकर अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व वाले निकायों को इन उद्योगों में इक्विटी का 100% तक पूंजी निवेश करने की अनुमति दी गई है। अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे कुछ खाद्य उत्पादों, ग्लास कन्टेनरों आदि के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त करने/या उसमें कटौती करने और संयंत्र तथा मशीनरी एवं परियोजना आयात के लिए सीमा शुल्क में कटौती की सुविधाओं का लाभ सभी प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों सहित सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन

309. **श्री छेदी पासवान:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) सरकार इनके क्रियान्वयन के लिए क्या प्रयास कर रही है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की मुख्य सिफारिशें, आयोग को संविधिक दर्जा देने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने, दंगे के अपराधियों के शीघ्र परीक्षण और पीड़ितों के पुनर्वास, शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों की मान्यता, भर्ती में अल्पसंख्यकों के न्याय संगत एवं समुचित प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में और अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा अल्पसंख्यकों को बैंक ऋणों के और अधिक प्रवाह, से संबंधित हैं।

(ख) आयोग द्वारा 13 वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं जिनमें से 10 सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन सहित पहले ही संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

[अनुवाद]

मंगोलपुरी, दिल्ली में अनुसूचित जातियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार

310. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री रूप चन्द पाल:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को "सोसाइटी आफ डिप्रेस्ड पीपल फार सोशल जस्टिस" से मंगोलपुरी, दिल्ली में अनुसूचित जाति परिवारों पर पुलिस अत्याचार के संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, हां। दि सोसाइटी ऑफ डिप्रेस्ड पीपल फॉर सोशल जस्टिस दिल्ली, ने मंगोलपुरी, दिल्ली-83 के श्री किशन लाल बेरवा की लड़की की कथित हत्या के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन से इस मामले के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है, जो प्रतीक्षित है।

केरल में मछुआरा कल्याण समितियों के लिये केंद्रीय सहायता

311. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में 1990-91 और 1991-92 के दौरान मछुआरा कल्याण समितियों को कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ख) यह सहायता किन शर्तों पर दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) मछुआरा समितियों को सीधे कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों—"मछुआरा राष्ट्रीय कल्याण कोष", "सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना" तथा "बचत एवं राहत," के अंतर्गत केरल सरकार को वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नानुसार है:—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	राष्ट्रीय कल्याण कोष	सामूहिक दुर्घटना बीमा	बचत एवं राहत
1990-91	19.24	6.45	—
1991-92	35.00	8.74	180.00

(ख) केन्द्रीय सहायता को लागू करने वाली मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:—

(1) **मछुआरा राष्ट्रीय कल्याण कोष:**

(क) प्रत्येक मॉडल मछुआरा गांव में 10 से 100 घर होंगे।

(ख) प्रत्येक 20 घरों के लिए पीने के पानी का एक नलकूप होगा। गांव में केवल 10 घर होने की स्थिति में वहां एक नलकूप होगा।

(ग) 75 घरों वाला मॉडल गांव एक सामुदायिक हाल/वर्कशेड का हकदार होगा।

(घ) प्रत्येक मकान की अधिकतम सीमा 35 वर्ग मीटर होगी तथा उसके निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा 35,000 रुपये होगी।

(2) **सामूहिक दुर्घटना बीमा स्कीम:**

सक्रिय मछुआरों का, जो मछुआरा सहकारी समितियों अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याण संगठनों के सदस्य हैं, एक वर्ष के लिए मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के लिए 21,000/- रुपये तथा आंशिक अपंगता के लिए 10,500/-रुपये का बीमा किया जाएगा। मछुआरों के जीवन बीमा का वार्षिक प्रीमियम 10.84 रुपये प्रति व्यक्ति होगा, जो 50:50 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य द्वारा दिया जाएगा।

(3) **बचत एवं राहत:**

(क) यह योजना समुद्री मछुवारों के लिए केवल समुद्रवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जाएगी।

(ख) समुद्री मछुवारों से, जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं, एक वर्ष में 8 मत्स्यन महीनों के लिए 45/-रुपये प्रति माह वसूल किए जायेंगे इस प्रकार वसूल किए गए कुल 360/-रुपये में इतने ही रुपये राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे। इस प्रकार एकत्र किए गए 1080/-रुपये तथा उसका ब्याज कमी के चार महीनों में लगभग 270 रुपये प्रतिमाह की दर से लाभनुभोगियों को वितरित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

उड़ीसा में रसोई गैस (एल०पी०जी०) की कमी

312. **श्री श्रीकांत जेना:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में रसोई गैस (एल०पी०जी०) की भारी कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) राज्य में गैस सिलेंडर उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) यद्यपि तेल कंपनियां उड़ीसा में एल०पी०जी० की जरूरत को लगातार पूरी कर रही हैं तथापि हड़ताल, उपयुक्त परिवहन के उपलब्ध न होने आदि के कारण कुछ क्षेत्रों में कभी-कभार बकाया हो सकता है।

[अनुवाद]

सिक्किम में अदरक का तेल निकालने का उद्योग

313. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम में बड़ी मात्रा में अदरक की खेती और उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को सिक्किम सरकार की ओर से अदरक का तेल निकालने तथा उससे जुड़े अन्य उत्पादों, जिनकी विदेशों में बड़ी मांग है, के लिए कोई उद्योग लगाने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी, हां

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यू पेटर्न हुडको स्कीम, 1979 के अन्तर्गत फ्लेटों का निर्माण

314. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 के दौरान न्यू पेटर्न (हुडको) स्कीम, 1979 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया और आवंटितियों को उनका कब्जा दिया गया;

(ख) क्या फ्लेटों के निर्माण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों की तुलना में फ्लेट निर्माण की क्या स्थिति रही;

(ग) एम०आई०जी० श्रेणी के फ्लेटों का कम संख्या में निर्माण करने के क्या कारण हैं और ऐसे अधिक फ्लेटों का निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं;

(घ) क्या 1992 के लिए फ्लेटों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 1991-92 के दौरान न्यू पेटर्न स्कीम, 1979 के अन्तर्गत कुल 8,933 फ्लेट निर्मित किए गए थे। पिछले वर्षों के दौरान निर्मित किए गए फ्लेटों सहित इस अवधि के दौरान 10,255 फ्लेटों का कब्जा दिया गया था।

(ख) संगत वर्षों के लिए लक्ष्य/उपलब्धि के बारे में ब्यौरा इस प्रकार बनाये गए है:—

वर्ष	निर्माण का लक्ष्य	निर्मित फ्लेटों की संख्या
1988-89	16,792	14,840
1989-90	23,592	19,370
1990-91	8,723	7,221
1991-92	9,433	8,933

निर्माण में गिरावट के कारण इस प्रकार सूचित किए गए हैं:—

1. वाह्य विद्युतीकरण कार्य और कनेक्शन का विलम्ब से पूरा होना।

2. पानी और मल-निर्यास प्रणाली के विलम्ब से कनेक्शन।

3. आवश्यक भवन निर्माण सामग्रियों जैसे सीमेन्ट तथा इस्पात, सी०आई० पाईपों और जी०आई० पाइपों की कमी।

चालू वर्ष का कार्य योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग श्रेणी के लगभग 6,500 फ्लेटों की तुलना में मध्यम आय वर्ग के लगभग 9,500 फ्लेटों का निर्माण कार्य आरम्भ करने की आयोजना है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1992-93 में निम्नानुसार 8,424 फ्लेटों के निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य योजना तैयार की गई है:—

स्ववित्त पोषित योजना 2,000

मध्यम आय वर्ग	1,481
निम्न आय वर्ग	3,028
जनता/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1,835
स्टाफ क्वार्टर	80
	8,424

सरकारी आवासों का पारी-पूर्व आवंटन

316. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर आवास सुविधा आवंटित करने का है जो भूकम्प प्रभावित क्षेत्र गढ़वाल के स्थायी निवासी हैं और जिनके घर भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने आवेदन पत्र मिले हैं और उनमें कितनों को निपटा दिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाएं

317. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा में आने वाले राज्यों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड में मेरठ विकास प्राधिकरण से केवल एक योजना प्राप्त हुई है।

(ख) यह परियोजना वेदव्यास पुरी योजना के सड़क नैटवर्क तथा विद्युतीकरण से सम्बन्धित है।

(ग) परियोजनाएं, उपलब्ध निधियों की सीमा तक प्रारम्भ और निष्पादित की जायेंगी।

साम्प्रदायिक दंगे

318. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1922 के दौरान अब तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन दंगों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग हताहत हुए तथा कितनी सम्पत्ति की हानि हुई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष, 1992 में दिनांक 30 जून, 1992 तक के दौरान हुई बड़े साम्प्रदायिक दंगों की संख्या के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना तथा मारे गए एवं घायल व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:—

राज्य का नाम	बड़े साम्प्रदायिक दंगों की संख्या	व्यक्तियों की संख्या	
		मारे गए	घायल
गुजरात	1	6	24
उत्तर प्रदेश	2	18	40
कर्नाटक	1	11	64
केरल	1	2	44
बिहार	1	3	10
दिल्ली	1	4	58

लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में शामिल है और इसलिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए मारे गए/घायल लोगों के संबंध में और सम्पत्ति के नुकसान के आंकड़े, राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते है। समय-समय पर भी राज्य/संघ राज्य प्रशासन से अर्द्ध सैनिक बलों और अन्य महत्वपूर्ण सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है तो ऐसी सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) सरकार का मत है कि साम्प्रदायिक दंगे, उन समाज विरोधी और साम्प्रदायिक तत्वों का कार्य है जो साम्प्रदायिक शांति और सद्भावना को अस्त-व्यस्त करने के लिए विभिन्न घटकों और घटनाओं का सहारा लेते हैं।

ट्रैक्टर और पावर टिलर

319. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में उपयोग में लाए जा रहे ट्रैक्टरों तथा पावर टिलरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) छोटे तथा सीमान्त किसानों को उन्नत किस्म के कृषि औजार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे ट्रैक्टरों और पावर टिलर, थ्रैशर और हारवेस्टर इत्यादि की कीमतों को कम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) ट्रैक्टरों और शक्ति चालित जुताई के यंत्रों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत सरकार फसलोन्मुखी योजनायें क्रियान्वित करती रही है जिसमें बेहतर कृषि उपकरणों और हस्त-चालित औजारों के लिये राज-सहायता का घटक शामिल है।

(ग) से (ङ) सरकार फार्म मशीनरी के मूल्यों का नियंत्रण नहीं करती है।

विवरण

ट्रैक्टरों और शक्ति चालित जुताई के यंत्रों की राज्यवार संख्या का विवरण/पशुधन संगणना (1987) के आंकड़े

(सैकड़ों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शक्ति चालित जुताई के यंत्र	ट्रैक्टर
आंध्र प्रदेश	47	326
अरूणाचल प्रदेश	—	—
असम	7	7
बिहार	47	203
गुजरात	8	254
गोआ	1	1
हरियाणा	431	1028
हिमाचल प्रदेश	7	13
जम्मू और कश्मीर	—	14
कर्नाटक	151	336
केरल	17	19
मध्य प्रदेश	103	455
महाराष्ट्र	—	—
मणिपुर	3	2
मेघालय	—	—
मिजोरम	—	—
नागालैण्ड	—	—
उड़ीसा	5	14
पंजाब	—	—
राजस्थान	93	869
सिक्किम	—	—
तमिलनाडु	67	0
त्रिपुरा	—	—
उत्तर प्रदेश	170	2301

राज्य/संघ शासित प्रदेश	शक्ति चालित जुताई के यंत्र	ट्रैक्टर
पश्चिम बंगाल	338	51
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—
चण्डीगढ़	(ख)	1
दादर और नगर हवेली	—	(ख)
दिल्ली	4	35
लक्षद्वीप	—	—
पाण्डिचेरी	2	3

— : उपलब्ध नहीं।

(ख) : 50 से कम।

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में आगजनी और धमाके

320. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में 1990, 1991 और 1992 में अब तक आगजनी और धमाकों की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) उन घटनाओं में कितने लोग मारे गए और घायल हुए;

(ग) प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं को न होने देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): जम्मू और कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित सूचना भेजी है:—

(क) घटनाओं की संख्या	1990	1991	1992 (15 जून, 1992 तक)
(i) आगजनी	709	485	234
(ii) विस्फोट	1522	667	283

1	2	3	4
(ख) आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या	1990	1991	1992 (15 जून, 1992 तक)
(i) सिविलियन	461	382	266
(ii) सुरक्षा बल के कार्मिक	154	168	47

(ग) आतंकवादी हिंसा में मारे गए अथवा स्थायी/आंशिक रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता राशि के भुगतान करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने तारीख 10.7.90 के आदेश सं॰ 723-जी॰आ॰(जी॰ए॰डी) द्वारा मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं।

(घ) सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव तथा सीमा पर सतर्कता पहले ही बढ़ा दी है। आसूचना तंत्र को और गहन किया गया है।

[अनुवाद]

झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में आग लगने की दुर्घटनायें

321. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी कालोनियों में आग लगने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आग लगने की घटनाओं में जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने और आग लगने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मानव अधिकार आयोग

322. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानव अधिकार आयोग गठित करने के मुद्दे की जांच कर ली है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी प्रतिक्रियाएं भेज दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (घ) मानव अधिकार आयोग के गठन के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

[अनुवाद]

प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार

323. **श्री राम नरेश सिंह:** क्या **कल्याण** मंत्री प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के बारे में 26 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4411 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (ख) और (ग) से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	निर्मुक्त राशि	सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	सिविल सेवा परीक्षा के लिए अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या
	(रुपये लाख में)		
1987-88	51.31	528	44
1988-89	68.38	574	48
1989-90	62.76	562	46
योग	182.45	1664	138

अन्य परीक्षाओं से संबंधित सम्पूर्ण सूचना सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

गोवा में झींगा मछली पालन परियोजना

324. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में स्थित बैनौलिय में एक अद्वितीय झींगा मछली पालन परियोजना स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के अन्य भागों में स्थापित की जाने वाली ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत गोवा के बेनोलिय नामक स्थान पर 25 मिलियन पोस्ट लारवों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली एक श्रिम्प बीज हैचरी स्थापित की गई है।

(ग) उड़ीसा में चन्द्रभागा, आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका और कर्नाटक में कुमता नामक स्थानों पर तीन श्रिम्प बीज हैचरियां निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। पहली दो हैचरियों में से प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता 25 मिलियन झींगा बीज है, जबकि तीसरी हैचरी की क्षमता 10 मिलियन झींगा बीज है।

मीडिया कर्मचारियों को सुरक्षा

325. **डा० ए० के० पटेल:**
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:
श्री राम बदन:
डा० डी० वेंकटेश्वर राव:
डा० लमी नारायण पांडेय:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर और अन्य संवेदनशील राज्यों में मीडिया कर्मचारियों को और अधिक कड़ी सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उपाय किस सीमा तक सफल सिद्ध हुए हैं;

(घ) क्या इसी प्रकार की सुरक्षा पंजाब में केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को भी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (च) संचार माध्यमों की इकाईयों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में श्री एम० एल० मनचन्दा, स्टेशन इंजीनियर, आकाशवाणी पटियाला के अपहरण की घटना के बाद पंजाब के संचार माध्यमों के कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था की संवीक्षा की गई तथा राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

''इंडिया गेट'' के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा

326. **श्री मोहन सिंह (देवरिया):** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ''इंडिया गेट'' नई दिल्ली के निकट महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इसके कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) स्थल, जहां महात्मा

गांधी की प्रतिमा स्थापित की जानी है, का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। स्थापना हेतु स्थल का निर्णय होने के बाद ही स्थापना की संभावित तारीख का निर्णय लिया जा सकेगा।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

327. **श्री चित्त बसु:**
प्रो० राधिका रंजन प्रमाणिक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के इचापुर, नाडिया में ड्रिलिंग के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल की नदी-घाटियों में गैस और तेल के अस्तित्व के निश्चित संकेत मिले हैं;

(ख) इस कार्रवाई के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है और उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इचापुर से प्राप्त परिणामों के आधार पर पश्चिम बंगाल में अपनी गतिविधियों का और अधिक विस्तार करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): (क) पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के इचापुर कूप से गैस और कंडेन्सेट मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं।

(ख) दिनांक 31.3.1992 तक इस कूप पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 15.58 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

(ग) इचापुर-1 के कूप पर गैस होने का संकेत मिलने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग के लिए एक अन्वेषी स्थान इचापुर-2 दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा-विवाद

328. **प्रो० रीता वर्मा:**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:
श्री उदय वर्मन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों के सीमा-विवाद लम्बित पड़े हैं;

(ख) इन विवादों के समाधान में मुख्य अड़चनें क्या हैं; और

(ग) राज्यों के बीच सीमा विवादों को निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) निम्नलिखित अन्तर-राज्य सीमा विवाद लम्बित हैं:—

(1) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद; और

(2) पंजाब-हरियाणा सीमा-विवाद।

केन्द्र सरकार का यह विचार है कि इन विवादों को मुख्य रूप से संबंधित राज्यों द्वारा आपसी बातचीत तथा सद्भावना के साथ सुलझाया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

झूम खेती

329. श्री के० पी० सिंह देव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने झूम खेती के प्रभाव पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य झूम खेती से प्रभावित हैं;

(ग) क्या झूम खेती से खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो झूम खेती को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) झूम खेती की समस्या का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये कृतक दल ने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1983 में प्रस्तुत कर दी थी।

इस रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश राज्य में व्यापक रूप से तथा महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और सिक्किम में छुटपुट रूप से झूम खेती की जाती है।

(ग) झूम खेती, खेती की एक जनजातीय विधि है जिसे मुख्यतया पर्वतीय ढलानों में जनजातीय आबादी द्वारा अपनाया जा रहा है और आजकल इसके कारण कम पैदावार हो रही है और मृदा अपरदन हो रहा है।

(घ) 146 लाख रुपए के कुल परिव्यय से 1300 परिवारों को बसाने के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से झूम खेती पर नियंत्रण के लिये एक मार्गदर्शी परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। इससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में राज्य प्लान के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 1987-88 के दौरान झूम खेती पर नियंत्रण की योजना शुरू की गई थी। 75 करोड़ रुपए के परिव्यय से 25000 परिवारों को बसाने के लक्ष्य के मुकाबले 26,532 परिवारों को बसाने के लिये अभिज्ञात किया गया और यह योजना 1990-91 तक जारी रही। अब यह योजना 8वीं योजना से राज्यों को अंतरित कर दी गई है।

पैदल-पथों पर अतिक्रमण

330. श्री प्रवीण डेका: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पैदल चलने वालों के लिए पैदल पथों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार को आयोग की सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने सिफारिश की कि ऐसी भूमि, जो मार्गाधिकार का भाग हो, पर अनधिवासिता समान्यतः अतिक्रमण से मुक्त होनी चाहिए।

जहां संभव हो, सार्वजनिक भूमि पर अनधिवासिता को नियमित किया जाये किन्तु, सार्वजनिक और सामाजिक प्रयोजनार्थ अपेक्षित भूमि की सुरक्षा की जानी चाहिए और पारिस्थितिकीय संवेदनशील भूमि से अनधिवासियों का चयनात्मक पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण का निजीकरण

331. **श्री जीवन शर्मा**: क्या **शहरी विकास** मंत्री 19 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3363 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच सी० बी० आई० की जांचें पूरी हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण से भ्रष्टाचार दूर करने और इसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार का विचार उसका निजीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड का पुनर्गठन

332. **श्री साईमन मरान्डी**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1990 से आज की तिथि तक तेल चयन बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल चयन बोर्ड के सदस्यों को उपर्युक्त अवधि के दौरान किस-किस तिथि को बदला गया है; और

(ग) वर्तमान तेल चयन बोर्ड का गठन कब तक किये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) 25 जनवरी, 1991 तक प्रत्येक तेल चयन बोर्ड में उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एक अवकाश-प्राप्त वरिष्ठ सिविल सर्वेन्ट और ख्यातिप्राप्त नेता थे।

तेल चयन बोर्ड के पुनर्गठन पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

भूख से हुई मौतें

333. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से भूख से कितनी मौतें होने की रिपोर्ट मिली है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने पर्याप्त राहत कार्य करने तथा देश में भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) वर्तमान वर्ष के दौरान किसी राज्य सरकार/संघीय क्षेत्र प्रशासन से भुखमरी से मृत्यु होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) राज्य सरकारें सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही हैं जिनमें रोजगार पैदा करने, पीने का पानी तथा चारे की व्यवस्था करने तथा नाजुक क्षेत्रों में अनिवार्य जिंसों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।

दिल्ली में बहुओं को जलाये जाने के मामले

334. **श्री कड़िया मुंडा:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में बहुओं को जलाये जाने के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इस संबंध में कितने पतियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है;

(ग) क्या केवल महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए दिल्ली पुलिस में एक महिला अपराध शाखा गठित की गई है;

(घ) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि गंभीर आरोपों के बावजूद महिला अपराध शाखा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है; और

(ड़) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) और(ख) 1989, 1990, 1991 तथा 1992 (30.6.92 तक) बहुओं को जलाए जाने के सूचित किए

गए मामलों की संख्या और उन पतियों की संख्या, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, नीचे दी गई है:-

वर्ष	सूचित किए गए मामले	उन पतियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
1989	312	79
1990	262	97
1991	353	95
1992 (30.6.92 तक)	122	41

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ)और(ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वे शिकायतें जिनमें संज्ञेय अपराध बताए जाते हैं, संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाती है। जब कभी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में स्वापक औषधों का अवैध व्यापार

335. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां स्वापक औषधों का अवैध व्यापार फलफूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में सक्रिय स्वापक औषधों के अवैध व्यापारियों के स्वापक औषधों की खरीद के स्रोत क्या हैं; और

(घ) दिल्ली में अवैध स्वापक औषध व्यापार को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) और (ख) स्वापक औषध सेवन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान हैरोईन/स्मैक/अफीम के स्रोत/चैनल हैं। इसी प्रकार चरस के स्रोत पाकिस्तान और नेपाल हैं। हाल ही में यह नोट किया गया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अनुज्ञापित क्षेत्रों से हटकर स्वापक औषधों की प्राप्ति हो रही है।

(घ) सरकार ने राजधानी में स्वापक औषध के अवैध व्यापार की स्थिति का मुकाबला करने के लिए विभिन्न विधायी, प्रशासनिक और निवारक उपाय किए हैं। मादक द्रव्य और मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985 को, इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए पारित किया गया है। स्वापक औषध के आदी व्यापारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाता है। स्वापक औषध व्यापारियों पर लगातार नजर रखी जाती है। जनता को समाचार माध्यम, पोस्टरों और होर्डिंग्स, सिनेमा में स्लाइडों द्वारा, स्वापक औषध विरोधी लघु नाटकों

के मंचन आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। नशे की आदत छुड़ाने के कैम्प जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

दिल्ली के प्रोजेक्ट टारगेट एरिया अथवा व्यापक औषध से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र

क्र० सं०	टारगेट एरिया	पुलिस थाना	पुलिस जिला
1.	पुराना शहर	चांदनी महल	केन्द्रीय
2.	पुराना शहर	कमला मार्किट	केन्द्रीय
3.	यमुना पुस्ता	कोतवाली	उत्तर
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	मौरिस नगर	उत्तर
5.	मंगोलपुरी	मंगोलपुरी	उत्तर पश्चिम
6.	सागर पुर	डाबरी	दक्षिण पश्चिम
7.	प्रसाद नगर	प्रसाद नगर	केन्द्रीय
8.	जे०जे० कालोनी, नांगलोई	नांगलोई	पश्चिम
9.	इन्द्र पुरी	इन्द्र पुरी	दक्षिण पश्चिम
10.	जे०जे० कालोनी, जल विहार	लाजपत नगर	दक्षिण
11.	आनन्द पर्वत	आनन्द पर्वत	पश्चिम
12.	माया पुरी	माया पुरी	दक्षिण पश्चिम
13.	भजनपुरा, जे०जे० कालोनी	भजनपुरा	उत्तर-पूर्व
14.	नन्द नगरी	नन्द नगरी	उत्तर-पूर्व
15.	न्यू सीलमपुर	सीलमपुर	उत्तर-पूर्व
16.	अंधा मुगल	प्रताप नगर	उत्तर
17.	जे०एन०यू० कैम्पस	वसंत विहार	दक्षिण पश्चिम
18.	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	दक्षिण
19.	माता रामेश्वरी नेहरू नगर	प्रसाद नगर	केन्द्रीय
20.	जे०जे० कालोनी, यमुना पुस्ता आई०टी०ओ० पुल	आई०पी० ईस्टेट	केन्द्रीय
21.	विवेक विहार	विवेक विहार	पूर्व
22.	कल्याणपुरी	कल्याणपुरी	पूर्व
23.	त्रिलोकपुरी	त्रिलोकपुरी	पूर्व
24.	कनाट प्लेस	कनाट प्लेस	नई दिल्ली
25.	झुग्गी/काली बाड़ी मंदिर	मंदिर मार्ग	नई दिल्ली
26.	नरेला/बवाना	नरेला	उत्तर पश्चिम

आतंकवादी गतिविधियों का जम्मू तक विस्तार

336. **श्री गुरूदास कामत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीरी आतंकवादी अपनी गतिविधियों का रुख तेजी से जम्मू क्षेत्र की ओर कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जम्मू क्षेत्र की ओर बढ़ते आतंकवाद को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से(ग) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि जम्मू क्षेत्र में विशेष रूप से दोदा जिले में कुछ आंतकवादी गतिविधियां सूचित की गयी हैं। राज्य प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है और वहां विघटनकारी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय कर रहा है।

दिल्ली में बहु-मंजिली इमारतों में आग

337. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री विजय एन० पाटील:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992 के दौरान दिल्ली में कितनी बहु-मंजिली इमारतों में आग लगी;

(ख) इनमें जान माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) दिल्ली में कितनी बहु-मंजिली इमारतों में अभी तक भी अग्नि सुरक्षा के उपाय नहीं हैं; और

(घ) इमारतों के मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) 37 ।

(ख) दिल्ली अग्नि शमन कार्यालय ने सूचित किया है कि इन घटनाओं में जान की कोई क्षति नहीं हुई। लगभग 18.7 लाख रु० की सम्पत्ति की हानि आंकी गयी है।

(ग) 142 ।

(घ) दिल्ली में 142 भवनों के स्वामियों को दिल्ली अग्नि निवारक और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए हैं। इन भवनों में न्यूनतम अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30.6.92 तक समय बढ़ोतरी दी गयी थी।

उड़ीसा में शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

338. **श्रीमती फ्रिडा तोपनो:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में शहरों का विकास करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन शहरों का विकास करने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा सरकार के उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के आधार पर 22 नगरों में स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं तथा 1979-80 से मार्च, 1992 तक 710.75 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई। चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए उड़ीसा सरकार ने छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास की योजना के अंतर्गत शामिल करने के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में सात नगरों की एक सूची प्रस्तुत की है।

(1. जयपुर, 2. बसुदेवपुर, 3. अटहागढ़, 4. झरसुगुंडा, 5. भंजानगर, 6. टिटिलागढ़, 7. उमेरकोटो)

छोटे और मध्यम दर्जे के नगरों के समन्वित विकास की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव प्रचलित मार्ग निदेशों के अनुसार समय-समय पर अनुमोदित किए जाते हैं।

गैर-सरकारी क्षेत्र में खाद्य, प्रसंस्करण उद्योग

339. **श्री एम० रमन्ना राय:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों को गैर-सरकारी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की अनुमति देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) क्या किसी विदेशी कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और गहन समुद्री मात्स्यिकी के 29 संयुक्त उद्यमों में विदेशी कम्पनियों को इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी गई।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि

340. **कुमारी उमा भारती:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अधिकांश शहरों में फलों और सब्जियों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इनके मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उनके मूल्यों को कम करने के लिए क्या परयास किये जा रहे हैं;

(घ) या सरकार का विचार इन मदों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने का है;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) हाल के महीनों में पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में कुछ सब्जियों और फलों के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(ख) यदि वृद्धि अर्थव्यवस्था में सामान्यतया अवमूल्यन की प्रवृत्तियों के कारण है। इसके अलावा, ट्रक चालकों के हाल के हड़ताल से भी स्थिति बिगड़ गई है।

(ग) सब्जियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना कार्यान्वित करती रही है। उष्ण कटिबंधीय और शुष्क अंचलीय फलों के समेकित विकास के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की एक अन्य योजना भी देश में फलों के उत्पादन के लिये क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ड़) प्रश्न नहीं होता।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा केन्द्रों का उपयोग करके वितरण के लिये अतिरिक्त मदों को शामिल करने का कार्य ऐसी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, जो इसके क्रियात्मक पहलुओं से मुख्यतया सम्बद्ध हैं।

केले का उत्पादन

341. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान केले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) पिछले वर्ष कितनी मात्रा में केले का निर्यात किया गया;

(ग) क्या निर्यात के कारण देश में केले की कमी हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में केले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) 1990-91 के दौरान केले का कुल उत्पादन 67.343 लाख मीटरी टन था।

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान केले का क्रमशः 290.2 और 267.6 मीटरीटन निर्यात किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

रसोई गैस कनेक्शन

342. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक रसोई गैस कनेक्शन प्रतिक्षा सूची में राज्यवार लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1992-93 के दौरान उनमें से कितने लोगों को रसोई गैस स्वीकृत करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द): (क) दिनांक 1.4.1992 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) आज तक 5 लाख नये कनेक्शन जारी करना प्रस्तावित है। तथापि उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त आपूर्तियों पर विचार किया जा सकेगा।

विवरण

राज्यवार प्रतिक्षा सूची 1.4.92 के अनुसार

राज्य	कुल (लाख में)
आन्ध्र प्रदेश	4.81
अरुणाचल प्रदेश	0.11
असम	1.23
बिहार	1.83
गोआ	0.54
गुजरात	6.08
हरियाणा	2.65
हिमाचल प्रदेश	0.50
जम्मू और कश्मीर	0.56
कर्नाटक	3.55
केरल	2.86
मध्य प्रदेश	3.81
महाराष्ट्र	14.34

राज्य	कुल (लाख में)
मणिपुर	0.20
मेघालय	0.07
मिजोरम	0.06
नागालैण्ड	0.12
उड़ीसा	0.73
पंजाब	4.28
राजस्थान	6.36
सिक्किम	0.03
तमिलनाडु	8.27
त्रिपुरा	0.21
उत्तर प्रदेश	10.39
पश्चिम बंगाल	6.95
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	0.05
चंडीगढ़	0.68
दादरा और नागर हवेली	0.01
दिल्ली	6.12
दमन	0.02
लक्ष्यद्वीप	0.00
पांडिचेरी	0.23
सिलवासा	0.00
द्वियू	0.00
योग:	87.75

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान परियोजनाओं को अमरीकी सहायता

343. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा वित्त पोषित कृषि अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं में संयुक्त राज्य अमरीका का कितना अंशदान है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) महोदय, प्रायोजना के तहत जो अनुसंधान क्षेत्र आते हैं उनमें सोयाबीन, कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, भ्रूण हस्तांतरण, कृषि-वानिकी आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) विसतृत ब्यौरा से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

(घ) कृषि अनुसंधान प्रायोजना जो अप्रैल, 1984 में शुरू हुई थी उसे 30 जून, 1992 को समाप्त कर दिया गया है।

विवरण

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से चलाई जाने वाली कृषि अनुसंधान प्रायोजना/अमेरिका अनुदान/भारत सरकार की सहायता से चलाई जाने वाली विभिन्न उप-प्रायोजना/उनके कार्यकलाप नीचे दिए गये हैं:—

क्र०सं०	उप-प्रायोजना/पूर्व प्रायोजना	यू०एस० सहायता अंशदान	भारत सरकार अंशदान	कुल
1	2	3	4	5
1.	सोयाबीन संसाधन और उपयोग (एस०पी०यू०)	1,743,075	559,000	2,302,075
2.	फलों और सब्जियों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी (पी०एच०टी०एफ०वी०)	2,970,748	1,765,550	4,736,298
3.	प्रायोजना कार्यान्वयन यूनिट (पी०आई०यू०)	947,318	333,000	1,280,318
4.	पशुओं के बेकार बचे हुए जैविक ह्रास वाले पदार्थों में परिवर्तन करना।	1,104,441	1,443,000	2,547,441
5.	इन्ट्रा-सेल्यूर ब्लड प्रोटिस्टा (आई०बी०पी०)	1,315,485	1,052,000	2,367,485
6.	भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी (ई०टी०टी०)	1,141,070	1,072,000	2,213,070
7.	वानिकी संकाय प्रशिक्षण (एफ०एफ०टी०)	3,181,387	—	3,181,387
8.	पशु आनुवंशिकी अनुसंधान (पी०जी०आर०)**	200,000	—	200,000
9.	कृषि वानिकी अनुसंधान (ए०जी०एफ०ओ०आर०)	2,044,403	1,358,000	3,402,403
10.	कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी अनुसंधान (ए०जी०एम०ई०टी०)	1,554,985	538.500	2,093,485

1	2	3	4	5
11.	कृषि उपस्कर निर्माण प्रौद्योगिकी केर (एफ०ई० एम०टी०सी०)*	150,000	—	150,000
12.	खेतों में जल प्रबन्ध (ओ०एफ०डब्ल्यू०एम०)**	150,000	—	150,000
13.	संरक्षित खेती और पौध-घर (पी०सी०जी०एच०)**	150,000	—	150,000
14.	टिशू कल्चर (टी०सी०)**	150,000	—	150,000
15.	समेकित कीट प्रबन्ध (आई०पी०एम०)**	150,000	—	150,000
16.	पशु आनुवंशिकी संसाधन संरक्षण (ए०जी०आर०सी०)	150,000	—	150,000
17.	विनराक प्रबन्ध सहायता सेवाएं (एम०एस०एस०) संविदा	2,522,367	—	2,522,367
18.	मूल्यांकन	100,406	—	100,406
	कुल :	19,725,685	8,121,050	
	जो नियत नहीं किया गया है :	274,315	—	274,315
	कुल जोड़ :	20,000.000	8,121,050	28,121,050

*स्थानीय मुद्रा में डालर के समकक्ष।
**पूर्व-प्रायोजना क्रियाकलाप।

डी०डी०ए० फ्लैटों के आवंटन में कथित घोटाला

344. **डा० वसंत पवार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटरीकरण के बाद भी डी०डी०ए० फ्लैटों के आवंटन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ की जा रही है;

(ख) क्या डी०डी०ए० के मांग पत्र की पूरी अदायगी के बाद भी फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया जाता है;

(ग) क्या फ्लैट का कब्जा दिए जाने तक डी०डी०ए० को दी गई धनराशि पर आवंटितियों को ब्याज दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो किस दर पर और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं है।

(ख) निर्धारित अवधि के भीतर आवंटितियों द्वारा भुगतान करने और मांग पत्र के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी किया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्ववित्त पोषित योजना के अनुसार नियतन पत्र जारी होने की तारीख से 2-1/2 वर्ष से आगे निर्माण में यदि विलम्ब होता है तो जारी किए गए पांचवें और अन्तिम मांग पत्रों के जारी होने की तारीख तक निर्माण में विलम्ब के लिए एकमुश्त ब्याज दिया जाता है, प्रथम छः महीनों के लिए 7% वार्षिक और उसके पश्चात् 10% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है।

अन्य मामलों अर्थात् मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणियों में, जहां आवंटियों को फ्लैट का कब्जा सौंपने में अत्यधिक विलम्ब होता है या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजना को आस्थगित किया गया हो, 7% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड मत्स्यन कम्पनियों को विदेशी मुद्रा की आय

345. **श्री एम० वी० एस० मूर्ति:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चार्टर्ड मत्स्यन कम्पनियों को वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई;

(ख) गत तीन वर्षों से और इस समय भारतीय समुद्री क्षेत्र में चल रहे चार्टर्ड मत्स्यन जलपोतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई भारतीय चार्टर्ड मत्स्यन कम्पनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान चार्टर्ड इकरार, को पूरा नहीं किया है और वे अपनी जमा राशि खो बैठी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या चार्टर्ड मत्स्यन नीति में कोई परिवर्तन किए गए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) इस मंत्रालय में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 1989, 1990 और 1991 के कैलेन्डर वर्षों के दौरान भारतीय चार्टर्ड मात्स्यिकी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा की आमदनी के संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं:—

		(अमरीकी डालर में)
1989	—	1654119
1990	—	3747388
1991	—	1565410

(ख) इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भारतीय चार्टरिंग कम्पनी की जमाराशि जब्त नहीं की गई है, यद्यपि कुछ कम्पनियों ने चार्टर दायित्वों को पूरा नहीं किया है जलयानों का अधिग्रहण करने के अलावा गहन समुद्री मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यमों और विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को पट्टे पर लेने को चार्टर दायित्व पूरा करने के रूप में स्वीकार किया गया है।

विवरण

अनुलंग्नक

तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1990-1991 और 1992 (जून 1992) के दौरान चलाये गये चार्टर्ड मात्स्यिकी ट्रालरों की संख्या इस प्रकार है:—

	ट्रालरों की संख्या	कम्पनियों की संख्या
1990		
मार्च	77	39
जून	79	39
सितम्बर	104	48
दिसम्बर	69	33
1991		
मार्च	71	34
जून	67	35
सितम्बर	39	21
दिसम्बर	29	16
1992		
मार्च	7	6
जून	22	13

2. चार्टर के अधीन उपर्युक्त अवधि के दौरान चलाये गये जलयान पेअर ट्रालर्स, स्टर्न ट्रालर्स और टूना लांग लाइनर्स हैं। यह ट्रालर्स हान्डूरस, पनामा, कोरिया और इटली देशों के थे।

गुजरात को कच्चे तेल पर रायल्टी

346. **श्री हरिन पाठक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार ने कच्चे तेल पर किस दर से रायल्टी की मांग की है;

(ख) ईश्वरन समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) ईश्वरन समिति को प्रस्तुत ज्ञापन में गुजरात सरकार ने 1.4.1990 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए क्रूड तेल पर 730/- रुपये प्रति मी०टन पर रायल्टी के नियतन के लिए कहा है।

(ख) और (ग) समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सूरजमुखी की खेती

347. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सूरजमुखी का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में उत्पन्न कुल खाद्य तेल में से सूरजमुखी के तेल की प्रतिशतता तथा मात्रा का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान सूरजमुखी के (संभावित) उत्पादन का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान देश में कुल खाद्य तेल उत्पादन में सूरजमुखी के तेल के उत्पादन की मात्रा और प्रतिशतता का अंनतिम विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:—

("000" मीटरी टन में)

जिंस	1989-90	1990-91	1991-92 (अनंतिम)
सूरजमुखी का तेल	227	320	338
कुल खाद्य तेल	4566	4850	4979
कुल तेल उत्पादन में सूरजमुखी तेल के अंश की प्रतिशतता	4.97 प्रतिशत	6.60 प्रतिशत	6.79 प्रतिशत

विवरण

1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान सूरजमुखी के संभावित उत्पादन का राज्यवार विवरण

("000 मीटरी टन में)

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92 (संभावित)
आन्ध्र प्रदेश	64	131	122
हरियाणा	7	27	50
कर्नाटक	246	362	457
मध्य प्रदेश	11	18	45

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92 (संभावित)
महाराष्ट्र	258	303	119
पंजाब	25	23	120
तमिलनाडु	13	11	18
उत्तर प्रदेश	6	9	6
अन्य	1	5	3
अखिल भारतीय	31	889	940

[हिन्दी]

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा जासूसी

348. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या गृह मंत्री पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा जासूसी के बारे में 12 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2685 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) से (ग) के संबंध में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के संदिग्ध जासूसी कार्यों में अन्तर्ग्रस्त होने के 6 मामले ध्यान में आए हैं। जासूसी कार्यों में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923, भा० दं० सं० आदि के तहत व्यक्तियों से विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किराया कानून संबंधी विधेयक

349. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न महानगरों के लिए मॉडल किराया नियंत्रण कानून से संबंधित एक विधेयक पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराया नियंत्रण कानून के अभाव में दिल्ली, मुम्बई और अन्य महानगरों में खाली पड़े आवासीय मकानों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) आदर्श किराया नियंत्रण विधेयक को इस सत्र में सभा पटल पर रखा जायेगा। इसका मुख्य उद्देश्य

मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों में संतुलन रखना, किरायेदारी आवास स्टाक का विस्तार, किराये के आवधिक आशोधन की अनुमति, अच्छे रख-रखाव को सुनिश्चित करना और विवादों पर शीघ्र अधिनिर्णय देना है।

(ग) और (घ) किराया नियंत्रण कानून के कारण दिल्ली, बम्बई और अन्य महानगरों में खाली पड़े रिहायशी एककों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

प्राथमिक सहकारी समितियां

350. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि साख पुनरीक्षा समिति ने सरकार को प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए उनके लिए व्यापार विकास योजनाएं बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और इस प्रकार ग्रामीण ऋण परदान करने की पद्धति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में व्यापार विकास आयोजन कार्यक्रम शुरू किया है।

केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन

351. **प्रो० के० वी० थामस:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1992 से अब तक केरल को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल आबंटित किया गया है;

(ख) राज्य को कितना तेल प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल वितरकों के कमीशन में वृद्धि करने हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जनवरी, 1992 से मई, 1992 के दौरान केरल राज्य को आबंटित और जारी किये गये मिट्टी के तेल का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(एम टी में)

महीना	आबंटित मात्रा	बिक्री
जनवरी, 1992	22084	21427
फरवरी, 1992	22084	22000
मार्च, 1992	22084	21954
अप्रैल, 1992	22084	21691
मई, 1992	22084	21867

(ग) जी, हां।

(घ) "तेल कीमत पुनरीक्षण समिति (ओ पी आर सी)" ने अपनी रिपोर्ट में अन्य मामलों के साथ-साथ एस०के०ओ० डिस्ट्रीब्यूटरों को शुरू करने के प्रश्न पर विचार किया है। तेल कीमत पुनरीक्षण समिति को रिपोर्ट पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

पशु पालन

352. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में पशु पालन के विकास के लिए नई योजनाएं लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी, हां। देश में पशुपालन के विकास के लिए, सरकार का 8वीं योजना अवधि के दौरान कुछ नई योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है, इसमें उड़ीसा राज्य भी शामिल है।

(ख) और (ग) एक विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	1992—97 के लिए प्रस्तावित परिव्यय
1.	राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	1975
2.	राष्ट्रीय मेड़ा/नर भेड़ उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास के लिए कार्यक्रम	1250
3.	भारवाही पशुओं का विकास	200
4.	समेकित सूअर पालन के विकास के लिए राज्यों को सहायता	1000
5.	पशुपालन विस्तार कार्यक्रम	1000
6.	केन्द्रीय पशु स्वास्थ्य निदेशालय	1975
7.	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	3475
8.	मांस उत्पादन के लिए केन्द्रीय समन्वयकारी एजेंसी	2525

कुम्हेर में दंगे

353. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री अन्बारासु इरा:
श्री पी० सी० थामस:
श्री राम विलास पासवान:
श्री बारे लाल जाटव:
श्री सुबासचन्द्र नायक:
श्री छेदी पासवान:
श्री शरद दिघे:
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव:
श्री हरि किशोर सिंह:
डा० सुधीर राय:
डा० शरद यादव:
श्री मोहन सिंह (देवरिया):
श्री रोशन लाल:
श्री एन० जे० राठवा:
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री जार्ज फर्नांडीज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राजस्थान के भरतपुर जिले में कुम्हेर शहर में हुए दंगे की घटनाओं की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की जानें गईं तथा कितनी सम्पत्ति का नुकसान हुआ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को दंगों को नियंत्रित करने में राजस्थान सरकार की ओर से चूक होने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकारों को कोई हिदायतें जारी की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के अनुरोध पर, कुम्हेर शहर के दंगों की घटनाओं की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है।

(ग) राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, मुख्यतः जाटवों को लगभग 80.32 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।

(घ) और (ङ) दंगों के बाद, कई प्रतिनिधि मंडलों ने कुम्हेर का दौरा किया तथा वहां के बारे में अपने सुझाव/विचार व्यक्त किए, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

(च) और (छ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की रोकथाम करने के लिए किए जाने वाले एहतियाती उपायों के बोर में सभी राज्य सरकार को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में नवीनतम अनुदेश 28 अप्रैल, 1992 को जारी किए गए हैं।

कच्चे तेल और पेटरोलियम उत्पादों का आयात

354. श्री चन्द्रजीत यादवः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ईरान के साथ 2 मिलियन टन कच्चा तेल आयात करने के संबंध में समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किए जाने का अनुमान है;

(ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद की शेष मात्र को कहां से आयात किया जाएगा;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों में उपयोग की अनुमानित विकास दर कितनी है; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित लागत कितनी है, और यह आयात, विदेशी मुद्रा में, पिछले वर्ष के आयात की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकारानन्द): (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1992-93 के दौरान 2.0 एम एम टी कच्चे तेल का आयात करने के लिए मैसर्स एन आई ओ सी, ईरान के साथ एक आवधिक करार किया है।

(ख) इस समय, सरकार ने 5.1 बिलियन अमेरिकी डालर की सीमा के अंदर 26.66 एम एम टी कच्चे तेल और 10.6 एम एम टी मिडिल डिस्टीलेटों और लगभग 1.32 एम एम टी अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को स्वीकृति दे दी है।

(ग) शेष मात्रा का आयात दोनों ही आवधिक करारों और स्थल खरीद के अधीन किया जाएगा।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत अनेक घटकों पर निर्भर करेगी जिसमें आर्थिक गतिविधि का स्तर, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता आदि शामिल है। चालू वर्ष के दौरान का आयात बिल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही कीमतों पर निर्भर करेगा।

लू के कारण हुई मौतें

355. **श्री नरेश कुमार बलियानः**
श्री महेश कनोडियाः
श्री बलराज पासीः
डा० रमेश चन्द्र तोमरः

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू वर्ष के दौरान लू से होने वाली मौतों की संख्या का देशवार/राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुलपल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शीतोषण फलों के लिए अनुसंधान केन्द्र

356. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी**: क्या इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में भरसार में शीतोषण जलवायु वाले फलों के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना कर दी गई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह कब तक स्थापित किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक केन्द्रीय शीतोषण बागवानी संस्थान की स्थापना की फैसला किया गया है। भरार के बदले उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में मुक्तेश्वर नामक स्थान में पहले ही इस संस्थान का एक क्षेत्रीय केन्द्र आरंभ किया जा चुका है।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

357. **श्री राम नरेश सिंह**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विदेशी कंपनियों को तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये स्थान स्वीकृत करने के लिये क्या शर्तें निधारित की हैं;

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिये विदेशी कंपनियां के साथ हुये समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा उक्त उवधि के दौरान पता लगाई गई तेल और प्राकृतिक गैस की अनुमानित मात्रा कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) बोली के चौथे दौर में परिकल्पित संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं होंगी। विशेष शर्तें और अनुबंध निम्नानुसार हैं:

(1) संविदा की अवधि 25 वर्ष होगी जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

(2) अन्वेषण अवधि अधिकतम 7 वर्ष की होगी जो तीन चरणों में विभाजित होगी जिसका कोई भी चरण 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) बोलीदाता प्रत्येक चरण में न्यूनतम कार्य के दायित्व की बोली देगा।

(4) कर पश्चात प्रतिप्राप्ति दर या वसूल किये गये निवेश के गुणकों से आबद्ध एक स्लाइडिंग स्केल पर आधारित लाभ तेल की हिस्सेदारी एक बोली देने योग्य मद है।

(5) संविदा क्षेत्र से कच्चे तेल खरीदने की कंपनी की हकदारी का भारत सरकार का पहला विकल्प होगा।

(6) कोई हस्ताक्षर या उत्पादन बोनस नहीं होगा।

(7) सरकार के अनुमोदन की शर्त पर सुपुर्दगी संभव है।

(8) कंपनियां सीमा शुल्क, रायल्टी या उपकर के भुगतान से मुक्त हैं।

(9) विदेशी कंपनियां 50% पर निगम आय कर, भारतीय कंपनियां निगम आय कर के वर्तमान दर के अध्यधीन होंगी।

(ख) शून्य।

(ग) शून्य।

[हिंदी]

तेल की खोज

358. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय कंपनियों को विशेष रूप से बाम्बे हाई में तेल की खोज की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के किन-किन स्थानों पर तेल की खोज की जा चुकी है; और

(घ) चालू वर्ष के लिये इस संबंध में बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बोली के चौथे दौर के अधीन बम्बई अपतटीय बेसिन में चार ब्लाकों को प्रस्तावित किया गया था।

(ख) जम्मू-कश्मीर, हिमाचाल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों से सटे हुये क्षेत्रों में तेल के अन्वेषण का कार्य हो चुका है/किया जा रहा है।

(घ) चालू वर्ष (1992-93) के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल के अन्वेषण और ड्रिलिंग के कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	
भू-कंपीय सर्वेक्षण	61034 एस एल के
ड्रिलिंग मीटर	1123.90 हजार मीटर
आयल इंडिया लिमिटेड	
भू-कंपीय सर्वेक्षण	द्विआयामी सर्वेक्षण के 4050 लाइन कि०मी० त्रिआयामी सर्वेक्षण के 100 वर्ग कि०मी०
ड्रिलिंग मीटर	146 हजार मीटर

[अनुवाद]

दिल्ली के लिये जल बोर्ड की स्थापना

359. **श्री मदनलाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिये स्वतंत्र बोर्ड की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना कब तक की जायेगी; और

(ग) क्या बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में होगा अथवा दिल्ली की प्रस्तावित विधान सभा के?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करना

360. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:**
श्री कमल चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में गत तीन महीनों के दौरान आतंकवादियों के कितने छिपने के स्थानों का पता लगाया गया है और कितने आतंकवादियों को मारा गया है;

(ख) वर्ष 1992 के दौरान अब तक राज्य में आतंकवादियों द्वारा कितने सुरक्षा कर्मियों और असैनिकों की हत्या की गई है;

(ग) राज्य में इस समय सक्रिय आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) विवरण 1 और 2 संलग्न है।

विवरण-1

कश्मीर घाटी में कार्यरत उग्रवादी/तोड़फोड़ करने वाले संगठनों की सूची

1. जम्मू व कश्मीर पीपुल्स लीग
   शबीर शाह दल
2. मुस्लिम जनबाज फोर्स
3. दुरुस्लम-ई इस्लाम
4. इस्लामिक छात्र लीग
5. मुस्लिम लिब्रेशन फ्रन्ट
6. पीपुल्स लीग
   फारुक रेहमानी दल
7. थेरिक-ई-जेहाद ईस्लामी
8. थेरिक-इमाजमत कश्मीर
9. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फ्रन्ट
10. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी फ्रन्ट
11. जम्मू व कश्मीर हरकत-उल मुहाजिदीन
12. मुस्लिम छात्र फेडरेशन
13. हिजबुल्लाह इस्लामिक जमहूरिया
14. जिया टाइगर्स
15. जर्ब-ई-कालिम
16. बिहात-उल-इस्लाम
17. मुजाहिद्दीन कश्मीर
19. जम्मू व कश्मीर ममात-ई-इस्लामी

20. हिजबुल मुजाहिद्दीन
21. हिजब-ई-इस्लामी
22. अल्लाह टाइगर्स
23. मुस्लिम यूनाइटेड गुरिल्ला
24. इस्लामी जमात-ई-तुलबा
25. इसवान-दल-मुसालमीन
26. यूथ मुजाहीद्दीन फ्रन्ट
27. दुखतास-ई-मिलात
28. इस्लामि तेदरीक तुल्बा
29. अलबादर
30. अल तयाफ
31. अल अनसर मुजाहीद्दीन
32. कर्मचारी फेडरेशन मूवमेंट
33. जे॰के॰एल॰एफ॰
34. मुस्लिम खवातीन मार्कज
35. जे के॰एस॰एल॰एफ॰
36. इस्लामिक छात्र लीग
37. ज॰क॰पीपुल्स कान्फ्रेंस
38. तेहरिक हुरियत ज॰क॰
39. यूनाइटेड जेहाद कांउसिल
40. मुताहिद मुजाहिद्दीन इस्लाम
41. अल उमर मुजाहिद्दीन
42. अन्तर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
43. कश्मीर लिब्रेशन सैल
44. लश्कारी अयूबी
45. अलबाक
46. के-2
47. कश्मीर टाइगर यूनाइटेड फ्रन्ट
48. अल हातिफ
49. मुस्लिम कान्फ्रेंस
50. पसदारन-ई-इस्लाम
51. महाज-ई-अजादी
52. आपरेशन बालाकोट
53. कश्मीर फ्रीडम मोममेंट
54. अहलियात-उल-मुजाहिद्दीन
55. अल-हामाजा
56. अल जाहाद
57. अल-खोम-नी

58. अल मदद यादगारी अली
59. अल मकबूल
60. अल मुस्फा टाईगर
61. अल अहमेर कमेटी
62. अल्ताफ लिबरेशन संगठन
63. दुखतारन-ए-कश्मीर
64. हल्ताफ मुजहिद्दीन
65. हिजाब अल्लाह
66. कश्मीर मुजाहिद्दीन इस्लाम
66. हिजबुल्ला-निस्सा
67. हुसेनी टाईगर
68. इन्कलाबी काऊंसिल
70. इन्सर अल्लाह

कश्मीर घाटी में कार्य कर रहे उग्रवादी/विघटनकारी संगठनों की सूची

71. इसफाक गुरिल्ला फ्रंट
72. इस्लामिक लिबरेशन मूवमेन्ट
73. इस्लामिक नन्दा फोर्स
74. इस्लामिक तहरीक इन्कलाब
75. जम्मू और कश्मीर अल-बरक मुज्जाहिद्दीन
76. इस्लामिक जंग
77. जम्मू और कश्मीर इतिहाद पार्टी
78. जबावाज फेडरेशन
79. कश्मीर लिबरेशन आलईन्स (के.एल.ए.)
80. कशमीर लिबरेशन टाईगर (के.एल.टी)
81. कशमीर टाईगर यूनाईटेड फ्रंट
82. लस्कर ए-मुजाहिद्दीन
83. मोहामादिया टाईगर
84. मुजाहिद्दीन इस्लाम
85. मुजाहिद्दीन इस्लामी कशमीरी
86. मुजाहिद्दीन जंग बादर
87. मुस्लिम रेंजर फोर्स
38. मुस्लिम रेब्यूलूसनरी फ्रंट
89. स्टेडेन्ट लिबरेशन फ्रंट
90. शाहाब-उल-मुस्लीमन
91. तारीख-ए-खाखसर
92. तारीख-ए-इस्लाम
93. टाईगर लिबरेशन फ्रंट

94. उरफान गुरिल्ला आर्मी
95. यालगर हरिदर
96. यूथ मुजाहिद्दीन फ्रंट
97. जब-ए-मुजाहिद्दीन
98. जिया मिशनरी फोर्स
99. गुजर टाईगर
100. कुमार विक्टरी कमान्डो ग्रुप
101. अल जेहाद
102. कशमीर आजादी तजिय
103. मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट (अन्सर-उल-इस्लाम)
104. स्टूडेन्ट रेव्यूलेसनरी काउन्सिल
105. कशमीर लिबरेशन टाईगर
106. कशमीर स्टूडेन्ट लिबरेशन फ्रंट
107. हिजाब-ए-बुल्लाह इस्लामी जम्हूरियत जम्मू और कशमीर
108. कशमीर लिबरेशन आर्मी
109. लसर-ए-मुजाहिद्दीन
110. आदम सेना (के.एल.एफ.)
111. इन्कलाबी काउंसिल
112. जे एण्ड के रेड रेवेन्ज
113. अल जुल्फीकार जे एण्ड के ब्यूरो
114. अल इकवान
115. अल फिडियन
116. आल जे एण्ड के स्टुडेन्टस एण्ड यूथ लिबरेशन फ्रंट
117. अल समाश
118. हार्ड स्टोन
119. अल फतेह लीग
120. अल मकबूल मुस्लिम मुजाहिद्दीन
121. रेड कशमीर
122. यूथ लीग
123. अल मुस्ताफ लिब्रेशन टाइगर्स
124. अल अमीन लिब्रेशन आर्गनाइजेसन
125. मुस्लिम लिब्रेशन फ्रंट
126. सफा आरा मुस्लिम लीग
127. फादर मूवमेंट कुफवारा
128. कशमीर मुजाहिद्दीन
129. खोमेनी कमान्डोज
130. अल इन्कलाब

131. मुस्लिम जांबाज फोर्स
132. हे-अल-जेहाद
133. चिस्ती मुजाहिद्दीन-डोडा
134. ऐसफ
135. जिया डाइगर्म फोर्स
136. अल फतेह

विवरण-2

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि मार्च और मध्य जून, 1992 तक की अवधि के दौरान, 205 आतंकवादी मारे गए तथा 570 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। विनिर्दिष्ट आसूचना रिपोर्टों के आधार पर आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों पर बड़ी संख्या में खोजबीन और तलाशी अभियान चलाए गए।

वर्ष 1992 (15.6.92 तक) में, 266 नागरिक और 47 सुरक्षा बल कार्मिक आतंकवादी हिंसा में मारे गए।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य में 119 आतंकवादी गुटों के होने के समाचार हैं। उनकी सूची संलग्न है।

सरकार ने आतंकवादियों पर दबाव तथा सीमा पर चौकसी पहले ही बढ़ा दी है। आसूचना अभियानों को और गहन कर दिया गया है।

भारतीय रिजर्व पुलिस

361. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व पुलिस गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किया जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए "इंडिया रिजर्व बटालियन्स" के गठन के लिए राज्य सरकारों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारें इन बटालियनों के गठन और रख-रखाव का कार्य करेंगी लेकिन उनके प्रारम्भिक गठन पर होने वाला खर्च केन्द्र सरकार द्वारा 50% अनुदान और 50% लम्बी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उठाया जाएगा। "इंडिया रिजर्व बटालियन्स" के गठन के लिए कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) ऐसी बटालियनों के गठन का प्रस्ताव रखने वाले सभी राज्यों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर ही इस मामले में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

362. श्री भगवान शंकर रावतः
श्री सैयद शाहाबुद्दीनः

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर किये गए अत्याचार के मामलों की अलग-अलग राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इस वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितने व्यक्ति मारे गये, कितने घायल किये गये, कितनी महिलाओं का शील भंग किया गया और कितने घर तहस नहस किये गये;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करने संबंधी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किये गये और कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया;

(घ) संबंधित राज्य सरकारों ने पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधियों को कितनी अनुग्रह राशि का भुगतान किया;

(ङ) क्या समान स्तर की अनुग्रह राशि और अन्य राहत राशि का भुगतान करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जिस हद तक सूचना उपलब्ध है, अनुसूचित जातियों के लिए विवरण-1 में और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विवरण-2 में दे दी गई हैः-

(ग) और (घ) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) अत्याचारों से प्रभावित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के लिए समुचित तत्काल राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 और 2 नवम्बर, 1981 के अ०शा०पत्रों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं। सुझाई गई राहत/मुआवजें की राशि विवरण-3 में दे दी गई है।

विवरण-1

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1991-92 के दौरान गैर अनुसूचित जाति व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति व्यक्तियों पर किए गए अत्याचारों जिसमें हत्या, गम्भीर चोट, बलात्कार और आगजनी शामिल है, की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अनय अपराध	कुल	टिप्पणी तारीख तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	28	104	25	4	189	350	जन., 1992
2.	असम	—	—	1	—	3	4	दिस., 1991
3.	बिहार	22	18	42	28	316	426	दिस., 1991
4.	गोवा	2	—	—	—	4	6	
5.	गुजरात	28	84	12	20	1368	1512	
6.	हरियाणा	6	—	17	2	44	69	
7.	हिमाचल प्रदेश	—	5	4	—	34	43	
8.	जम्मू और कश्मीर	—	2	1	2	38	43	
9.	कर्नाटक	23	19	7	19	458	526	दिस., 1991
10.	केरल	6	21	33	7	648	715	
11.	मध्य प्रदेश	95	287	259	66	4640	5347	
12.	महाराष्ट्र	26	19	29	10	353	437	दिस., 1991
13.	उड़ीसा	7	16	19	26	299	367	
14.	पंजाब	8	2	2	—	6	18	दिस., 1991
15.	राजस्थान	52	166	123	102	1884	2327	
16.	सिक्किम	—	—	—	—	30	30	
17.	तमिलनाडु	12	2	5	12	567	498	
18.	उत्तर प्रदेश	293	763	213	285	3394	4948	
19.	पश्चिम बंगाल	—	1	2	—	4	7	
	केन्द्र शासित प्रदेश							
1.	दिल्ली	1	—	1	—	2	4	
2.	पांडिचेरी	1	—	1	—1	3	6	
	कुल	610	1509	796	584	14284	17783	

विवरण-2

राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1991-92 के दौरान गैर अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या	गम्भीर चोट	बलात्कार	आगजनी	अन्य अपराध	कुल	टिप्पणी तारीख तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	04	11	04	—	20	39	दिस., 91
2.	असम	—	1	1	—	1	3	जून, 91
3.	बिहार	1	—	3	1	7	12	दिस., 91
4.	गुजरात	18	33	22	3	92	168	दिस., 91
5.	कर्नाटक	—	—	—	1	10	11	
6.	केरल	—	1	2	1	38	42	जन., 92
7.	मध्य प्रदेश	50	103	163	14	1541	1871	
8.	महाराष्ट्र	9	18	16	5	157	205	फर०, 92
9.	मणिपुर	2	1	—	—	—	3	
10.	उड़ीसा	3	5	9	2	106	125	फर., 92
11.	राजस्थान	12	48	23	17	541	641	
12.	सिक्किम	—	3	—	—	28	31	
13.	तमिलनाडु	3	1	3	18	189	214	
14.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	8	8	
15.	दमन और दीव	—	—	—	—	3	3	फर., 92
	कुल	102	225	246	62	2741	3376	

नोटः- अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सूचना शून्य है।

विवरण-3

केन्द्रीय गृह मंत्री के 2 नवम्बर, 1981 के अर्ध शासकीय के तहत राज्य सरकारों को सुझाई गई राहत/मुआवजे की राशि

अपराध का स्वरूप	सुझाई गई राहत/मुआवजे की राशि
1. एक परिवार में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु चाहे वह परिवार का कमाऊ या न कमाऊ सदस्य हो	10,000/-रु०
2. एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की स्थायी अक्षमता	10,000/-रु०
3. अस्थाई अक्षमता	2,000/-रु०
4. गम्भीर चोट अक्षमता से कम	1,000/-रु०
5. बलात्कार	5,000/-रु०
6. मकान हानि	2,000/-रु०
7. अचल सम्पत्ति की हानि	2,000/-रु०

	अपराध का स्वरूप	सुझाई गई राहत/ मुआवजे की राशि।
8.	कमाने वाली परि सम्पत्ति अर्थात् वाहन नाव या पशु आदि की हानि	बदली की वास्तविक लागत का भुगतान होने तक 2,000/-रु०
9.	सचल सम्पत्ति अर्थात् अनाज, वस्त्र और अन्य घरेलू सामान की हानि	2,000/-रु०
10.	पीढ़ितों के स्वामित्व वाले सिंचाई कुओं, पेयजल कुओं, नलकूपों, बिजली की मोटरों, बिजली की फिटिंग और फलदार वृक्षों की हानि का मूल्यांकन अलग से करना होगा।	मुआवजे की राशि निर्धारित किए गए वास्तविक नुकसान के बराबर होनी चाहिए। (500/-रु० का तत्काल अनुदान दिया जाना चाहिए।)

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

363. डा० ए० के० पटेल:
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में ऋण की स्वीकृति के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस बैंक द्वारा ऋण की कितनी धनराशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और ऋण की कितनी धनराशि और मांगी गयी है; और

(घ) किन-किन परियोजनाओं पर इन ऋणों का उपयोग किया जा रहा है/उपयोग करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) शर्तों में ये बातें शामिल हैं— सामान्य ऋण प्रचालन विनियम के साथ ही गैस की कीमतों, चौथे दौर की बोली, निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध निर्णय लेने में शीघ्रता करना आदि।

(ग) और (घ)

		(मिलियन अमेरिकी डालर)
1. गंधार क्षेत्र विकास	—	267
2. विशेष सहायता परियोजना	—	150
3. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र कार्यक्रम ऋण	—	250

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की "गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना" के लिए भी सरकार ने एशिया विकास बैंक (ए डी बी) से 300 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मांगा है।

कृषि अधिशेष

364. **श्री चित्त बसु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि अधिशेष को स्थिर रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में विश्व बैंक ने कोई उपाय सुझाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) अधिशेष सहित देश के कृषि उत्पादन की मात्रा अलग-अलग वर्षों में अलग-अलग रहती है। तथापि, उत्पादकता में वृद्धि करके विभिन्न कृषि जिन्सों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजनायें शुरू की जा रही हैं, जैसे कि समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (गेहूं), विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का और कदन्न), सघन कपास विकास कार्यक्रम, विशेष पटसन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (दलहन) आदि।

(ख) कृषि अधिशेष को स्थिर रखने के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई विशेष उपाय नहीं सुझाये गये है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

365. **श्री जीवन शर्मा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या पर विचार करने हेतु नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, एकीकृत भवन उपनियमों को संशोधन के लिए लिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में अतिक्रमणों और अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए वर्तमान तंत्र को मजबूत बनाने के प्रशासनिक उपाय भी आरम्भ किये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलादेश से बड़ी संख्या में चकमाओं का आगमन

366. कुमारी पुष्पा देवी सिंह:
डा॰ ए॰ के॰ पटेल:
श्री लाल कृष्ण आडवाणी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा और देश के अन्य भागों में बंगलादेश के चितगांव पहाड़ी के मार्ग से बड़ी संख्या में शरणार्थियों, विशेषरूप से बौद्ध चकमाओं का प्रवेश हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1992 से त्रिपुरा और देश के अन्य भागों में ऐसे कितने शरणार्थियों ने प्रवेश किया है;

(ग) क्या भारत और बंगलादेश द्वारा स्थिति से निपटने के लिए कोई संयुक्त कृतिक बल गठित किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की ऐसे शरणार्थियों के बारे में क्या नीति है जो बंगलादेश वापस नहीं जाना चाहते?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) त्रिपुरा सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि अप्रैल, 1992 से बंगलादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से हाल ही में आदिवासी शरणार्थी त्रिपुरा में आने शुरू हुए है। उत्तर पूर्व क्षेत्र के किसी अन्य राज्य से इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) अप्रैल, 1992 से त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की संख्या 2800 है।

(ग) और (घ) मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों के प्रधानमंत्री, सभी चकमा शरणार्थियों को, पूरी सुरक्षा और संरक्षण के साथ तेजी से वापस भेजने के प्रबन्ध करने के लिए सहमत हुए। बंगलादेश एक प्रतिनिधि राजनैतिक स्तर की समिति की स्थापना पर सहमत हुआ जो शरणार्थियों को वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भारतीय पक्ष ने यह आश्वासन दिया कि उसके प्राधिकारी देश-वापसी की इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे।

(ङ) सरकार की नीति यह है कि वह शरणार्थियों को स्वदेश वापस लौटने के लिए मनाएगी।

विदेशी अंशदान प्राप्तकर्ता

367. श्री सैयद शाहाबुद्दीन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 तक के विदेशी अंशदान के आंकड़ों को कम्प्यूटर में भर लिया गया है जिसमें वर्ष 1989 के आंकड़े भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान विदेशी अंशदान के पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं का राज्यवार, कुल संख्या कितनी थी;

(ग) इन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए विदेशी अंशदान का ब्यौरा क्या है और इस अंशदान का उद्देश्य और प्रयोजन क्या था;

(घ) मुख्य दाता देश कौन-कौन हैं और उनके द्वारा दिए गए अंशदान का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार अंशदान प्राप्त करने वालों के नाम और उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि तथा वर्षवार किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रकाशित करने का है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सूचना विवरण, I, II तथा III में दी गई है।

(ङ) इस समय अंशदान प्राप्त करने वालों के नाम तथा अन्य ब्यौरे प्रकाशित करने का ऐसा कोई विचार नहीं है।

विवरण-1

विदेशी अंशदान के राज्यवार पंजीकृत प्राप्तकर्ता

राज्य	रिपोर्टिंग एसोसिएशन की संख्या		
1	2	3	4
	1987	1988	1989
आन्ध्र प्रदेश	473	563	603
असम	44	55	57
बिहार	218	211	222
गुजरात	240	253	241
केरल	1001	984	977
मध्य प्रदेश	170	173	180
तमिलनाडु	977	1012	1022
महाराष्ट्र	560	568	628
कर्नाटक	527	513	559
उड़ीसा	134	148	155
पंजाब	44	45	40
राजस्थान	51	50	52
उत्तर प्रदेश	255	235	272
पश्चिम बंगाल	411	403	409
जम्मू व कश्मीर	21	14	14
नागालैंड	13	12	12
हरियाणा	16	20	22
हिमाचल प्रदेश	25	27	28
मणिपुर	21	22	31
त्रिपुरा	1	1	1
मेघालय	57	59	59

1	2	3	4
सिक्किम	3	2	2
दिल्ली	212	225	227
दमन व निकोबार	3	2	1
दादरा नागर हवेली	5	3	5
गोवा, दमन व दीव	53	59	63
पाण्डिचेरी	35	38	33
चण्डीगढ़	3	4	5
मिजोरम	3	4	4

विवरण-2

वर्ष 1987 के दौरान प्रयोजनवार विदेशी अभिदाय प्राप्तकर्ता

क्र०सं०	प्रयोजन	राशि (रु० हजारों में)
1.	अनाथों की देखभाल	423493
2.	धार्मिक स्थानों का रख-रखाव/मरम्मत	105231
3.	धार्मिक पुस्तकों तथा साहित्य का प्रकाशन	16412
4.	गैर-धार्मिक पुस्तकों, साहित्य का प्रकाशन	4026
5.	धार्मिक स्थानों का निर्माण / विस्तार	259677
6.	गरीब बूढ़ों तथा निराश्रयों की सहायता	263531
7.	संगोष्ठियां और सम्मेलन	37342
8.	पादरियों आदि को धार्मिक शिक्षा देना	97963
9.	धार्मिक उत्सव	200879
10.	गैर-धार्मिक उत्सव	11338
11.	स्कूलों / कालिजों का निर्माण / रख-रखाव	344216
12.	छात्रावासों का निर्माण/रख-रखाव	176845
13.	कृषि क्रिया कलाप	67816
14.	पशुपालन	17742
15.	ग्रामीण विकास	495472
16.	तकनीकी शिक्षा	37056
17.	अनुसंधान	44275
18.	छात्रवृत्तियां और वजीफे	84017

क्र०सं०	प्रयोजन	राशि (रु० हजारों में)
19.	व्यवसायिक प्रशिक्षण	63408
20.	स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार नियोजन	545582
21.	प्राकृतिक विपदाओं के लिए राहत	134503
22.	दंगा पीड़ितों के लिए राहत	5449
23.	उक्त के अलावा अन्य	1724677
	जोड़	5161040

वर्ष 1988 के दौरान प्रयोजनवार विदेशी अभिदाय प्राप्तकर्ता

क्र०सं०	प्रयोजन	राशि (रु० हजारों में)
1.	अनाथों की देखभाल	514638
2.	धार्मिक स्थानों का रख-रखाव/मरम्मत	94713
3.	धार्मिक पुस्तकों तथा साहित्य का प्रकाशन	23322
4.	गैर-धार्मिक पुस्तकों, साहित्य का प्रकाशन	5188
5.	धार्मिक स्थानों का निर्माण / विस्तार	384822
6.	गरीबों बूढ़ों तथा निराश्रयों की सहायता	456122
7.	संगोष्ठियां और सम्मेलन	51286
8.	पादरियों आदि को धार्मिक शिक्षा देना	134799
9.	धार्मिक उत्सव	334002
10.	गैर-धार्मिक उत्सव	12637
11.	छात्रावासों का निर्माण/रख-रखाव	357317
12.	स्कूलों / कालिजों का निर्माण / रख-रखाव	282524
13.	कृषि क्रिया कलाप	74288
14.	पशुपालन	9915
15.	ग्रामीण विकास	729052
16.	तकनीकी शिक्षा	25081
17.	अनुसंधान	80691
18.	छात्रवृत्तियां और वजीफे	98597
19.	व्यवसायिक प्रशिक्षण	64209
20.	स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवार नियोजन	663925
21.	प्राकृतिक विपदाओं के लिए राहत	191260

क्र०सं०	प्रयोजन	राशि (रु० हजारों में)
22.	दंगा पीड़ितों के लिए राहत	12343
23.	उक्त के अलावा अन्य	2270456
	जोड़	6851188

विवरण-3

प्रमुख दाता देश

(रुपए करोड़ों में)

देश	1987	1988	1989
एफ०आर०जी०	122.90	161.02	193.02
यू०एस०ए०	117.93	157.42	180.80
यू०के०	47.81	70.84	68.86
नीदरलैंड	36.83	49.95	45.06
इटली	36.77	44.99	57.01
स्विटजरलैंड	33.04	42.50	42.65
कनाडा	20.00	26.42	30.00
फ्रांस	11.64	15.55	17.67
नारवे	10.90	5.18	5.80
स्वीडन	7.73	14.09	15.16
बेल्जियम	9.87	12.96	11.67
आस्ट्रेलिया	8.01	11.41	14.55
स्पेन	7.31	10.93	11.37

(उक्त सूची में 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के दान के बारे में दिया गया है)

पुलिस हिरासत में मौत

368. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उन्हें लागू कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जांच के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने तथा अतिआधुनिक तरीके अपनाने के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु सरकार ने क्या उपाए किए हैं जिससे हिरासत में होने वाली मौतों को कम किया जा सकें?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि पुलिस हिरासत के दौरान मृत्यु हो जाने संबंधी मामलों में न्यायायिक जांच कराना अनिवार्य होना चाहिए।

(ख) और (ग) सिफारिश की जांच की जा रही है।

(घ) भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि पुलिस कर्मियों को मानवीय ढंग से बर्ताव करना चाहिए तथा पुलिस ज्यादतियों से संबंधित कथित मामलों को गम्भीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए तथा ऐसा होने पर इनके साथ कड़ाई से कार्रवाई की जानी चाहिए। भारत सरकार जांच पड़ताल के वैज्ञानिक उपकरणों की खरीद करने तथा प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है। इससे पुलिस अधिकारियों को जांच पड़ताल करने के अत्याधुनिक तरीके अपनाने और उसके फलस्वरूप पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या को कम से कम करने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

सीलमपुर, दिल्ली में दंगे

369. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में मई, 1992 में दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) दंगे में कितने लोग मारे गए तथा कितने घायल हुए और इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये थे;

(घ) क्या दंगों में अवैध हथियारों का प्रयोग हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो ये हथियार किन स्थानों से लाये गए थे;

(च) क्या दिल्ली पुलिस ने ये हथियार जब्त कर लिये थे; और

(छ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) 15 मई, 1992 की रात को सीलमपुर क्षेत्र के दो समुदायों के सदस्यों के बीच एक दुकान को खाली कराने की बात पर और एक समुदाय विशेष की एक नाबालिग लड़की के साथ दूसरे समुदाय के लड़के के द्वारा कथित बलात्कार किए जाने की बात पर झड़पे हुई।

(ग) 5 व्यक्ति मारे गए और 71 व्यक्ति (21 पुलिस कार्मिकों सहित) घायल हुए। इस संबंध में 103 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(घ) से (च) दिल्ली पुलिस ने सूचना दी है कि एक 315 बोर राइफल और एक डी०बी०बी०एल० बन्दूक

लाइसेंसधारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की गई। अनुज्ञप्तिधारी पुराने सीलमपुर के निवासी हैं। ये हथियार गोला बारूद सहित और एक देशी पिस्तौल पुलिस द्वारा जब्त की गई।

(छ) साम्प्रदायिक दंगों को बार-बार होने से रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:—

1. सम्भावित उपद्रवियों के ऊपर विशेष निगरानी रखना।
2. अतिरिक्त बल की तैनाती करना।
3. आसूचना प्रणाली को मजबूत बनाना।
4. निवारक कार्रवाई करना; और
5. दोनों समुदायों के सम्माननीय व्यक्तियों को आमंत्रित करके निरन्तर आम सभाएं आयोजित करना।

पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती

370. **कुमारी उमा भारती:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी बटालियनें तैनात की गई है;

(ख) क्या पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्यवार राज्यों को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) इस समय पंजाब में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 52 बटालियनें तैनात हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान पंजाब सहित विभिन्न राज्यों को कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सहायता का राज्यवार और वर्षवार विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग-I राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण की योजना के तहत राज्यों को दी गई राशि

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.00	63.76	139.59
2.	असम	35.00	120.00	63.62
3.	बिहार	30.00	63.65	195.24
4.	गुजरात	48.34	40.50	100.12

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	17.43	12.80	27.17
6.	हरियाणा	25.83	21.70	47.81
7.	जम्मू और कश्मीर	21.00	21.80	57.00
8.	कर्नाटक	26.70	33.60	100.54
9.	केरल	44.36	37.60	76.00
10.	मध्य प्रदेश	50.00	63.60	156.64
11.	महाराष्ट्र	54.93	75.28	167.52
12.	मणिपुर	10.08	8.00	23.09
13.	मेघालय	10.74	9.30	17.29
14.	नागालैंड	9.00	8.00	25.62
15.	उड़ीसा	44.60	37.00	69.74
16.	पंजाब	41.51	28.40	56.43
17.	राजस्थान	66.86	70.38	103.28
18.	सिक्किम	4.00	3.40	10.38
19.	तमिलनाडु	63.47	72.97	131.17
20.	त्रिपुरा	10.28	10.00	31.02
21.	उत्तर प्रदेश	170.00	104.06	224.20
22.	पश्चिम बंगाल	67.57	57.00	116.51
23.	गोवा	18.48	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	12.00	30.85
25.	मिजोरम	25.00	19.20	29.26
	कुल	974.00	1000.00	2000.00

भाग-II राज्यों को दिया गया तदर्थ अनुदान

(रु० लाखों में)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	असम	—	—	1000.00
2.	जम्मू और कश्मीर	—	3588.00	—
3.	पंजाब	—	225.34	—
4.	तमिलनाडु	—	—	1000.00
5.	उत्तर प्रदेश	—	—	1000.00

भाग-III : विभिन्न राज्यों को अर्ध-सैनिक बलों और शस्त्र और गोलाबारूद के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्धता और आवश्यकता के आधार पर आम शर्तों पर, राज्यों को अर्ध-सैनिक बलों, शस्त्र और गोलाबारूद के रूप में केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी गयी।

मध्य प्रदेश में सूखा तथा बाढ़

371. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश में सूखा और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह के माध्यम से कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सूचना और जन सैल की स्थापना

372. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए सूचना और जन शिक्षा सैल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में एल०पी०जी० की नई एजेंसियां

373. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एल०पी०जी० की नई एजेंसियां खोलने के लिए आवश्यकता वाले क्षेत्रों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) तेल कंपनियों द्वारा किए गए बाजार के सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 1992—1997 के दौरान एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 101 स्थानों को निर्धारित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र

374. **श्री गोपीनाथ गणपति:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (एफ०पी०टी०सी०) की स्थापना हेतु सहायता देने के लिए सरकार ने एक स्कीम तैयार की है। आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में 50 खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देने का प्रस्ताव है। ऐसे खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु कोई राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ग) इस स्कीम के लिये वर्ष 1992-93 का वार्षिक योजना परिव्यय 1.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण

375. **श्रीमती शीला गौतम:**
श्री राजेश कुमार:
श्री तेज नारायण सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को आवास निर्माण ऋण स्वीकृत किये जाने की कोई अधिकतम सीमा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवासीय समितियों द्वारा निर्मित आवासों की कुल लागत और दिल्ली विकास प्राधिकरण से खरीदे गए फ्लैटों के मूल्यों के संबंध में निर्धारित सीमाओं का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उन सरकारी कर्मचारियों, जो शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं, की सामान्य भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में उनकी जमाराशि को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आवास निर्माण ऋण की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) नये मकान के निर्माण/फ्लैट खरीदने के लिए स्वीकार्य अग्रिम 2.50 लाख रुपये अथवा मूल

मासिक वेतन का 50 गुना अथवा निर्माण की लागत/निर्मित मकान/फ्लैट का लागत मूल्य, जो भी कम हो, है। तथापि, यह राशि सरकारी कर्मचारी की पुनर्भुगतान क्षमता तक सीमित है।

(ग) निर्माण/निर्मित मकानों/फ्लैटों की खरीद के लिए लागू मूल्य अधिकतम सीमा सभी मामलों में समान है तथा यह निम्नतम 2.5 लाख रु० और अधिकतम 6 लाख रुपये के अध्यधीन मूल वेतन के 150 गुना तक सीमित है। व्यक्तिगत मामलों में गुणावगुण आधार पर प्रशासनिक विभागों/मंत्रालयों द्वारा इसमें 25% तक की रियायत दी जा सकती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या

376. **श्री मदन लाल खुराना:**
श्री गुरुदास कामत:
श्री जीवन शर्मा:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सड़कों और पटरियों का अतिक्रमण और सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर झुग्गियों के निर्माण ने खतरनाक रूप ले लिया है जैसा कि 13 जून, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान झुग्गियों की संख्या दुगुनी हो गयी है जिससे अनेक नागरिक समस्यायें उत्पन्न हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) यह सत्य है कि गत तीन वर्षों में झुग्गी-झोपड़ी समूहों में वृद्धि हुई है परिणामस्वरूप सेवाओं में दबाव पड़ा है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के भूमि सुरक्षा शाखा को मजबूत करने के उपाय किये गये हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के फील्ड विभागों को इसके भूमि के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की रखवाली के लिए सुरक्षा गार्डों/सुपरवाइजरों को भी नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका, उनके क्षेत्राधिकार में जब भी नई झुग्गियों का निर्माण होता है उसे गिराने के लिए कार्रवाई करती है। दिल्ली पुलिस की सहायता से दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर सड़कों और पटरियों पर से अतिक्रमण हटाये जाते हैं। भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों को रोकने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम और पंजाब नगर पालिका अधिनियम में संशोधन के प्रयास भी जारी है।

[अनुवाद]

कश्मीरी हिन्दुओं की मांग

377. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीरी हिन्दू कश्मीर घाटी में झेलम नदी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी "होमलैंड" के लिए संघ राज्य क्षेत्र के दर्जे की मांग कर रहे हैं जैसा कि 11 जून, 1992 के "पायनिअर" में समाचार छपा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) सरकार ने प्रश्नाधीन समाचार देखा है।

(ख) सरकार, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं है।

ओवरसीज डेव्लपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटेन द्वारा केरल को सहायता

378. **श्री वी० एस० विजयराघवन:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओवरसीज डेब्लपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटेन गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं के लिए केरल सरकार को सहायता देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, ओ डी ए की सहायता से कोचीन में 2.20 लाख की जनसंख्या के 32240 परिवारों की 152 मलिन बस्तियों के उन्नयन के लिए केरल राज्य सरकार से मार्च, 91 में किसी समय एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। शहरी निर्धनों के जीनव को प्रभावी रूप से सुधारने के तीन मुख्य घटक इस प्रकार हैं:—

(क) भौतिक अधसंरचना (ख) स्वास्थ्य देख-भाल सम्बंधी क्रियाकलाप

(ख) सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसमें कौशल उन्नयन और अधसंरचनात्मक विकास शामिल है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपये है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इस परियोजना को ओ डी ए को प्रस्तुत किया गया है। यू० के० सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

गान्धार परियोजना का विकास

379. **डा० ए० के० पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गान्धार परियोजना के विकास की मूल और वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गान्धार से उपलब्ध गैस पर आधारित स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) गंधार क्षेत्र विकास चरण-I के

अधीन 26 विकास कूपों की ड्रिलिंग की गई है और फ्लो/कलेक्टर लाइनें पूरी हो गई हैं। मई, 1992 में स्वीकृत चरण-II के अधीन 203 विकास कूपों की ड्रिलिंग करने और अपेक्षित तेल/गैस संभालने की सुविधाओं को बनाने की योजना है इस चरण के अप्रैल, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) स्थापित की जाने वाली गैस आधारित परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं—एक अतिरिक्त एल० पी० जी० संयंत्र, गंधार में दो विद्युत संयंत्र, उत्तरन में गुजरात विद्युत बोर्ड का विद्युत संयंत्र और गंधार में आई पी सी एल का पेट्रो-रसायन कांप्लेक्स। इन परियोजनाओं के चालू योजना-अवधि के दौरान स्थापित हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों का विकास

380. **श्री मृत्युन्जय नायक:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने देश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये आदिवासी क्षेत्र कहां-कहां स्थित हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां

381. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एस०सी०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिप और रसोई गैस के डिस्ट्रीब्यूटरशिप सहित कितने खुदरा केन्द्र शुरू किये हैं;

(ख) किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ये केन्द्र शुरू किए गए हैं; और

(ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के 1992-93 और आठवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी इस बारे में प्रस्ताव क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों, एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० की डीलरशिपों और एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरों के खोले जाने संबंधी प्रस्ताव उद्योग आधार पर तैयार किये जाते हैं, न कि कम्पनीवार आधार पर।

विवरण

राज्य	1989-90			1990-91			1991-92		
राज्य	आर ओ	एस के ओ	एल डी ओ	एल पी जी	आर ओ	एस के ओ	एल डी ओ	एल पी जी	आर ओ	एस के ओ	एल डी ओ	एल पी जी
आन्ध्र प्रदेश	8	3	—	4	—	—	2	—	2			
बिहार	6	1	—	8	2	—	3	1	—			
गोआ	1	1	—	1	—	1	—	—	1			
गुजरात	1	1	1	2	4	6	1	1	1			
हरियाणा	3	—	3	1	—	1	—	—	1			
हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—	—	2			
कर्नाटक	5	—	2	—	—	4	—	—	1			
केरल	1	1	1	2	—	2	—	—	—			
मध्य प्रदेश	6	1	1	6	—	—	2	1	1			
महाराष्ट्र	4	5	8	11	7	4	4	1	2			
उड़ीसा	4	1	—	6	1	—	2	1	—			
पंजाब	1	—	4	2	1	2	—	—	1			
राजस्थान	9	1	2	6	1	5	1	—	5			
तमिल नाडु	4	—	2	3	—	3	2	—	—			
उत्तर प्रदेश	17	4	6	16	1	6	7	—	5			
पश्चिम बंगाल	3	—	2	3	2	—	4	—	1			
संघ राज्य क्षेत्र												
दिल्ली	—	1	3	—	—	1	2	1	7			
चंडीगढ़	—	—	—	—	—	1	1	—	—			
पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	1	—	—			
योग	74	20	35	71	19	36	32	6	30			

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास केन्द्र हेतु उत्तर प्रदेश को सहायता

382. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के लिए प्रस्तावित सहायता में कोई वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) 1992-93 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता, उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

विवरण

(रुपये लाखों में)

	योजना का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता 1990-91	1991-92
1.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	297.97	700.00
2.	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां	—	49.79
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पुस्तक बैंक	—	2.00
4.	लड़कियों के लिए छात्रावास	6.32	51.35
5.	लड़कों के लिए छात्रावास	30.718	75.82
6.	कोचिंग और सम्बद्ध योजना	—	9.01
7.	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियमों का क्रियान्वयन	88.38	128.08
8.	मैला ढोने वालों की मुक्ति तथा पुनर्वास	973.12	800.00
9.	अनुसूचित जाति विकास निगम	368.18	428.14
10.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	10.00	5.00
11.	आश्रम विद्यालय	33.50	—
12.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	4426.42	4844.77
13.	आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	68.848	58.40
	योग	6303.456	7152.36

प्राकृतिक गैस का उत्पादन

383. **श्री भगवान शंकर रावत**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान देश की मांग के अनुसार गैस उत्पादन हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने हेतु कितनी गैस का आयात करना पड़ेगा और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) लगभग 51 मिलियन घन मीटर प्रति दिन।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय गैस के आयात का कोई साधन नहीं है।

(घ) तेल एवं गैस क्षेत्र की अनेक विकास परियोजनाएं सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई हैं जबकि प्राकृतिक गैस की संपीड़न और परिवहन परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय बीज निगम

384. **कुमारी उमा भारती:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बीज निगम को कितना घाटा हुआ है;

(ख) घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय बीज निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई हानि नीचे दर्शायी गई है:—

वर्ष	लाभ(+)/हानि(-) (लाख रुपयों में)
1988-89	(-) 289.62
1989-90	(-) 391.10
1990-91	( ) 898.73

(ख) हानि मुख्यतः निम्न कारणों से हुई है:—

(1) आदान मूल्यों तथा बीज उत्पादकों को प्रदत्त अधिप्राप्ति मूल्यों में बीजों के विक्रय मूल्य में तदनुरूपी वृद्धि के बिना बढ़ोत्तरी होना;

(2) उच्च अधिकार वेतन समिति की सिफारिश के अनुसार स्टाफ के भत्तों में वृद्धि के कारण निश्चित ऊपरी खर्चों में वृद्धि होना;

(3) अत्यधिक ब्याज-भार;

(4) उत्पादन में कमी होने के कारण राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-1 तथा 2 के अंतर्गत सृजित

आधारभूत सुविधाओं का कम उपयोग;

(5) राज्य बीज निगमों तथा निजी बीज उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण राष्ट्रीय बीज निगम के विपणन कार्य में कमी होना तथा

(6) अत्यधिक स्टाफ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:—

(1) वित्तीय पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम को सहायता देना ताकि उसकी अर्थक्षमता को सुधारा जा सके;

(2) निगम के संशोधित उत्पादन तथा विपणन कार्यकलापों में सामंजस्य बिठाने के लिए स्टाफ स्तरों को समायोजित करना ताकि अत्यधिक मानव शक्ति लागत को कम किया जा सके;

(3) निगम के सह-उत्पाद को संशोधित करके इसके लाभ में वृद्धि करना; तथा

(4) उत्पादन और विपणन कार्यकलापों में सुधार और वृद्धि करना।

सूखा प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता

385. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को सूखे से निरन्तर प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिये नये मानदण्ड निर्धारित करने हेतु कोई समिति गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुरानी दिल्ली में भीड़ भाड़ कम करना

386. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नया बाजार में हाल की लगी आग को देखते हुए पुरानी दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली वृहद

योजना में यह विचार किया गया है कि पुरानी दिल्ली में तेजाब, रसायन और ज्वलनशील सामग्रियों का उपयोग करने वाले औद्योगिक एककों एवं प्लास्टिक, रेक्सीन जो कि हानिकारक और खतरनाक हैं, जैसे व्यवसायों को प्राथमिकता आधार पर इन व्यवसायों के विशेषतः उद्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाता है। इसके अलावा, थोक बिक्री गोदामों को थोक और भण्डारण क्षेत्रों में तथा डेरियों को भी ग्रामीण उपयोग जोनों में स्थानान्तरित किया जाना है। थोक फल तथा सब्जी बाजार भी स्थानान्तरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्रियाकलापों सहित वाणिज्यिक क्रियाकलापों को सम्भव सीमा तक वर्तमान स्तरों तक सीमित किया जाना है। वृहद योजना के इन प्रावधानों को वित्तीय तथा अन्य संसाधन नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए एक समयावधि में कार्यान्वित किया जाना है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक आयोजना बनायी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसाधित खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और मूल्य

387. **डा० सी० सिलवेरा:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक संसाधित खाद्य पदार्थ पर निर्माण तिथि और खुदरा मूल्य अंकित करना आवश्यक करते हुए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि दूध और इसके उत्पाद में लगे हुए कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इन निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इन निर्देशों की अवहेलना करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (घ) यद्यपि माप और तोल (डिब्बा बंद पदार्थ) नियमावली, 1977 के मानकों के प्रावधानों के अनुसार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के विपणन के लिए पदार्थ को तैयार करने की तारीख, खुदरा बिक्री मूल्य, वजन, पदार्थ का उत्पादित नाम आदि दिखाना आवश्यक है परन्तु नियमावली में कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए उनके तैयार करने की तारीख और/या खुदरा मूल्य के संबंध में छूट दे दी गई है जिसमें तरल दूध और खुला मक्खन भी शामिल है।

दूध और दुग्धोत्पाद आदेश, 1992

388. **श्री नवल किशोर राय:**
डा० आर० मल्लू:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु दुग्ध उत्पादक संघ से हाल के दूध और दुग्धोत्पाद आदेश, 1992 के

विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर में अपहरण की घटनायें

389. **श्री जनार्दन मिश्र**: क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में विगत एक वर्ष के दौरान अपहरण की कितनी घटनाएं हुई और कितने लोगों का अपहरण किया गया;

(ख) उनमें कितने लोगों को बचाया गया और कितने लोग मारे गए; और

(ग) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कठोर उपाय किये गए हैं/किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है। सूचना प्राप्त होते ही इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

390. **श्री बापू हरि चौरे**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० द्वारा बिना बारी के भूखंडों/दुकानों का आवंटन

391. **श्री ललित उरांव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों/संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के फ्लैटों/भूखंडों/दुकानों का आवंटन किया है और इन बिना बारी के आवंटनों को किस प्राधिकारी ने मंजूरी दी थी;

(ख) तत्संबंधी कारण/आधार क्या हैं तथा उनकी स्थानों और आवंटन की तिथियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों को बिना बारी के भूखंडों/फ्लैटों का आवंटन करने के नियम हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संसद सदस्यों को आवंटित किये गये फ्लैटों/भूखंडों का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा उन संसद सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) उन व्यक्तियों के नाम, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना बारी आधार पर फ्लैट आवंटित किए गए थे, एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जायेंगे। संदर्भाधीन अवधि के दौरान कोई भूखण्ड/दुकान बिना बारी आधार पर आवंटित नहीं किए गए थे।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई चालू नीति/मार्गनिर्देशों के तहत उपराज्यपाल, दिल्ली/उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी आधार पर पिछले तीन वर्ष के दौरान फ्लैट आवंटित किए गए थे। जहां तक इन आवंटनों के ब्यौरों का संबंध है, वांछित जानकारी को संकलित करने में किए गए प्रयास सम्भवतः प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुरूप न हों।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण, व्यक्तियों की किसी विशेष श्रेणी को फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन के संबंध में पृथक ब्यौरे नहीं रखता है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पुलिस हिरासत से आतंकवादियों का भाग निकलना

392. **श्री मोहन रावले:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक पुलिस हिरासत से कितने आतंकवादी भाग निकले;

(ख) उनमें से कितनों को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया;

(ग) इस संबंध में कितने पुलिस कर्मियों को अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने में दंडित किया गया; और

(घ) इस समय राज्य में कितने आतंकवादी हिरासत में हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दुग्ध उत्पादन

393. **डा० आर० मल्लू:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कैरा, मेहसाना, साबरकांठा और बनासकांठा की दुग्ध सहकारी समितियों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी-कितनी मात्रा में दूध का वार्षिक उत्पादन हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा के उत्पादित दूध के दुग्ध उत्पाद बनाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी०लेंका): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा से सोना गायब होना

394. **श्री फूल चन्द वर्मा:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस की अभिरक्षा से तीस लाख रुपये मूल्य का सोना गायब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो यह घटना किन परिस्थितियों में हुई;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) चार पुलिस अधिकारियों, नामतः निरीक्षक मोती लाल शर्मा, हैड कान्स्टेबल गुरचरण सिंह, हैड कान्स्टेबल राजकुमार तथा हैड कान्स्टेबल सुरेश कुमार के खिलाफ पालम हवाई अड्डे पर 3 यात्रियों से 66 सोने के बिस्कुटों की कथित रूप से लूटपाट करने के लिए भा०दं०सं० की धारा 392 तथा 34 के अधीन 10.6.92 को एक मामला दर्ज किया गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से दो को बर्खास्त कर दिया गया है।

[अनुवाद]

पेप्सी फूड प्राइवेट लिमिटेड

395. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्तिः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेप्सी फूड्स लिमिटेड एक लीटर की बोतलों में शीतल पेय न बेचने संबंधी सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेप्सी फूड्स लिमिटेड सरकार के अन्य अनेक नियमों का उल्लंघन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने सरकारी निदेशों का अनुपालन न करने के कारण इस कम्पनी के विरुद्ध या कार्यवाही की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अल्फा के साथ वार्ता

396. **श्री चित्त बसुः**
श्री उद्धव बर्मनः

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम में अल्फा नेतृत्व सरकार से वार्ता करने के प्रश्न पर वार्ता समर्थक तथा वार्ता विरोधी, दो गुटों में बंट गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वार्ता विरोधी नेतृत्व को पृथक करके वार्ता समर्थक नेतृत्व के साथ कोई समझौता करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो समस्त उल्फा नेतृत्व को वार्ता के लिए राजी करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) असम समस्या का हल बातचीत के जरिए निकालने के कुछ उल्फा नेताओं के निर्णय से उल्फा नेतृत्व में फूट पैदा हो गई। असम सरकार उन उल्फा नेताओं के साथ सम्पर्क कायम किए हुए है जो राज्य की समस्याओं के लिए बातचीत के माध्यम से किसी समझौते के लिए तैयार हैं। बातीचत के समर्थक नेता राज्य-स्तर पर बातचीत के लिए आधार तैयार करने के लिए उत्सुक हैं। असम सरकार सभी उल्फा धड़ों को बातचीत की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास कर रही है।

आतंकवादियों की घुसपैठ

397. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री साइमन मरांडी:
श्री कमल चौधरी:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 6 महीनों के दौरान भारत में कितने आतंकवादियों का चोरी-छिपे प्रवेश करने का अनुमान है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रवार कितने आतंकवादी मारे गए और कितने पकड़े गए;

(ग) क्या पाकिस्तान ने पंजाब और जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की सहायता तथा सहयोग में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में विदेशी राष्ट्रिक

398. **डा० वेंकटेश्वर राव:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 के दौरान अब तक कितने विदेशी राष्ट्रिक भारत की यात्रा पर आए;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति वापस लौटे और कितने व्यक्ति लापता हैं,

(ग) इन व्यक्तियों के किन-किन राज्यों में रहने की सम्भावना है;

(घ) बिना अनुमति के भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों को जारी

किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के आवेदन पत्रों पर विचार न करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) 1648688 विदेशी नागरिकों ने वर्ष 1989 में, 1632991 ने 1990 में 1616244 ने 1991 में और 736606 ने 1992 में (दिनांक 31.5.1992 तक) भारत की यात्रा की।

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश विदेशी नागरिक भारत में बहु-उद्देश्यीय प्रवेश वीजा के द्वारा प्रवेश करते हैं और वे अपने वीजा की वैधता की अवधि के दौरान जितनी बार चाहे, देश में प्रवेश कर सकते हैं और देश से बाहर जा सकते हैं, इसलिए किसी विशेष वर्ष में भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों में से अपने देश को वापस लौट गए विदेशियों के आंकड़े देना संभव नहीं है।

(घ) सभी राज्य सरकारों को उन विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें देश से बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं, जो भारत में, वैध यात्रा दस्तावेजों की अवधि समाप्त होने के बाद भी रुके हुए हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

संघ राज्य क्षेत्रों में आतंकवादी घटनायें

399. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 को अभी तक हुई आतंकवादी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) केन्द्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, अण्डमान और निकोबार, पाण्डिचेरी, दमन और दीव तथा दादरा और नागर

हवेली प्रशासनों ने बताया है कि उनके संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1989, 1990 और 1991 तथा 1992 (30.6.92 तक) के दौरान कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के संबंध में आतंकवादी घटनाओं के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:—

वर्ष	मामलों की संख्या
1989	11
1990	16
1991	21
1992 (30.6.92 तक)	9

(ख) राजधानी में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में प्रत्येक जिले में आतंकवाद विरोधी कक्ष का गठन करना, संवेदनशील / सामरिक स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना, चल गश्त गहन करना, लोगों को अधिक जागरूक बनाने के लिए लोगों में शिक्षात्मक साहित्य बांटना, पहचान कर्ताओं को तैनात करना, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो लगाना, सामरिक महत्व के स्थानों पर पी०सी०आर० वाहन तैनात करना, तथा पड़ौसी राज्यों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करना शामिल है।

कृषि के लिये धनराशि का नियतन

400. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त योजना में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में से किस-किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और इससे समबद्ध क्रियाकलापों के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय 32025 करोड़ रुपये है।

(ख) 8वीं योजना में कृषि विकास की प्राथमिकतायें खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, निर्यात के लिए विशिष्ट कृषि जिन्सों का अधिशेष उत्पादन करना, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के विकास पर अत्यधिक बल सहित और अधिक सन्तुलित क्षेत्रीय विकास, शुष्क भूमि कृषि का विकास, तिलहनों और दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि का विविधीकरण और बागवानी, मात्स्यिकी आदि का विकास करना है।

(ग) 8वीं योजना में यह परिकल्पित है कि रोजगार की क्षमता में लगभग 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

401. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): क. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या।

जनगणना-1981

(लाख में)

क्र०सं०	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	535.50	79.62	14.87	31.76	5.93
2.	असम	198.97	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	21.86	10.98
3.	बिहार	699.14	101.42	14.51	58.11	8.31
4.	गुजरात	340.86	24.38	7.15	48.48	14.22
5.	हरियाणा	129.22	24.74	19.07	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	42.81	10.54	24.62	1.97	4.61
7.	जम्मू और कश्मीर	99.87	4.97	8.31	—	—
8.	कर्नाटक	371.36	55.95	15.07	18.25	4.91
9.	केरल	254.54	25.49	10.02	2.61	1.03
10.	मध्य प्रदेश	521.79	73.58	14.10	119.87	22.97
11.	महाराष्ट्र	627.84	44.80	7.14	57.72	9.19
12.	मणिपुर	14.21	0.18	1.15	3.88	27.30
13.	मेघालय	13.36	0.05	0.41	10.76	80.00
14.	नागालैंड	7.75	—	—	6.60	83.60
15.	अरुणाचल प्रदेश	6.32	0.03	0.46	4.41	69.82
16.	मिजोरम	4.94	—	—	4.62	93.57
17.	उड़ीसा	263.70	38.65	14.66	15.15	22.43
18.	पंजाब	167.89	45.12	26.87	—	—
19.	राजस्थान	342.62	58.39	17.04	41.83	12.21

1	2	3	4	5	6	7
20.	सिक्किम	3.16	0.18	5.78	0.74	23.27
21.	तमिलनाडु	484.08	38.81	18.35	5.20	1.07
22.	त्रिपुरा	20.53	3.10	15.12	5.84	28.44
23.	उत्तर प्रदेश	1108.62	234.53	21.16	2.33	0.21
24.	पश्चिम बंगाल	545.81	120.01	21.99	30.71	5.63
25.	अंडमान और निकोबार	1.89	—	—	20.22	11.85
26.	चंडीगढ़	4.52	0.64	14.09	—	—
27.	दादर और नगर हवेली	1.04	0.02	1.97	0.82	78.82
28.	दिल्ली	62.20	11.22	18.03	—	—
29.	गोवा, दमण और दीव	10.87	0.23	2.16	0.11	1.00
30.	लक्षद्वीप	0.40	—	—	0.38	94.00
31.	पांडिचेरी	6.04	0.96	16.00	—	—
	कुल	6653.88	1047.54	15.75	538.15	7.85

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता—1983-84

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
आन्ध्र प्रदेश	51.00	43.30	48.40	43.30
असम	21.90	42.80	25.50	20.20
बिहार	71.10	52.20	64.90	39.80
गुजरात	39.90	19.30	52.10	56.60
हरियाणा	27.90	40.10	0.00	39.30
हिमाचल प्रदेश	23.50	11.70	7.50	11.50
जम्मू और कश्मीर	32.90	27.50	0.00	0.00
कर्नाटक	54.10	36.60	59.90	45.20
केरल	43.90	42.20	36.10	51.70
मध्य प्रदेश	59.30	45.80	67.10	34.00
महाराष्ट्र	55.90	44.80	58.70	41.30
उड़ीसा	54.90	40.30	68.90	52.80
पंजाब	21.80	33.00	15.40	47.10
राजस्थान	44.90	33.70	63.70	48.10
तमिलनाडु	59.40	54.50	50.90	51.10
उत्तर प्रदेश	57.30	46.30	45.80	24.30

राज्य	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
पश्चिम बंगाल	52.00	41.30	58.60	33.10
अखिल भारतीय	53.10	40.40	58.40	39.90

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समाजार्थिक स्थिति मे सुधार करने के लिए किए गए उपाय।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास की आवश्यकताओं को विकास के सामान्य क्षेत्रों के माध्यम से पूरा किया गया था। योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास में तेजी लाने हेतु अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आदिवासी उप-योजना लागू की गई थी। विशेष केंद्रीय सहायता को विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के लिए अनुपूरक के रूप में शुरू किया गया था। इससे अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित के आर्थिक विकास में उनकी सहायता करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा ट्राईफेड की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में की गई। इन योजना अवधि के दौरान विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ किया गया व्यय इस प्रकार है:—

(व्यय करोड़ रुपयों में)

क्रम सं॰	अवधि	विशेष संघटक योजना	आदिवासी उपयोजना
1.	5वीं योजना तक		433.24*
2.	छठी योजना	2,978.90	3,640.25
3.	7वीं योजना	7,431.35	7,070.81
4.	1990-91 (परिव्यय)	2,384.26	1,991.28
5.	1991-92 (परिव्यय)	3,270.84	2,526.90

*विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना के लिए 5वीं योजना के मिले जुले आकड़े है।

7वीं योजना में आर्थिक रूप से सहायता प्रदान किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या नीचे दी गई है:—

(परिवारों की संख्या लाख में)

श्रेणी	लक्ष्य (परिवार)	उपलब्धि (परिवार)	लक्ष्य उपलब्धि की प्रतिशतता
अनुसूचित जाति	104.26	119.95	127
अनुसूचित जनजाति	41.56	52.89	115

यह देखा जा सकता है कि उपलब्धि निर्धारित लक्ष्यों से अधिक हुई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य योजनाओं के साथ-साथ निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोगिक योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

1. सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास
2. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिककोत्तर छात्रवृत्ति
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास
6. मेडिकल तथा इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
7. कोचिंग तथा संबद्ध योजना।

अनुसचित जाति/अनुसचित जनजाति के लोगों के रहन सहन की स्थितियों को बेहतर बनाने मे सहायता करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनायें क्रियान्वित की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनायें इस प्रकार हैं;

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम — 50% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से होंगे

(ख) जवाहर रोजगार योजना — कुल संसाधनों का 40% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को सीधे लाभ के लिए है।

(ग) केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम — अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार सैनेटरी शौचालयों के लिए 100% मुफ्त सहायता के पात्र हैं।

(घ) त्वरित ग्रामीण अलापूर्ति कार्यक्रम — निधियों का 35% अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवासों के लिए निर्धारित है।

(ङ) शिक्षित रोजगार युवकों के लिए रोजगार — 30% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे।

(च) शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार — 30% लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होंगे।

(छ) ब्याज योजना की विभेदी दर — 40% लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के होंगे।

कृषि विज्ञान केन्द्र

402. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए अब तक राज्यवार किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(ग) ये केन्द्र कब तक खोले जायेंगे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) महोदय, आठवीं योजना के दौरान और अधिक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को उपलब्ध अतिरिक्त धन-राशि पर निर्भर करेंगे।

(ख) और (ग) अतिरिक्त धन-राशि उपलब्ध होने के बाद स्थानों के बारे में निर्णय किया जाएगा।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पहले मेरी बात सुन लें, फिर बात करेंगे।

[अनुवाद]

कई मुद्दों पर मुझे नोटिस प्राप्त हुए हैं। मेरे विचार से एक के बाद दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जाए। इसलिये मुद्दों को आपस में न मिलाएं। मुझे दूसरों के उन मुद्दों पर विचार सुनने दें, जो मुद्दे मेरे पास हैं। मैं सभी को बोलने की अनुमति दूंगा, लेकिन आपको बारी-बारी से मुद्दे उठाने होंगे। अब श्री सुनील दत्त बोलें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): प्रतिभूति घोटाले पर चर्चा के बारे में क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय: उस पर आज तीन बजे चर्चा का समय निश्चित किया गया है। आपने कार्य-सूची देखी होगी।

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर-पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि देश और विदेश बहुत-सी घटनाएं घट रही हैं। दुनिया में और यहां भी अत्यंत उग्र बातें हो रही हैं। हमने कल राजस्थान पर चर्चा की थी। लेकिन सबसे मित्रतापूर्ण बात जो कि 25 जुलाई को होने जा रही है, उससे विभिन्न देशों में सद्भावनापूर्ण वातावरण उत्पन्न होगा। वह है विश्व ओलम्पिक का आयोजन जिसकी ओर मैं आपका ध्यान

आकृष्ट करना चाहता हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जो रियो डि जेनेरियों में हुए पृथ्वी सम्मेलन से भी अधिक महत्वपूर्ण है।

दिनांक 25 जुलाई को एक तीरंदाज प्रज्वलित तीर से विश्व ओलम्पिक मशाल को जलाया जाएगा, जहां 172 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। वे सभी मित्रतापूर्ण तरीके से बिना जाति या समुदाय, बिना किसी धार्मिक अवरोध के आपस में मिलेंगे। अतः यह अत्यंत धर्मनिरपेक्ष घटना है जो घटित होने जा रही है।

सूचना और प्रसारण मंत्री से हमारा यह निवेदन है कि जिस तरह उन्होंने टी॰ वी॰ पर विम्बलडन टेनिस मैचों के फाइनल खेलों का सीधा प्रसारण किया, उसी तरह वे इस महत्वपूर्ण घटना को भी टी॰ वी॰ पर सीधे प्रसारित करें। यह हमारे देश के युवकों के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ताकि वे भी उसमें भाग लें और कोई इनाम जीत सकें। हम लोग अब तक अपने उस देश के लिये कोई पदक नहीं जीत पाए जहां की आबादी 80 करोड़ है।

इसलिये हम सभी यह चाहते हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्री पंद्रह दिनों तक इस महत्वपूर्ण घटना यानि बार्सिलोना में आयोजित विश्व ओलम्पिक का सीधा प्रसारण किया जाए। इसके लिये मैं सभी संसद सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह मेरे साथ मिल कर सूचना और प्रसारण मंत्री से निवेदन करें कि हमें विश्व ओलम्पिक में हो रही खेल गतिविधियों सीधे देखने का अवसर मिलना चाहिये। महोदय मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है उसके लिये आपका आभारी हूं। वैसे तो मैं बहुत कम समय लेता हूं, लेकिन आज जिसके बारे में कहने जा रहा हूं वह जलियांवाला बाग जो काण्ड हुआ था उससे भी अधिक भयावह है। 1 जून को साढ़े पांच से साढ़े सात बजे तक हजारों मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, ऊपर-नीचे, बायें दायें सब तरफ से उन पर गोलियां चलाई गईं। उसका परिणाम यह हुआ है कि कहा जाता है कि 16 आदमी मरे हैं लेकिन अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने लोग मरे हैं। मेरे ख्याल से 20,40;50 आदमी मरे होंगे। सरकारी आंकड़े गलत हैं। इसके साथ ही सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो अस्पताल में घायल हैं, उनको चोट लगी हुई हैं, वे उठ नहीं पाते हैं, उनको उठाकर निकाला जा रहा है क्योंकि डिस्चार्ज करके उनको सीधे जेल ले जाया जा रहा है। आखिर इसका मतलब क्या है? जो घायल हैं, उनको डिस्चार्ज कैसे किया जा रहा है? फिर सैण्ट्रल जेल में ले जाकर भर्ती कर रहे हैं परन्तु उनकी देखरेख नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं एक तारीख की इस घटना के बाद कर्फ्यू लगा रहा, पता नहीं इस दौरान क्या-क्या हुआ होगा? यह कहना मुश्किल है परन्तु जहां चाहा, जैसा चाहा उनको रोका, उनको पीटा गया जिसमें महिलायें, युवक और बच्चे हैं जो मारे गये हैं परिणामस्वरूप पुलिस के डर से 100 बच्चे डर से भागे हुए हैं, इसका पता नहीं चल रहा है। साथ ही उनको पकड़-पकड़ कर जेल में ले जाकर इनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जैसे कोई देशद्रोही हों। आखिरकार वे मजदूर हैं जो अपनी रोजी-रोटी की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि उनको काम दो। इसके अतिरिक्त उस दिन जो गोली चली है, उसका विवरण प्रशासन के आदेश पर पुलिस वालों ने जिस तरह से दिया है, अभी तक कहा गया है कि इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होगी। यह कह देना कि ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होगी लेकिन उसका अध्यक्ष कौन होगा, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस बीच में क्या हो रहा है, यदि आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। जितने भी गोली लगने के दीवारों

पर निशान हैं या कोई और प्रमाण हैं या किसी आदमी को पकड़ा गया है, ऐसी कोशिश की जा रही है कि प्रमाण नहीं मिल सकें ताकि असली बात का पता नहीं चल पाये। अभी पटवा साहब ने कह दिया है कि ये जो आन्दोलन करने वाले लोग हैं, ये छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा वाले हैं ये हत्याकाण्ड में दोषी हैं। जब सरकार ही उन लोगों को दोषी करार कर रही है तो फिर क्या न्याय दे सकती है, आप सोचिये?

अध्यक्ष महोदय, आज भिलाई में पुलिस का आतंकवाद इतना फैला हुआ है कि वहां पर घटना होने के आठ दिन बाद भी नज़र आ रहा है। किसी में हिम्मत नहीं है कि पुलिस के साथ जाकर बात कर सके। पुलिस जहां चाहती है, जिस व्यक्ति को चाहती है गिरफ्तार किये जा रही है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन ने जो कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसको हटाने के लिए नागरिकों ने जबरदस्ती कहा लेकिन सरकार की ओर से यह कहा गया है कि इनकी वजह से आतंकवाद हुआ है लेकिन मेरा कहना यह है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उसको समझने के लिए मेरी ओर से कुछ और कहना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा सा समय तो दीजिए। .....**(व्यवधान)**..... कहते हैं कि वहां 16 लोग मारे गए हैं लेकिन लोगों को पता नहीं कि वह संख्या कितनी है। .....**(व्यवधान)**.....आप कम से कम 16 मिनट तो दीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो दुर्घटना हुई, इसका मुख्य कारण .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन ऐसे बीच में नहीं बोलिए। आप भी दूसरे विषय पर बोलेंगे।

.....**(व्यवधान)**.....

श्री चंदूलाल चंद्राकर: वहां के मुख्य मंत्री और *** में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने का जो झगड़ा हो रहा है, उसके कारण यह हत्याकांड हुआ। *** वहां के उद्योग मंत्री कुछ महीने पहले गए थे और उन्होंने वहां उद्योगपतियों और मज़दूरों के बीच में समझौता कराया था। उन्होंने कहा कि हटाए गए मज़दूरों को ले लेंगे। जब उन मज़दूरों को लेने की प्रक्रिया शुरू हुई तो भोपाल से आदेश हुआ कि ये समझौता लागू मत करो। *** नहीं चाहते थे कि *** की प्रतिष्ठा वहां बढ़ जाए। .....**(व्यवधान)**..... उसके बाद एक बात और सुनिए। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: आप जरा संक्षेप में बोलिए।

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर): अध्यक्ष महोदय, एक मुख्य मंत्री और प्रदेश के मंत्री के नाम कैसे रिकार्ड पर जा सकते हैं? इनके नाम निकाले जाने चाहिए। ये नियमों के मुताबिक ठीक नहीं हैं। .....**(व्यवधान)**.....

श्री चंदूलाल चंद्राकर: वहां जो मंत्री हैं वे अभी भिलाई में ही हैं। परिणाम क्या हो रहा है कि वहां पर पुलिस का ज़बरदस्त आतंक फैला हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि पुलिस का जो आतंक है, मै किसी का नाम नहीं लूंगा, जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उनको वहां भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का आशीर्वाद है, इसलिए वह जैसा चाहती है वहां पर कर रही है, कितना चाहे उतना आतंक कर रही है। अध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के दो साल के राज में मध्य प्रदेश में जो कारनामे हो रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप जो हत्याकांड हुआ है, यह अब मध्य प्रदेश के लोगों की बरदाश्त के बाहर की बात हो चली है। इसलिए मैं आपसे और आपके माध्यम से यहां प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द

*अध्यक्ष पीठ के निर्देशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि 13 तारीख को राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले ही मध्य प्रदेश सरकार को बरखास्त करके वहां के लोगों को उनके अधिकार और न्याय दिलाया जाए। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट): महोदय, मैं श्री चंदूलाल चंन्द्राकर द्वारा भिलाई में निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर क्रूरतापूर्वक गोली चलाने की घटना की, की गई निंदा के पक्ष में हूं। घटना अत्यंत दुखद है। करीब 4,000 श्रमिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोग हैं जो उद्योगपतियों—नियोजकों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे—ताकि वे अपने वायदो को लागू करे। .....**(व्यवधान)**.....बिना चेतावनी दिए मध्यप्रदेश में उन पर गोलियां चलवा दी, जिससे 17 श्रमिक मारे गए और 100 से अधिक घटनास्थल पर उपस्थित श्रमिक घायल हुए।

सभी टीमें जिसने भी गोलीबारी की घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया वे सभी मध्य प्रदेश सरकार को दोषी मानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता—पी यू सी एल के महासचिव—वह कुछ दिन पहले भिलाई गए थे और उन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट ने जमानत के तौर पर एक लाख रुपये से अधिक देने को कहा। जमानत पर छूटने के लिये किसी भी व्यक्ति के लिये एक लाख रुपये का जमानत देना संभव नहीं है यदि उसने इस तरह का कोई अपराध किया भी हो तो भी संभव नहीं है। **(व्यवधान)**

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शांति पूर्ण हल खोजने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। ज्ञात हुआ है कि उद्योग मंत्री का श्रमिक यूनियन के साथ कोई समझौता हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: आप उन सारी बातों को न दुहराएं जो कही जा चुकी हैं। कृपया मुद्दे पर ही बात करें।

श्री चित्त बसु: यह स्थिति कैसे पैदा हुई।

अध्यक्ष महोदय: इसे दुहराने की क्या आवश्यकता है?

श्री चित्त बसु: श्रमिकों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें पुनः रोजगार दे दिया जाएगा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वादे लागू नहीं किये गए, जिसके कारण श्रमिकों में आक्रोश पैदा हुआ। यह विश्वास करने के आधार हैं कि इस समझौता या इन आश्वासनों को लागू नहीं करने के पीछे मध्यप्रदेश सरकार में जो उद्योगपतियों का गुट है उनका दवाब था। अतः भारत सरकार और श्रम मंत्रालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये यह उपयुक्त मामला है, ताकि वे इस विवाद के निपटारे के लिये उचित कदम उठा सके।

चूंकि यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी प्रभावित करता है इसलिये इस मामले में गृह मंत्रालय का भी दायित्व है। अतः मैं यह मांग करता हूं कि दो वक्तव्य दिए जाएं। जहां तक छटनी का मुद्दा है उस पर एक वक्तव्य श्रम मंत्रालय को देना चाहिये। दूसरे वक्तव्य गृह मंत्रालय द्वारा गोली चलाए जाने के मामले में दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप अधिक बोलेंगे तो वह कम प्रभावी होगा। अतः आप थोड़े में ही कह डालें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, एक जुलाई को भिलाई इस्पात-नगर में जो कुछ भी घटित हुआ.....

अध्यक्ष महोदय: आप को घटना का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया थोड़े में ही कहें।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं अभी अपनी बात एकदम थोड़े में ही कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में थोड़े में ही कहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य: मामले की गंभीरता को देखते हुए आप भी गौर करेंगे। अधिकांश श्रमिक छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजाति के लोग हैं। वे पूरी तरह शांत थे। वे रेल लाईन पर धरना दिए हुए थे। सरकार को एक सूचना दी गई थी कि वे इस तरह का आंदोलन चलाने का विचार कर रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार को इस आंदोलन का पूरा पता था जिसे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने चलाया था। उनकी एक सबसे बड़ी मांग थी शंकर गुहा नियोगी जिनकी हत्या विगत वर्ष हुई थी, के हत्यारे को गिरफ्तार करने की थी। किसी भी दोषी को नहीं पकड़ा जा सकता। और जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। छत्तीस गढ़ के हजारों जनजातीय श्रमिकों की यह महत्वपूर्ण मांगों में एक थी।

श्री राम नाईक: पहले उन्होंने कहा कि किसी को पकड़ा नहीं गया और अब कहते हैं कि जिन्हें पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया गया। इन दो वक्तव्यों में कुछ तालमेल होना चाहिये।

श्री बसुदेव आचार्य: जनजाति के श्रमिकों में आक्रोश था और उन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया था एक मात्र पुलिस अधिकारी, एक डी० एस० पी० को वहां पर नियुक्त किया गया था यद्यपि सरकार को इस मामले की गंभीरता की जानकारी थी कि छत्तीस गढ़ मुक्ति मोर्चा इस तरह का आंदोलन करने जा रही है। बजरंग दल के जैसा ही भड़काने वाला एक एजेन्ट है।.....**(व्यवधान)**.....

श्रमिकों पर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। संसद के दूसरे सदन के एक सदस्य जो सी पी आई (एम) के है, श्री एम० ए० वेबी ने इस स्थान का दौरा किया और यह रिपोर्ट दी थी कि 25 से अधिक जनजातीय श्रमिक पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। करीब दो दर्जन श्रमिक गायब है और उनका अभी तक पता नहीं चला है। सौ से अधिक श्रमिक अब भी अस्पताल में पड़े हैं। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि एक न्यायिक जांच कराई जाएगी लेकिन उन्होंने अब तक यह नहीं घोषणा की है कि कौन इसकी जांच करेगा। उन्होंने को न्यायाधीश इसके लिये नियुक्त नहीं किया है। हमारी यह मांग है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को इस तरह के गंभीर मामलों की जांच करने के लिये नियुक्त किया जाए न कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इस तरह की घटना जनजातीय लोगों पर कभी नहीं हुआ जो रेल लाइन पर धरना दे रहे थे। मैं यह मांग करता हूं कि उन श्रमिकों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए जो पुलिस की गोलीबारी में मारे गए।

यह घटना इस माह में पहली तारीख को घटित हुआ था। राज्य सरकार से गृह मंत्री को रिपोर्ट अवश्य मिला होगा। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर जब गृह मंत्री को कोई वक्तव्य देने के लिये कहा जाता है तो हम जानते है कि उनका वक्तव्य क्या होगा फिर भी हम यह मांग करते हैं कि भिलाई घटना के बारे में गृह मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये। भिलाई में क्या हुआ था कि वहां करीब 25 जनजातीय लोगों की हत्या पुलिस के गोली बारी में हुए? मैं यह मांग करता हूं कि आज ही सभा में गृह मंत्री अपना वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय: इस बीच हम दो कार्य करना चाहते हैं। मैं कुछ अन्य सदस्यों को भी अन्य मुद्दे उठाने का मौका दूंगा। एक मुद्दा है श्री चन्द्रशेखर जी से हमें एक पत्र गलत रिपोर्टिंग के संबंध में मिला है। उसमें कुछ नाम दिए गए हैं। मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी आप जांच करेंगे। कल

मैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में था। और तीन दैनिक अखबारों ने यह कहा है कि विचित्र बात यह है कि श्री चन्द्रशेखर ने समर्थन नहीं किया। यह मामला कक्ष में चर्चा करने का नहीं है। ये अखबार वाले कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करते है?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): अब आपने स्पष्ट किया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): आपको उन समाचार पत्रों की भर्त्सना करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: क्या चर्चा करने का यही तरीका है? अध्यक्ष महोदय, मुझे लोगों से टेलीफोन संदेश मिल रहे हैं। आप कहते हैं कि मैंने मात्र पत्र लिखा है। मैं इस मामले को उठाना नहीं चाहता। मैंने आपको एक पत्र लिखा था। कम-से-कम आपको मेरा पत्र सभा में पढ़कर सुनाना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय यह मामला हमारे राजनैतिक निष्ठा की है और इसे इस तरह लिया जा रहा है मानों कोई रिपोर्ट सामने आई है....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष महोदय: चन्द्रशेखर जी मुझे यह पत्र तभी मिला था जब मैं पीठासीन हुआ था। पांच मिनट पहले की ही बात है और आप मुझ से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि उतने की समय में सभा के कार्यवाही का संचालन भी करूं और पत्र भी पढ़ूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने नियम का भी जिक्र नहीं किया है। चन्द्रशेखर जी मेरे विचार में आप बेवजह ही क्रुध हो रहे हैं। मैंने कभी भी नियमों की बात नहीं की और मैंने यह भी कभी नहीं कहा कि समाचार पत्र में जो कुछ लिखा है वह भी ठीक है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अब यह स्पष्ट है कि आपने इसका समर्थन किया।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे स्पष्ट ही करना चाह रहा था।

श्री चन्द्रशेखर: आप नियमों की चर्चा करें या नहीं मुझे इसकी कोई चिंता नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया उत्तेजित न हों, मैं केवल स्पष्ट करना चाह रहा था। **(व्यवधान)**

12.27 म०प०

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में कतिपय अनियमितताएं और लेन-देन

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी०वी० नरसिंहराव): अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ महीनों में देश के वित्तीय क्षेत्र में जो घटनायें प्रकाश में आई हैं उससे मुझे तथा देश को काफी चिन्ता हुई है। इस प्रकार के मामले के प्रसार की पूर्ण रूप से जांच की जानी है तथा प्रभावी उपाय किये जाने हैं ताकि देश की वित्तीय संस्थाओं की आधारभूत निष्ठा को किसी प्रकार का धक्का न लगे और आर्थिक विकास को मजबूत करने तथा उसकी गति को तेज करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले नये आर्थिक उपायों में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। मेरी सरकार गत कुछ महीनों से परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर पर कारगर एवं प्रभावी उपाय करती रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच तथा विशेष न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पर अमल किया जायेगा तथा उसके परिणाम-स्वरूप जो कुछ भी जरूरी हुआ वह किया जायेगा।

जबकि इस पहलू पर पूर्ण रूप से कार्यवाही की जा रही है मैं महसूस करता हूं कि संसद के माध्यम से

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

व्यापक जांच किये जाने की आवश्यकता है। यह न केवल संसदीय श्रेष्ठता को पूरी तरह स्थापित करेगा, अपितु देश के हितों की सुरक्षा के लिए कारगर रक्षोपाय प्रदान करेगा। हमने संसद में सभी राजनीतिक पार्टियों से विचारविमर्श किया है तथा इस संबंध में एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की आवश्यकता पर सहमति हुई है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे संयुक्त संसदीय समिति के गठन की कार्यवाही करें तथा उसे यह उत्तरदायित्व सौंपे जिसका मैंने उल्लेख किया है तथा जो उपयुक्त समय के भीतर पूरा किया जा सके।

मैं इस महान हाउस को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य सत्य को उजागर करना है और राष्ट्र के व्यापक हितों में एक प्रगतिशील अर्थ-व्यवस्था में सुचारूपरिवर्तन सुनिश्चित करना है। ....**(व्यवधान)**....

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): सर्वप्रथम आप वित्त मंत्री को बर्खास्त कीजिए, वह उत्तरदायी है। ....**(व्यवधान)**

12.28 म०प०

भिलाई में श्रमिकों पर गोली चलाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय मैं इस बारे में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में हुई घटना संबंधी मुद्दा उठाना चाहता हूं। भिलाई पर अभी तक हुई चर्चा का क्या परिणाम निकला है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सरकार इसका उत्तर दे। यह बहुत गंभीर मामला है। महोदय, फायरिंग में अनेक कामगार मारे गए थे। हम जानना चाहते है कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: पच्चीस व्यक्ति मारे गए थे। क्या आप यह नहीं समझते कि इससे हमारी छवि खराब होगी?

गृह मंत्री (**श्री एस० बी० चव्हाण**): मैं वक्तव्य देने के लिए तैयार हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज?

श्री एस० बी० चव्हाण: जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, मैं वक्तव्य दूंगा। .....**(व्यवधान)**.....

श्री सैफुद्दीन चौधरी: हमें भिलाई हत्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। ....**(व्यवधान)**....

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अफसोस होता है अलग-अलग विषयों को जोड़कर एक गलत चित्र का जब यहां निर्माण होता है और उसको बताया जाता है। वास्तव में भिलाई में जो घटना हुई है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने जो आन्दोलन चलाया था, उसका गुहा नियोगी हत्याकांड से कोई सम्बन्ध नहीं था। पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने ....**(व्यवधान)**....देखिये, सुनने का साहस रखें। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही इस हत्याकांड की पूरी की पूरी कार्यवाई सी०बी०आई० को सौंप दी है....**(व्यवधान)**....छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा द्वारा जो आन्दोलन चलाया जा रहा था, उसमें उनकी 9 मांगें थीं। वह समय-समय पर श्रम आयुक्त के पास जाते रहे, चर्चा चलती रही। मैं बिल्कुल थोड़े में बताना चाहूंगी ....**(व्यवधान)**....इन्दौर में बैठकें हो गई थीं, उनके नेताओं से चर्चा हो गई थी और चर्चा होने के बाद

9 मांगों में से 8 मांगें मंजूर की गई थीं। उन आठ मांगों पर समझौता हो गया था जो कि मजदूरों के जीवन से संबंधित थीं, भविष्य निधि से संबंधित थी, ऋण से संबंधित थी और इस प्रकार की आठ मांगों पर एक प्रकार से समझौता हो गया था। केवल एक मांग जो थी, जो निकाले गये मजदूर थे, यह अलग-अलग फैक्ट्रियों में अलग-अलग कारखानों में थे और कहीं 800, कहीं 400, कहीं 500 थे। इस प्रकार से इस पर भी चर्चा चल रही थी। जब आन्दोलन की बात शुरू हो गई तब 22 मई को माननीय उद्योग मंत्री कैलाश जोशी रायपुर गये जबकि 25 मई को आन्दोलन होना था। उनकी इनके नेताओं से पूरी बातचीत हो गई थी और उनका समाधान हो गया था। उन्होंने आन्दोलन स्थगित करने की बात कही थी लेकिन उसके बाद में चर्चाओं का दौर चल रहा था, कोई न कोई समाधान निकालने की कोशिश चल रही थी लेकिन 29 जून को लोगों का जमघट लगना वहां शुरू हो गया था और एक जुलाई को अचानक कोई भी किसी प्रकार की चेतावनी दिये बिना वहां रेल लाइन के आसपास हजारों लोग एकत्रित हो गये थे। उन लोगों ने रेल लाइन पर जो श्रमिक थे, जिन में से कुछ हैलमेट पहने श्रमिक भी थे, पूरी रेल लाइन पर ये लोग बैठ गये। आपको तो मालूम ही है कि रेल लाइन पर गिट्टी, पत्थर पड़े रहते हैं। सुबह सवा नौ बजे बिना घोषणा के "रेल रोको" आन्दोलन और धरना आन्दोलन शुरू हो गया जो करीब शाम तक चलता रहा जिस के कारण दोनों तरफ 10-10 और 12-12 रेलें रूक गई ....(**व्यवधान**)....

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग): वहां बिना कारण गोली चलायी गई ....(**व्यवधान**)....

श्रीमती सुमित्रा महाजन: आप पहले जरा सुन लीजिये। एक तरफ सारनाथ एक्सप्रेस थी और उसके पीछे मालगाड़ी लगाकर कई ट्रेनें रोक दीं। इन ट्रेनों में हजारों यात्री परेशान हो रहे थे। उसमें महिलायें थीं, बच्चे थे बच्चे दूध और पानी के लिये परेशान हो रहे थे। कड़कती धूप का समय था। जब 2 बार 3 बार समझाने से भी लोग समझ नहीं रहे थे, इतने में वहां जो गिट्टियां पड़ी थीं, उससे अचानक पथराव शुरू किया गया था मजदूरों के द्वारा, धरना दे रहे लोगों के द्वारा पथराव शुरू किया गया, भारी मात्रा में पथराव होने लगा और जब ऐसा पथराव होने लगा तो सारनाथ एक्सप्रैस को भी क्षति पहुंची है, रेलवे यात्रियों की भी एक प्रकार से सुरक्षा का सवाल जब खड़ा हो गया तब समझाने के लिए पुलिस आफिसर वहां मौजूद थे, कलैक्टर मौजूद थे, सभी प्रकार के आफिसर मौजूद थे, वे समझाने के लिए जब जाने लगे और पुलिस वालों पर भी भयानक रूप से पथराव हुआ, भयानक रूप से हाथ में लाठी-गाटी लेकर मजदूरों ने एक प्रकार से आक्रमण किया और जो पुलिस आफिसर समझाने गये, उनमें से एक पुलिस इन्सपैक्टर*** ने जब समझाकर देखा कि नहीं मान रहे हैं, पथराव हो रहा है, वह वापस आ रहे थे, उनका पांव अटक गया, वह वहां गिर गये और गिरने के बाद मजदूरों ने उनको घेर लिया, वहां जो आन्दोलनकारी थे, उन्होंने उनको घेरकर पत्थरों से कूट-कूट कर उस पुलिस इन्सपैक्टर को मार डाला, यह सत्य है।....(**व्यवधान**)....यह वास्तविकता है। वहां पर जो आन्दोलनकारी थे, उनमें सभी प्रकार के लोग शामिल हो गये थे और उन्होंने इस प्रकार से जब पुलिसकर्मी को कूट-कूट कर मार डाला तो मार डालने के बाद वहां भयावह परिस्थिति निर्माण हो गई, करीब 8-10 घण्टे तक यह धरना चलता रहा। फिर आंसू गैस छोड़ी गई लेकिन आंसूगैस का भी कोई प्रभावी उपयोग नहीं हुआ। उनको बार-बार चेतावनी दी गई, बैनर बताये गये लेकिन इसके बाद भी जब यह देखा गया कि 10 घण्टों से हजारों यात्री परेशान हो गये, पुलिस इंस्पैक्टर मारा गया, पुलिसकर्मी घायल हो रहे थे, क्योंकि, वहां रेल पर जो बिछी हुई गिट्टी थी, उससे भारी पथराव हो रहा था, सभी तरफ असुरक्षा का वातावरण इस कदर निर्माण हो रहा था और किसी चीज का

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

भी फायदा नहीं हो रहा था तब पहले हवा में फायरिंग की गई और हवा में फायरिंग करने का भी जब उपयोग नहीं हुआ, तब जो लोग घायल हो गये हैं, उनमें से केवल 15 लोग मृत हो गये हैं।

उसके बाद भी यह सारा जो घटनाक्रम हो गया है, इसमें एक थोड़ी बात समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का जो नेतृत्व है, उनकी आपस में जो नेतृत्व की लड़ाई है, यहां एक बात की जांच करना भी बहुत जरूरी है कि वहां कुछ ऐसे लोग रहते हैं, उनमें एक*** करके हैं, जिनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं है लेकिन इस प्रकार के असामाजिक तत्व वहां पर यह भावना फैला रहे हैं....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह नाम कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: माननीय अध्यक्ष जी, इसके तुरन्त बाद माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पहुचे हैं और पहुंचने के बाद निष्पक्ष न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई है।

अध्यक्ष जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज जब हम यह अविश्वास प्रकट करते हैं कि मध्य प्रदेश के न्यायाधीश के द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा होनी चाहिए, यानि न्यायालय पर भी हम अविश्वास प्रकट करते हैं। लेकिन हमें न्यायालय पर विश्वास है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त जो घायल थे, उनकी सहायता की घोषणा की है और जो मृतकों के परिवार थे, उनको भी 10-10 हजार रुपये की सहायता की घोषणा की गई है। स्वयं मुख्य मंत्री प्रत्येक घायल को मिलने गये थे और न्यायिक जांच की भी घोषणा हो चुकी है तो इसके उपरान्त मैं इतना ही आखिर में कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति, इस हिन्दुस्तान का जो नागरिक है जो भारतीय संस्कृति में पला है, बढ़ा है, भारतीय संस्कार जिसके हैं, वैसा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नरमेध नहीं करना चाहेगा, नरबलि नहीं देना चाहेगा, लोगों को मारना नहीं चाहेगा। हम कोई तैमूर लंग या बाबर की सन्तान नहीं हैं, जो हम लोगों को मारेगे, हम भारतीय संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं।

मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वहां का जो वातावरण है, उसके अनुसार कार्रवाई हो गई है और न्यायिक जांच की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। लोगों को सहायता भी दी गई है तो इस प्रकार की गलतफहमियां फैलाने की कृपया कोशिश न करें।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ): माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई में जो घटना हुई, यह बहुत ही दुख की बात है। अभी हमारी सुमित्रा बहन जी बोल रही थीं कि हमने समझा बुझा कर गोली चलाई तो क्या भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है कि समझा बुझा कर गोली मारे? उसमें कौन लोग मरे? उसमें मजदूर, आदिवासी, हरिजन, गरीब लोग मरे, जो अपनी सही मांगों को लेकर वहां प्रशासन को कोई आवेदन, मैमोरेण्डम नहीं दे सकते, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति हो गई? ऐसे लोग जो गरीब इस बात को जानते नहीं, अपनी लड़ाई के लिए वह पहली बार खड़े होते हैं.... कई महिलायें, कई हरिजन और कई आदिवासी हैं, उन लोगों को गोली लगी है। आप कह रहे हैं कि पचास-पचास हजार रुपए दिए जा रहे हैं। क्या हिन्दुस्तान के मनुष्य की कीमत पचास हजार रुपए हैं? यह कितने अफसोस की बात है। क्या यही संस्कृति है? ...**(व्यवधान)**.... यह जो घटना है, बहुत बड़ी घटना है। इसको आप छोटी-मोटी घटना मत समझिए। भिलाई

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर बड़े-बड़े पूंजीपति लोग रहते हैं। ....**(व्यवधान)**.... नियोगी की हत्या हो गई, आज तक मध्य प्रदेश सरकार कुछ पता नहीं लगा पाई। ....**(व्यवधान)**.... अध्यक्ष जी, वे लोग कहां गए, आज तक पता नहीं लगा है। ....**(व्यवधान)**.... अध्यक्ष जी, यह नई संस्कृति मध्य प्रदेश के अन्दर आई है। मध्य प्रदेश में पटवा की सरकार लाठी का राज चला रही है। हमारे बम्बई के एक दोस्त बैठे थे। बम्बई में वर्ली मटका चलता है और आज मध्य प्रदेश में पटवा मटका चल रहा है, गांव गांव में। झाबुआ में एक हत्या हो गई, इस वर्ली मटका में। इसका कौन ज़िम्मेदार है। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं। आडवाणी जी और अटलीजी बैठे हुए हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कितने लोगों की हत्यायें हो रही हैं। मेरे पास यह प्रैस की कटिंग है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भिलाई की जो यह घटना है, इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी शासन दोषी है। जैसी कि मांग की गई है, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है। ....**(व्यवधान)**)....

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय: आप रोज़ बोलते हैं।

श्री राम विलास पासवान: हम वहां गए हुए हैं, भिलाई। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप दो मिनट में बोल दें।

श्री राजवीर सिंह (आंवला): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रिकार्ड में देना चाहता हूं। यह कोई तरीका नहीं है, हम लोग पीछे हाथ खड़े करते रहते हैं, मौका नहीं मिलता है और ये नेता लोग हर विषय पर बोलें।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, यह कोई नेता का मामला नहीं है। पोलिटिकल पार्टी का मामला है।...**(व्यवधान)**...

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष जी, क्या हम लोग चुन कर नहीं आए हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: आपने जब उनको इस विषय पर मौका दिया है, तो क्या हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नहीं है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, आपके सामने बहुत सारे विषय हैं। सभी विषयों पर आप बोलना चाहते हैं। आप लम्बा बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे, तो सारे विषय सामने नहीं आयेंगे। आप अगर कल बोले हैं, तो आज नहीं बोलते, तो ठीक था। आप कह रहे हैं कि आप वहां गए हैं, तो मैं आपको टाइम दूंगा। मगर आप यह याद रखिए कि हमारे समाज के कुछ कमजोर व्यक्तियों के बारे में कुछ होता है, तो करते हैं और वर्कर्स के बारे में हुआ है। इसलिए समय दे रहे हैं, आप बहुत संक्षेप में बोल कर बैठ जाइए।...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, वहां का जो मुख्य मुद्दा है, वह है वर्कर का। वहां का जो मुख्य मुद्दा है...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: आप हर विषय पर बोलेंगे।...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान: हम जनता दल की हैसियत से बोलते हैं और बोलने का अधिकार है।

[श्री राम विलास पासवान]

...**(व्यवधान)**...आप भारतीय जनता पार्टी की हैसियत से बोलते हैं। मैं पूछता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है, जो हर विषय पर नहीं बोलती है।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: देखिए, आप पहले मेरी बात को सुनिए। आप रोज बोलेंगे, बार-बार बोलेंगे तो कैसे चलेगा।...**(व्यवधान)**...

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) आप पालिटीकल पार्टी के प्रत्येक लीडर को बार-बार समय दीजिएगा और हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाइएगा। ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है। यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, जो भिलाई का मामला है...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हमने उन्हें सुना है। वह हमें सुनें।...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सर, इस मामले की जो जड़ है वह है मजदूर की समस्या। वहां भिलाई में मजदूर मर रहे हैं और पिछले कई वर्षों से मिनिमम मजदूरी के लिए वहां मजदूर लड़ रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...आज भी बोन्डेड लेबर बना करके वहां मजदूरों को रखा जा रहा है। 25 रुपया, 20 रुपया मजदूरी के बदले में 10 रुपया दिया जा रहा है। 20-25 साल काम करने के बाद भी कांट्रैक्ट लेबर, जो कांट्रैक्ट सिस्टम है वह समाप्त नहीं किया गया है और इसके कारण वहां सारे का सारा मामला चला है। शंकर गुहा नियोगी जी इसी मामले को लेकर लड़ रहे थे और उनकी हत्या हुई। हम लोग वहां गए और हम लोगों ने उसी समय में कहा था कि इसमें बड़े-बड़े पूंजिपतियों का हाथ है। हमको आज पहली बार देखने का मौका मिल रहा है कि एक मजदूर की हत्या के ऊपर भी यहां राजनीति चल रही है और मेम्बर आफ पार्लियामेंट डिफेंड कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मजदूर बैठे हुए थे, इसका मतलब आप गोली चला देंगे। ...**(व्यवधान)**...यह कोई एक सरकार का मामला नहीं है और पुलिस फायरिंग को इस तरह से डिफेंड करना मानवता के खिलाफ है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है? सी बी आई का मामला आया, ...**(व्यवधान)**...सी बी आई का रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया। सी बी आई का रिपोर्ट है, सरकार इस पर कार्यवाही करने का काम करे, अगर इसी तरीके से सदन में मजदूर की आवाज को रोकने का काम किया जाएगा तो कैसे चलेगा। आप सदन के मालिक हैं। हम किसी दूसरे पोलिटीकल पार्टी के कोटे से नहीं बोलते हैं हम अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहते हैं इसलिए जनता दल इस निर्मम हत्या कांड की निन्दा करता है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार मजदूरों की रक्षा के लिए कदम उठाने का काम करे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, गोलीबारी कहीं पर भी हो और उसमें लोग मारे जाएं, यह एक

दुखद बात है और मैं समझता हूं कि इसमें दो मत नहीं हो सकते। गोलीबारी मजदूरों पर चाहे भिलाई में हो या हरिजनों पर फरीदाबाद में हो या आम नागरिकों पर तीन बीघा में हो, उसके बारे में स्वाभाविक रूप से क्षोभ होगा लेकिन जानकारी करनी होगी और यह जानकारी जरूर करनी होगी कि गोलीबारी क्यों हुई? क्या गोलीबारी करते हुए पुलिस ने नाजायज ताकत का इस्तेमाल किया या एक्सेसिव ताकत का इस्तेमाल किया। मैं समझता हूंकि जब भी जूडिशियल इन्क्वायरी बिठाई जाती है तो उसका एक प्रमुख टर्मस आफ रेफरेंस यही होता है, गोलीबारी यहां हुई उसमें 15 या 16 लोग या जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 25 लोग मारे गए तो मैं कहता हूं कि 25, 36 या 15, 15 कोई कम नहीं हैं, जो सरकार का आफिशियल फीगर है। 16 लोग भिलाई में मारे जाएं मैं इसको बहुत दुखद मानता हूं। अगर एक्सेसिव फोर्स के इस्तेमाल के बारे में ज्युडिशल इन्क्वारी न बिठाई जाती, तब इस तरह की बात करना उचित होता और एक वर्शन जैसा कि सुमित्रा जी ने कहा, किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। मध्यप्रदेश सरकार की आलोचना की, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस को बार-बार वहां की रेलवे अथारिटीज ने कहा, बार-बार दबाव डाला गया कि इस जगह को खाली करवा कर दीजिए, यानी उन्होंने आरपीएफ का इस्तेमाल नहीं किया, शायद इतनी होगी नहीं, लेकिन उन्होंने लिखित रूप में मध्य प्रदेश सरकार को कहा कि दोनों तरफ से ट्रेनें रुक गई हैं, इसलिए पटरी को खाली करवा दीजिए। यह मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा, रेलवे मंत्रालय द्वारा बार बार कहा गया कि पटरी खाली करवाइए और आज मंत्री जी कहते हैं कि मैं पता करवाऊंगा, इनको यह तो पता होगा कि सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार से मांग की थी कि पटरी खाली करवाइए। अब जब पटरी खाली करवाने एक पुलिस अधिकारी वहां गया तो बातचीत करते हुए लोगों ने पथराव करके उस पुलिस अधिकारी को मार डाला, यह सरकार का वर्शन है। अब ज्युडिशल इन्क्वारी में यह जांच होगी कि सरकार का वर्शन सही है या अपनी फायरिंग को जस्टीफाई करने के लिए उसने ऐसा कहा है। मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कहूं, लेकिन जब पुलिस अधिकारी आन दी स्पाट मारा गया और कहते हैं कि पथराव के कारण उनका भेजा बाहर निकल आया और एक महिला पुलिस अधिकारी लगभग मर गई।

[अनुवाद]

वह पथराव में लगभग मर ही गई थी। ये तथ्य प्रकाश में आए हैं अथवा इन्हें हमें दिया गया है। क्या वे सही है या कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है या क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया औचित्य है, यह एक स्वतन्त्र जांच द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने इस स्थिति में संभव उचित कार्य ही किया है अर्थात् न्यायिक जांच गठित की है और अधिक बल प्रयोग का पता लगाने का प्रयास किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा चल रही थी उसमें बहुत सारी चीजें हल हो गई थीं। वर्कर्स के प्रति न्याय करने की नीयत सरकार की इस बात से प्रमाणित होती है कि जो 9-10 मांगें थीं, एक को छोड़कर बाकी सब मांगें पूरी हो गयीं थीं।

[अनुवाद]

कामगारों की शिकायतों के संबंध में भी सरकार की इच्छा स्पष्ट कर दी गई है।

[हिन्दी]

लेकिन उसमें और कोई कारण नहीं मिला।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

[अनुवाद]

यह सुनकर मैं चकित और हैरान रह गया कि

[हिन्दी]

यहां पर पुलिस वाले के मरने की बात नहीं की गई, महिला पुलिस अधिकारी को बुरी तरह से घायल किए जाने की चर्चा नहीं की गई और बीच में यह कह दिया गया कि बजरंग दल वहां पर आ गया।

[अनुवाद]

वे तो भड़का रहे थे और इस कारण यह हुआ। मैं चाहता हूं कि मय प्रदेश सरकार के खिलाफ ऐसे बेबुनियाद गलत आरोप लगाने के लिए संसद भवन के मंच का उपयोग नहीं किया जाना था। मध्यप्रदेश सरकार को यह उत्तर देना होगा कि ऐसी फायरिंग की क्यों जरूरत पड़ी और वे इस मामले में उचित जांच के बाद ही उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, आज मैं केवल इसलिए आया, क्योंकि प्रधान मंत्री जी एक वक्तव्य देने वाले थे, एक सूचना बोर्ड पर लगी हुई थी कि

[अनुवाद]

प्रश्न काल के तुरन्त बाद प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा और मैं यहां देख रहा हूं कि सत्ताधारी दल से श्री चन्दूलाल चन्द्राकर खड़े हैं और भिलाई को एक और जलियावाला बाग बता रहे हैं। क्या यहां पर संसद सदस्यों से ऐसे वक्तव्य की अपेक्षा की जाती है ? कैसी स्थिति है?

[हिन्दी]

मेरा निवेदन यह है कि मैंने 3 उदाहरण दिए, हरियाणा में जाटव मारे गए, पुलिस ने मार दिए, वहां पर कोई ज्यूडिशल इन्क्वारी नहीं बिठाई गई, किसी ने इस बात की चर्चा नहीं की। तीन बीघा में लोग मारे गए, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, होगी।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पाया हूं सिवाय इसके कि मध्यप्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट किया है, इसलिए हर मौके पर संसद में मध्यप्रदेश की सरकार पर, राजस्थान सरकार पर, उत्तरप्रदेश सरकार पर हमला होता रहेगा। आपको इस पर विचार करना है कि क्या यह मंच इस बात के लिए है? जहां तक भिलई का सवाल है, मैं समझता हूं कि सरकार को जो कुछ करना चाहिए था। मेरे पास जार्ज फर्नान्डीज जी ने भेजा था। मेरे पास शंकर नियोगी एक बार मिलने आए थे। मैंने उसके बारे में जो कुछ भी मेरा प्रभाव हो सकता था, मध्यप्रदेश की सरकार पर डालने की कोशिश की और उन्होंने उस दिशा में काम किया।

अभी भी कैलाश जोशी जी ने जो कुछ किया, जिसका जिक्र यहां पर किया गया, उन्होंने पटवा जी के आदेश से, उनकी सलाह से जाकर वहां समझौता कराने की कोशिश की। आखिर में एक्सैसिव यूज आफ फोर्स हो गया। क्यों हुआ, किस के कारण हुआ, इसकी जानकारी जरूर करनी चाहिए। जो वहां पर मजदूरों के नेता हैं, सारे वरशन्ज को क्योंकि मैं सुनता रहता हूं, उनकी आपसी लीडरशिप का झगड़ा है, उसके कारण ऐसा हो सकता है, यह मैं नहीं जानता। ...**(व्यवधान)**... मेरा निवेदन इतना है कि न्यायिक जांच का निश्चय कर के,

जहां तक मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने अपनी विश्वसनीयता और नेकनीयती प्रमाणित की है। उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। धन्यवाद।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मान्यवर अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं गुजरात में, विशेषकर अहमदाबाद में पिछले सप्ताह रथ-यात्रा के दिन जो पूर्वनियोजित अमानवीय हत्याएं हुई, उसकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सारा देश जानता है कि दो जुलाई को देशभर के कई कोनों में, देश के कई हिस्सों में भगवान जननाथ की यात्रा परम्परागत शहरों से निकलती है। गुजरात में भी, अहमदाबाद में 113 साल से निश्चित रुट से भगवान जगन्नाथ की रथ-यात्रा निकलती है। लाखों नागरिक यात्रा में शामिल होते हैं। सुबह 7.30 बजे यात्रा निकलती है और शहर के विविध राजमार्गों से गुजर कर यात्रा रात को 12 बजे वापस भगवान

12.56 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

के मन्दिर पहुंचती है। पिछले 10-15 सालों से अहमदाबाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं के सहयोग से गुण्डों ने, असामाजिक तत्वों ने और देश विरोधी तत्वों ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, वे चाहते हैं कि रथ-यात्रा हमारे इलाके से न गुजरे। 1947 में भी इस यात्रा पर हमला किया गया, 1985 में भी हमला किया गया और 1987 में भी इस यात्रा पर हमला किया गया। दो जुलाई को यह यात्रा निश्चित समय पर 7.30 बजे जगन्नाथ के मन्दिर से निकली। अगले दिन दूरदर्शन पर कहा गया कि यात्रा सलामत ढंग से जाएगी और रात को वापस पहुंचेगी। सुबह जैसे ही यात्रा निकलने के बाद शाम को 4.45 बजे यात्रा दरियापुर विस्तार और शाहपुर विस्तार से गुजरने लगी, जहां असामाजिक तत्वों ने अड्डे बनाए हैं, उस पर हमला किया गया। उस वक्त हजारों की संख्या में पुलिस वहां उपस्थित थी, डी०आई०जी० वहां पर मौजूद थे। क्योंकि हमेशा इस यात्रा पर हमला उसी विस्तार में होता है। डी०आई०जी०, आई० जी० और सी० पी० वहां मौजूद थे।

उपाध्यक्ष जी, वहां बड़े-बड़े टावर बनाए गए थे। दूरदर्शन पर प्रजा को विश्वास दिलाया गया था कि आप यात्रा निकालिए, शांति से जाइये, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यात्रा 4.45 सांय दरियापुर में प्रवेश करने लगी चारों तरफ से बिल्डिंग में से सोडावाटर की बोतलें, प्राईवेट फाइरिंग, गोलीबारी की गयी और यात्रा पर पत्थर मारे गए। डी०आई०जी० की हाजरी में, हजारों पुलिसकर्मियों की हाजरी में सी०आर०पी० के इंस्पैक्टर सरदारा सिंह को प्वाइंट ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया गया। 10 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। उपाध्यक्ष जी, यात्रा जब शाहपुर पहुंची एसिड बम और पैट्रोल बम यात्रा पर डाले गए, तीन घण्टे में 9 लोगों का कत्ल कर दिया और 120 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया।

...(**व्यवधान**)... हमने बार-बार सरकार को कहा था कि ये असामाजिक तत्व विदेशियों से मिले हुए हैं जो शराब खाने, जुआ खाने और विदेशी शस्त्रों का भंडार करते हैं। उनको नियंत्रित किया जाए, फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इतना कहने पर भी इस शहर की जनता को संरक्षण नहीं दिया गया। सारे शहर में तीन दिन तक हिंसा की वारदातें बनती रहीं और निर्दोश लोगों पर प्राइवेट फायरिंग होती रही, ऐसिड के बल्ब और बम फेंके गये। गुजरात के अखबारों ने लिखा—"रक्त रंजित रथ यात्रा-आठ मौत और 110 घायल" और एक दूसरे अखबार ने लिखा—"रथ यात्रा पर पथराव और उनसे परिक्रमा छिन्न-भिन्न—अहमदाबाद में पुनः कौमी अशांति-आठ मौत और 100 घायल"। यह सिलसिला कब तक चलेगा। पूरे शहर में चर्चा है कि कांग्रेस के दो गुट हैं और झगड़ों के कारण रथ यात्रा पर हमले हुए हैं। जब वहां के मुख्य मंत्री कांग्रेस में आए तो कुछ कांग्रेस के लोगों का संबंध ...(**व्यवधान**)...ऐसे तत्वों के साथ है। 1985 में भी इन्हीं ग्रुपों के झगड़ों के कारण रथ यात्रा पर हमला किया गया था और उस वक्त के कांग्रेस के एक एम०एल०ए० को भी मिस्त्री पकड़ा गया था। कांग्रेस और असामाजिक तत्वों के गठबंधन से बार-बार शहर में अशांति पैदा की जाती है। रथ यात्रा के दिन छह घंटे तक निर्दोष लोगों पर फायरिंग हुई, जुल्म होते रहे, हत्याएं होती रहीं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। कुछ मुट्ठीभर लोग अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए जुल्म करते हैं। अभी तक कोई

[श्री हरिन पाठक]

कार्यवाही नहीं की गई। मैंने उस रात को केन्द्रीय गृह मंत्री को फोनोग्राम किया और तुरंत गुजरात आने का निमंत्रण दिया। ...(**व्यवधान**)... उस दिन मैं अस्पताल में मौजूद था। उस दिन 120 लड़के खून में लथपथ, अस्पताल में लाया गया, जिन्होंने सिर पर केसरी कपड़ा बांधा हुआ था।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

मैं यहां पर इसकी निन्दा करने आया हूं और सी० बी० आई की जांच की मांग करता हूं और गुजरात सरकार को इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।

[हिन्दी]

मैं सदन में यह कहना चाहूंगा कि जो भी गुनाहगार हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए।

श्री रीतलाल वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी सांसद श्री हरिन पाठक ने अहमदाबाद की सही वास्तविक स्थिति को सदन के सामने रखा है। उन्होंने जो बताया है, वह बिल्कुल सही है। रथ यात्रा के तीनों रथ जला देने का इरादा था क्योंकि रास्ते पर पहले से पैट्रोल का छिड़काव किया हुआ था और ऊपर से बम फेके जा रहे थे। अगर आग लग जाती तो तीनों रथ जल जाते। इसके साथ-साथ रथ यात्रा पर चारों ओर से पथराव गोलीबारी हुई। साथ में जो पुलिस थी तो उसने भी सामने फायरिंग नहीं की। लेकिन रथ में बैठी हुई पुलिस और ट्रक में बैठी हुई पुलिस ने कुर्सी अपने सिर पर रखकर अपना बचाव किया और खुद पुलिस वाले महन्त की जीप के नीचे छिप गए। रथ यात्रा में आने वाले लोगों की रक्षा करने की बजाए वे अपनी रक्षा में लगे थे। यह दंगा इतना भड़का की अहमदाबाद शहर में जहां दलित लोग रहते हैं तो उनके झोंपड़े जलाए गए और जहां जिस मौहल्ले में पांच-छह दलित कुटुम्ब रहते थे, जैसे कि छाबावाली चाल तो वहां आकर बदमाशों ने कहा कि तुम यहां क्यों रह रहे हो, यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हें जान से मार देगें। सविता नाम की औरत के दोनों हाथ तोड़ दिए गए। उनके घरों को लूट लिया गया और बाकी लोग पूरे मौहल्ले छोड़कर दूसरी जगह चले गए, जैसे कि दुगलपुरा, नवगजापीर का टेकरा, रायखड, राजपुर गुमटीपुर, नडियावाड, कांच की मस्जिद। बोरीचाका मोहल्ला, मुखीली चाल, शारपुर रूस्तम अली का ढ़ाबा इत्यादि जगह में। इनमें रहे वाले दलित लोग अपना-अपना घर छोड़कर द्रानी-लिमड़ा रानीय, जुहापुरा में रहने आ गए हैं। लेकिन यहां भी असामाजिक तत्वों के द्वारा और निश्चित जाति के द्वारा सवर्ण हिन्दुओं की पूरी सोसायटी को खरीदा जाता है। (**व्यवधान**) दलित लोग आज शहर में भी सलामत नहीं हैं। जहां मैं रहता हूं वहा मेरे अड़ौस-पड़ौस में सारी सोसाइटीज लाखों रुपये देकर लोग असामाजिक तत्वों के सहयोग से ले लेते हैं। जो दलित अपना घर बेचना नहीं चाहते उनको चिट्ठी दी जाती है कि तुम घर बेचकर चले जाओं, नहीं तो तुम्हारी लाश ही मिलेगी। हमने गुजरात के मुख्य मंत्री को कहा, मुख्य मंत्री ने कानून बनाया कि ऐसे समस्याग्रस्त क्षेत्र में किसी भी मकान का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन असामाजिक तत्व वास्तविक कब्जा लेकर अपनी मनमानी करने लगे हैं। इसलिए आज वहां पर, अहमदाबाद में, लोग सलामत नहीं हैं।

धार्मिक स्थल से जलूस पर इतने बड़े पत्थर फेके गये कि पूरा घर टूटकर नीचे गिर गया। शाहबुद्दीन साहब यहां तो सब कर रहे हैं, लेकिन वहां जाकर देखें कि अहमदाबाद में किस धार्मिक स्थल से पत्थर फेके गये और उन पत्थरों पर क्या लिखा हुआ है। हमने माननीय आडवाणी जी के सानिध्य में वहां का दौरा किया और जख्मी लोगों को देखा था, कुछ व्यक्तियों को घायलावस्था में रिक्शा पर लादकर ले जाया जा रहा था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि दलित लोग गांवों में भी सलामत नहीं हैं और शहरों में भी सलामत नहीं हैं। वे लोग अपने बारे में चिन्तित हैं। जो पढ़े-लिखे लोग हैं पुलिस उन पर दमन कर रही है, उनको पीट रही है, उनकी धर-पकड़ कर रही है। दूसरी ओर इन दलित वर्गों के लोगों पर असामाजिक तत्व हमला कर रहे हैं इससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। जब मैं वहां था तो गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन में वहां से यहां आया तो कल रात को मुझे फोन पर सूचित किया गया कि पुलिस दलितों पर कार्रवाई कर रही है, उन पर टाडा के केस बनाये जा रहे हैं। दलित

लोग आज रो रहे हैं, लेकिन हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोग भी बेबस हैं यहां हाजिर होना भी जरूरी है, इसलिए वहां नहीं जा सकते।

मेरी आपसे प्रार्थना है और मांग है कि वहां पर जो निर्दोष दलितों पर अत्याचार रहो रहे हैं, जो अपना घर छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर चले गये हैं उनको संरक्षण दिया जाये, उनका जो नुकसान हुआ है, उसका भुगतान किया जाये। तभी वे शांति से रह सकेंगे।

श्री कृण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के अन्दर हिमाचल सरकार के कर्मचारियों की लगभग एक महीने तक हड़ताल चली है। उसमें सब मजदूर थे, उनका शोषण किया गया, उन पर लाठी चार्ज हुआ और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको खराब करने के लिए यह कार्यवाही की गई। यह जो वहां का मंत्रिमंडल है, उसके जो अध्यक्ष हैं, मुख्य मंत्री हैं उन्होंने लोगों को लोकप्रिय नारा दिया "काम नहीं तो वेतन नहीं" का, लेकिन अपने आप पर लागू नहीं किया। अपने इलाज पर अमरीका जाकर छः लाख रुपये से अधिक खर्च किया और कोई फाइल वर्क नहीं किया। फिर भी यह रकम प्राप्त कर ली। कर्मचारियों पर नो वर्क नो पे लागू करके ट्रेड यूनियन खत्म करने की कोशिश की। उसमें जनता के नुमाइदे शामिल नहीं हुए, यह कर्मचारियों की हड़ताल थी। एडीटोरियल में लिखा गया कि यह कोरेस की, कम्युनिस्ट पार्टी की साजिश है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी थे, जो मजदूर कर्मचारी थे उनको दूर-दराज इलाकों में बदल दिया गया। यह काम बदला लेने की भावना से किया गया। मैं भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि जो मेरा चुनाव क्षेत्र है उसमें यह कार्यवाही हुई। समाजवादी जनता पार्टी जिसमें हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी हैं उनके दल के*** ये दोनों समाजवादी जनता पार्टी छोड़कर भा०ज०पा० में चले गये। मजदूरों का शोषण करने के लिए सारे हथकडे वहां की सरकार ने अपनाये हैं। वहां की सरकार ने जो मजदूरों की बात को समझने वाला आदमी था उस मन्त्री से विभाग छीन लिए। मैं इस बात की निन्दा करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो मजदूर विरोधी कार्यवाही की है यह अनुचित है। 20 वार्डों के चुनाव हुए थे बी०जे०पी० को एक भी सीट नहीं मिली। वह मेरा क्षेत्र है, वहां पर हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है, विद्यार्थियों के साथ ज्यादती हो रही है। वहां की सरकार शांत बैठी हुई है और सेन्टर की सारी पुलिस तथा आर्मी द्वारा लाठी चार्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं करती, इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि इस बात का पता लगाये कि वहां क्या हो रहा है .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: राज्यों से सम्बद्ध विषय यहां पर उठाये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हरिजनों पर हमले को छोड़ राज्य से सम्बद्ध अन्य किसी विषय पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से हम मुद्दों को मिला रहे हैं। राज्य विधान मंडल के क्षेत्राधिकार के मामले यहां पर उठाए जा रहे हैं और मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस पर रोक है। इस सभा के नियम यह अनुमति नहीं देते कि राज्य विधान मंडल के अधिकार के तहत मामलों पर चर्चा की जाए। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे विचार करें और देखें कि जो मामले सत्र के दौरान किसी अन्य मंच पर नहीं उठाए जा सकते, तब केवल आसाधारण मामले केवल सरकार की जानकारी हेतु उठाए जाएं। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से मामलों को मिलाया जा रहा है और कुछ

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[उपाध्यक्ष महोदय]

वरिष्ठ सांसद तथा बहुत गहन अध्ययन करने वाले कुछ सांसदों ने भी यह महसूस किया है। मैं इस मामले को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपके कुछ मित्रों का भी यही मत है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें इन सब बातों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: क्योंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी दवारा लगाए गए आरोप उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं। एक सदस्य के नाते उन्हें इसका उत्तर देने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद): भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): 20 लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। यह मखौल है। मैंने नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मामले पर विचार करूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: संभवतः आपने इसे समझा नहीं है। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी ने कुछ आरोप लगाए हैं। वह निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा। आपके मित्र उत्तेजित हैं। वह बोलना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ प्रेम धूमल (हमीर पुर): उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी ने जो मामला उठाया है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश का एक मामला जो वहां समाप्त हो चुका है, उस मामले को राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर यहां उठाया गया है। हिमाचल प्रेदश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, जो केवलमात्र दो प्रतिशत कर्मचारियों की थी, वह वापिस ली जा चुकी हैं और वह हड़ताल बिनाशर्त्त वापिस हो चुकी है और उस समझौते को कराने में मेरा हाथ है। ये महाशय जो इलाज़म लगा रहे हैं, वे तो हैं ही, साथ ही इन्होंने जो अभद्र इलज़ाम लगाया है, वह रिकार्ड से निकाला जाये नहीं तो इनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कार्रवाई होगी क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो विधायकों को खरीद लिया गया। कहां तो हड़ताल की बात हो रही है और कहां इन्होंने दो विधायकों के खरीदने की बात की हैं।

श्रीमान् जी, इनके खिलाफ सीधा इलज़ाम है कि इनकी पार्टी हड़तालियों को पैसा देती रही है और झूठी अफवाह फैलाई कि लाठी चार्ज में एक महिला की मृत्यु हो गयी जबकि वह महिला प्रदेश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके प्रैस कांफ्रेंस के सामने पेश की गयी कि वह जिन्दा है। उस महिला ने कहा कि वह ठीक-ठीक है। तो यह राजनैतिक उद्देश्य से गलत अफवाह फैला रहे हैं कि गीता चौहान की मृत्यु हो गयी है। इसके लिए इनकी पार्टी दोषी है। मैं यह चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार अपनी नीति इसके बारे में स्पष्ट करे "काम नहीं तो दाम नहीं"। इसके बारे में कांग्रेस की क्या नीति है और कांग्रेस इस बारे में क्या नीति अपना रही है। कर्मचारियों ने कहा है कि आप इस बारे में अपनी नीति बताइए कि काम नहीं तो दाम नहीं ठीक है या नहीं। वे इस पर चुप रहते हैं। राजनैतिक लाभ के लिए वे चुप रहते हैं। मैं चाहता हूं कि यह सवाल अब यहां न उठाया जाए। सभी लोग हड़ताल में शामिल नहीं थे, केवल कुछ कर्मचारी ही थे।...**(व्यवधान)**

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): उपाध्यक्ष जी, मैं एक अहम सवाल के ऊपर आपका और सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। चार दिन पहले भारत सरकार की ओर से ऐलान हुआ कि प्राइवेट प्रोड्यूसरों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर टाइम स्लॉट देंगे। अध्यक्ष महोदय,, यह जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्राइवेटाइज़ेशन करने के लिए सरकार ने फैसला किया है और उद्योगपतियों को बैकडोर से लाने का फैसला किया है, उसके बारे में मैं संसद का और देश का ध्यान खींचना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल ऐसा है कि

[अनुवाद]

"प्रेस की स्वतंत्रता और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार न सिर्फ सरकार द्वारा बल्कि प्रचार माध्यमों के आंतरिक व्यवस्था और समाज के मुख्य स्वरूप द्वारा दबाए जाते हैं....."

[हिन्दी]

यह जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है खासकर इस मामले में, यह हिन्दुस्तान में फ्रीडम आॅफ प्रेस और राइट टु इनफार्मेशन के ऊपर खतरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह सरकार प्रसार भारती बिल जो जानबूझकर रद्दी की टोकरी में फेंक रही है। एक अखबार ने टिप्पणी की—

[अनुवाद]

"यह तो ऐसा हुआ कि पहला पुत्र जो पैदा नहीं हुआ और दूसरे का नाम रख रहे हैं।"

[हिन्दी]

यह जो इलेक्ट्राॅनिक मीडिया है, सरकार ने इसको अपने हाथ में रखने के लिए, इसमें मोनोपली बनाने के लिए ऐसा किया है और जिस तरह से प्रसार भारती ऐक्ट इस सदन में पास किया था उस पर सरकार ने पानी फेर दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्राइवेट प्रोड्यूसर जो आएंगे, वे केवल करोड़पति और उद्योगपति लोग ही होंगे और उन को लाना फ्रीडम आॅफ प्रेस और राइट टु इनफाॅमेंशन के लिए खतरा है। इसलिए मैंने इस महत्वपूर्ण सवाल को आपके और देश के सम्मुख रखा । मैं यह देख रहा हूं कि [अनुवाद]

"मिलने योग्य जानकारी में भिन्नता....."

[हिन्दी]

जो खबर लोगों को सही मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलेगी क्योंकि उद्योगपति लोगों के बहाने वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाएंगे और जो सरकार की लिबरलाइज़ेशन की नीति है, उसमें सरकार ने तय किया है कि टेलीविज़न पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाएंगे और जो कार्यक्रम देंगे, वे कार्यक्रम फाइव स्टार कल्चर और उपभोक्तावाद पर आधारित रहेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि दूरदर्शन को इस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा और बड़े लोगों को इससे आजादी मिलेगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सरकार ने जो मौजूदा घोषणा की है कि प्राइवेट प्रोड्यूसरों को लाएंगे और उनको इसकी इजाज़त देंगे, मैं आपके ज़रिए सरकार से कहूंगा कि सरकार प्राइवेट प्रोड्यूसरों को टेलीविज़न और रेडियों में न लाने के लिए फैसला करें, इतना ही मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

श्री हाराधन राय (आसनसोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां भिलाई के विषय में कहना चाहता हूं। भिलाई इलाका औद्योगिकी नगरी है, जहां अनेक प्रकार के कारखाने हैं। उसके चारों तरफ छत्तीसगढ़ की ट्राइबल बैल्ट है। वहां के कारखानों में उसी क्षेत्र के गरीब मजदूर काम करते हैं, जो वहां रहते हैं। उन गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वहां के कारखानों के मालिक उनसे सस्ते में काम कराते हैं, उन्हें पैसा कौड़ी ठीक से नहीं देते हैं और उनकी इज्जत को भी लूटा जाता है। मजदूरों को वहां कोई इज्जत नहीं मिलती है। इससे वहां बहुत से लोग भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसी परिस्थिति में, वहां के मजदूरों ने, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नाम की एक संस्था बनायी और शंकर नियोगी को उन्होंने अपना वरिष्ठ नेता बनाया और उनके नेतृत्व में उन्होंने एक आन्दोलन शुरू किया। इसके विरुद्ध वहां की मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाना मालिकों के साथ मिलकर एक कानून मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट के नाम से बनाया। एक मात्र इन्टक को वार्ता में भाग लेने

[श्री हाराधन राय]

की मान्यता दी। इससे एक यूनियन को वहां मान्यता दी गयी, दूसरी ट्रेड यूनियनों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जब वहां की सरकार ने मजदूरों की उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मजदूरों ने वहां एक आन्दोलन खड़ा किया। आज वहां क्या हो रहा है। वहां की सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिये अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाये और इसी कारण शंकर नियोगी की हत्या कर दी गयी, उनका खून कराया गया। जब मय प्रदेश सरकार ने नियोगी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो मजदूरों ने फिर एक आन्दोलन शुरू किया। इस पर जिस आदमी को गिरफ्तार किया गया था, उसे भी छोड़ दिया गया। आज भी वहां इस विषय को लेकर आन्दोलन चल रहा है।

वहां के कारखानेदारों ने, सरकार से मिलकर, लगभग 4-5 हजार मजदूरों की छंटनी कर दी है। इस छंटनी के खिलाफ भी आन्दोलन वहां चल रहा है परन्तु सरकार ने अभी तक छंटनी किये गये मजदूरों को वापस लेने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। वहां जितने छोटे मोटे कारखाने हैं, उनमें लगे हजारों मजदूर आज बेकार घूम रहे हैं। वहां के सरमायेदारों और उद्योगपतियों द्वारा गरीब मजदूरों पर अत्याचार किये जा रहे हैं।

अभी यहां आडवाणी जी बोल रहे थे लेकिन उन्होंने भी मध्य प्रदेश सरकार की कथित कार्यवाही को कण्डैम नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन किया। जब मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों की उचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, विचार नहीं किया, तभी मजदूरों को आन्दोलन का रास्ता अख्तयार करना पड़ा। अभी वहां के मजदूरों ने पहली जुलाई को रेल रोको आन्दोलन का नोटिस दिया था। आडवाणी जी कह रहे थे कि रेल मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को रास्ता साफ करने के बारे में कई बार फोन किया, जहां शांतिपूर्वक आन्दोलन करने वाले मजदूरों पर, सरकार ने गोली चलवाई जिससे कई लोग मारे गये और अनेक घायल हो गये जबकि मध्य प्रदेश सरकार का यह फर्ज बनता था कि जो लोग छंटनी किये गये हैं, उन्हें वापस काम पर लेने की व्यवस्था करती। उल्टे उसने मजदूरों का खून किया यह बड़ी शर्मनाक चीज़ है **(व्यवधान)**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): यहां माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं, वे बेबुनियाद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वहा के मजदूरों की सहायता की है, यहां जानबूझ कर मजदूरों में अशांति फैलाने के उद्देश्य से ये सारी बातें कही जा रही हैं। **(व्यवधान)**

श्री हाराधन राय: मध्य प्रदेश की बी.जे.पी. की सरकार कारखानेदारों को समर्थन दे रही है तभी उसने आन्दोलनकारियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं दिखायी, छंटनी की निन्दा भी नहीं की, उन्हें वापस काम पर लेने की कोई व्यवस्था नहीं की।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हाराधन राय, सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब अध्यक्षपीठ पर बैठा कोई व्यक्ति बोल रहा है तो प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह बैठ जाए। अगर एक सदस्य को मौका दिया जाए तो उसे लगातार दस पन्द्रह मिनट तक बोलते नहीं रहना चाहिए। अन्ततः हमें 1 बजे तक समाप्त करना है। मैंने देखा कि अनेक उत्तेजित सदस्य अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं। लेकिन जब एक सदस्य को अवसर दिया जाता है और वह लगातार दस पन्द्रह मिनट तक बोलता रहता है तो अन्य मित्रों का क्या होगा? उन्होंने क्या अपराध किया है? हमें अपने मित्रों को भी देखना चाहिए। वे विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से आए हैं और अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हाराधन राय, आप इस स्थान पर आए हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप श्रमिक नेता हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आप अपनी शिकायत बताएं। आप अपने विचार व्यक्त करें। यह कार्यवाही वृतान्त में जाए। इस उद्देश्य से ही मैंने आपको बोलने का अवसर दिया। इसके साथ ही आप हमारी सीमा को समझें। अध्यक्षपीठ की अपनी सीमाएं हैं। अनेक सदस्य बोलना चाहते हैं। सत्ताधारी दल के सदस्य

भी बोलना चाहते हैं। यदि आप तालमेल बैठाएं तो मैं समझता हूं कि अनेक सदस्य भी अपनी शिकायतें बता सकते हैं। अगर कुछ लोगों का ही एकाधिकार होगा तो मैं समझता हूं कि सभा में अशांति होगी।

क्या मैं आपकी अनुमति से श्री अहमद को बोलने के लिए कहूं?

[हिन्दी]

श्री हाराधन राय: मैं बस एक मिनट में खत्म कर देता हूं। मेरी मांग है कि वहां जिन 4-5 हजार मजदूरों की छंटनी कर दी गयी है, उनके बारे में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप करके, वहां की सरकार पर दबाव डालकर, उन्हें फिर से काम पर वापस लेने की व्यवस्था की जाये और उनका जो पैसा निकलता है, वह उन्हें दिलाया जाये। इसके साथ साथ जो लोग हत्याकांड में शामिल थे, दोषी थे, जिन्होंने शंकर नियोगी का खून किया था, उन्हें पकड़वा कर दण्डित किया जाये। मजदूरों को कम्पैन्सेशन दिलाने की व्यवस्था की जाये। वहां की बी.जे.पी. सरकार को मजदूर विरोधी नीति के कारण बर्खास्त किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी अनुमति से श्री ई० अहमद को बुलाऊंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपने न्याय किया है और आप इसे संक्षेप में कहने में सफल हुए हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अत्यंत संवेदनशील मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कल और आज भी अपने स्थान पर खड़े होकर कहता रहा हूं के मुझे यह मुद्दा उठाने के लिए कहा जाए। मैं अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल के आसपास जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी वेदना और क्षोभ व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं। हर व्यक्ति जानता है कि वहां क्या हो रहा है। वहां जो कुछ हो रहा है वह सभी नियमों, भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्णयों तथा निदेशों का खुला उल्लंघन है।

महोदय 1 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद् ने एक संकल्प पारित किया और उत्तर प्रदेश सरकार इससे जुड़ी थी। लेकिन उसने इसे कार्यान्वित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी वचन दिया था कि वहां पर मौजूदा ढांचे अर्थात् बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि विवादास्पद स्थल के नाम से प्रसिद्ध स्थल में बदलाव नहीं किया जाएगा।

लेकिन आज इन लोगों ने साज-सज्जा शुरू कर दी है। इस समिति के सचिव ने कहा है कि साज सज्जा से अभिप्राय पुनर्निर्माण है। उन्होंने कहा है और मैंने अखबारों में छपी खबरों से यह देखा है कि इस पुर्नउद्धार का तात्पर्य है पुर्ननिर्माण और इस ढांचे का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। हम यहां इस सरकार का रुख जानना चाहते हैं।

महोदय, यह सरकार भी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों अर्थात् संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के प्रति वचनबद्ध है अथवा उससे सहमत है। ऐसी रिपोर्ट मिली है। इस सरकार के लिए यह मामला ऐसे है कि जैसे, "जो सीखा गया है वह भुलाया नहीं जा सकता परन्तु वे कोई नई बात नहीं सीखेंगे"।

महोदय, जो कुछ वहां हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं तथा उसके प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। इस देश के लोग, विशेषरूप से अल्पसंख्यक लोग यह महसूस करते हैं कि हालांकि उन्होंने सरकार पर भरोसा किया है, तथापि यह सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार का कर्त्तव्य है, प्रधान मंत्री का कर्त्तव्य है जिनको इस देश के नेता और सरकार के नेता होने के नाते, इस देश को और

[श्री ई० अहमद]

इस कौम को यह आश्वासन देना चाहिए, कि बाबरी मस्जिद ढांचा सुरक्षित रहेगा और यथास्थिति को बरकरार रखा जाएगा। अगर सरकार यह नहीं करती, मुझे खेद है कि इस देश के लिए यह बहुत ही दुःखद दिन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य बोलेंगी। **(व्यवधान)** मुझे खेद है कि मैंने श्री पाणिग्रही को आश्वासन दिया था कि श्री अहमद के बाद में उन्हें मौका दूंगा। अब श्री पाणिग्रही बोलेंगे। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कल भी यह मामला उठाया गया था, और सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय इससे पहले कि आप माननीय सदस्य से कोई अन्य मामला उठाने के लिये कहें, हम यह कहना चाहेंगे कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह एक बहुत नाजुक मामला है। और कल, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था और सरकार ने आश्वाशन दिया था कि वह अयोध्या की घटनाओं की रिपोर्ट देश को और सदन को देंगे। दुर्भाग्य से, आडवाणी जी और अटल जी इस वक्त यहां पर नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे वहां पर लोगों की भावनाओं पर मरहम लगाने के लिये कम से कम कुछ कार्यवाही करें।....**(व्यवधान)**....

श्री बसुदेव आचार्य: संसदीय कार्य मंत्री यहां पर हैं।

श्री चन्द्र शेखर: संसदीय कार्य मंत्री यह नहीं कर सकते। वह एक असहाय व्यक्ति हैं और वह ऐसा नहीं करेंगे। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री फैसला नहीं ले सकते। निर्णय लिया जाना चाहिये और मैं चाहूंगा कि यह निर्णय श्री आडवाणी और श्री वाजपेई जी लें। उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इसके परिणामस्वरूप यह देश विखंडित हो जायेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो निर्णय श्री चव्हाण और श्री नरसिंह राव जो इस देश के प्रधान मंत्री हैं द्वारा लिया जाना चाहिये। इस वजह से मैं उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाए। मेरा दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद में मैंने सभी वर्गों से अपील की थी कि हमें आपसी तालमेल का रास्ता अपनाना चाहिए न कि टकराव का। दूसरी बात मैं भिलाई के बारे में कहना चाहूंगा। श्री आडवाणी जी ने जो कहा है उसके बाद मुझे दुःख हुआ है कि सदन में इस तरह की चर्चा हुई है। अगर यह सही है कि एक अधिकारी की पत्थर मार कर हत्या की गई है, तो यह बहुत ही गम्भीर मामला है और माननीय सदस्य को यह मामला सदन के ध्यान में लाना चाहिए था क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिये कि यह सदन पूर्णतया पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। चाहे बजरंग दल हो या और कोई दल हो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। परन्तु अगर ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस कर्मचारी को पत्थर से मार कर उसकी हत्या की जाती है, तो उसे माफ नहीं किया जा सकता और पुलिस बल से किसी भी प्रकार के धैर्य की आशा नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस भी भारी दबाव में कार्य कर रही है और हमें उनपर अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आप श्री मदन लाल खुराना और श्री रंगराजन कुमारमंगलम से कहे कि वे देश को जलने और विनाश से बचाये।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): मैंने आपको एक नोटिस दिया था और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कुछ मिनट का समय दिया जाये। मैं अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे और मेरी पार्टी को कुछ मिनट का समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पूर्व कि जिज्ञासु माननीय सदस्य अपना धैर्य छोड़े, सामान्य रूप से शून्यकाल समाप्त हो जाना चाहिये। आम तौर पर जब एक बजने में दस मिनट रहते हो तो शून्य काल खत्म हो जाना

चाहिये और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र और नियम 377 के अधीन मामले उठाये जाने चाहिये। परन्तु यह एक असाधारण दिन है यहां तक कि अध्यक्ष जी ने भी यह महसूस किया है कि माननीय सदस्यों को अपनी शिकायतों को बताने के लिए कुछ समय दिया जाए, इस वजह से समय बढ़ाया जा रहा है।

माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। श्री रंगराजन और विभिन्न संबंधित दलों के नेताओं को एक साथ बैठकर इसका हल खोजना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : कल भी इस मुद्दे पर दो बार सभा स्थगित की गई थी। हम सभी सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आज इस समय अयोध्या में क्या घटनायें हो रही हैं। जैसाकि विव हिंदू परिषद् ने घोषणा की है, क्या वे विवादित स्थल पर मंदिर बनाने जा रहे हैं अथवा नहीं? सरकार को इस पर अपनी प्रक्रिया सदन को सूचित करनी चाहिये।.... **(व्यवधान)**....

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तु पुजा) : हमारी राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्यों की एक समिति वहां गई थी और हमने स्थिति की रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन हमें खेद है कि इसके कोई भी परिणाम नहीं निकले। मैं यहां पर व्यक्त किये गये विचारों का जोरदार समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अखबारों में आया है कि विश्व हिन्दू परिषद ने पुनर्रचना का ऐलान आज से शुरू करने के लिए किया है और हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने जो आग्रह किया है उसमें तो हम साथ हैं लेकिन मामला उससे आगे बढ़ गया है। ऐसी हालत में हमारा आग्रह है अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, कि भारत सरकार के लिए अब चुपचाप देखने की हालत नहीं है। मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान की रक्षा करने की हालत में नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने दायित्व को निभाने की हालत में नहीं है। कम से कम भारत सरकार विवादग्रस्त इलाके को अपने हाथ में ले ले और उसकी रक्षा करे, दूसरा उपाय अब नहीं रह गया है। शायद हमारे मित्र भी असहाय हो गए हैं। जो उनके लोग हैं वे बेनकाब हो गए हैं। अब भारत सरकार का इसको देखने का दायित्व है। ...**(व्यवधान)**...इस पर संसद चुपचाप बैठी रहे, यह बात टलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे मित्र श्री कुमारमंगलम सरकार से विचार करें और सरकार विवादग्रस्त इलाके को अपने हाथ में ले।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : आयोध्या का—बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि विवाद—मुद्दा कोई ऐसा मामला नहीं है जोकि हल्के-फुल्के ढंग से लिया जाये अथवा इसको हल्के तरीके से निपटाया जा सके। कल एक सभा में—जब नेताओं में आपसी चर्चा चल रही थी—हमने यह आश्वासन दिया कि उनकी आशंकाओं के अनुसार यदि नहीं कुछ होता है, तो हम उन्हें तैनात करेंगे। ऐसा नहीं था कि हमने सभा में कोई वक्तव्य दिया हो अथवा ऐसी कोई बात कही हो। मैं तो उन्हें आश्वासन ही देना चाहूंगा कि सरकार को इस मामले की पूरी जानकारी है और सरकार बहुत ही सतर्क है। कल गृह मंत्री ने स्थिति पर एक विशिष्ट वक्तव्य भी दिया था और वह वक्तव्य आज भी कायम है।...**(व्यवधान)**...

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : यह कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं था।....**(व्यवधान)**...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): वास्तव में, सभा की यही मांग है। हम उनसे एक स्पष्ट वक्तव्य चाहते थे।....(**व्यवधान**)..

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: आप सभी को मेरी बात सुननी चाहिये। मैंने 'स्थिति पर स्पष्ट वक्तव्य' दिया था। मैंने आश्वासन के बारे में स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया था जोकि आप उस समय चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि वे वर्तमान स्थिति पर चर्चा नहीं करना चाहते—क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने ऐसी बात इसलिये कही जब आप सभी ने एक खास किस्म के आश्वासन का अनुरोध किया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम नेताओं को इसकी जानकारी देते रहेंगे; और यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर ने कहा था कि हमें इसे बिना किसी मनमुटाव के हल करने की कोशिश करनी चाहिये और किसी ऐसी स्थिति को पुपने नहीं देना चाहिये जिससे देश विभाजित हो और जिससे भारी मतभेद पैदा हो, भावनायें भड़क उठे। इसलिये, मैंने आपको यह आश्वासन दिया था कि हम आपको स्थिति की जानकारी देते रहेंगे।...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी ने सभा को आश्वासन दिया है और आवश्यक सूचना दी है। इसलिये, आपको उन्हें कुछ समय तो देना ही चाहिये।...(**व्यवधान**)...

श्री ई० अहमद: यह तो इस सरकार की ढीली ढाली मनोवृत्ति वाली बात है। और इस ढीली ढाली मनोवृत्ति के प्रति विरोध व्यक्त करते हुए, मैं सभा से बहिर्गमन करता हूं।

1.37 म०प०

(इस समय श्री ई० अहमद सभा से बहिर्गमन कर गए।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह मामला काफी लम्बे समय से लंबित है। बार-बार यही मामला चर्चा का विषय बन रहा है। विभिन्न राजनैतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे का हल खोजने के लिए बार-बार सभाएं आयोजित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपायक्ष महोदय: यह अति गंभीर मामला है। कौन कहता है कि यह गंभीर मामला नहीं है? माननीय मंत्री जी ने सभा में कहा है कि यह अति गंभीर मामला है और भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भी यही बात कही है। राजनैतिक दलों के सभी नेता इस बात का हल खोजने के लिये बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से इस मामले को शान्त किया जा सकता है। इसलिये, इस समय हमें इस बात को छोड़ देना चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लोकनाथ चौधरी आप तत्काल उत्तर की उम्मीद नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं इस पर अपनी चिंता द्वारा व्यक्त करना चाहता हूं।.. (**व्यवधान**)..

उपाध्यक्ष महोदय: यह सामूहिक उत्तरदायित्व की बात है। उन्हें प्रधान मंत्री और अपने अन्य साथियों से परामर्श करना पड़ेगा। इन सभी चीजों के लिये एक सीमा होता है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी: मंत्री जी को तो इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी ही चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपकी बात का उत्तर दे दिया है। अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही अपनी बात रखेंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आखिर आपने मुझे बोलने का अवसर तो दिया। (व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी: महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज भी मंदिर निर्माण पर अड़ी हुई है। यह इस सभा और पूरे देश के लिये चिंता की बात है। इसलिये इन्हें इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी होगी। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने का अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लोकनाथ चौधरी जी, इसकी भी कोई सीमा होती है। आप इनसे तत्काल उत्तर देने की उम्मीद कैसे कर सकते है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री लोकनाथ चौधरी: इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आपकी मांग पूर्णतया अन्यायोचित है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह असंभव है। आप तत्काल उत्तर की उम्मीद नहीं कर सकते।

श्री लोकनाथ चौधरी: क्या आपने कोई भी काम किया है?

उपाध्यक्ष महोदय: लोकनाथ चौधरी जी, मैंने आपकी बात काफी सुन ली है। महोदय, अच्छा होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही: महोदय, आपने मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसमें मैं लोकतंत्र की रक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा। लोकतंत्र हम सभी को प्रिय है। हम सभी को यह देखना चाहिये

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

कि इस देश के किसी भी भाग में चुनाव, जोकि लोकतंत्र का ही अंग है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से आयोजित हो सकें। दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा में हाल ही में सम्पन्न हुए पंचायत के चुनावों में, व्यापक पैमाने पर हिंसा की घटनायें हुई जिसमें कम से कम 20 लोगों की जान गई। इन हिंसा की घटनाओं में, यहां तक कि कुछ मंत्रीगण और विधायक भी संलिप्त हैं। कम से कम तीन विधायक तो अवश्य ही संलिप्त हैं। इनमें से एक तो इस समय जेल में हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किये हैं। और दो विधायक इधर-उधर छिपते फिर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली है। उड़ीसा में सभी लोग इस बारे में जानते हैं। उन्हें केबिनेट मंत्रियों की सहायता और आश्रय मिल रहा है। इस तरह की स्थिति है। वहां पर अराजकता फैली हुई है।

श्री श्रीकान्त जेना: आत्म-विरोधी बातें हो रही हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: कुछ भी विरोधी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: पाणिग्रही जी, आपने मामला सभी की जानकारी में ला दिया है। यही काफी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: राज्य में आतंक के शासन का बोलबाला था। शक्ति का जोर और धन का जोर अपनी चरमसीमा पर था। ऐसा वहां की सत्ताधारी पार्टी के द्वारा किया गया। उन चुनावों में व्यापक पैमाने पर हेराफेरी की गई, चुनाव केन्द्रों पर कब्जा कर लिया गया, विपक्ष के उम्मीदवारों और उनके समर्थकों आदि का अपहरण कर लिया गया। इस प्रकार चुनाव एक तमाशा बन कर रह गया। एक ढोंग बन कर रह गया। एक बेशर्म तरीके से पंचायत समितियों को हथियाने के इरादे से, वहां पर सत्ताधारी पार्टी ने इस तरह के हथकण्डे अपनाये।

चुनाव समाप्त होने के बाद भी अब किस तरह की घटनायें हो रही हैं? राजनैतिक उत्पीड़न की घटनायें हो रही हैं। यहां तक कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री आर०एन० सिंहदेव के पौत्र को जेल में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसने अपने दल के कार्यकर्ताओं की हत्या का विरोध किया था। इसी तरह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दूसरे विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को भी तंग किया जा रहा है। उनका वध किया जा रहा है। **(व्यवधान)** पुलिस उन्हें तंग कर रही है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने वी०धनंजय कुमार जी को बुलाया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: लोकतंत्र के सिद्धान्तों की रक्षा की जानी चाहिये और उन्हें कायम रखना चाहिये। यहां तक कि ढेकानल और दूसरे इलाकों में भी हिंसा की घटनायें हुई हैं। जहां पर मतपेटियां रखी थीं, वहां एक अधिकारी को जला दिया गया। पुलिस और खण्ड के स्टाफ की सक्रिय सहायता और सहयोग से इस तरह की अप्रजातांत्रिक घटनायें और हिंसा जारी रही। **(व्यवधान)**। इस सभा को इन घटनाओं की भर्त्सना करनी चाहिये। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह पीठ तो प्रत्येक सदस्य को समय दे सकती है बशर्ते कि आप अपने भाषण को कम समय में समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) कल सारा दिन और आज भी हम कुम्हेर और भिलाई के बारे में तरह-तरह की कहानियां सुनते रहे हैं और मध्य-प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध असभ्य आरोप लगाये गये हैं। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी: सत्ताधारी दल ने कहीं भी इस तरह का आचरण नहीं दिखाया। पूरे देश को इसके बारे में पता होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: लोकनाथ चौधरी जी, हमें कुछेक प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी: यदि आप पंचायतों के सीमाकरण से लेकर चुनावों के अंत तक को देखें, तो आप पायेंगे कि लोग मारे जा रहे हैं और जिन लोगों ने दूसरे दलों के पक्ष में मत डाले है, उन्हें पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है और पहले से ही वहां पर आतंक व्याप्त है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: हम किसी दूसरे विषय पर आ गये हैं।

(व्यवधान)

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी): मैं उड़ीसा राज्य में सूखा-स्थिति से संबद्ध जानकारी माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने धनंजय कुमार जी को बोलने के लिये पुकारा है। उनको मान देना हमारा फर्ज बनता है।

श्री मृत्युन्जय नायक: महोदय, अन्य उठाये गये मुद्दों की तरह यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रिय मित्र यदि आपके राज्य में अकाल पड़ता है, तो क्या प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि ऐसा मामला चर्चा के लिये सभा के बीच उठाया जाये? क्या ऐसा मामला केवल शून्यकाल में ही उठाया जा सकता है? मैं ऐसा नहीं समझता। आप कृपया प्रक्रिया संबंधी नियमों को देखें। अब मैंने धनंजय कुमार जी को पुकारा है और वह बोलने के लिये खड़े हुए हैं ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। आपको अवसर नहीं मिल सकता। जब भी आप की मर्जी होती है, तो आप मामलों को शून्य-काल में उठाने की बात करते हैं। क्या ऐसे मामले शून्य-काल में उठाये जाते हैं? कृपया मुझे क्षमा करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी॰ धनंजय कुमार: मैं हाल में हुए उप-चुनावों के दौरान कर्नाटक-सरकार के एक मंत्री द्वारा बन्दूक से गोली चलाकर एक बेकसूर आदमी की नृशंस-हत्या करने का मामला माननीय सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं। महोदय सत्ता-पक्ष के मेरे मित्र भाजपा की संस्कृति के बारे में पूछ रहे हैं। अब, क्या मैं सत्ता-पक्ष के अपने मित्रों से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मंत्रियों द्वारा बन्दूक से गोलियां चलाकर बेकसूर लोगों को मारा जाना, क्या कांग्रेस-संस्कृति को प्रदर्शित करता है? महोदय, आठ जून को एक मंत्री द्वारा बन्दूक से गोली चलाकर एक बेकसूर व्यक्ति की हत्या की गई थी। इस मंत्री के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। खेद की बात यह है कि मामला-दर्ज करने के पश्चात् भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): यह संसद के अधिकार-क्षेत्र से बाहर की बात है।

श्री वी० धनंजय कुमार: इसमें कुछ भी न्याय-निर्णयाधीन नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। फिर भी, इस मंत्री को हिरासत में नहीं लिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग): यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सभी बातों की अनुमति दी जाती है। हमने पूर्व-सूचना दी हुई है, लेकिन हमें मुद्दे उठाने से वंचित रखा जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: जो बतलाया गया है, उससे संसद के अधिकार-क्षेत्र से कुछ लेने-देना नहीं है।

श्री वी० धनंजय कुमार: महोदय, जब एक मंत्री बेकसूर व्यक्ति की हत्या कर देता है, फिर हम कहां फरियाद करने जायें? हमें अपनी शिकायत कहां दर्ज करवानी चाहिये? मुख्य मंत्री उस मंत्री को हमेशा संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: वहां एक विधान सभा है। आप इस मुद्दे को उस विधान सभा में उठायें। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना: अब संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि यह राज्य का मुद्दा है और इस पर वहीं चर्चा होनी चाहिये। लेकिन जब उड़ीसा का मुद्दा उठा था, जब संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ भी नहीं कहा था। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर): पार्लियामेंट्री अफैयर्स मिनिस्टर साहब, आप दो नीतियां मत अपनाइए। जब राजस्थान या मध्य प्रदेश का मामला होता है, तो कुछ और होता है और जब कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश का मामला होता है, तो कहा जाता है कि स्टेट मैटर है।.....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम: इस समय हम यथार्थवादी हैं। यह ज्ञात हुआ है कि जहां तक कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, वहां कुछ हद तक यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह एक व्यक्तिगत मामला है, जिसमें कुछ घटित हुआ है तथा मामला दर्ज कराया गया है और कार्रवाई हो रही है.....**(व्यवधान)**..... सरकार मामले पर कार्रवाई कर रही है और जब तक वह व्यक्ति स्वयं हाजिर न हो, वह अपना बचाव नहीं कर सकता। यह उस व्यक्ति के विरुद्ध सीधा आरोप है, जोकि सामने उपस्थित नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री वी० धनंजय कुमार: पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)** मैं पुरजोर मांग करता हूं कि अपराधी को तत्काल पकड़ा जाये। उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। क्योंकि उसने त्यागपत्र दे दिया है, अतः अब वह एक भूतपूर्व-मंत्री है। मेरा अनुरोध यह है कि सम्पूर्ण मामले की जांच-पड़ताल हेतु केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाई जानी चाहिए।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिजूल में सभा का समय खराब नहीं करना चाहता। कर्नाटक की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी कुछ उत्तरदायित्व निभाना है। मैं पिछले एक वर्ष

से कार्यवाही देख रहा हूं। मुझे संसदीय लोकतंत्र का कुछ अनुभव है और मैं जानता हूं कि एक सांसद को कैसे व्यवहार करना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्य का मामला है, जिस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। मंत्री महोदय के वक्तव्य से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। बिना दलगत-राजनीति के इस मुद्दे पर समूची सभा द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में यह पहला अवसर है कि एक मंत्री ने कानून को अपने ही हाथों में लिया है और एक बेगुनाह व्यक्ति की हत्या की गई है। यहां तक कि प्रधान मंत्री का नाम भी इसमें जबरदस्ती लाया गया है। यह घटना घटित होने के पश्चात् भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। लेकिन, क्या घटित हुआ है? एक महीना बीत चुका है। मैं इस मामले से संबंधित मंत्री का नाम बताता हूं, यह नाम है श्री रमेश; मेरे विचार से जब आप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री पटवा का नाम ले सकते हैं, तो मैं कर्नाटक के उस भूतपूर्व-मंत्री का नाम क्यों नहीं ले सकता, जो नृशंस-हत्या में संलिप्त है? प्रधानमंत्री का नाम कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने जबरदस्ती इस मामले में खींचा है। मेरे पास प्रथम-सूचना-रिपोर्ट की एक प्रति, फेहरिस्त और ऐसी ही और सूचना है। मेरे पास उन समाचार-पत्रों की सभी कतरनें भी हैं जिनमें यह समाचार छपे हैं और यदि उपाध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दें, तो मैं उन्हें सभा-पटल पर रख दूंगा।

यह घटना घटित होने के बाद संबद्ध पुलिस अधिकारी को तंग किया गया था, क्योंकि उसने भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया था। महोदय, कर्नाटक-राज्य का नाम सर्वश्रेष्ठ-व्यवस्थित राज्यों में गिना जाता है। पिछले 40 अथवा 45 वर्षों में, यह राज्य आदर्श-राज्यों में से एक रहा है। यह एक शांतिप्रिय राज्य है। लेकिन पिछले ढाई वर्षों से यहां कानून का शासन नहीं चल रहा है। मुख्य-मंत्री द्वारा सभी ईमानदार और निपुण अधिकारियों को उत्पीड़ित किया जाता रहा है। इसे आप और कब तक बर्दास्त करते रहेंगे। कर्नाटक राज्य की जनता इस मुद्दे विशेष को बर्दास्त नहीं करेंगे। भारतीय-दंड-संहिता की धारा 302 के तहत अभियुक्त-व्यक्ति एक 'महाराजा' के समान पुलिस-संरक्षण में जा रहा है। क्या यहीं लोकतंत्र है? हमें शर्म से अपने सिर झुका लेने चाहिएं।

मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इससे आपको अथवा लोकतंत्र को कोई लाभ मिलने वाला है? मैं आपको बता दूं कि इससे आपके दल की सरकार को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है। प्रधान मंत्री का नाम इसमें कैसे खींचा जा सकता है? राज्य के मुख्य मंत्री जी कहते हैं: "मैंने अपने दल के उच्च-कमान से सलाह कर ली है। मैंने प्रधान मंत्री जी से मंत्रणा कर ली है और न्यायिक-जांच के लिए आदेश भी दे दिये हैं।" मेरा कहना यह है कि यदि हत्या के आरोप पर एक न्यायिक-जांच बिठाई जाए, तो आपको आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की क्या जरूरत है? आप आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता को जला दें। क्या मंत्री के लिए कोई उन्मुक्ति है?

वर्ष 1976 में प्रधान मंत्री को उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए एक संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया था; जब कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री के रूप में कोई गलती करता है, उसे कुछ उन्मुक्ति दी जानी चाहिये। अब, मंत्री को भी उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता में वर्तमान सरकार कोई ऐसा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रही है? क्या कोई ऐसा संशोधन प्रस्ताव है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस मंच पर, मुझे उसका विरोध करना चाहिये?

महोदय, मैंने गृह मंत्री और प्रधान मंत्री महोदय को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने के आदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया था। ऐसा मैं इसलिए चाहता था, क्योंकि मुझे अपने अधिकारियों पर पूर्ण विश्वास था।

[श्री एच॰डी॰ देवगौडा]

मैंने कर्नाटक में छह वर्षों तक एक मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। मैं जानता हूं कि अधिकारी उनकी निष्ठा और उनकी निपुणता के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, उन सभी को उत्पीड़ित किया जाता रहा है। यह घटना उप-महानिरीक्षक पुलिस और जिले के पुलिस-अधीक्षक के सामने घटी थी। वे चुप्पी साधे रहे थे। जब एक मंत्री किसी व्यक्ति पर गोली चलाता है और शव वहां पड़ा होता है, कोई भी पुलिस अधिकारी बन्दूक अथवा राईफल अथवा जिस आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया हो उसे पकड़ने का साहस नहीं करेगा। फिर, पुलिस अधिकारी आगे आता है और कहता है कि पुलिस ने गोली चलाई ही नहीं। महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यगणों से करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसी घटना की निन्दा करें। यह किसी एक राजनैतिक-दल अथवा राजनैतिक दलों का प्रश्न नहीं है। हम यहां गम्भीर मुद्दों पर भी राजनैतिक-पद्धति से लड़ रहे हैं। यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। मैं यहां राजनीति नहीं मिलाऊंगा। पुलिस अधिकरी कहता है कि उन्होंने गोली नहीं चलाई है; वह गोली चलाने पर उतारू हुए ही नहीं। महोदय, आप ही के निर्वाचन-क्षेत्र—क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, आप अध्यक्षपीठ पर विराजमान हैं, आप की कुछ सीमाएं हैं तथा आप कर्नाटक की जनता की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते—जनता आज यह महसूस कर रही है कि प्रशासन बिल्कुल विफल हो गया है। वहां कोई प्रशासन नहीं है। मैं व्यर्थ में ही सभा का समय नहीं लूंगा। मुझे यह स्पष्ट करने दें कि कांग्रेस शासित राज्यों में स्थिति कैसी चल रही है। श्री नरसिंह राव हमेशा दूसरों को बताते रहते हैं कि वह एक स्वच्छ प्रशासन चलाने जा रहे हैं। क्या यह स्वच्छ प्रशासन है? मुझे पता नहीं है कि मुख्य मंत्री द्वारा प्रधान मंत्री का नाम इस मामले में कैसे खींचा गया था। यदि यह मामला राज्य की कानून और व्यवस्था का था, फिर उन्होंने प्रधान मंत्री का नाम इसमें क्यों खींचा? मुख्य मंत्री के अनुसार, प्रधान मंत्री ने निदेश जारी किये थे, जिनका उन्होंने कहीं भी अभी तक विरोध नहीं किया है। यह कहते हैं कि उनके प्रधान मंत्री ने न्यायिक जांच के लिये कहा है। वह कहते हैं कि प्रधान मंत्री ने मंत्री को हटाने के लिये नहीं कहा है। यदि मामला यही है, तो फिर मुझे इस मंच का प्रयोग करने तथा अपनी शिकायतें रखने का पूर्ण अधिकार है।

महोदय, वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों के सामने गोली चलने की घटना घटी है। हमारे लोकतंत्र के 45 वर्षों के इतिहास में, एक हत्या के मामले में इस प्रकार की कोई न्यायिक जांच कराने के आदेश नहीं दिये गये हैं। यदि कोई पुलिस ज्यादती अथवा किसी राजनीतिज्ञ के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप होता है, तो फिर न्यायिक जांच हुआ करती थी और न कि हत्या करने के मामले में। इस मामले में धारा 302 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है आज तक, उस व्यक्ति को छुआ तक नहीं गया है। एक महीना पहले ही बीत चुका है। कोई भी उसे छूने का साहस नहीं करता। वास्तव में, उसी अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों जैसा ही पुलिस-संरक्षण दिया जा रहा है। इतना अधिक संरक्षण उस महान व्यक्ति को दिया जा रहा है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली का अंत होने जा रहा है। उड़ीसा से आये मेरे मित्र अभी-अभी बता रहे थे, कि उन्होंने चुनावों को एक उपहास बना दिया है। मुझे उड़ीसा के मुख्य मंत्री का आभार प्रकट करना ही चाहिए, जो कम-से-कम अपनी पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार करने में तो सफल हुये थे। उन्हीं के कथनानुसार मुख्य मंत्री का धन्यवाद करना ही चाहिये—उन्होंने आपराधिक कार्य में संलिप्त अपनी ही पार्टी के विधायकों को पकड़ने का साहस किया है। इस मामले में कुछ भी नहीं किया गया है। सभा को स्वयंमेव निर्णय लेने दें। मैं अनावश्यक रूप से किसी राजनैतिक दल पर लांछन नहीं लगाना चाहता। लेकिन, यहां मैं यह अवश्य बता दूं कि मेरा राज्य ऐसे गैर-कानूनी तत्वों के हाथों में चला गया है। मेरा राज्य सारे देश में एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासन के रूप में जाना जाता है, जहां श्री विश्वेवरिया और मिर्जा ईस्माइल जैसे प्रशासन के लिये विख्यात व्यक्ति हुये हैं। आज,

कर्नाटक** तत्वों के हाथों में चला गया है। मैं कांग्रेस के विरुद्ध अपकीर्तिकार कुछ नहीं कहना चाहता। मैं किसी असम्मानजनक बातों के लिये किसी राजनैतिक दल को खींचना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय: यह शब्द..... कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाये।

श्री एच० डी० देवगौड़ा: महोदय, मुझे बात स्पष्ट करने दीजिए। पिछले डेढ़ साल में पहली बार मैंने ऐसा देखा है।

2.00 म०प०

मैं जानता हूँ कि यह शून्य काल नाम के लिये ही है, इससे केवल प्रचार किया जाता है। मैं इस सभा में इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। मैं इस उददेश्य से यहां नहीं आया हूं। जब सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है तब आप इस शून्य काल को क्यों चलने दे रहे हैं? इस सभा में शून्य काल में हम अपने विचार क्यों रखते हैं? मुझे यही बात समझ नहीं आती है।

प्रधान मंत्री और गृह मंत्री यहीं थे पिछले दो दिनों से इस विषय पर बात करने का प्रयास कर रहा हूं। कल श्री एम० एम० जैकब ने कहा कि कम से कम राजस्थान सरकार सी०बी०आई० जांच कराने के लिये तैयार हो गई है। जब मैंने प्रधान मंत्री को इस विषय पर सी०बी०आई० जांच कराने के लिये दो पत्र लिखे थे तब भारत सरकार ने कोई उत्तर नहीं दिया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मंत्री लगभग 5.30 बजे दिन-दहाड़े हुई हत्या के मामले में शामिल है। मैं आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति भी दे सकता हूं। यह मेरे हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सभा के कार्यवाही वृत्तांत से उद्धृत किया है हमें अनावश्यक तरीके से नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिये। हमें कुछ नियमों का पालन करना है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा: क्या इस देश में कोई नियम है? आप नियम के बारे में पूछ रहे हैं। एक मंत्री ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी हैं। क्या कोई नियम है? मैं बात स्पष्ट कर रहा हूं। आप कृपया मुझे इस बारे में बतायें। आप इस कुर्सी पर आसीन हैं। क्या किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने का कोई नियम है। मुझे यह बताइये कि सरकार कर्नाटक सरकार को कब निर्देश देगी अथवा प्रधान मंत्री कर्नाटक सरकार को निर्देश कब देंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाये? क्या वे कोई सी०बी०आई० जांच कराने के आदेश दे रहे हैं? मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यदि वे सी०बी०आई० से जांच कराने का आदेश नहीं देते हैं अथवा वे अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करते है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मुद्दा अभी जीवंत है। मैं जानना हूं कि कांग्रेस सरकार जो कर रही है उसे कैसे लिया जाये। धन्यवाद।

श्री अनिल बसु: आपके माध्यम से मैं सभा और सरकार का ध्यान कच्चे पटसन का न्युनतम समर्थन मूल्य घोषित करने में असाधारण विलम्ब के कारण लाखों पटसन उत्पादकों में व्याप्त असंतोष तथा आशंका की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

पटसन की कटाई प्रारम्भ हो चुकी है और पटसन अब बाजार में आना शुरू हो गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक कच्चे पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है और इससे लाखों पटसन उत्पादकों में असंतोष बढ़ रहा है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

[श्री अनिल बसु]

साथ ही भारतीय पटसन निगम ने अपने 45 बिक्री केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है, भारतीय पटसन निगम को अपना संचालन भी सीमित करने के लिये कहा गया है। भारतीय पटसन निगम के पास कच्चा पटसन खरीदने के लिये धन नहीं है।

एक ओर सरकार ने कच्चे पटसन के न्युनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की है और दूसरी ओर भारतीय पटसन निगम ने अपना कार्य सीमित कर दिया है; भारतीय पटसन निगम के पास कार्य शुरू करने के लिये धन नहीं है। इस प्रकार लाखों पटसन उत्पादक पटसन उद्योगपतियों और व्यापारियों की दया पर निर्भर हैं।

साथ-ही-साथ उर्वरक निगम, नमक निगम, सीमेंट निगम जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों की भांति जूट-बैग खरीदने का अनिवार्य प्रावधान है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इन अनिवार्य प्रावधानों को उदार बना दिया गया है और वे जूट-बैगों के स्थान पर सिंथेटिक बैग खरीद रहे हैं। पूरा पटसन उद्योग जूट-बैगों के कम विपणन की समस्या का सामना कर रहा है।

मैं सरकार से अब आग्रह करता हूं कि वह कच्चे पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र घोषित करे और भारतीय पटसन निगम के कार्यों को प्रतिबंधित न करे। भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिय, ताकि यह बाजार में माल पहुंचा सके और पटसन उत्पादकों के लिये न्युनतम समर्थन मूल्य को सुनिश्चित कर सके।

सरकार को सरकारी क्षेत्र के संगठनों को जूट-बैग खरीदने के लिये अनिवार्य प्रावधान करना चाहिये, ताकि पटसन उद्योग बच सके और पटसन सामान बेचेने के लिये एक अच्छा बाजार मिल सके।

सरकार ने इस सभा में पहले यह घोषणा की थी कि इसके लिये अनिवार्य प्रावधान किये जायेंगे। लेकिन इन अनिवार्य प्रावधानों को उदार बना दिया गया है। इन्हें नमक निगम, उर्वरक निगम तथा सीमेंट निगम आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के निगमों पर लागू किया जाना चाहिये, ताकि पटसन निगम इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जूट बैग बेच सके।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): महोदय, जैसे आपने अन्य व्यक्तियों की बात सुनी है, वैसे ही मेरी बात भी सुनिये। मैं श्री रवि राय द्वारा प्रस्तुत विचारों का समर्थन करते हुये समाचार-पत्रों में मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बारे में प्रकाशित उस रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहती हूं, जो दूरदर्शन के मेट्रोचैनल के निजीकरण के बारे में है।

सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय पर संसद के अतिरिक्त अन्य सभी मंचों पर चर्चा क्यों की गई है और संसद में इस पर चर्चा किये बिना ही यह निर्णय क्यों ले लिया गया। मैं सबसे पहले यही बात पूछना चाहती हूं।

दूसरे, हम यह देखते है कि दूरदर्शन का मुख्य समय पहले ही गैर-सरकारी निर्माताओं को कार्यक्रम प्रायोजित करने के लिये दिया जा रहा है। उन्हें वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिये भी समय दिया जा रहा है। सरकार ने शिक्षा, मनोरंजन के लिये दृश्य-श्रव्य मीडिया का उपयोग करने की अपनी जिम्मेवारी को छोड़ दिया है। सरकार ने न केवल अपने दायित्व का त्याग किया, बल्कि इसमें निजी निर्माताओं को समय देकर अपने राजस्व की भी हानि की है। विज्ञापनों से जो भी राजस्व प्राप्त होता है वह अब निजी निर्माताओं को चला जायेगा। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ओलंपिक खेलों का प्रसारण करने का कार्य भी निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, इससे सरकार को जो राजस्व प्राप्त होना था वह भी निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है।

मैं नहीं जानती कि क्या दूरदर्शन स्वयं को दिवालिया करना चाहता है। मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि दूरदर्शन को स्वयं को दिवालिया करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जनता का है।

हमने यह देखा है कि क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समय बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया तथा सरकार ने राज्य सरकारों की इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया कि उन्हें दूसरा चैनल शुरू करने की अनुमति दी जाये। साथ ही हम देख रहे हैं कि इस प्रकार निजी निर्माताओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

यदि प्रसार भारती अधिनियम लागू कर दिया जाता और दूरदर्शन स्वायत्तता से कार्य कर रहा होता तो यह निजी निर्माताओं से प्रतियोगिता कर पाता। अब यह पूर्णतः सरकार के समर्थन पर निर्भर है। इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है। यह निजी निर्माताओं के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। अतः प्रसार भारती अधिनियम लागू किये बिना टेलीविजन का निजीकरण करने से हमारे जन-संचार माध्यमों पर कुप्रभाव पड़ेगा।

इस वाणिज्यिकरण के बारे मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि इससे अशिष्टता असभ्यता बढ़ेगी और हमारे देश के जो सांस्कृतिक मूल्य है और क्षेत्रीय विविधतायें हैं उनमें केन्द्रीकरण तथा एकरूपता आ जायेगी। अतः महोदय, मैं मांग करती हूं कि सरकार को इस बारे में एक पूर्ण वक्तव्य दिया जाना चाहिये कि हमने समाचार-पत्रों से जो समाचार सुने हैं उन पर वह क्या कार्यवाही करना चाहती है। यदि सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है तो उस पर सभा में पूर्ण चर्चा होनी चाहिये (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने यह शून्य काल एक घंटे तक चलने दिया है। माननीय सदस्य बहुत क्षुब्ध हैं और अपनी शिकायतें यहां रखना चाहते हैं। शून्य काल इस सभा के माननीय सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, न कि मेरी इच्छा पर।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम: महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई सदस्य इस पर आपत्ति करेगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। यहां पर धनंजय और देवगौड़ जी ने बात कही है मैं उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं। मैंने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ आपत्ति उठाई..

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): केवल फार्मेलिटी के लिये।

श्री जार्ज फर्नांडीज: लेकिन मैं उनकी आपत्ति के बारे में इतना ही कहूंगा कि एक महीना दो दिन हो गये मंत्री के हाथ से स्टेनगन से गोली चलती है, एक आदमी मर जाता है और आज इस क्षण तक उस व्यक्ति को गिरफतार नहीं किया जा सका, वह गिरफ्तार नहीं होता है। जबकि उसी दिन रात को ढाई बजे एफ०आई०आर० दाखिल हो जाती है। आई विटनेस हैं, एक नहीं, पचास-साठ हैं जिनके नाम और पते हैं। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। दफा 302 के अंतर्गत एफ०आई०आर० फाइल होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह बात उठाने के लिये दो बातें जरूरी हैं। नम्बर एक यह कि आप जब किसी सूबे में कानून चलाने के लिये सरकार चला रहे हैं और उसको चलाने से इन्कार करते हैं तो दूसरी कोई जगह नहीं है कि हम इसको यहां उठायें, इसीलिये हम इसको यहां उठा रहे हैं। नम्बर दो यह कि प्रधान मंत्री का इस मामले में क्या रुख है, उसको हम सुनना चाहते हैं। जिस दिन यह घटना घटी उसके दूसरे दिन से विशेषकर देवगौड़ा जी ने इस बात को हर जगह पर उठाने का काम किया, प्रधान मंत्री तक इस जानकारी को पहुंचाने का काम किया। यह ऐसी घटना नहीं है जिसकी प्रधान मंत्री को खबर न मिलती हो। जहां उनके अपने दल की

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

सरकार के एक मंत्री और बहुत ही जबर्दस्त व दबंग मंत्री के हाथ से किसी की हत्या हो जाती है और आम जगह पर हत्या हो जाती है, सैकड़ों लोगों ने देखा कि हत्या हुई है और चुनाव को लेकर, बूथ लूटने के लिये गये उस व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या की जाती है यह कोई साधारण बात नहीं है। प्रधान मंत्री ने क्या किया कि पहले दखल देने से इनकार किया। बंगरप्पा जब उनसे मिलने गये तो उनसे कहा गया कि आप उनका ड्राप मत करें। यह बंगरप्पा का बयान है जो अखबारों में आया है। प्रधान मंत्री ने हमें कहा है कि कोई भी चीज को करने की जरूरत नहीं है, यह अखबारों में छपा है। जब कर्नाटक में आंदोलन चला तब अन्त में स्थिति जब काबू के बाहर जा रही थी तब बंगरप्पा ने रमेश को ड्राप किया लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।

मेरी वहां के पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि इस आदमी ने गोली चलाई है इसका सबूत है, मगर हम क्या करें। इसलिये वे क्या करें, इसका जवाब हम प्रधान मंत्री से चाहते हैं। इसलिये अगर यहां पर यह मामला उठाया जाता है तो यही दो कारण हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके क्षेत्र का मामला है, कुनीगल आपके संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। चुनाव अभियान के दौरान मैं भी वहां गया था, मेरे ख्याल से चन्द्र शेखर जी भी वहां गये थे। जो स्थिति वहां पर थी वह हमने देखी थी। कांग्रेस के लोगों के सामने कसम खाकर कहा था कि कुनीगल की सीट हम लेकर दिखायेंगे इसमें मुख्य मंत्री का हाथ था, मुख्य मंत्री ने रमेश को भेजने का काम किया था। ये सारी घटनायें वहां पर घटी हैं, आप जानते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, आपका क्षेत्र है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यहां संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि प्रधान मंत्री ने अनेक मामलों पर बयान दिये हैं, कैसे सचाई को खोजकर निकालने के लिये बचनबद्ध हैं, आज सुबह यहां पर बोलकर गये हैं। तो उनकी वचनबद्धता पर बहुत कुछ कहना होगा। उनको बोफोर्स पर, किनीगल पर और बहुत सी चीज़ों पर कहना होगा लेकिन उपाध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी इन मामलों पर कदम उठायेंगे तो तथ्य और सत्य के साथ हम लोगों को सफाई से बतायेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

2.15 म०प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2125/92]

(3) राष्ट्रीय आवास नीति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 2126/92]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): मैं श्री कमल नाथ की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1992 जो 27 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 562 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 319(अ) जो 7 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा अरावली रेंज के विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कतिपय गतिविधियों को निर्बाधित किया गया है, जैसा कि अधिसूचना में उल्लिखित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 2127/92]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 433 (अ) जो 15 जून, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अप्रैल, 1992 से 30 सितम्बर, 1992 तक (खरीफ 1992 मौसम) की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को घरेलू उर्वरक विनिर्माताओं द्वारा तैयार किये जाने वाले उर्वरक की पूर्ति को दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 2128/92]

2.16 म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, 8 मई, 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के

दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त दो विधेयकों को सभा पटल पर रखता हैः—

(1) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1992

(2) वित्त विधेयक, 1992

महोदय, 8 मई 1992 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक की राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा- प्रमाणित प्रतियां—भी सभा पटल पर रखता हूंः—

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1992

(2) संसद (निर्रहता निवारण) संशोधन विधेयक, 1992

2.16[1/2] म०प०

[अनुवाद]

संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन) संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): मैं प्रस्ताव करता हूंः

"कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात् संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 **(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन)** में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीत कालीन सत्र, 1992 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह हैः

"कि यह सभा भारत के संविधान अर्थात् संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 **(अनुच्छेद 81, 82, 170 और 327 में संशोधन)** में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीत कालीन सत्र, 1992 के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): नियम 377 के अन्तर्गत मामलों के बारे में क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: हम इसे बाद में लेंगे।

2.17 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 3 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

3.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 3.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) अन्य राज्यों में जमीन खरीदने के लिए पंजाब के लोगों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोगों विशेषकर सिख किसानों पर पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में उन राज्यों के कानूनों द्वारा जमीन खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। यहां तक कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सिख किसान भी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में जमीन खरीदने की सुविधा से वंचित हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विभिन्न राज्यों में जमीन खरीदने के संबंध में लगायी गयी पाबन्दियां समाप्त हों ताकि पंजाब के लोगों को देश में अधिक बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सके। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इससे पंजाब की समस्या को हल करने में काफी सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: जहां तक नियम 377 के अन्तर्गत अन्य मामलों की बात है, हम उन्हें बाद में लेंगे। अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): महोदय मेरा निवेदन है कि हम कुछ ही मिनटों में इसे समाप्त कर सकते हैं, इसमें केवल सात से आठ मिनट और लगेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे देखेंगे। अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: यह चर्चा 6 या 7 म०प० तक चलेगी। आप सभा की अनुमति लेकर नियम 377 के अन्तर्गत मामले पूरे कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): यदि निगम 377 के अन्तर्गत ज्यादा विषय नहीं है तो मैं समझता हूं कि सभा 3 म०प० पर लिए जाने वाले कार्य की बजाय इसे करने की अनुमति दे देगी जोकि उचित भी है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (लखनऊ): महोदय, यह इस शर्त पर किया जाना चाहिए कि जो सदस्य नियम 377 के अन्तर्गत बोलें वे बोलने के पश्चात् सदन छोड़कर न जायें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन के संशोधन को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): सभा की यही राय है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा की राय है कि अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले पूरे किये जायें?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है हम पहले इन्हें पूरा करेंगे।

3.08 म०प्र०

नियम 377 के अन्तर्गत मामले—जारी

(दो) उड़ीसा में एक नये रेलवे जोन का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, रेलों के माध्यम से यात्रियों और माल की आवाजाही में निरंतर वृद्धि तथा रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा सहित अनेक स्थानों पर रेलवे जोन की स्थापना की जानी आवश्यक है। क्योंकि इसके अभाव में भरपूर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के होने के बावजूद इसका समुचित उपयोग न होने से विकास नहीं हो पा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां पर्याप्त रेल लाइनों का और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

मैं समझता हूं कि रेल मंत्री इस मामले पर ध्यान देंगे और उड़ीसा में एक नया रेलवे जोन स्थापित करेंगे।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को खाना पकाने की गैस को और अधिक कनैक्शन दिए जाने की आवश्कता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जनपदों विशेषतः पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में लोगों को खाना बनाने के लिए जंगलों से प्राप्त लकड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता है, किन्तु वन अधिनियम के प्रावधानों के कारण तथा पर्यावरण की रक्षा व पेड़ काटने पर रोक लगने के कारण इन जनपदों की जनता को अब खाना बनाने के लिए जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त नहीं हो पा रही है और जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों की जनता द्वारा इस समस्या के निदान के लिये कुकिंग गैस कनैक्शनों की लगातार मांग की जा रही है जो कि खाना बनाने के लिये लकड़ियों के अभाव में एकमात्र विकल्प रह जाता है। मिट्टी का तेल एवं कोयला भी इन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो पाता है।

अतएव केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन क्षेत्रों के विशेषकर पौड़ी एवं चमोली जनपदों में अधिक से अधिक संख्या में नए गैस कनैक्शन जारी किये जाएं तथा इन क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रत्येक विकास खण्ड में गैस वितरण केन्द्र स्थापित किया जाए तथा प्रत्येक उपभोक्ता को दो-दो गैस सिलैण्डर यानी डी० बी० सी० प्रदान किए जाएं और जितने लोगों ने गैस के लिए अर्जी दी है, उन सबको कनैक्शन तुरन्त दिए जाएं।

(चार) उत्तर प्रदेश के छर्रा और अतरौली में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा वाला इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:—

"हाथरस संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत छर्रा व अतरौली दूरभाष केन्द्रों की स्थिति काफी दयनीय है जिसके कारण यहां के व्यापारियों और आम नागरिकों को दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क करने में काफी असुविधाएं होती रहती हैं। उक्त दूरभाष केन्द्रों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में इन्हें एस०टी०डी० सुविधा प्रदान करके इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज में परिवर्तित किए जाने का आश्वासन दिया

गया था, किन्तु यहां की स्थिति जहां की तहां बनी हुई है, जिसके कारण उद्योगपतियों, व्यापारियों को अपने व्यापार में यथासमय दूरभाष के माध्यम से आवश्यक एवं लाभप्रद जानकारी प्राप्त करने में काफी असुविधा व व्यवधान होता है एवं क्षेत्र की अधिकांशतः लाइनें खराब पड़ी रहती हैं जिन्हें ठीक कराए जाने हेतु समस्त वर्ग के लोग काफी दिनों तक इंतजार करते रहते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि छर्रा व अतरौली दूरभाष केन्द्रों को यथाशीघ्र एस०टी०डी० सुविधा प्रदान कर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने की व्यवस्था करा कर समस्त वर्ग को दूरभाष की सरल व आधुनिकतम सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करें।"

(पांच) पूरे देश को सूखा प्रभावित घोषित करने और सूखा प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय रखना चाहता हूं:—

"सम्पूर्ण देश में सूखे की भयंकर स्थिति धारण करने के कारण किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य और पूर्व भारत में स्थिति और भी गम्भीर है। अनुमानित अवधि के तीन सप्ताह बाद भी मानसून के सक्रिय न हो पाने के कारण किसानों में चिन्ता और भय व्याप्त है। पानी के अभाव में खरीफ की बुआई नहीं हो पाई है। जो फसलें खेतों में खड़ी हैं वे पानी के अभाव में झुलस रही हैं, नहरें सूखी हैं तथा ट्यूबवैल खराब पड़े हैं तथा उनकी नालियां टूटी हुई हैं। अधिकांश राज्यों में अनियमित व अल्प विद्युत आपूर्ति के कारण कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में डीजल के अभाव में पम्पिंग सैट बेकार पड़े हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि खरीफ का उत्पादन कम होने के कारण लघु और सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक भुखमरी की चपेट में आ जाएंगे। चारे की फसलों के सूख जाने के कारण पशुओं के लिए संकट पैदा हो गया है। कई राज्यों में पशुओं के मरने की भी सूचना है। उत्तर प्रदेश में 75 प्रतिशत से अधिक राजकीय नलकूप बेकार पड़े हैं। नहरों में पानी नहीं है, विद्युत तथा डीजल आपूर्ति एक दम ठप्प है। देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की प्रमुख नकदी फसल सिंचाई के अभाव से सूख रही है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह तत्काल प्रभावी कदम उठाकर पूरे देश को सूखा-पीड़ित घोषित करे। नहरों में पानी की व्यवस्था कराई जाए। खराब नलकूपों व टूटी नालियों की मरम्मत कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए तथा डीजल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ग्रामीण अंचलों में टेस्ट वर्क प्रारम्भ कराया जाए। पशुओं के चारे की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी देय सरकारी वसूलियों को स्थगित किया जाए।"

[अनुवाद]

(छह) आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में मत्स्य पालन के लिए वहां के निवासियों द्वारा खरीदी गई भूमि से उन्हें बेदखल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को निदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हजारों एकड़ भूमि जैसे कृष्णा, गुंटूर, नेल्लोर पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, प्रकाशन आदि जिलों में अन्तर्देशीय मत्स्य पालन तथ्य श्रिम्प और प्रॉन (झींगा मछली) पालन के लिए जलवायु बड़ी उपयुक्त है। ये भूमि कृषि फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः इन क्षेत्रों के किसानों ने मछली और झींगा मछली पालन के तालाब, टैंक तैयार करने शुरू कर दिये हैं। कुछ लोग इस मछली पालन में काफी रूचि ले रहे हैं और उन्होंने

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे]

मछली पालन में रूचि लेनी ... कर दी है और अतिक्रमणकर्ताओं से जमीन खरीद कर जलाशय बनाने में पैसा निवेश किया है। अब आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार वर्तमान भू-स्वामियों से वह जमीन लेकर अत्यंत समृद्ध लोगो को हजारों एकड़ भूमि देने की कोशिश कर रही हैं, ज्यादातर स्थानीय लोग कमजोर वर्गों के हैं जैसे मछुआरे, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। स्थानीय राजस्व प्राधिकारी इन गरीब लोगों को उनके स्थानों से उठा रहे हैं। इसकी वजह से वहां बड़े पैमाने पर आन्दोलन चल रहा है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार को सलाह दे कि वह वर्तमान भूस्वामियों को जिन्होंने मछली पालन में काफी धनराशि का निवेश किया है उन्हें तंग न करें तथा उनकी सम्पदा को विनियमित करें। मेरा केन्द्रीय सरकार से भी यह अनुरोध है कि वह समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण को अधिक धनराशि प्रदान की जाए ताकि वह श्रिम्प और प्रान मछली पालन के लिए वैज्ञानिक ढंग अपनाने हेतु अधिकाधिक लोगों को सहायता दे सके। वाणिज्य बैंकों को उद्यमियों को तत्काल ऋण देने के लिए समुचित निर्देश जारी करे।

(सात) पद्मश्री श्री एस० रंगनाथन के जन्म दिवस 9 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्कालय दिवस घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, पढ़ने की प्रवृत्ति में गिरावट, विशेषकर छात्रों में, जो अपने पाठ्यक्रम के लिए सस्ती गाइडों' पर निर्भर करते हैं, को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि देश में किसी एक कार्य-दिवस को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस घोषित कर मनाया जाये। यह दिन अवकाश का दिन नहीं होना चाहिए। उस दिन विभिन्न प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, संगोष्ठियों और प्रदर्शनियों आदि का आयोजन कर उसके माध्यम से पुस्तकालय को लोकप्रिय बनाने के लिए समर्पित किया जाये। ऐसा बिना किसी अतिरिक्त खर्च किया जा सकता है।

पुस्तकालय आन्दोलन, के प्रर्वतक पद्मश्री एस० रंगनाथन का जन्म दिवस 9 अगस्त को है। यह दिन "भारत छोड़ो दिवस" के रूप में मनाया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के रूप में पढ़ने के अभ्यास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मनाया जा सकता है अथवा इस प्रयोजन के लिए किसी और दिन को भी तय किया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये।

3.16 म० प०

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। श्री जसवंत सिंह सरकारी प्रतिभूतियों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले पर चर्चा आरम्भ करेंगे। इस चर्चा के लिए तीन घण्टे समय निर्धारित किया गया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य तथा माननीय प्रधानमंत्री की उस घोषणा के अनुगमन में आरम्भ की जा रही है जिसमें कि बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अनियमितताओं तथा घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की गई है।

महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस घोटाले के प्रकाश में लाने के लगभग दो माह तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। संसद का सत्र आरम्भ होने की पूर्व संध्या को, प्रथम दिन, इसने सभी विपक्षी दलों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया आरम्भ की जो कि इस दो महीने की अन्तराल के दौरान पूरी की जा सकती थी। इस प्रकार यह चर्चा एक प्रकार से सरकार के बिलम्ब से की गई कार्यवाही से सिमट गई है। इस सम्बन्ध में चल रही सी०बी०आई० जांच, न्यायलय के अधीन चल रहे मामले इत्यादि भी प्राकृतिक तौर पर इस जांच की गति पर विपरीत प्रभाव डालेंगे तथा दूसरे, हम यहां पर चाहे कुछ भी कहें। सरकार सारे मामलों की जांच संयुक्त संसदीय समिति को सौंपने की चेष्टा करेगी जिसका गठन प्रस्तावित है। परन्तु, इसके बावजूद मैं सरकार को कुछ आरम्भिक चेतावनी देना चाहूंगा। इस समिति के गठन के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले, जो हम लोगों के साथ चर्चा हुई थी मैंने सरकार को सावधान किया था कि अगर संयुक्त संसदीय समिति केवल इसलिए नियुक्त की गई है कि सरकार एक असमंजसपूर्ण संसदीय या राष्ट्रीय स्थिति से बचना चाहती है तो इस संयुक्त संसदीय समिति का प्रयोजन पूरा नहीं होगा; अगर यह असमंजसपूर्ण राजनैतिक अथवा अन्य स्थिति से बचने का एक तरीका है, तो यह सफल नहीं होगा; परन्तु, दूसरी तरफ जैसा कि इस चर्चा में भाग लेने वाले एक केन्द्रीय मंत्री ने कहा था कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है, सरकार मामले की गंभीरता के प्रति जागरूक है, तथा अगर सरकार यह समझती है कि बहुत बड़ी गलती को सुधारने का उचित अवसर है तो हम इसमें भाग लेने के लिए तैयार हैं।

मैं इस सम्बन्ध में एक और चेतावनी देना आवश्यक समझता हूं। प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समिति सरकार द्वारा वास्तविक कार्यवाही करने की बजाय मात्र एक भ्रम अथवा धूऐं की चादर बन कर नहीं रह जानी चाहिए। अगर संयुक्त संसदीय समिति का प्रयोग अपनी आकर्मण्यता को छिपाने के लिए ही करना चाहती है, तो यह इस संस्था के प्रति धोखा होगा और संसद अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल रहेगी।

जहां तक माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं एक संक्षिप्त सी टिप्पणी करना चाहता हूं। विस्तृत टिप्पणी मैं बाद में करूंगा तथा यह टिप्पणी मैंने इसलिए की है क्योंकि बैंकों तथा अन्य संस्थाओं में स्वतंत्रता के पश्चात् हुए सम्भवतः सबसे बड़े अदौर दूरगामी परिणाम रखने वाले घोटाले के सम्बन्ध में यह सरकार की ओर से पतला व्यापक वक्तव्य है। मुझे इस बात का खेद है कि माननीय वित्त मंत्री के वक्तव्य में जो कुछ समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित हो चुका है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नया नहीं है। यह आशा की जा रही थी कि माननीय वित्त मंत्री सरकार की ओर से मानसून सत्र के पहले दिन जब प्रथम अधिकारिक वक्तव्य देंगे तो उसमें जो कुछ समाचार पत्रों तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित सूचना के अतिरिक्त और काफी जानकारी दी जायेगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि यह वक्तव्य काफी व्यापक है परन्तु यह व्यापकता केवल पूर्व परिचित तथ्यों को दोहराने तक ही है। बेशक यह वक्तव्य बहुत ही स्पस्ट है परन्तु यह सुस्पष्टता केवल उन्हीं मुद्दों तक सीमित है जिनमें इन्कार नहीं किया जा सकता। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह वक्तव्य एक आमतौर पर नौकरशाही लड़ने में दिया जाने वाला उत्तर था जिसमें कि यह कहा गया कि इतने छापे मारे गये इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतने कानून बनाये जाने का निर्णय लिया गया, इतने कानून बनाये गये तथा इतने और कानून बनाये जायेंगे। मेरा निवेदन यह है कि इस वक्तव्य में इस देश के समक्ष समस्या की विकरालता को स्पष्ट किया जाना चाहिए था, जबकि यह वक्तव्य केवल एक लेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखा जोखा बन कर रह गया है : जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है कि यह एक ऐसी सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य नहीं लगता जो कि इस स्वतंत्रता के बाद हुए तथा दूरगामी प्रभाव डालने वाले घोटाले के प्रति जागरूक हो।

[श्री जसवन्त सिंह]

क्या एक लेखाकार की तरह लेखाजोखा प्रस्तुत करना सरकार के लिए पर्याप्त है? यह लेखाकारों वाले लेखे-जोखे से मुझे काफी जिन्नता हुई है जैसा कि कहा गया है कि घोटाले में 3500 करोड़ रुपए के करीब था गोलमाल हुआ है; क्योंकि 350 करोड़ रुपए के करीब का जानकीरमन समिति ने पता लगा लिया है, इसलिए कुल 3150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। क्या यह केवल लेखाकारों वाला दृष्टिकोण नहीं है? स्वतंत्रता प्राप्ति से ले कर अब तक बैंकिंग तथा दूसरे शब्दों में सरकार के समक्ष आने वाली यह सबसे गंभीर समस्या है। मैं नहीं जानता कि इसका अन्य स्वरूप क्या है परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि यह केवल एक हिसाब-किताब की समस्या नहीं है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह वक्तव्य केवल एक लेखाकार द्वारा प्रस्तुत लेखा-जोखा बनकर रह गया है। मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य कोई भी विश्वास नहीं दिलाता है। इस सम्पूर्ण घोटाले के अनुत्तरित पक्षों के सम्बन्ध में इस में कुछ नहीं कहा गया है। मुझे लगता है कि यह वक्तव्य अथवा इसकी शब्दावली का इसकी भावना इस घोटाले के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का वास्तविक निरूपण नहीं करती है। इसलिए मैं यह अनुभव करता हूं कि इस सम्बन्ध में जो मेरे विचार हैं, वे मैं संसद के समक्ष प्रस्तुत करूं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकार मेरे विचारों से सहमत हो। तथा निर्विवाद रूप में यह मात्र एक हिसाब-किताब की समस्या नहीं है। निश्चित रूप से बैंकों के लेन देन में अनियमितताएं और धोखाधड़ी बरती गई हैं लेकिन ये अनियमितताएं और धोखाधड़ी बहुत दिनों से चल रहे लेन देन में गड़बड़ियों का परिणाम और प्रभाव है जिसे केवल नजर अंदाज ही नहीं किया गया बल्कि राष्ट्र के मूल्य पर उसे दबाने की कोशिश की गई। मेरे विचार में इस घोटाले की समस्या के विस्तार की सीमाओं, जिन्हें मैं उजागर करने का प्रयास करूंगा और मैं जानबूझकर उस अमरीकी अपभाषा जो आजकल प्रचलन में 'द स्कैम' उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे विचार में उक्त शब्द कांड की गंभीरता को जिसके संबंध में हम चिंतित हैं, उसे कम कर देता है। हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसका सीमांकन करने के प्रयास में पहली बात जो मैं बताऊंगा वह है देश में उचित नैतिक दृष्टिकोण की कमी। अब यह प्रचलित हो गया है कि अनैतिकता और राजनैतिक अनैतिकता का लाभ मिलता है। इसलिये राज्य के सभी अंगों को विषाक्त करने का लाभ होता जिसमें आसानी से लाभ लेकर लिप्त हुआ जा सकता है।

दूसरी बात जवाब देही का आभाव इसका उल्लेख करने का हमें कई बार मौका मिला है। मुझे पहले भी यह कहने का मौका मिला है। इस तरह की संदेहास्पद स्थिति संयुक्त राज्य अमरीका युनाइटेड किंगडम या जापान या किसी भी अन्य देश में हुई है। जिस किसी भी देश में ऐसा कांड हुआ है प्रत्येक मामलों में, चाहे उसमें देश के सर्वोच्च व्यक्ति को ही लिप्त क्यों न पाया गया हो, किसी न किसी को उसके लिये जवाब देह ठहराया जाता है। केवल भारत में ही चाहे उस मामले की गंभीरता या विशालता जो भी हो, केवल पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रेरणा पूर्ण नेतृत्व काल के दौरान कुछ ही लोगों ने कीमत चुकाई है। उसके पश्चात पूरी तरह दायित्व हीनता का ही साम्राज्य है। उदारहण उद्दात करना मेरे लिये उपयुक्त नहीं है। —लेकिन एक टेलीफोन पर ही भारतीय स्टेट बैंक से 60 लाख रुपया निकाल लिया जाता है और वह व्यक्ति जिसने रुपये निकाले थे बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है और आज उसके बारे में कोई कुछ जान पाया और न किसी को इसकी कोई चिंता है फिर भी मैं उनका नाम लेने नहीं जा रहा हूं कि तत्कालीन प्रधान मंत्री कौन थे या किसने पैसे निकाले थे, यदि एक कार के कारखाने को लगाने के लिये कुछ करोड़ रुपये की आवश्यकता है और उसके लिये राज्य की भूमि पर पैसा दिये बिना कब्जा किया जा सकता है। उसके लिए किसी ने कोई कीमत नहीं चुकाई । शाह आयोग हमारे पुरातत्व विभाग के कूड़ेदान में पड़ा है। इसने क्या किया? श्री चन्द्रशेखर जी यहां हैं। वह इसके शिकार हुए थे। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी यहां हैं। हममें से कितने लोगों को याद है कि शाह

आयोग ने क्या इनक्वायरी की थी? कितनों ने उसका उल्लेख किया है? यह वही है जो दायित्व के आभाव को पूरी तरह व्यक्त करता है।

जब हम बोफोर्स की बात करते हैं तो इसकी यह वजह नहीं है कि बोफोर्स शब्द से कोई खास लगाव है बल्कि इसलिये कि दायित्व बोध के आभाव को वह संक्षेप में अभिव्यक्त करता है? केवल बोफोर्स की ही बात नहीं है जब हम उसकी बात करते हैं तो कई व्यवसायी देश को लूट रहे हैं। इस देश के एक-एक कानून को व्यक्तिगत व्यापारी को लाभ देने के लिये विकृत किया जा रहा है। तब हमें यह ज्ञात होता है कि आप यह राजनैतिक उद्देश्य से कर रहे हैं। मैं इस बात पर अधिक रोशनी नहीं डालूंगा। इन सब का परिणाम दायित्व बोध के आभाव के साथ देश नैतिक मानसिकता का समाप्त हो जाना है। तो आखिर हर्षद मेहता जैसे लोग क्यों न कहें कि आप देश को लूट रहे हैं।

[हिन्दी]

गंगा बह रही है, उसमें मैं भी लुटिया डाल लूं और भर लूं। सब चलता है, क्यों नहीं कहेगा वह?

[अनुवाद]

हम इसके लिये उत्तरदायी हैं। केवल हर्षद महेता और भूपेन चम्पकलाल दलाल और अन्य के ऊपर ही आरोप न लगायें। हमने इसके लिये माहौल तैयार किया है। मैं श्री चन्द्रशेखर जी के इस विचार से सहमत हूं कि अस्सी के दशक के पतन का यह माहौल बना था। 1980 का दशक पूरी तरह से राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पतन का दशक था जिसका सामना देश को करना पड़ा और 1990 के दशक की शुरुआत से ही हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह सब उस पतित दशक के कारण हुआ है। **(व्यवधान)** इस पूरे प्रकरण के कुछ अन्य पहलू भी जो मात्र लेखा-जोखा की समस्या नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई): हमने यह सुना है **पहले। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह: मैं माननीय सदसय से निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो कहा उसे दुहरायें परन्तु धीमी गति में **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: मैंने कहा कि हमने यह सुना है **पहले। कृपया आगे बोलें। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह: मैं निवेदन करता हूं कि अब इसका अनुवाद करें **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने इसका उपयोग उस महाशय के निवेदन के प्रत्युत्तर में किया है जो बोल रहे थे। वह महाशय जो बोल रहे थे उन्होंने यह सुना है और उन्होंने मुझे खड़े होकर दुहराने के लिये कहा है। इसलिये मैंने इसे दुहराया। मैं इसे **के जैसा मानता हूं।

श्री जसवंत सिंह: क्या मैं इसे हिंदी में अनुवाद करने का निवेदन कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : मुझे श्री जसबंत सिंह ने यह दुहराने के लिये कहा है।

श्री जसवंत सिंह: क्या मैं इसे हिंदी में अनुवाद करने का निवेदन करूं? क्या मैं माननीय सदस्य से इसे हिंदी में बोलने का निवेदन कर सकता हूं?

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: माफ कीजिएगा—मेरी शिक्षा अंग्रेजी जबान में हुई थी। इन तीनों शब्दों का अनुवाद मुझे से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप की हिंदी बहुत ही अच्छी है, में आपसे अनुरोध करूंगा किका अनुवाद आप कृपया खुद ही करें..***

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): किसी को भी इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिये। उन्होंने यह कहा है कि उनकी पढ़ाई अंग्रेजी में हुई है और उन्हें केवल वही तीन शब्द पढ़ाये गये हैं। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: महाशय, आपके बारे में कहने के लिये हमारे पास कुछ बातें है। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह: शुरू करने से पहले मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य ने अत्यंत आक्रमक रूख अपनाया। लेकिन मैं यह भी मानता हूं उनका यह रवैया स्वाभाविक ही है। अतः उनसे और कुछ भी आशा करना मुश्किल है।

मुझे अपनी बात शुरू करने दें: इस पूरी समस्या के और भी अन्य पहलू हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह कोई साधारण लेखा-जोखा की बात नहीं है क्योंकि मैं यह मानता हूं कि आज देश की बैंकिंग व्यवस्था ठप्प पड़ गई है। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि गंभीर रूप से शंकाओं के दायरे में गिर गयी है। मेरे विचार में इस समस्या का तीसरा पहलू पूंजी बाजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री इस बात को जानते हैं और उन्हें पता है कि पूंजी बाजार ठप्प पड़ा है। यह मात्र स्टॉक एक्सचेंज का मामला नहीं है क्योंकि वहां अमीरों के धन का व्यापार होता है। छोटे निवेशकों ने धन लगाया है। वास्तव में लगभग विगत चार से छह सप्ताह के दौरान पूरे देश की बड़ी स्टॉक एक्सचेंजों की गतिविधि ठप्प पड़ गई और देश के पूंजी बाजार का ठप्प पड़ जाना एक गम्भीर बात है। मैं तो कहता हूं कि जब यह सब हो रहा है तो भारत का विदेश व्यापार भी उस समस्या से प्रभावित है, जिससे आज हम ग्रस्त हैं। भारत का विदेश व्यापार इससे जुड़ा हुआ है। माननीय विदेश मंत्री को मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि भारत के विदेश व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता रहा, तो इसके परिणाम क्या होंगे। मैं यह भी कहूंगा कि सरकार ने जो आर्थिक सुधारों के पैकेज और नयी आर्थिक नीति शुरु की हैं, उस पर भी इस सबकी वजह से गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है और यह भी उस समस्या का एक पहलू है जिसका आज हम सामना कर रहे हैं।

एक और भी पहलू है और मैं पूरी गंभीरता से सरकार से कहूंगा कि यदि आप राष्ट्रीय प्रतिभूति की अवधारणा की बात करते हैं तो राष्ट्र की आर्थिक रूप से उन्नति राष्ट्रीय प्रतिभूति का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि किसी राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दर्जा और आर्थिक उन्नति कुछेक लोगों की वजह से बिगड़ जाये, तो हमारी राष्ट्रीय प्रतिभूति जोकि इस सारे कांड का ही एक भाग है तथा बैंकों और प्रतिभूतियों की इस जाली सौदेबाजी में जो प्रमुख राष्ट्रीय हित जुड़े हैं वे केवल 3500 करोड़ रुपये या 5000 करोड़ रुपये या 50000 करोड़ रुपये नहीं हैं। इसी वजह से ये टालने तथा गुमराह करने वाली बातें और माननीय मंत्री का वक्तव्य देने से बचना बहुत दुखदायी हैं।

इसमें, क्योंकि केवल बैंक और वित्तीय संस्थायें ही शामिल नहीं हैं और क्योंकि वक्तव्य में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है अतः मैं चाहूंगा कि सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या उन्होंने इस लेखे-जोखे वाले विवरण में संभावित दोषी लोगों की पहचान करायी है? फिर भी भारत सरकार के संभावित दोषी व्यक्तियों का कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। क्या आपका कहना कि जहां ऐसे गलत काम हो रहे हों और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे बड़े कांड हो रहे हो। लेकिन वहां भारत सरकार स्वयं जिम्मेदार ने होते उसे इस संबंध में कुछ भी उत्तर नही

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

देना हो कि भारत सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है? इसमें वित्त मंत्रालय के उत्तरदायित्व के बारे में एक भी शब्द है या नहीं।

मैं इस पर बाद में आऊंगा कि रिजर्व बैंक को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये और वह भी गलत तरीके से। लेकिन वित्त मंत्रालय के बारे में यहां एक भी शब्द नहीं है। क्या वित्त मंत्रालय इसमें से कोई एक है क्या इस समय उनकी कोई भूमिका है? क्या इनमें से कोई बैंक किसी भी तरह से वित्त मंत्रालय से जवाबदेह है? क्या वित्त मंत्रालय को कोई कार्य निभाना है? माननीय वित्त मंत्री की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बैंकिंग क्षेत्र या प्रतिभूति क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मैं उनका व्यक्तिगत रूप से कम आदर नहीं करता हूं। अनके जैसे समझदार, निष्ठावान व्यक्ति के लिये मैं क्या सुझाव दूं कि वित्त मंत्री के रूप में वह क्या करें, उनन्हें क्या करना चाहिये, यह सुझाव मैं नहीं दे सकता हूं कि उन्हें क्या करना चाहिये। लेकिन मैं अपना विवेक खो रहा हूं, स्वयं समझने में असमर्थ हूं कि उन्हें इतना आदर देने के बावजूद यदि मैं ऐसा न कहूं तो स्वयं ही झूठा हो जाऊंगा। वित्त मंत्रालय इस सब में कहां आता है? इसमें यहां एक भी शब्द नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस तरह का कांड़ हो इतनी बड़ी घटना हो जाये। और इसमें एक भी राजनैतिक नेता, एक भी नौकरशाह अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हो। इसमें राजनैतिक जिम्मेदारी या सिविल सेवा के उत्तरदायित्व के बारे में एक भी शब्द नहीं है। और राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों बैंकर या उद्योगपति के मध्य संबंध किस तरह का है? भारत सरकार की एक रचनात्मक नैतिक जिम्मेदारी है। वित्त मंत्रालय की और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की रचनात्मक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि इस इतने बड़े कांड़ में कुछ राजनीतिज्ञों नौकरशाहों, बैंकरों और उद्योगपतियों के बीच कुछ संबंध हैं। मैं कोई जांच एजेसी नहीं हूं यह सभा खुफिया एजेसी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सभा का इस गतिविधि में लिप्त होना उचित नहीं है। लेकिन यहां जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार है और में मांग करता हूं कि सरकार हमें बताये कि इसके पीछे कौन है।

महोदय, जो कुछ पहले ही स्वयं प्रमाण है मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा और जो कुछ भी विभिन्न पत्रिकाओं में बयान किया गया है, टिप्पणी की गयी है और छपा है उस पर भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं इस दलाल के बारे में नहीं कहूंगा, जो जेल की सीखचों के पीछे है, जिसे हर्षद मेहता कहते हैं और जिसकी बजट से पहले वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय में बैठकें करायी थी। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाऊंगा कि यह वहीं हर्षद मेहता है जिसके विषय में विभिन्न पत्रिकाओं के विभिन्न पृष्ठों में छपा है। यह तो पत्रकारिता और पत्रकारों का एक पहलू है जो विगत के इस कृत्य को प्रथम पृष्ठों पर छापते हैं और यही लगभग सभी पत्रिकायें कर रही है। ऐसा क्या है जिसने उसे हीरो बना दिया और अचानक वह ऐसा कैसे हो गया? यहीं व्यवहार उससे वित्त मंत्रालय ने किया जैसा कि पत्रकारिता के संसार में किया।

महोदय, में हर्षद मेहता और उसके उच्च संबंधों, विभिन्न न्यासों के साथ उसके सहयोग आदि के विस्तार में नहीं जाऊंगा। नहीं मैं भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसकी सौदेबाजी के विषय में कहूंगा जिसके संबंध में मुझे बताया गया और शायद वित्त मंत्री मेरी गलती ठीक करेंगे, उसे 17600 करोड़ रुपये मूल्य की प्रतिभूतियों का व्यापार दिया। उसे उन्होंने इस देश के प्रतिरक्षा बजट के बराबर व्यापार दिया। एक बैंक ने एक ऐसा दलाल दिया जो इस देश के रक्षा बजट के बराबर है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि वह सब क्या है कि जब ऐसा किया गया तो बावजूद इसके वित्त मंत्रालय को पता नहीं चला यह इस दलाल की ही असीम चतुराई थी या भारतीय स्टेट बैंक और इस दलाल के बीच क्या संबंध था कि इसे इतने रक्षा बजट के बराबर देने की बात आगे बड़ी, वस्तुतः उसे इस देश के रक्षा बजट से कहीं अधिक दिया गया? यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं सौदेबाजी के इस नौ लाख करोड़ के आंकड़े के

[श्री जसवन्त सिंह]

विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं यह नहीं जानता हूं और यह तो सरकार ही बतायेगी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, यह जानकीरमन समिति रिपोर्ट कल ही संसद के प्रकाशन काउंटर पर रखी गई है। मैंने बैठक में इसका उल्लेख किया था। सरकार ने इसे समाचार पत्रों के लिए जारी किया, लेकिन सरकार ने इसे संसद सदस्यों में परिचालित नहीं किया है। क्यों? क्या जानकीरमन समिति समाचारपत्रों और पत्रकारों की जानकारी के लिए ही गठित की गई थी? समिति ने पहले इसे समाचारपत्रों को जारी किया लेकिन यह रिपोर्ट संसद सदस्यों को नहीं दी गई। क्यों? यह रिपोर्ट कल से संसद के प्रकाशन काउंटर पर रखी है और हम जाकर इसे ले सकते है। मैं इस चर्चा में इस पर क्या करूं? यह एकदम अलग मुद्दा है।

महोदय, मैं रूइयास और धर्मराज मिलस और 1990 में बैंक आफ करोड़ द्वारा जारी बैंकर रसीद (बी०आर०) के प्रश्न पर नहीं बोलना चाहता, इस बार में वित्त मंत्री को 1990 से ही जानकारी थी। मैं यह मानता हूं कि तब कोई दूसरे वित्त मंत्री थे। बैंक आफ करोड़ में ऐसा इसलिए किया कि लारसन एंड टोबेरो से रिलायंस शेयर खरीदे जा सकें। मैं भारतीय स्टेट बैंक की लगातार मिली भगत तथा तत्कालीन स्टेट बैंक मुखिया श्री घोष की मिलीभगत के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। महोदय, मैं श्री भूपेन चम्पकलाल दलाल और स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मध्य गठजोड़ पर नहीं बोल रहा। लेकिन मैं उन कुछ पहलुओं पर बोलूंगा जिनके बारे में वक्तव्य पूर्णतया मौन है और जिन पर अभी तक बहुत कम जानकारी प्राप्त है।

मैं कुछ समय बाद भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर बोलूंगा। जहां तक विदेशी बैंकों का संबंध है, सितम्बर 1991 और मार्च 1992 के बीच कूपन की दरों के बारे में, मैं तथा वित्त मंत्री जानते हैं कि कूपन दरों से मेरा क्या अभिप्राय है कूपन दरों में वृद्धि से विदेशी बैंकों ने आमतौर पर 30 करोड़ के वार्षिक लाभ के साथ बहुत लाभ कमाया और वित्त मंत्री को भी इन बैंकों की जानकारी है। क्योंकि कूपन दरों में वृद्धि की जा रही है वे 300 करोड़ से अधिक लाभ कमा रहे हैं। मैं सरकार और वित्त मंत्री से चाहता हूं कि हमें बताएं कि विदेशी बैंकों को कूपन दरों में वृद्धि की अग्रिम सूचना किसने दी इस कारण वे पुरानी प्रतिभूतियों के विस्तृत स्टाक को निकाल सके और उन्हें पुनः प्राप्त कर सके। मैं कूपन दरों की बिक्री और खरीद की पेचीदगियों में बोर में चर्चा नहीं कर रहा हूं।

यह बहुत गंभीर मामला है। यह बिक्री और खरीद से लाभ कमाने का सीधा सा प्रश्न नहीं है। वह कोई गैर-कानूनी कार्य नहीं है। लेकिन गैर-कानूनी तो यह है कि भारत सरकार की इच्छा के बारे में अग्रिम जानकारी दी जाए। कूपन दरों में परिवर्तन की यह अग्रिम सूचना विदेशी बैंकों तक कैसे पहुंची? सरकार इस अत्यंत गंभीर मामले पर विचार करे। यह उन द्वारा 30 करोड़ लाभ कमाने का प्रश्न नहीं है। भारतीय और विदेशी बैंक अधिक लाभ कमाएं; लेकिन कानूनी लाभ और सरकार की अकुशलता या अक्षमता के कारण लाभ न कमाएं। हमें यह जानने का अधिकार है।

मैं बैंक ऑफ करोड़ के बारे में भी बोलूंगा। मैं इस बैंक के बारे में काफी नहीं जानता। आप इस बैंक को बंद कर रहे है; आप अन्य बैंक बंद नहीं कर रहे; आपने पहले तो इसके चेयरमैन को ही नहीं हटाया फिर इसके चेयरमैन को हटादिया; बैंक ऑफ करॉड़ के साथ सब तरह की राजनैतिक मिलीभगत की अफवाहें सुनने में आ रही हैं। बैंक ऑफ करॉड़ की स्थिति क्या है? क्या यह सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक वास्तव में मार्च में ही इस बैंक को बन्द करना चाहता था? क्या यह भी सही है कि क्योंकि

राजनैतिक दबाव था इसलिए आपने इस बैंक को बन्द नहीं किया और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को बन्द नहीं किया? मार्च में क्या कमी पाई गई थी मार्च तथा मई या जून के बीच जब अन्ततः आपने कार्यवाही की तब क्या और अधिक गलतियां पायी गयी?

मैं इस एम०सी०बी० मैट्रोपॉलिटन को-आपरेटिव बैंक के बारे हैरान हूं। इसका विस्मयकारी रिकार्ड है। इसकी कुल परिसम्पत्ति 8 करोड़ रुपये है और इस 8 करोड़ की राशि में इक्विटी, ऋण, उधार, सबकुछ मिलाकर है। इसकी कुल परिसपत्ति 8 करोड़ रुपये है। इसने 1944 करोड़ रुपये मूल्य की बैंकर रसीदें जारी की यह परेशान करने वाला है कि किस प्रकार यह प्रणाली जारी रही। मैं यह अनुमान नहीं लगाना चाहता कि क्या हो रहा था, यह तो सरकार को हमें इसकी जानकारी बताना है। यह कैसे संभव था? क्या एकाधिकार का खेल खेला जा रहा है? 'एकाधिकार' एक खेल है जिसमें आप पासा फेंकते हैं। यहां क्या हो रहा है? हम देश को कहां पर ले आए हैं? मैंने इसे विस्मयकारी पाया। इसका बचाव नहीं किया जा सकता। इसी कारण यह वक्तव्य मेरे लिए एक बहुत दुःखद दस्तावेज है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि करॉड़ बैंक, एम०सी०बी० स्टेन्डर्ड चार्टर्ड और श्री भूपेन चम्पकलाल दलाल और हर्षद मेहता के बीच क्या गठजोड़ है। (**व्यवधान**) मैं बी०सी० दलाल का नाम लेता हूं बी०सी० दलाल, बैंक आफ करोड, मैट्रोपोलिटन को-आपरेटिव बैंक और स्टेंडर्ड चार्टर्ड के कार्यों में क्या गठजोड़ है? स्टैंटर्ड चार्टर्ड ने इस व्यक्ति को काफी कार्य दिया है। यह सब कहां से और कैसे आया? रातों रात अमीर बने हर्षद मेहता के अपेक्षा भूपेन दलाल काफी लम्बे समय से दिल्ली में सत्ता के गलियारों में घूमता रहा हैह। मुझे बताया गया है कि ऐसा गत डेढ़ दशक या अधिक समय से हो रहा है। अचानक ही क्या हुआ है? क्या वह गत डेढ़ दशक से यह कर रहे है? वक्तव्य में भी बी०सी० दलाल का ध्यान रखा गया है। हर्षद पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं लेकिन बी०सी० दलाल की केवल गंभीर जांच ही की गई है। इनमें क्या अन्तर है? इस वक्तव्य में यही कहा गया है।

मुझे अत्यधिक चिन्ता है और मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। क्या इस पूरी समस्या, पूरे कांड में पूरे देश में विस्तार है? जब मैं 'पूरे देश से विस्तार' कह रहा हूं तो इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री मेरे कथन को सही समझेंगे। एल०आई०बी०ओ०आर० से 2-5 प्रतिशत अधिक 7 प्रतिशत होता है और सात प्रतिशत पूरे पश्चिम एशियाई देशों में अत्यंत आकर्षित ऋण दर है। लेकिन आप इस सात प्रतिशत में एक प्रतिशत प्रोत्साहन या कमीशन या अन्य नाम से जोड़ दें और आठ प्रतिशत लेते हैं। आप पश्चिम एशिया में आठ प्रतिशत पर ऋण ले सकते हैं और आप इसे भारत में ला सकते हैं; आप इसे 23 प्रतिशत पर ऋण पर दे सकते हैं। यह 23 प्रतिशत ही नहीं है। वित्त मंत्री जानते हैं कि काल मनी की दरें इस कांड के चरम सीमा के समय 68 प्रतिशत या अधिक तक पहुंच गई थी। बैंक 'काल मनी' दरों में व्यापार कर रहे हैं। इसलिए अब मैं प्रेषित राशि के बारे में जानना चाहता हूं; जनवरी, 1992 की विदेशी मुद्रा प्रेषित राशि योजना के बाद छः मध्य पूर्व के दशों और पश्चिम एशियाई बैंकों के माध्यम से दो राशियां भेजी गई। ये राशियां जनवरी 1992 में हर्षद मेहता के खाते में आई। प्रथम 89 करोड़ रुपये की और दूसरी लगभग 79.36 करोड़ रुपये थी। क्या मध्यपूर्व से आई इन बड़ी राशियों पर सरकार में किसी ने निगरानी रखी? धनराशि का स्वागत है। लेकिन यह एक विशेष खाते में ही सीधे जमा हो रही थी और जैसे ही यह राशियां आती हैं, स्टॉक एक्सचेंज में चली जाती हैं।

मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह सभी आने वाली राशियों को प्रोत्साहन दे ऐसे निवेश और धन को प्रोत्साहन दे जो सभी कानूनी स्रोतों, विश्व में कहीं से भी आ सके। उसके बिना भी हमें भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा था जैसा कि अभी भी हमें करना पड़ रहा है। परन्तु मेरे पूछे गये प्रश्न के सन्दर्भ में यह कहना कि पश्चिम एशिया से 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार ले कर उसे भारत में न्यूनतम 23 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दे सकते हैं। तो यह मेरे प्रश्न को दूसरा रंग देने

[श्री जसवंत सिंह]

वाली बात होगी। इसी सन्दर्भ में मैंने श्री हर्षद मेहता के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न पूछा था। मेरा दूसरा प्रश्न स्पष्ट रूप से श्री बी०सी० दलाल अथवा भूपेन दलाल के बारे में है। क्या यह सच नहीं है कि श्री कोशल महिन्द्रा तथा श्री भूपेन दलाल ने पश्चिम एशिया में एक कम्पनी खोली है? पश्चिम एशिया में ऐसी कम्पनी खोलना अच्छी बात है अगर इसके माध्यम से देश को व्यापार मिलता है। परन्तु पिछले लगभग छः महीनों में जब से कम्पनी खुली है, इसने कोई व्यापार नहीं किया है। क्या यह कम्पनी केवल ऐसे धन को देश से बाहर ले जाने का एक साधन मात्र है? क्या इसमें इसकी तथा बैंक ऑफ मदुराई की आपस में कोई सांठ गांठ है।

मेरा प्रश्न जो कि काफी गंभीर प्रश्न है, वित्त मंत्री महोदय को संबोधित है। इस समस्या के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का क्या वित्त मंत्रालय को ज्ञान है? दूसरे क्या वित्त मंत्रालय ने इस समस्या की गंभीरता का कोई आकलन किया है? अगर हमारी आर्थिक प्रणाली में ऐसे धन का परिचालन होगा, तो यह कोई साधारण समस्या नहीं है। ऐसा धन चाहे किसी ने भी भेजा हो, उसे वापस लाया जाना चाहिये। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समस्या की गंभीरता की जानकारी दे। क्योंकि जब वह चैक भुगतान के लिए अथवा वापिस भेजने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, तब राष्ट्र को बहुत ही गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा।

समस्या के इस पक्ष के सम्बन्ध में गृह मंत्री के वक्तव्य में कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए यह मुझे असंतोषजनक लगी। सार्वजनिकों उपक्रमों की भूमिका तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। सार्वजनिक उपक्रमों ने विनिवेश की नीति के अनुसार विनिवेश किया, जिसका हम समर्थन करते हैं।

...(व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य: यह उसी नीति का परिणाम है।

श्री जसवंत सिंह: नहीं, परन्तु इस नीति के कार्यान्वयन में हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

श्री चन्द्रशेखर: ऐसा तो होना ही था।

श्री जसवंत सिंह: सार्वजनिक क्षेत्र की निधि का एक और पक्ष भी है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अथवा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग जैसे उपक्रमों के पास बहुत बड़ी धन राशियां जैसे कि 3000 करोड़, 3500 करोड़ या 500 करोड़ उपलब्ध रहती हैं और आप इनके उपयोग की इन्हें पूरी स्वतंत्रता देते हैं। आप विभिन्न मंत्रालयों को यह राशि निवेश बैंकर्स, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों को देने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। क्या आप की यही नीति है? जिस प्रकार सार्वजनकि क्षेत्र की निधि पोर्टफोलियो प्रबन्धकों के पास पहुंच रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यह पोर्टफोलियों प्रबन्धक कौन हैं? क्या इसका कोई लेखा जोखा रखा जाता है? इस राशि का लेन देन कौन करते हैं, क्या आप इसका ध्यान रखते हैं? हम यह सब जानना चाहते हैं।

वक्तव्य में बड़े ही सधारण ढंग से दिए गए कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में मैं कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। पृष्ट 1 के पैरा 2 में सरकार ने यह बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर श्री जानकीरमन, ने इस मामले की जांच की है। इसे स्वीकार करने में मुझे कुछ संकोच है क्योंकि आप एक रिज़र्व बैंक के अधिकारी को ही रिज़र्व बैंक के सम्बन्ध में जांच करने के लिए कह रहे हैं। कृपया यह स्पष्ट कीजिए कि आप यह कैसे अनुभव कर रहे हैं कि वह जांच संतोषजनक रहेगी।

पृष्ठ 2 के पैरा 5 में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि काफी हद तक यह 'आन्तरिक नियन्त्रण की असफलता' का मामला है। क्या सरकार का यही आकलन है कि यह मात्र आन्तरिक नियन्त्रण की असफलता का मामला है।

पृष्ठ 2 के पैरा 6 में माननीय मंत्री जी ने यह बताया है कि उनके सामने तीन उद्देश्य हैं: पैसे की वसूली, दोषियों को दण्ड देना तथा विश्वसनीयता बहाल करना। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में उनकी प्राथमिकतायें क्या हैं तथा कितने अच्छे तथा संतोषजनक ढंग से उन्होंने इस सम्बन्ध में पिछले दो महीने में कार्यवाही की है।

पृष्ठ 3 के पैरा 7 में जो प्रशासनिक उपाय बताये गये हैं, उनके सम्बन्ध में भी मेरी कुछ शंकायें हैं। पिछली बार भी जब इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, तो इन प्रशासनिक उपायों का उल्लेख हुआ था। मैं उन्हें आसंतोषजनक नहीं कहता। अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा जा रहा है, अधिकारियों और बैंक प्रमुखों के विरुद्ध गंभीर आरोप दर्ज किए गये हैं। तथा कुल मिला कर सरकार इतनी ही प्रशासनिक कार्यवाही कर पाई कि उसने बैंकों के अध्यक्षों को छुट्टी पर चले जाने का परामर्श दे दिया।

4.00 म०प०

देश के समक्ष सबसे बड़े घोटाले के लिए यह प्रशासनिक कार्यवाही बहुत ही असंतोषजनक है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री अपने विचारों से हमें अवगत करायें।

2 जून को पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् जो अध्यादेश जारी किया गया, उस पर तथा जिस जल्दी में इसको तैयार किया गया उस सम्बन्ध में हमें उस समय चर्चा का अवसर मिलेगा, जब इसे अस्वीकृत करने का प्रस्ताव आयेगा। इस समय मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री चन्द्रशेखर: इसे एक दो दिन में गैर-कानूनी घोषित कर दिया जायेगा।

श्री जसवंत सिंह: चन्द्रशेखर जी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। परन्तु इस सम्बन्ध में काफी चिन्ता है कि यह अधिनियम जिसके अन्तर्गत काफी कार्यवाही की जा चुकी है तथा इस अध्यादेश की वैधता के सम्बन्ध में गंभीरता से इसके गुण दोषों पर विचार नहीं किया गया है।

पृष्ठ 4 के पारा 7(4) में माननीय वित्त मंत्री ने हमें सूचित किया है कि आय कर अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की है। जो अन्तर माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया है, मैं उसे समझना चाहता हूं। भूपेन दलाल की गतिविधियों के सम्बन्ध में गहन जांच से आपका क्या तात्पर्य है तथा अगर आप 'हर्षद मेहता ग्रुप' पर छापे मार सकते हैं, तो आप गहन जांच क्यों कर रहे हैं जबकि यह प्रमाणित हो चुका है कि यह बी० सी० दलाल इस क्षेत्र में एक लम्बे समय से सक्रिय है तथा इस सारे मामले में उसकी गतिविधियों का क्षेत्र काफी व्यापक है? उसके बाद हर्षद मेहता आता है। तथा अन्तर क्या है? आप ने 28 फरवरी 1992 को परिसर पर छापा डाला। 28 फरवरी, 1992 को आपको क्या मिला है? 28 फरवरी, 1992 से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक आपने इस इतने बड़े घोटाले को चलने दिया। उसके परिसर पर छापा मारने के पश्चात् क्या यह सरकार का उत्तरदायित्व नहीं था कि वह तुरंत यह पता लगाती कि वास्तव में गड़बड़ी कहां पर है। पहले आपने उस पर छापा ही क्यों डाला? छापा मारने के पश्चात् आप महीनों तक चुपचाप क्यों बैठे रहे जब तक कि देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया? हमें यह सब जानने का अधिकार है तथा जब तक हमें यह जानकारी नहीं मिलेगी, हम आगे क्या कार्यवाही कर सकते हैं?

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रर्वतन निदेशालय ने किसे गिरफ्तार किया है। आपने हमें बताया कि इसने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इस समय जेल में हैं। उन्हें किस लिए गिरफ्तार किया गया है? आपने किसे गिरफ्तार किया है? इस वक्तव्य में स्टॉक एक्सचेंजों के निरंतर बन्द रहने से छोटे निदेशकों की

[श्री जसवंत सिंह]

समस्याओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए इस दृष्टि से यह वक्तव्य मुझे काफी असंतोषजनक लगा है।

पृष्ठ 7 के पैरा 9 में रिजर्व बैंक के सम्बन्ध में सरसरी तौर पर जो जानकारी दी गई है उसमें जो कहा गया है, उन शब्दों को जैसे कि 'पूर्वावलोकन से यह पता चलता है कि अगर रिज़र्व बैंक के गर्वनर ने थोड़ी सावधानी से काम लिया होता' इत्यादि को दोहरा कर मैं संसद का समय नहीं लेना चाहता। मैं समझ सकता हूं कि वित्त मंत्री महोदय रिज़र्व बैंक का पक्ष क्यों लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस बैंक का जिसका संचालन उन्होंने एक समय काफी दक्षता से किया, परन्तु इससे राष्ट्र के समक्ष समस्या का निदान नहीं किया जा सकता। यदि आप रिज़र्व बैंक का पक्ष लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि केन्द्रीय संचालक बैंक है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मेरा कहना यह नहीं कि रिजर्व बैंक को बैंकों की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली पर नियन्त्रण रखना चाहिए। ऐसा करना सम्भव नहीं है। यह इसका कार्य भी नहीं है।

रिज़र्व बैंक एक छोटे जिला बैंक को नहीं चला सकता। यह उसका कार्य नहीं है। परंतु जब इस प्रकार के स्तर के घोटाले होते हैं तो यह उसका कार्य और उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह इस ओर ध्यान दे और यह जानकारी सरकार को दे। आपका यह कहना ही काफी नहीं है। महोदय मैं इसके बहुत खिलाफ हूं।

क्या रिर्जव बैंक का गर्वनर,—मैं अपने ऊपर संयम रख कर कह रहा हूं अपना यह विचार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं का अथवा जो पत्रिकाएं तक पहुंचाता है जो भी उनसे इस्तीफा मांगता है, बताता है कि वह वास्तव में अपराधियों को बचाने के लिए अथवा जांच में अड़चन डालने के लिए कर रहा है।

मेरे विचार में यह एक अनियंत्रित वक्तव्य है। मैं इस वक्तव्य पर यहां पर कुछ नहीं कहूंगा क्यों कि रिजर्व बैंक का गर्वनर यहां इस सदन में नहीं आ सकता और अपना बचाव नहीं कर सकता। मेरा उस वक्तव्य पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा सिवाए इतना कहने कि यह एक अनियंत्रित वक्तव्य है। स्वतंत्रता के बाद के सबसे बड़े आर्थिक घोटाला के चलते हुए रिज़र्व बैंक के गर्वनर द्वारा जो इस देश के केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष है, इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाना शोभा नहीं देता। निष्कर्ष स्पष्ट है और सरकार और वित्त मंत्री इसे समझें। वास्तव में मेरे लिए यह कहना बहुत आसान है, जो कहा जाना चाहिए और यह नियमित रूप से कहा भी गया है, परन्तु क्योंकि वह एक ऐसा अधिकारी है जो यहां पर उपस्थित नहीं हो सकता, मैं माननीय वित्त मंत्री पर यह फैसला छोड़ रहा हूं। कि वह स्वयं ही निष्कर्ष निकाल लें। निश्चित रूप से सरकार हमको उत्तरदायी है, और इसे रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा कही गई बातों का हमें लेखा देना है।

मैं बहुत कुछ पर और भी कह सकता हूं परंतु जैसा मैंने कहा, जिस समस्या का हम सामना कर रहे हैं, वह सिर्फ लेखाओं से संबंधित ही नहीं है, वह केवल बहियों का मिलान नहीं है। यह केवल देयताओं की वसूली ही नहीं है, जिसको आपने धोखे से अनुमति दी अथवा अनुमति नहीं दी, परंतु जो बैंकिंग व्यवस्था से निकाली गई यह निश्चित है कि इन देयताओं की वसूली प्राथमिकता की बात है परंतु केवल यहीं नहीं किया जाना है। असल में अनेक अन्य उपायों में से यह एक उपाय है। यह एक बहुत ही छोटा पहलु है। आज हजारों करोड़ रुपये वसूल कर सकते हैं परन्तु इसके साथ 'भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी है।

मेरे विचार में भारत 3000 या 4000 करोड़ ही नहीं परन्तु 35,000 करोड़ की हानि सहन कर सकता है परंतु भारत अपने नाम पर कलंक को सहन नहीं कर सकता। इस वजह से वक्त की पुकार है, स्पष्टता।

चर्चा से पहले, मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वाजपेयी ने सुझाव दिया कि अगर संसद को आज की जटिल विशेषता, के दिनों में सन्तोषजनक ढंग से अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है, तो आपको बैंकिंग व्यवस्था, की

संसदीय जांच करवानी होगी। हम सामान्य भारतीय बैंकों के बारे में प्रश्न पूछते हैं, और सामान्य रूप से हमें यह जानकारी नहीं दी जाती। अटल जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, परन्तु अगर उनको आज सार्वजनिक बैंकों के मामले में कुछ पूछना हो, तो वह यह जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार, अन्तुले जी जो कि सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष हैं, जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। अतः हमें इस स्पष्टता की जरूरत है, हमें जवाबदेही की आवश्यकता है, और हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां सदन के सदस्यों को उच्च तकनीकी विशेषज्ञ प्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकें।

मैं इस वक्तव्य में व्यक्त की गई एक भावना से सहमत हूं जिसके साथ सम्भव है कि मेरे मित्र और सहयोगी सहमत नहीं होंगे, परन्तु हमारा यह दृष्टिकोण है। यह, इतना बड़ा घोटाला विनियमन या आर्थिक नीति के उदारीकरण का परिणाम नहीं है। हम इसे नहीं मानते। मेरे विचार में, वास्तव में, जो बची हुई नियंत्रण प्रणाली है और उस बची हुई नियंत्रण प्रणाली का ठीक ढंग से कार्य न करना, उसके कारण है।

एक संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति हो चुकी है। हाल ही में वास्तव में कुछ दिन पहले, बासले परंपरा पर एक सम्मेलन हुआ था। मैं उस बासले परंपरा के ब्यौरों की ओर नहीं जाना चाहता। विश्व भर में, इस बासले परंपरा के अनुसरण में अक्टूबर में बैंकिंग के संबंध में एक सम्मेलन होने वाला है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बासले सम्मेलन में जिन मुद्दों पर सहमति हुई है, विशेष रूप से इसे क्रियान्वयन किया जाये कि यदि कोई विदेशी बैंक हमारे नियमों हमारे विनियमों और हमारे कानून के उपबन्धों के अनुसार काम नहीं करता तो उसे भारत में काम करने की अनुमति न दी जाये।

श्री चन्द्रशेखर: आप अपने भाषण को क्यों बिगाड़ रहे हैं? कृपया आप बैठ जाईये।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण): वह आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते। आपको वही बोलना होगा, जिसे वे पसंद करें। मुद्दा यही है।

श्री जसवन्त सिंह: दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं बासले सम्मेलन के बारे में मामले की व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन मैं इसके निष्कर्षों की प्रशंसा करता हूं। यदि कोई बैंक देश से बाहर चलाया जाता है, तो भारत सरकार को यह अधिकार होना चाहिये कि देश के बाहर से इसे किस, आधार पर चला रहे हैं। उसकी जानकारी उसे प्राप्त हो। हम संयुक्त प्रवर समिति के गठन का स्वागत करते हैं। विचार-विमर्श के उपरान्त ही संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया है अथवा स्थापित की जा रही है। हम जो गलत समझते हैं, उसका उल्लेख करते रहेंगे, और जिस बात को हमारी बुद्धि अथवा हमारा विवेक सही बतायेंगे, उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भारत की अंतराष्ट्रीय ख्याति को पुष्ट करने में यथा संभव सब कुछ करने में आपको तथा सरकार को प्रचुर सहयोग प्रदान करेंगे ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायक अहम राष्ट्रीय हित संरक्षित किये जा सकें।

4.11 म०प०

[अनुवाद]

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मामले के बारे में

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अत्यधिक गम्भीर बहस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक अति गम्भीर प्रकृति के मामले में जानकारी हासिल करना चाहता हूं। फैज़ाबाद में मंदिर-निर्माण कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है। मैं श्री आडवाणी जी और श्री वाजपेयी जी से अपील करूंगा

[श्री चन्द्र शेखर]

कि उन्हें श्री नरसिंह राव जी और श्री चव्हाण जी के साथ बैठकर इस देश को विध्वंश से बचाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। मैंने गृह मंत्री, श्री एस०बी० चव्हाण को इस बारे में सूचित कर दिया है। उन्हें भी यह जानकारी मिली है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया है कि वह आज सायं राजनैतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय बैठक बुला रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अति-गम्भीर मामला है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। मैं इस सभा के सभी वर्गों से नम्र-निवेदन करता हूं कि इस मामले को और अधिक गम्भीरता से लिया जाये। श्री आडवाणी जी और श्री वाजपेयी जी, मुझे श्री नरसिंह राव जी और श्री एस०बी० चव्हाण जी से बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि उनमें दोषसिद्ध का कोई रुख अपनाने का साहस नहीं है। क्या आप कृपया इस देश को बचायेंगे और इस विध्वंस से देश को बचाने के लिए कोई समाधान निकालने का प्रयत्न करेंगे?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मुद्दे को उठाना चाहता था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, सरकार को यहीं इसी वक्त स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि यह कार्य पहले ही प्रारम्भ हो चुका है, तो इसके अत्यधिक गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। हमारा यही पुर्वानुमान है। हमने ऐसा कहा भी है।

कल, हमने यह मुद्दा उठाया था। यह किसी तकनीकी आधार पर नहीं हो सकता।...**(व्यवधान)** महोदय, यह एक अविलम्बनीय और अति महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम चाहते हैं कि सरकार यहीं इसी वक्त इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मैं श्री चन्द्रशेखर का आभारी हूं कि उन्होंने यह मामला उठाया है। हम यहीं और इसी वक्त यह जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): आज सुबह ही हमने श्री कुमारमंगलम से अद्यतन स्थिति के बारे में पूछा था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कल, हम अध्यक्ष महोदय से मिले थे और गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री भी वहां उपस्थित थे। हमने यह अनुरोध किया था कि इस मुददे के बारे में हम सभी चिन्तित हैं। यदि उस दिन कोई नई बात हुई है, तो सभा को अवगत कराया जाना चाहिये। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री उसके लिए राज़ी थे।

दोपहर से ही, मुझे दूरभाष संदेश मिल रहे हैं कि कोई निर्माण-कार्य चल रहा है। मैंने प्रधान मंत्री जी को दूरभाष किया और उन्हें बताया कि मैंने फोन पर ऐसा सुना है। कृपया तथ्यों का पता लगायें और समुचित कार्रवाई की जानी चाहिये। सरकार का दायित्व बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार की क्या जिम्मेदारी है, इसके बारे में कोई शंका नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद् संकल्प का मतंव्य सर्वसम्मत था और भाजपा ने भी उसमें सहयोग दिया तथा इसके लिए हम उसके अति आभारी हैं, उसे स्मरण किया जाना चाहिये। इस समय इस घड़ी में यह आवश्यक है कि पारित किये गये राष्ट्रीय एकता परिषद् संकल्प का स्मरण किया जाये। मैं श्री चन्द्रशेखर जी के इस मत से सहमत हूं कि देश को बचाना होगा। सरकार का उत्तरदायित्व क्या है? बहस तो बाद में भी हो सकती है, इससे पूर्व कि देश में अफवाहें फैले और कुछ अन्य गंभीर परिणाम निकले, हम यह आशा करते हैं कि प्रधान मंत्री जी अथवा गृह मंत्री जी सभा के समक्ष आयें और इस बारे में तथ्यों को ब्यान करें। यद्यपि, मुझे राजनैतिक मामलों पर मंत्रीमंडलीय समिति की बैठक के बारे में बताया गया है और इस समस्या का तुरन्त कोई हल ढूंढना पड़ेगा।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुरई): महोदय, मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह मामला उठ गया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आज सवेरे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री का मुझे एक पत्र मिला है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि विवादग्रस्त ढांचे की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया गया है। इतना ही नहीं सुरक्षा के प्रबन्ध और कड़े कर दिये गए हैं और कितने कड़े प्रबन्ध हैं, इसका अनुभव हमारी एक महिला सदस्य को भी हुआ है जिन्हें बिना तलाशी के जाने से रोका गया, कुछ पुलिस वालों के साथ कहा-सुनी हुई। वे भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्य हैं और सुरक्षा के प्रयत्नों में ढिलाई कर उन्हें भी नहीं जाने दिया गया था।

मुख्य मंत्री ने यह भी दावा किया है कि एन०आई०सी० को जो आश्वासन दिया गया था, उसका पालन किया जाता रहा है। अदालत के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। आखिर, उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठा है। अगर अदालत के आदेश का उल्लंघन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मान-हानि के आरोप में कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। कोई अदालत में जाकर अपनी बात कह सकता है और अदालत से ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, हमें श्री अटल बिहार वाजपेयी की बात सुननी चाहिए। वह एक माननीय सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, आखिर, एन०आई०सी० में क्या आश्वासन दिया गया था? एन०आई०सी० में यह आश्वासन दिया गया था कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: उपाध्यक्ष महोदय, अगर अदालत की बात है, तो केवल एक ही निवेदन यह अवश्य किया जाता है कि आप भी यह बात मान जाइए, अदालत का जब तक फैसला नहीं होता है, तब तक मंदिर मत बनाईए। अगर अदालत पर इतना ही विश्वास है, तो इस बात को आप मान जाइए। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष जी, श्री चन्द्र शेखर को स्मरण होगा कि यह बात जब एन०आई०सी० की मीटिंग में कही गई, तो मैंने नहीं माना था और उसका कारण यह है कि यह मामला अदालत में पिछले 45 साल से चल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के मुद्दे इसमें इन्वाल्व हैं कि उसका फैसला आने वाले 45 सालों में भी नहीं होगा। अगर होता, तो ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, इसीलिए चन्द्र शेखर जी को स्मरण होगा कि जब मूल प्रस्ताव में, एन०आई०सी० ने जो बात कहीं, ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बेलपुर): महोदय, प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित होने दे अथवा गृह मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिए। हम जानते हैं कि स्थिति क्या है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): महोदय, सभा को स्थगित करना ही होगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, चन्द्र शेखर जी को स्मरण होगा कि जिस समय मूल प्रस्ताव में

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

इस बात का उल्लेख किया था कि जो भी निर्णय होगा, उसकी हम प्रतीक्षा करेंगे और अदालत के निर्णय को हम मानेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उस शब्दावली को नहीं माना और उसके स्थान पर यह लिखवाया कि "किसी भी कोर्ट के आदेश का हम उल्लंघन नहीं करेंगे" और इस बात की बारीकी का अन्तर जब चन्द्र शेखर जी ने पहचाना, तो उन्होंने प्रधान मंत्री जी से कहा कि इसमें जो अन्तर है उसको पहचानना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हां, मैं पहचानता हूं और स्वयं आपको समरण होगा कि उसी के कारण हम लगातार कहते आए हैं कि कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक क्षण के लिए भी इस बात को भूल नहीं सकती कि उनको जनादेश मिला है।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): प्रधान मंत्री को आना चाहिए तथा सभा को जानकारी देनी चाहिए कि निर्माण वहां शुरू हुआ है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर: आडवाणी जी ने जो कहा वह बात सही है और इसीलिए मैंने उनसे और अटल जी से विशेष रूप से निवेदन किया। नैशनल इनटैगरेशन कांउसिल में मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा था कि यह निरर्थक प्रस्ताव आप मत पास कीजिए, आडवाणी जी इसको नहीं मानेंगे और कोर्ट में जाकर इस मामले को और पेचीदा बनाएंगे। आडवाणी जी से भी मैंने कहा था, पांच वर्ष के लिए मैनडेट मिला है, देश आजकल संकट में है, एक साल अगर मंदिर नहीं बनेगा तो कोई कष्ट नहीं होगा, चार साल बाकी रहेंगे। ... **(व्यवधान)** मैं किसी को बहका नहीं रहा हूं मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं जानता हूं जितनी बहादुरी से बातें की जाती हैं उतनी बहादुरी से थोड़े दिन बाद बात नहीं की जाएगी क्योंकि यह देश इतनी आसानी से टूटने वाला भी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि हमको इस देश को बरबादी और हिंसा से बचाना है। मैं इसलिए आडवाणी जी से और अटल जी से निवेदन कर रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी और श्री चव्हाण जी को कुछ पुरुषार्थ, कुछ संकल्पशक्ति दे सकें, कुछ निर्णय लेने की क्षमता दे सकें तो उनकी मदद कीजिए। हमारी वजह से उनको कोई पुरुषार्थ और शक्ति नहीं मिलती है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आज अयोध्या में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, शान्ति है। यहां तनाव है और आप यह तनाव वहां ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं। ... **(व्यवधान)** आप स्वयं आज अयोध्या जाइए और जाकर देखिए वहां क्या है। ... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर: कल सुबह अखबारों में सारे देश में खबर छपेगी और अगर यह होता कि यह खबर गुप्त रह जाती तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सवाल को कभी भी नहीं उठाता। मैं जानता हूं कल सुबह देश के सारे अखबारों में यह खबर छपेगी कि एक हजार लोग वहां मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। सुबह सात बजे से बात हो रही है, मुझे दुख है कि देश की सरकार और आप जो विपक्ष के नेता हैं, सदन के नेता और विपक्ष के नेता दोनों इस गम्भीर मसले पर एस साथ बैठकर देश को बचाने की बात नहीं सोच रहे हैं। ... **(व्यवधान)** दूसरे सारे घपलों के बारे में आडवाणी जी रोज श्री नरसिंह राव से मिलते रहते हैं, जैसे अभी हमारे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने कहा। तीन-चौथाई स्पीच ठीक दी और एक-चौथाई मिलने वाली स्पीच दे दी। उससे अच्छा यह था कि इस मसले पर भी आप विचार करते। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियमित बहस नियम 193 के अंतर्गत चर्चा आरम्भ करेंगे।

4.24 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, कल आपके चैम्बर में हमने विनम्र निवेदन किया था कि आज यदि अयोध्या में कोई डैवलपमैंट हो तो उसकी सूचना सदन को मिले। आज सूचना मिली है कि वहां पर कुछ निर्माण कार्य शुरू हुआ है। ... **(व्यवधान)** मैं तथ्यों को स्वयं नहीं जानता हूं, सुनी हुई बात कह रहा हूं। ... **(व्यवधान)** बजाय हम इस तरह की बातें करें, यह सरकार पूरे तथ्यों के साथ यहां क्यों नहीं आती है। यह सरकार इस पर मौन बैठे हुए हैं। वह क्यों इस तरह के रयूर्स को फैलने देती है। आडवाणी जी जो कुछ कह रहे हैं, अगर यही सरकार कह दे कि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो हम शांति से बैठे रहेंगे। यह सरकार जानबूझकर चुपचाप रहती है और ऐसे मामले में कोई तथ्य नहीं लाती है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें कोई आश्वासन अवश्य दिया जाये। कांटे के तौल पर इस समय देश है। चुपचाप बैठकर यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती है। प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को अभी यहां आना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है। ... **(व्यवधान)** यह एक गम्भीर मामला है। श्री चन्द्रशेखर जी द्वारा जानकारी दी गई है। इस जानकारी को नकारा नहीं गया है। बात केवल यह है कि कहा गया है कि वहां अनुमानित शान्ति है। हम जानना चाहते हैं कि क्या घटित हो रहा है। हमारा निवेदन यह है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे देश में गम्भीर तनाव पैदा होगा इसके परिणाम क्या होंगे कोई नहीं जानता।

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पक्की जानकारी देता हूं। छह बजे वहां पूजा हुई थी। साथ बजे शिलान्यास स्थल से छतरी हटा दी गयी थी और नींव खोदी गई थी। तकरीबन एक हजार लोग कार्य कर रहे है। तीन मिक्सर दिन-भर चल रहे हैं और आज एक बजे मध्याह्न पश्चात् से कंकरीट उस नींव में डाली जा रही है और वे वहां मंदिर का निर्माण कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को सभा में जानकारी देनी चाहिए। सभा का कार्य उनके बगैर नहीं चल सकता। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): कल, सभा स्थगित होने से पहले, एक स्पष्ट समझौता हुआ था कि आज गृह मंत्री सभा को अद्यतन स्थिति की जानकारी वहां से पता लगाकर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी: गृह मत्री जी कहां हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: वहां से स्थिति की जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें सभा को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। कोई भी उपस्थित दिखाई नहीं दे रहा है और किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दी है।

मैं एक बात जानना चाहता हूं। राष्ट्रीय एकता परिषद संकल्प के बारे में काफी चर्चा हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के माध्यम से भाजपा भी इस मामले से संबद्ध है। लेकिन विश्व हिन्दू परिषद् इस संकल्प में शामिल नहीं है। अब कार-सेवा शुरू करने की सारी जिम्मेदारी विश्व हिन्दू परिषद् को सौंप भी दी गई है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्यगण: नहीं ऐसा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: हां, ऐसा ही है, आप चाहे इससे इन्कार करें। विश्व हिन्दू परिषद् को कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पृष्ठभूमि में है। राष्ट्रीय एकता परिषद् के उस सर्वसम्मत संकल्प का इससे क्या संबंध है। विश्व हिन्दू परिषद को इससे कुछ लेना देना नहीं है । वे आगे बढ़कर कुछ भी कर सकते हैं; सरकार देखती रहेगी और कहती रहेगी "हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा घटित नहीं होगा, हम आशा करते हैं, वैसा घटित नहीं होगा"। यह एक असहनीय स्थिति है। उन्हें सभा में आकर अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि वे क्या करने का विचार रखते हैं, वे क्या कदम उठाना चाहते हैं। अन्यथा यह सभा इस प्रकार नहीं चल सकती।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: भाजपा, दोगली बातें कर रही है। एक तो वे हमें सलाह दे रही है कि आप न्यायालय में जायें और दूसरा, वह उन्हें मिले जन समर्थन की बात करती है। जब तक सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करती और कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं देती, सभा की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जायेगा। सभा स्थगित करनी पड़ेगी। इसके सिवाय हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): जो कुछ श्री चन्द्रशेखर जी नी कहा, यदि वह सत्य है, तो यह एक बहुत गम्भीर बात है। अयोध्या में जो संसदीय दल गया था, मैं भी उसका सदस्य था। जो कुछ वहां घटित हो रहा था, हमने देखा था माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि जब भाजपा की एक महिला-सांसद वहां गई तो उन्हें किसी ने नहीं रोका था। पर किसी के वहां जाने का प्रश्न नहीं है। यह स्थायी निर्माण करने का प्रश्न है। जो कुछ कहा गया है यदि वह सच है तो यह अत्यंत खतरनाक बात है और देश को अत्यंत गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके विचारों को हम भली प्रकार से जानते हैं। नौवीं लोक सभा में जब इस पर चर्चा हुई थी तब उन्होंने यह कहा था कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा नहीं जा सकता बल्कि हटाया जा सकता है। इस बारे में निर्णय न्यायालय ने नहीं लिया है बल्कि इस देश की जनता ने लिया है। वे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। हमने इस सभा में यह क़ानून पहले ही पारित कर दिया था कि 1947 की स्थिति के अनुसार सभी पूजा स्थलों की रक्षा की जाएगी। मेरा आगृह है कि एकमत से एक संकल्प पारित किया जाए कि जो निर्माण चल रहा है उसे रोका जाए और देश को विनाश से बचाया जाए। देश को वर्तमान संकट से बचाने के लिए यही एक रास्ता है।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं भी अयोध्या गए शिष्टमडल का सदस्य था। जब हम अयोध्या में थे तब हमारे सामने कुछ विधिक प्रश्न पैदा हुए थे कि क्या न्यायालय का रोकादिश भवन के अस्थायी निर्माण के संबंध है अथवा अस्थायी भवन गिराने के संबंध में है। अब मैंने देखा है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस स्थान पर कुछ माह पहले हम बात कर रहे थे उसी स्थान पर स्थायी निर्माण करने के प्रयास किए जा रहे है। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है कि अयोध्या में सुरक्षा बलों को बाबरी मस्जिद की भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से रक्षा करनी है क्योंकि ये संसद सदस्य इस महान मस्जिद को गिराना चाहते हैं। यह अत्यंत गंभीर बात है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति ली गई अपनी शपथ का उल्लंघन कर रही है क्योंकि श्री आडवाणी ने बताया है कि वे न्यायालय के आदेशों के किन भागों को स्वीकार करते हैं और किन को नहीं।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का रिकार्ड देखने से पता चलता है कि इसने 1986 से अयोध्या मामले को राजनीतिक मामले के रूप में उपयोग किया। उन्होंने 1951 से 1986 तक यह मामला नहीं उठाया,

इसी से उनके गलत इरादों के बारे में पता चलता है। भारत सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ इसके सहयोगी संगठनों जैसे विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकलापों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करना अत्यंत खतरनाक होगा क्योंकि ये लोग देश के कानून, इसकी विरासत, विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों के बीच सांप्रदायिक संबंधों, देश की विविधता, जो हमारे देश की एकता का आधार है, को समाप्त कर रहे हैं। आज 9 जुलाई, 1992 को इस मुद्दे के अतिरिक्त देश के समक्ष और कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है कि कानून का उल्लंघन करने, देश की एकता को समाप्त करने, जो हमारे देश की विविधता पर आधारित है, से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोका जाए। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ... **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: कल तीन बार हाउस एडजर्न हुआ था, इसी कारणवश और आपने नेताओं की बैठक बुलाई थी ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पासवान, पहले मैं उनका व्यवस्था का प्रश्न देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: मेरा पाइण्ड ऑफ आर्डर यह है कि कार्यक्रम पत्रिका के अनुसार, जो कार्यक्रम पत्रिका आपने बनाई है, शेयर स्कैम पर चर्चा चल रही है। इस शेयर स्कैम ने देश को आर्थिक विनाश के कगार पर लाकर खड़ा किया, अब इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बीच में यह बात लाना और उसे इतना लम्बा चलाना, यह बात बराबर नहीं है। देश के सामने जो आर्थिक संकट है, इस पर विचार होना चाहिए और उसके लिए आपको निर्देश देना चाहिए, ऐसा मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपने कल नेताओं की बैठक बुलाई थी और कल इस बात पर एक एग्रीमैण्ट हुआ था कि वहां किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ... **(व्यवधान)** ... होगा, आप सूचित करेंगे। आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि प्रधान मंत्री या होम मिनिस्टर को बुलाइये। इससे ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण सवाल नहीं हो सकता है। आप उनको बुलाइये। ... **(व्यवधान)**... राष्ट्र की बदनामी का जो कार्य वहां हो रहा है ... **(व्यवधान)** ... अयोध्या में क्या हो रहा है, उस बारे में इनकी बात पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं इसलिए सरकार बतलाये कि वहां जो कोर्ट के आर्डर का वायलेशन हुआ है ... **(व्यवधान)** ... यह देश की एकता और अखण्डता का सवाल है। देश की एकता और अखण्डता से बड़ा और कोई सवाल नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यह पार्लियामेण्ट सर्वोच्च चीज है इसे ही देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करनी है। भारत सरकार देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में विफल रही है इसलिए आप प्रधान मंत्री को बुलाइए। वह वहां क्यों बैठे हुए हैं, मिनिस्टर। इस तरह से नहीं चल सकता है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: शून्य काल के दौरान यह मामला उठाया गया था। संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा

[श्री बसुदेव आचार्य]

था कि वह हमें यह बताएंगे कि वहां क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री सभा में आकर यह बताएं कि क्या अयोध्या में निर्माण किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्हें सभा को यह बताना चाहिए। अन्यथा हम सभा की कार्यवाही चलने नहीं देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि यह सभा कुछ मामलों के बारे में किस प्रकार अनुभव करती है। अभी हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तथा अब हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि हमने इस मामले पर चर्चा करना आरंभ कर दिया है और यह मामला भी उतना ही महत्वपूर्ण है इसलिए हम इसे शीघ्र ही समाप्त कर उस मामले पर चर्चा करें जिस पर पहले चर्चा कर रहे थे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, चन्द्रशेखर जी ने इन्टरवीन किया है और कहा है कि मुझे कुछ जानकारी है....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इसी कारण सभी दल यहां एकत्रित हुए हैं और वे....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठे जाइए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर बैठकर सभा नहीं चला सकते हैं। कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अगर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा तो भी आब्जेक्शन होगा।

[अनुवाद]

मैं एक या दो मिनट का समय दे रहा हूं। मैं जो कुछ करना चाहता हूं वह मैं करूंगा और जो कुछ सरकार करना चाहती है वह उसे करना चाहिए। यदि सदस्य असंतुष्ट हैं और वे कोई बात कह रहे हैं तब हम उनकी बात सुनें। अन्यथा 'नहीं' कहने में समय बर्बाद किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार को भी बोलने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा-बूंदी): अध्यक्ष जी, इस सारे विषय पर दो घण्टे पूर्व चर्चा हो चुकी है। कल कुमारमंगलम जी जवाब दे चुके हैं। एक दिन में दो विषयों पर चर्चा को आप क्या न्यायोचित मानते हैं। ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: अगर आप भी वैसा करेंगे, तो वे भी वैसा करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: वाजपेयी जी, जो आप बोल रहे हैं, वही मैं करवाऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली): आप बीजेपी को हमेशा टॉप पर रखना चाहते हैं....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। ....**(व्यवधान)**...

श्री मदन लाल खुरानाः ऐसे हाउस नहीं चलेगा। कल शाम को अयोध्या और आज सुबह मध्य प्रदेश। अच्छा मजाक बना रखा है। ....**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः शहाबुद्दीनजी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं यह कार्यवाही वृत्तांत के लिए है ....**(व्यवधान)**...

श्री सैयद शहाबुद्दीनः महोदय, वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं....**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): भारत सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदयः मैं वही करूंगा। ....**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी. अगर आप पूरी बहस कराना चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदयः पूरी बहस नहीं, हम सिर्फ शहाबुद्दीन जी को ही सुनेंगे। ....**(व्यवधान)**...

श्री अटल बिहारी वाजपेयीः लेकिन यह तरीका गलत है आप उनसे वक्तव्य दिलवा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः महोदय, जैसे वह उत्तेजित हो रहे हैं उसी प्रकार ये लोग भी उत्तेजित हो रहे हैं। दो दिन में चार बार आपने इस चर्चा की अनुमति दी ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदयः श्री शहाबुद्दीन, आप बोलिए ....**(व्यवधान)**...

श्री श्रीकांत जेना (कटक): अध्यक्ष महोदय, पहले आप उन्हें चुप कराइए अन्यथा किसी भी सदस्य को बोलने नहीं दिया जाएगा ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदयः पहले आप बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइए। **(व्यवधान)**

खुराना जी, आप पहले बैठ जाइए। देखिए, अगर यह गंभीर इशू है तो गंभीरता से चर्चा करेंगे। असल में आप एक इशू पर से दूसरे पर गए हैं, वह भी गंभीर है ऐसा आपको लगता है ....**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं वही करने जा रहा हूं जो श्री आडवाणी जी ने कहा था। लेकिन हम दो-तीन मिनट श्री शहाबुद्दीन की बात सुन लें। ....**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुरानाः आप उनको बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय: मैं बुलाता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रकार मुझे निदेश नहीं दे सकते हैं। कृपया आप बैठे जाइए ...**(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, आप बैठ जाएं, आप ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। ....**(व्यवधान)**...

श्री मदन लाल खुरानाः अयोध्या का मामला आज सुबह उठ चुका है; दो बार उठ चुका है, आज सुबह उठा है। ....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे कह रहा हूं आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीनः महोदय, मैं बहुत दुख और संताप के साथ बोल रहा हूं। संविधान का उल्लंघन किया गया है। जिस राज्य सरकार को कानून की रक्षा करनी थी उसने स्वयं ही इसका उल्लंघन किया है। इससे अधिक बुरी घटना और कोई नहीं हो सकती है। संविधान में हमारा विश्वास दांव पर लगा है। अतः यह एक ऐतिहासिक क्षण है। जो कुछ हुआ है उसकी आशा नहीं की गई थी। मैंने 29 जून को संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में गृह मंत्री को विस्तार से बताया था। मैंने उन्हें बताया था कि क्या होने वाला है। दो दिन पहले मैं प्रधान मंत्री से मिला था और उन्हें बताया था कि ऐसा होने वाला है। मैं कल सभा में प्रधान मंत्री से मिला था और दुबारा उन्हें यह बताया था।....**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवानः आप गृह मंत्री को यहां आने के लिए क्यों नहीं कहते? कृपया गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहें ....**(व्यवधान)**...

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। गृह मंत्री को यहां अवश्य आना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): गृह मंत्री भी वही बात कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनिए **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: आप गृह मंत्री को आने के लिए क्यों नही कहते? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री सरकार का अभिन्न अंग है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना: 26 जनवरी को नेशनल फ्लैग जलाने वाले हमको कांस्टीट्यूशन का पाठ पढ़ा रहे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी: मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं?

श्री सैफुद्दीन चौधरी: हम उन्हें चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका यह कहने का क्या अर्थ है कि 'आप उन्हें चाहते हैं?' वह दूसरे सदन में व्यस्त हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार नहीं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी: क्या वह नहीं आ सकते और यहां उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते? **(व्यवधान)**

श्री गुलाम नबी आजाद: यदि आप उत्तर में रुचि रखते हैं तब ठीक है, यदि आप उत्तर नहीं चाहते तब मैं कुछ नहीं कहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री हाराधन राय (आसनसोल): वह कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ है। **(व्यवधान)** वह दोहरा खेल खेल रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): यह अब बड़ी पुरानी बात हो गई है, रोज-रोज इस तरह की बात नहीं चला करती है। **(व्यवधान)**

महोदय, सच यह है कि कंक्रीट के पिलर के निर्माण के लिए कंक्रीट का आधार बनाया जा रहा है। इस निर्माण से पैदा होने वाले प्रभाव पर विचार करने के लिये सरकार ने आज देर रात को राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक बुलायी है। लेकिन, महोदय, माननीय सदस्यों की भावनाओं तथा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैंने इस संबंध में मानीय प्रधान मंत्री से विचार विमर्श किया है और हमने राजनीतिक मामलों संबंधी समिति की बैठक को शाम के छह बजे ही बुलाया गया है। मैं अभी केवल इतना ही कह सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री रामं विलास पासवान: हमें राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति से कोई मतलब नहीं है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक कल ही बुलाई जानी चाहिये थी। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: आप अभी सभा को स्थगित कर दें। **(व्यवधान)**

श्री तरित वरण तोपदार (बैरकपुर): सभा को तुरंत स्थगित किया जाए। राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति क्या है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी: महोदय, क्या आप उत्तर से संतुष्ट हैं? यह तो एक दम गैर-जिम्मेदाराना जवाब है। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: हम सरकार का इस्तीफा चाहते हैं। हम राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक नहीं चाहते। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी: राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक 6.00 बजे है। तब तक हम चले जाएंगे। निर्णय की जानकारी प्राप्त करने हम यहां बैठे नहीं होंगे। **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना: गृह मंत्री जी कोई वक्तव्य क्यों नहीं दे रहे हैं? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक का क्या औचित्य है जबकि वह कोई निर्णय ले नहीं सकती है?

श्री गुलाम नबी आजाद: राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक निर्माण कार्य के प्रभावों का अध्ययन करेगी। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने कोई समस्या होगी। छह बजे उनकी बैठक हो रही है। आप कृपया उन्हें यह निर्देश दें कि वे 7.00 बजे यहां अपना वक्तव्य दें और तब तक हम प्रतिभूति घोटाला पर चर्चा कर सकते हैं और तब हम वक्तव्य को देखेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: नहीं, हम लोग आग्रह करेंगे कि होम मिनिस्टर को बुलवाइए और वे हमको जानकारी दें कि कहीं कोर्ट आर्डर्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। सी सी पी ए की मीटिंग हो या न हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मेरा केवल इतना ही कहना है कि दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों ने ठीक ही इस मुद्दे को उठाया है। वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक के बिना वे कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और बैठक के समय को करीब ला दिया गया है इसलिये तब तक जैसा कि चन्द्रशेखर जी ने अभी कहा है हम प्रतिभूति घोटाला पर चर्चा करें।

श्री बसुदेव आचार्य: राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समित की बैठक पूरी होने तक सभा को स्थगित कर दिया जाए। **(व्यवधान)**

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम): उन्हे प्रतिभूति घोटाला पर चर्चा करने दें। हम नहीं कर सकते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप आपस में बात करेंगे तो मुझे बोलने में तकलीफ होगी।

[अनुवाद]

कृपया अब आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): सदस्यगण अत्यंत उत्तेजित हैं। इस समय इससे महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय: हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यदि आप चर्चा नहीं करते हैं तो बाहर भी इससे आपकी अच्छी छवि नहीं बनती है क्योंकि आपने ही यह विचार किया कि यह भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: निर्णय आपको करना है। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको निर्णय करना है। लेकिन चन्द्रशेखर जी ने जो सुझाव दिये हैं कि हम चर्चा जारी रखें वह ठीक है। हम इस चर्चा को जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यह सी० सी० पी० ए० कल होनी थी। पहले यह बताएं कि कल क्यों नहीं हुई, जबकि कंटीजेंसी प्लान बना था। यह सरकार ऐसे सी० सी० पी० ए० कर के सोई रहती है। इसलिए अभी तत्काल गृह मंत्री जी या प्रधान मंत्री जी की क्या स्थिति है, के संबंध में आकर बयान देना चाहिए। उसके बाद कोई चीज हो। यह मेरा प्रस्ताव है। सब लोग चिन्तित हैं इसके बारे में। इसलिए तत्काल उनको आना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हाउस को ऐडजार्न कर दीजिए, हम लोग 6 बजे फिर मिलेंगे।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से किसी ने आकर हाउस को सूचना नहीं दी। मैं धन्यवाद देता हूं चन्द्रशेखर जी को कि उनके पास सूचना थी। जिस तरीके से हाउस का मूड बन रहा है, चन्द्रशेखर जी का कहना था कि उनका भरोसा होम मिनिस्टर और प्राईम-मिनिस्टर पर नहीं है, उनकी कार्यक्षमता पर नहीं है। अटल जी और आडवाणी जी दोनों बहुत व्याकुलता के साथ बोले कि इस तरह से वहां हुआ है। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि हाउस का मन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे सिक्योरिटी स्कैम पर, उस पर कंसंट्रेट करने का नहीं है। मैं बता रहा हूं कि सी० सी० पी० ए० की मिटिंग कुछ समय चलेगी, हाउस को आप ऐडजर्न कर सकते हैं, हम फिर बैठ सकते हैं। ऐसा चन्द्रशेखर जी ने भी कहा। मान लीजिए चन्द्रशेखर जी इस सवाल को नहीं छेड़ते तो सिक्योरिटी स्कैम ही चलता। अगर इस तरीके से हाउस का मन बन गया है तो हाउस को ऐडजर्न कर दीजिए। गृह मंत्री या प्रधान मंत्री दोनों में कोई आए। यदि वे नहीं आते हैं तो हमें लगता है कि हाउस इस तरीके से नहीं चल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, यह मेरी राय है कि आपने जो चर्चा शुरू की है उसको कंटीन्यू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर यह महत्वपूर्ण मैटर है और हम सब लोग उसके लिए एजीटेटिड हैं तो सी० सी० पी० ए० को उसके बारे में सोचने के लिए अवसर देना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि नहीं देना चाहिए तो भी अच्छी बात नहीं है। आपने जो कुछ भी हाउस के सामने, गवर्नमेंट के सामने लाना था, वह लाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसकी चर्चा नहीं करने से अगर प्राबलम साल्व हो रही है तो चर्चा नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं जानता हूं कि हम इस चर्चा में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते लेकिन विगत आधे घंटे से सदस्यगण अत्यंत उत्तेजित हैं। यह कोई आम मामला नहीं है। प्रतिभूति घोटाला का मामला भी महत्वपूर्ण है। देश की अखंडता का प्रश्न है और यह सभी सदस्य उत्तेजित हैं। आप इसे इतने सामान्य तौर पर नहीं ले सकते हैं और इसकी महत्ता के संबंध में ऐसी कोई रेखा भी नहीं खींच सकते। दोनों ही मामले महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)**

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, जो घटनाएं घटी हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ऐसी घटना घटी है और उसकी सूचना उन्हें है। एक ही उपाय है कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री यहां आएं और सभा को इस संबंध में आश्वासन दें कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा कैसे की जाएगी। **(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी): महोदय, वर्तमान स्थिति में एक मात्र यही उपाय है कि आप अभी सभा को स्थगित कर दें हम पुनः 7.00 बजे राजनीति मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के निर्णय लेने के बाद समवेत हों। इस स्थिति में सभा नहीं चल सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप ही बताएं कि यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते तो यह कैसे लाभदायक होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: सरकार ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है तो इससे ज्यादा गंभीर मामला और क्या हो सकता है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी: महोदय, हम पूरे दिन के लिये सभा का स्थगन नहीं चाहते। सायं 6.30 बजे तक के लिये अस्थायी स्थगन हो सकता है और तब हम पुनः यह जानने के लिये यहां मिल सकते हैं कि राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति ने क्या निर्णय लिया है। यह अत्यंत आवश्यक है। हम अपनी बात भी कहना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मान लें कि कल भी ऐसी ही बात हो जाए तो आप क्या करेंगे?

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी: महोदय, हम यह जानना चाहते कि राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति का निर्णय क्या है और तब हम अपनी बात कहेंगे **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): यह बहुत बड़ा मसला है .....**(व्यवधान)**..... हमारे जज्बात क्या हैं, इसके बाद भी प्राईम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर नहीं आ सकते तो आप हाउस को एडजर्न कीजिए। यह बीस करोड़ मुसलमानों का मसला है। उनके जज्बात और अहसासात हैं और ये अकलियतों की दुहाई देने वाले सामने खामोश बैठे हुए हैं। हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी मसले की हद होती है .....**(व्यवधान)**

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدر آباد): یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جذبات کیا ہیں اسکے بعد بھی پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر نہیں آسکے تو آپ ہاؤس کو ایڈجورن کیجئے۔ یہ بیس کروڑ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ انکے جذبات اور احساسات ہیں اور یہ اقلیتوں کی دہائی دینے والے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اسکو برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ کسی مسئلہ کی حد ہوتی ہے..... (مداخلت)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हम आपकी रिसपेक्ट करते हैं और आप हमारी भावनाओं को समझिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हाऊस को एडजर्न कीजिए जब तक सरकार की समन्वय रिपोर्ट नहीं आती .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: एडजर्न करने से आपको कैसे लाभ मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: इस परिस्थिति में डिसकशन नहीं हो सकता। .....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, हम आपकी रिसपेक्ट करते हैं और आप हमारी भावनाओं को समझिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हाऊस को एडजर्न कीजिए जब तक सरकार की समन्वय रिपोर्ट नहीं आती .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: एडजर्न करने से आपको कैसे लाभ मिलेगा।

.....**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: इस परिस्थिति में डिसकशन नहीं हो सकता। .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमति मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत गंभीर मामला है। सरकार हमें बताए कि वह क्या कदम उठा रही है। **(व्यवधान)**

5.00 म०प०

श्री श्रीकांत जेना: राजनतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के निर्णय लेने तक सभा को स्थगित कर दिया जाए और फिर बाद में हम इस पर यहां चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस इश्यू पर आज आप एडजोर्न मांग रहे हैं, कल दूसरों ने भी मांग लिया तो।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवा इसके कि प्रधान मंत्री और गृह मंत्री यहां आएं और इस संबंध में हमें आश्वासन दें। इस तरह से हम कार्य आगे नहीं बढ़ा सकते। देश को बचाना है। हम राजनीतिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के निर्णय की प्रतीक्षा करें। आज हम सायं सात बजे भी बैठने के लिये तैयार हैं। सभा में यह घोषणा कर दी जाए। यह संदेश सभा से ही भेजा जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप बताएं कि सभा के स्थगन से इसमें क्या सहायता मिलती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ऐसा लगता है कि कार्य सूची में शामिल विषयों पर आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: पूरे देश को यह पता चल जाएगा कि हमने आज क्या किया है। संसद में हमें

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

यह दिखाना है। हम अब भी इतना दबाव बनाए रखेंगे जिससे देश को बचाने के लिये सरकार को कोई निर्णय लेना ही पड़ेगा।

इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिये हम मध्य रात्रि तक भी बैठने के लिए तैयार हैं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट): माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा जो चन्द्र शेखर जी ने कहा यह बहुत गम्भीर मसला है।

अध्यक्ष महोदय: आप उसमें न जायें, उसको न दोहरायें।

श्री जगमीत सिंह बरार: इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि माननीय सदस्य शहाबुद्दीन को एक शब्द कहने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के मौजूद रहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दी। मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने इस सदन में कहा है, जब चन्द्रशेखर जी बहस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को वहां जनादेश प्राप्त है इसलिए मन्दिर का निर्माण हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मन्दिर के नाम पर इन्होंने वहां पर लोगों की धार्मिक भावनायें भड़काई, इन्होंने यह बात कही है।

[अनुवाद]

यह अत्यंत गंभीर मामला है और मैं प्रधान मंत्री से भी निवेदन करता हूं कि वह कोई कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय: आप बिलावजह कह रहे हैं, वह बात खत्म हो गई है।

श्री जगमीत सिंह बरार: मैं पहली बार आपकी इजाजत के बगैर खड़ा हुआ हूं....

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं आपको अब डायरेक्शन दे रहा हूं आप समझ लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सूर्य नारायण जी, जो एजेंडा में सब्जेक्ट हैं, उस पर आप बोलना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: देश के सामने यह विषय सूची है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इससे क्या मैं यह समझूं कि कार्य सूची में शामिल विषयों पर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम थोड़े समय के लिये 7.00 बजे तक स्थगन चाहते हैं। आप 7.00 बजे तक के लिये सभा को स्थगित कर सकते हैं और हम 7.00 बजे पुनः समवेत होंगे। **(व्यवधान)**

आप आज सभा स्थगित कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: यह देश विभाजित है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्दगांव) : अध्यक्ष महोदय अभी तो कंक्रीट प्राऊन्डिंग हो रहा है, जब खम्भे खड़े होंगे तो पता नहीं पार्लियामेंट में क्या होगा? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मुझे सरकार के इरादे पर शक है। वे दोहरी चाल चल रहे हैं। वे भा०ज०पा० को मंदिर बनाने के लिये धन दे रहे हैं। वे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वे जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा० देवी प्रसाद पाल, कार्य सूची में उल्लिखित विषय पर आप बोलना चाहेंगे? वह कार्य वृतांत में शामिल किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप जाएं और राजनीति मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के बैठक में भाग लें। हम यहां सारी रात बैठे रहेंगे। **(व्यवधान)**

आप इस बात पर सहमत क्यों नहीं होते? चूंकि आप इस बात पर सहमत नहीं हो रहे हैं इसलिये आपकी भी उनसे मिली भगत है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य उन सदस्यों की बात कार्य सूची में शामिल विषय पर नहीं सुनना चाहते हैं तो मेरे विचार में सभा में केवल बैठे रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम यहां तब तक बैठे रहना चाहते हैं जब तक कि हमें निर्णय की जानकारी न मिल जाए। उन्हें निर्णय लेने दें। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें यह बताना पड़ेगा कि वह क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि जो आप कहना चाहते थे वह कह दिया है। मेरी राय में आपको ऐजेण्डा के सबजेक्ट पर डिस्कशन करना चाहिये नहीं करेंगे तो मेरे विचार में हाउस चलाने का औचित्य नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा कल 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

5.12 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 10 जुलाई, 1992/19 आषाढ़, 1914 (शक) के ग्यारह म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।